[2021] 12 एस. सी. आर 603

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड पार्टनर्शिप

वेल्फेयर एसोसिएशन एंड अन्य

बनाम

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। & ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3395)

24 मार्च, 2021

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 30 (2) और व्यवहार में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की 31 रूपरेखाएँ

एक समाधान योजना के साथ-आयोजितः न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान योजना के अनुमोदन के मामले में सीमित अधिकार क्षेत्र है, जो एस. एस. द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और सीमित है। 30 (2) और संहिता का 31-आई. बी. सी. के तहत एक समाधान योजना से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में,

ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) के निर्णय के वाणिज्यिक पहलुओं में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के किसी भी वाणिज्यिक शब्द को प्रतिस्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है-यदि इसकी सीमा के भीतर

क्षेत्राधिकार में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को निर्दिष्ट मापदंडों की तुलना में समाधान योजना में कोई कमी मिलती है, यह समाधान योजना को केवल संहिता द्वारा चित्रित और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किए गए मापदंडों को पूरा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजेगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-कॉर्पोरेट देनदार की समाधान योजना गतिविधियों का बड़ी संख्या में व्यक्तियों/संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा, जिसमें इसकी अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं में फ्लैट/अपार्टमेंट के खरीदार शामिल थे-चाहे संकल्प की मंजूरी हो।

ऋणदाताओं की समिति में दो समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान के कारण एनबीसीसी की योजना को दूषित कर दिया गया था-आयोजितः द.

उनमें से एक को चुनने के लिए दो योजनाओं पर एक साथ मतदान की प्रक्रिया को वर्तमान मामले में दोष नहीं दिया जा सकता है; और

ऋणदाताओं की समिति द्वारा दो समाधान योजनाओं पर एक साथ विचार करने और मतदान करने के कारण एनबीसीसी की समाधान योजना को दूषित नहीं किया गया था।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-निगम ऋणदाता की समाधान योजना गतिविधियों का बड़ी संख्या में ऋणदाताओं पर प्रभाव पड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं में फ्लैटों/अपार्टमेंटों के खरीदारों सहित व्यक्ति/संस्थाएं, चाहे

ऋणदाताओं की समिति द्वारा एनबीसीसी की समाधान योजना, जहां एक वर्ग के रूप में घर खरीदार योजना के लिए सहमति देते हैं, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या घर खरीदारों का कोई भी संघ समाधान योजना के लिए एक चुनौती बनाए रख सकता है और इसे एक असहमत वित्तीय लेनदार या एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। जो परियोजना पूरी हो चुकी थी या पूरी होने वाली थी, उसे समाधान योजना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए-आयोजितः तथ्यों पर, एक वर्ग के रूप में घर खरीदार एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना को मंजूरी दे चुके हैं, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या घर खरीदारों का कोई भी संघ समाधान योजना को चुनौती नहीं दे सकता है और उन्हें असहमत वित्तीय लेनदार या पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कॉरपोरेट देनदार, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जे. आई. एल.) के संबंध में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, जिसकी गतिविधियों का बड़ी संख्या में व्यक्तियों/संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा, जिसमें इसकी अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं में फ्लैट/अपार्टमेंट के खरीदार भी शामिल हैं। कॉरपोरेट देनदार जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. अतीत में विभिन्न विवादों में उलझा हुआ था और यहां तक कि जब समाधान आवेदक, एन. बी. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति द्वारा वित्तीय ऋणदाताओं के मतदान हिस्से के 97.36% के पर्याप्त बहुमत से अनुमोदित किया गया था, तो विभिन्न हितधारकों और भूमिका निभाने वालों की ओर से कई विवाद/आपत्तियां सामने आईं, जैसे कि असंतुष्ट वित्तीय ऋणदाताओं, असंतुष्ट घर खरीदारों, असंतुष्ट भूमि प्रदान करने वालों की अपनी चिंताओं को व्यक्त करना। एजेंसी, कॉर्पोरेट देनदार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के मोहभंग लेनदार और अल्पसंख्यक शेयरधारकों को निराश किया। इन सब के अलावा, कॉर्पोरेट देनदार की होल्डिंग कंपनी, अर्थात् जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) और इसकी

समाधान प्रक्रिया पर हितधारकों के कई सवाल थे

वे विशेष रूप से आई. एन. आर. 750 करोड़ की राशि से चिंतित थे, जिसे जे. ए. एल. द्वारा मुकदमे के पहले दौर में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जमा किया गया था। निर्धारण की मांग करने वाले प्रमुख बिंदु थेः

जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

A. शक्तियों का विस्तार और सीमाएँ क्या हैं?

और लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से निपटने के दौरान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र?

ख. क्या दो प्रस्तावों पर एक साथ मतदान के कारण एनबीसीसी की समाधान योजना की मंजूरी दूषित हो जाती है। लेनदारों की समिति में योजनाएं?

ग. (i) क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने बैठक के लिए संकल्प योजना में शर्तों को मंजूरी नहीं देने में गलती की है।

भूमि अधिग्रहण मुआवजे की अतिरिक्त राशि का आकस्मिक दायित्व; और इन शर्तों को संशोधित करने में भी गलती हुई है? ((ii) इस बारे में कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने गलती की है

समाधान योजना में प्रदान किए गए तंत्र को मंजूरी देना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक के साथ रियायत समझौते के तहत रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण

विकास प्राधिकरण (वाई. ई. आई. डी. ए.) ने एस. पी. वी. एस. को शामिल करने का प्रस्ताव किया है और संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने में भी गलती की है। शर्तें? (iii) क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने वाई. ई. आई. डी. ए. के संबंध में समाधान योजना में मांगी गई राहतों और रियायतों को मंजूरी नहीं देने में गलती की है?

समाधान योजना में बैंक लिमिटेड, जैसा कि इसके अनुरूप नहीं है सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1) (बी) के साथ पठित संहिता की धारा 30 (2) (बी) और समाधान की शर्तों को संशोधित करने में त्रुटि हुई।

योजना बनाना और असहमत वित्तीय लेनदार को मौद्रिक संदर्भ में भुगतान का निर्देश देना?

ई. कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने गलती की है

च. (i) क्या समाधान योजना का उद्देश्य जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड की परिसंपत्तियों से अनधिकृत रूप से निपटना है। (जेएचएल)? ((ii) क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह मानते हुए गलती की कि यस बैंक लिमिटेड ने जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति के गठन के लिए सहमति व्यक्त की थी?

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. क्या कुछ समझौतों/उप-पट्टों को रद्द करने के लिए समाधान योजना में शर्त अनुचित है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसे संशोधित नहीं करने में गलती की है?

एच. इस बारे में कि क्या अल्पांश शेयरधारक संपर्क नहीं करने के बावजूद अपने दावे/आपत्तियां बताने के हकदार हैं न्यायनिर्णायक प्राधिकरण; और क्या समाधान योजना अल्पांश शेयरधारकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करती है?

I. (i) इस बारे में कि क्या ऋणदाताओं की समिति द्वारा एनबीसीसी की समाधान योजना के अनुमोदन के बाद, जहां घर खरीदार

योजना पर सहमति देने वाला वर्ग, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या कोई भी घर खरीदारों का संगठन समाधान योजना के लिए एक चुनौती बनाए रख सकता है और इसे एक असहमत वित्तीय के रूप में माना जा सकता है।

लेनदार या पीड़ित व्यक्ति? ((ii) क्या समाधान योजना की शर्तें इसके प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016? (iii) क्या समाधान योजना की आवश्यकताओं का उल्लंघन है

सी. आई. आर. पी. नियम? ((iv) क्या कोई आवास परियोजना जो पूरी हो चुकी है या जो पूरी होने वाली है, उसे समाधान योजना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए?

जे. (i) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई आई. एन. आर. 750 करोड़ की राशि के बारे में।

चित्रा शर्मा के मामले में, और उस पर उपार्जित ब्याज, जे. ए. एल. की संपत्ति है और समाधान योजना में शर्त है। जे. आई. एल. या एन. बी. सी. सी. द्वारा इसके उपयोग के संबंध में अनुमति नहीं है? ((ii) क्या जे. आई. एल. और/या उसके घर खरीदारों द्वारा जे. ए. एल. से कोई राशि प्राप्य है और जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच के खातों की आवश्यकता है।

सुलह? के. (i) क्या जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के प्रतिभूति हित को समाप्त करने का प्रावधान करने वाली समाधान योजना की अनुसूची 3 के खंड 23 को जे. ए. एल. द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण? ((ii) क्या समाधान योजना में 758 एकड़ भूमि के उपयोग के संबंध में पर्याप्त प्रावधान करने की आवश्यकता है, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 26.02.2020 निर्णय के संदर्भ में जे. आई. एल. को उपलब्ध हो गया है?

एल. स्पष्टीकरण की मांग करने वाले प्रस्ताव आवेदक द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर उचित आदेश क्या होने चाहिए? दिशाएँ?

जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

एम. के बारे में कि क्या अपीलीय प्राधिकरण में उचित था

अपीलों के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अंतरिम निगरानी समिति का प्रावधान करना?

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:

संहिता द्वारा निरूपित और इस न्यायालय द्वारा उजागर किए गए मापदंडों को संतुष्ट करने के बाद प्रस्तुत करना। ख. उनमें से एक को चुनने के लिए दो योजनाओं पर एक साथ मतदान करने की प्रक्रिया को वर्तमान मामले में दोष नहीं दिया जा सकता है। और ऋणदाताओं की समिति द्वारा दो समाधान योजनाओं पर एक साथ विचार करने और मतदान करने के कारण एनबीसीसी की समाधान योजना की मंजूरी दूषित नहीं होती है।

ग. वाई. ई. आई. डी. ए. के साथ व्यवहार और रियायत समझौते की शर्तों के संबंध में समाधान योजना की शर्तों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा सही ढंग से अनुमोदित नहीं किया गया है।

लेकिन, जिन शर्तों को मंजूरी नहीं दी गई है, उनके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए एकमात्र सही तरीका योजना को पुनर्विचार के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजना था।

डी. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आईसीआईसीआई जैसे असहमत वित्तीय लेनदार के साथ प्रस्तावित व्यवहार को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की थी।

समाधान योजना में बैंक लिमिटेड; लेकिन समाधान योजना की संबंधित शर्तों को संशोधित करने और मामले को पुनर्विचार के लिए लेनदारों की समिति को वापस नहीं भेजने में गलती की।

ई. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान आवेदक को [2021] 12 एस. सी. आर. के बकाया का भुगतान करने का प्रावधान करने के लिए निर्देश जारी करने में गलती की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लावारिस सावधि जमा धारक। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के दिनांकित 03.03.2020 के आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 125 है - एक तरफ रख दें।

च. यस बैंक लिमिटेड की आपत्तियों से संबंधित और निगमित देनदार जे. आई. एल. की सहायक कंपनी जे. एच. एल. से संबंधित मुद्दों को संबंधित पक्षों द्वारा समाधान के लिए छोड़ दिया गया है, जो इस निर्णय के पैराग्राफ 141 और 142 के संदर्भ में एक व्यवहार्य समाधान निकालेंगे।

जी. समाधान योजना की समग्र योजना में, इसकी अनुसूची 3 के खंड 21 में शर्त को निम्नलिखित नहीं कहा जा सकता है: अनुचित होगा; और दिनांकित 03.03.2020 आदेश के पैराग्राफ 132 और 133 में टिप्पणियाँ किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उचित रूप से ध्यान रखती हैं।

पीड़ित पक्ष (समझौता धारक) ने समाधान की मांग की कानून के अनुसार और समाधान योजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।

एच. यह नहीं कहा जा सकता है कि समाधान योजना अल्पांश शेयरधारकों के हितों से पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं है। अल्पांश शेयरधारकों द्वारा सुझाए गए शिकायतों को नहीं माना जा सकता है -

कानूनी शिकायतों के रूप में मान्यता प्राप्त। उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है।

निगमित देनदार की आवास परियोजना को केवल इस कारण से अलग किया जा सकता है कि वह पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है। जे. (i) आई. एन. आर. 750 करोड़ की राशि (जो जे. ए. एल. द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जमा की गई थी)

चित्रा शर्मा) और उस पर उपार्जित ब्याज, जे. ए. एल. की संपत्ति है और इसके उपयोग के संबंध में समाधान योजना में शर्त है।

जे. आई. एल. या समाधान आवेदक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इस राशि को जे. आई. एल. के परिसंपत्ति भंडार में रखने के एन. सी. एल. टी. के आदेश के हिस्से को अलग रखा जाता है।

((ii) यह प्रश्न कि क्या कोई राशि जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन v है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

जे. आई. एल. और/या जे. ए. एल. से उसके घर खरीदारों द्वारा प्राप्य

एन. सी. एल. टी. द्वारा इस निर्णय के अनुच्छेद 189 से अनुच्छेद 2 में निहित निर्देशों के संदर्भ में खातों के मिलान के बाद निर्माण की दिशा में अग्रिम राशि और आई. एन. डी. 1 पर आई. एन. आर. 195 करोड़ के स्वीकृत दायित्व के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। यदि राशि जे. आई. एल. द्वारा प्राप्य पाई

जाती है, तो जे. आई. एल. को दी जाएगी और उपार्जित ब्याज के साथ शेष राशि जे. ए. एल. को उचित खाते में वापस कर दी जाएगी। वर्तमान मामला जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. से संबंधित होने के कारण इसमें कोई अन्य आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

उस राशि के संबंध में जो जे. ए. एल. को वापस की जाएगी क्योंकि जे. ए. एल. के परिसंपत्ति भंडार में उक्त राशि का उपचार ऐसे आदेशों के अधीन रहेगा जो सक्षम द्वारा पारित किए जा सकते हैं।

जे. ए. एल. के मामलों से निपटने वाला प्राधिकरण।

के. (i) समाधान योजना की अनुसूची 3 का खंड 23, जिसमें ऋणदाताओं के प्रतिभूति हित को समाप्त करने का प्रावधान है।

जे. ए. एल. को न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।

प्राधिकरण, विशेष रूप से सुरक्षा हित के संबंध में जिसका निर्वहन नहीं किया गया है। 03.03.2020 दिनांकित आदेश का यह हिस्सा अलग रखा गया है। (ii) अनुज जैन के मामले में इस न्यायालय के दिनांकित निर्णय के संदर्भ में, जे. आई. एल. को बोझ से मुक्त 758 एकड़ भूमि के उपयोग के संबंध में समाधान योजना में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

अपीलों के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन समाधान योजना। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 22.04.2020 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 216] [893-एफ-एच; 894-ए-एच; 895-ए-एच; 896-ए-डी] 2. एनबीसीसी की समाधान योजना के कुछ नियम और शर्तें, जिन्हें मतदान [2021] 12 एस. सी. आर. के 97.36% द्वारा अनुमोदन के लिए मतदान किया गया था।

लेनदारों की समिति का हिस्सा, अनुमोदन के साथ पूरा नहीं होता है।

3. अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है। यह राशि जे. ए. एल. की संपत्ति है और जे. आई. एल. या समाधान आवेदक द्वारा इसके उपयोग से संबंधित समाधान योजना की शर्तों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है [जैसा कि बिंदु जे (आई) (उपरोक्त) में माना गया है]। हालांकि, उक्त राशि का अंतिम उपचार

जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच खातों के सुलह के बाद और इस फैसले में निहित निर्देशों के संदर्भ में एन. सी. एल. टी. द्वारा अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये का निर्धारण किया जाएगा। [पैरा

217.1] [896 - एफ-जी]

4. द्वारा पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है

758 एकड़ भूमि बैंक के उपयोग के लिए समाधान आवेदक, जिस पर जे. ए. एल. के ऋणदाताओं का प्रतिभूति हित है। अनुज जैन में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में आरोपमुक्त किया गया। [पैरा 217.2] [896-H; 897-A]

भारत का, ताकि दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधित हो जे. आई. एल. को इसके तार्किक फल तक ले जाया जा सकता है, लेकिन जे. जे. पी. केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन v.

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

आईबीसी से। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने मुकदमों के दौरान बिताए गए समय को अनिवार्य रूप से छूट देते हुए सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए खिड़कियां प्रदान की थीं। [पैरा 219] [897-डी]

8. चित्रा शर्मा में दिनांकित 09.08.2018 निर्णय में, इस न्यायालय ने विशिष्टताओं पर ध्यान देने के बाद सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित किया।

मामला और बाद में आई. बी. सी. में संशोधन जिसके द्वारा, घर खरीदारों की स्थिति के बारे में संदेह को हटा दिया गया और उन्हें विधिवत वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता दी गई। फिर, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड में आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय में, इस न्यायालय ने निर्णय की तारीख से सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए 90 दिनों की एक और अवधि प्रदान की, यह देखने के बाद कि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने में देरी कानूनी प्रक्रिया के कारण थी और न तो घर खरीदारों और न ही किसी अन्य वित्तीय लेनदार को कार्यवाही के लंबित रहने के लिए दोषी ठहराया जाना था। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि सी. ओ. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्टता की कमी के कारण विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयोग के कारण असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई थी

और इसके अलावा, और भी विधायी परिवर्तन किए गए थे जिसके द्वारा समाधान योजना के दायरे का विस्तार किया गया था। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सभी पक्षों के बीच सर्वसम्मति थी

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए कि जे. आई. एल. का परिसमापन होना चाहिए

छोड़ दिया जाए और कुछ व्यवहार्य व्यवस्था का पता लगाकर स्थिति को बचाने का प्रयास किया जाए जो सभी संबंधित लोगों के हितों को कम कर सके। न्यायालय ने संहिता की धारा 12 (3) के तीसरे प्रावधान को भी ध्यान में रखा, जिसके तहत लंबित मामलों के संबंध में 90 दिनों की एक और अवधि का प्रावधान किया गया था। दिवाला समाधान प्रक्रिया। इन सभी कारकों ने इस न्यायालय को प्रेरित किया

इस मामले में दूसरी बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारों के साथ और सभी हितधारकों के हित में पर्याप्त और पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करना। [पैरा 220] [897-ई-एच; 898-ए-बी]

9. ऐसा प्रतीत होता है कि समाधान आवेदक के साथ-साथ जे. आई. एल. के बड़ी संख्या में घर खरीदारों का भी मतदान में पर्याप्त हिस्सा है।

सी. ओ. सी. ने एक गलत धारणा व्यक्त की कि आई. एन. आर. 750 करोड़ की उक्त राशि और उपार्जित ब्याज जे. आई. एल. की संपत्ति बन गई है। साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि [2021] 12 एस. सी. आर. की अतिरिक्त राशि के आकस्मिक दायित्व के उपचार के संबंध में स्पष्टता की कमी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति। के निर्णय में स्पष्टता की कमी पनपी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भी, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा यह मान लिया गया था कि समाधान योजना के कुछ संदिग्ध नियमों/शर्तों को उसके द्वारा संशोधित/संशोधित किया जा सकता है। [पैरा 221] [898-सी-डी]

10. अनुज जैन दिनांक 2 में इस न्यायालय के फैसले के परिणाम और प्रभाव को भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ठीक से समझ में नहीं लिया गया था और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश में यह माना गया था कि पूरी 858 एकड़ भूमि सुरक्षा के बोझ से मुक्त हो गई थी। यद्यपि त्रुटियों का तथाकथित सुधार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया गया था

17.03.2020 और इस आंकड़े को '758' एकड़ में ठीक कर दिया गया था लेकिन इस तरह के भौतिक सुधार के परिणामों की जांच नहीं की गई थी। [पैरा 221.1] [898-E]

11. फिर भी, 758 एकड़ से अधिक भूमि (जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका मूल्यांकन 5000 करोड़ रुपये से अधिक है) पर बोझ हटा दिया गया है और उक्त भूमि अंश की उपलब्धता से निगमित देनदार जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों और तरलता की स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है। [पैरा 221.1] [898-F]

12. निगमित दिवालियापन का पूरा आधार

जे. आई. एल. से संबंधित संकल्प में भारी बदलाव आया है। निरंतर प्रक्रियाओं में अतिरिक्त विशेषताएं यह थीं कि जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. के प्रति अपनी देनदारी को कम करने के लिए कई काम किए हैं और दूसरी ओर, आई. आर. पी. ने आगे के निर्माण कार्यों को करने और कई घर खरीदारों को स्वामित्व की पेशकश करने का दावा किया है। [पैरा 222] [898-जी-एच]

13. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पारित आदेशों की भावना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

अतीत में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का फिर से प्रयोग करने और जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए इच्छुक है। उक्त समाधान आवेदकों सुरक्षा रियल्टी और एनबीसीसी को संशोधित/नई समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने का अवसर, जो संहिता और सीआईआरपी की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं

विनियम और इस निर्णय में टिप्पणियों और निष्कर्षों के अनुरूप हैं।

[पैरा 223] [899-ए-बी] जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

14.1 . तदनुसार, एक बार फिर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पर्याप्त और पूर्ण कार्य करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए

पक्षकारों को न्याय और जे. आई. एल. के सभी हितधारकों के हित में, समाधान योजना की मंजूरी से संबंधित मामला जे. आई. एल. के लेनदारों की समिति को प्रेषित किया जाता है और जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने का समय इस निर्णय की तारीख से 45 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है। [पैरा 225.1] [900-B]

14.2 . आई. आर. पी. को 45 दिनों के विस्तारित समय के भीतर सी. आई. आर. पी. पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, आई. आर. पी. केवल सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. से संशोधित/नए समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने के लिए खुला रहेगा, जिससे उन्हें इस निर्णय की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का समय मिलेगा। [पैरा 225.2] [900-C]

14.3 . आई. आर. पी. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की रुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा और न ही कोई नया जारी करने की आवश्यकता होगी।

सूचना ज्ञापन। उक्त समाधान आवेदकों से सूचना के आधार पर आगे बढ़ने की उम्मीद की जाएगी।

आई. आर. पी. द्वारा पहले ही जारी ज्ञापन और इस निर्णय में दर्ज किए गए तथ्यों और निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाएगा। [पैरा 225.3] [900-D]

14.4 . समाधान योजनाओं को प्राप्त करने के बाद

उपरोक्त, आई. आर. पी. इस तरह से आगे के सभी कदम उठाएगा कि लेनदारों की समिति द्वारा मतदान की प्रक्रिया और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

विस्तारित अवधि के भीतर सभी मामलों में पूरा किया जाता है

45 इस निर्णय की तारीख से कुछ दिन। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संहिता की धारा 31 के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेगा। आई. आर. पी. द्वारा रिपोर्ट जमा करने पर शीघ्रता से। [पैरा 225.4] [900-E-F]

14.5 . विशेष रूप से सी. आई. आर. पी. की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए ये निर्देश असाधारण रूप से जारी किए जा रहे हैं।

वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ और इसे एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा। [पैरा 225.5] [901-A]

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य। (2019) 12 एससीसी 150: [2019] 3 एस. सी. आर. 845 समिति

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदार बनाम।

सतीश कुमार [2021] 12 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुप्ता और ओआरएस। : (2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एस. सी. आर. 275; महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभ

वेंकटेश और ओआरएस। (2020) 11 एस. सी. सी. 467 और भारत थर्मल पावर लिमिटेड v. एम. पी. और अन्य का राज्य। (2000) 3 एससीसी 379: [2000] 1 एस. सी. आर. 925-पर निर्भर।

चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2018) 18 एससीसी 575: [2018] 12 एस. सी. आर. 1044; जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और अन्र। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. (2020) 3 एससीसी 328; अनुज जैन, अंतरिम प्रस्ताव जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए पेशेवर बनाम। एक्सिस बैंक

सीमित आदि। , (2020) 8 एस. सी. सी. 401; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। (2019) 8 एससीसी 416: [2019] 10 एस. सी. आर. 381; एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1542; स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; सावित्री देवी बनाम यू. पी. और अन्य का राज्य। (2015) 7 एससीसी 21: [2015] 7 एस. सी. आर. 512; केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एन. वी.

कुरियन ई. कलाथिल और अन्य। (2000) 6 एससीसी 293: [2000] 1 पूरक। एससीआर 581; ग्रेटर का नगर निगम

मुंबई (एमसीजीएम) बनाम। अभिलाष लाल और ओआरएस। (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1479; नंद किशोर गुप्ता और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। (2010) 10 एससीसी 282 [2010] 11

एस. सी. आर. 356; हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी

विकास प्राधिकरण और एएनआर। वी. रंजीत सिंह राणा (2012) 4 एस. सी. सी. 505 [2012] 2 एस. सी. आर. 427; आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश और भोपाल बनाम। श्रीमती सोद्रा देवी ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 832: [1958] एस. सी. आर. 1; कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण बनाम गोबिंदा

चंद्र मकाल और अन्र। (2011) 9 एससीसी 207 [2011] 14 एस. सी. आर. 373; भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम और अन्य।

वी. भारत संघ और ओआरएस। (2003) 7 एससीसी 589: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 43; सी. आई. टी., बैंगलोर बनाम वेंकटेश्वर

हैचरीज (पी) लिमिटेड (1999) 3 एससीसी 632: [1999] 2 एस. सी. आर. 177 और भारत संघ बनाम संकलचंद हिमतलाल सेठ

और एन. आर. (1977) 4 एससीसी 193: [1978] 1 एस. सी. आर. 423; केंद्रीय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वी. के माध्यम से राज्य। परमेश्वरन सुब्रमण्यन और अन्र।

(2009) 9 एस. सी. सी. 729 जे. पी. केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

: [2009] 14 एस. सी. आर. 385; राठी खंडसारी उद्योग और अन्य।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1985) 2 एससीसी 485

: [1985] 2 एससीआर 966; दादी जगन्नाधम बनाम। जमुलु

रामुलु और ओआरएस। (2001) 7 एससीसी 71: [2001] 2 पूरक।

एससीआर 60; वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम। संघ

भारत और एन. आर. (2012) 6 एससीसी 613: [2012] 1

एससीआर 573; डब्ल्यूजी। सीडीआर। आरिफुर रहमान खान और अन्य। वी. डीएलएफ

सदर्न होम्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (2020) एससीसी ऑनलाइन

उपभोग उद्योग और अन्य। (2001) 6 एससीसी 627: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 50 और दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र

सेवा आयोग, इलाहाबाद और अन्य। (1997) 30 एएलआर 339; गजराज और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य राज्य।

(2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1711-संदर्भित। सैमुअल कैटकिन और डोरिस कैटकिन बनाम। के आयुक्त

आंतरिक राजस्व 570 एफ. 2 डी 139 [न्यायालय का निर्णय

6 वें सर्किट, यू. एस. ए. के लिए अपील का]; सफेद बनाम। एल्मडीन

एस्टेट्स लिमिटेड 1959 ऑल ई. आर. 605-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 12 एससीआर 1044

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

(2020) 3 एससीसी 328

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.3

(2020) 8 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.4

(2020) 11 एस. सी. सी. 467

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[2019] 10 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 63.2

[2019] 3 एससीआर 845

उस पर भरोसा करें

पैरा 63.2

[2019] 16 एससीआर 275

उस पर भरोसा करें

पैरा 63.2

[2015] 7 एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पैरा 88

[2000] 1 एससीआर 925

उस पर भरोसा करें

पैरा 95.1

[2000] 1 पूरक। एससीआर 581

संदर्भित किया गया है

पैरा 95.1

[2010] 11 एससीआर 356

संदर्भित किया गया है

पैरा 99.5

[2012] 2 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पैरा 113.2। 1

[1958] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 113.2। 3

[2011] 14 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पैरा 113.2। 3

[2003] 3 पूरक। एससीआर 43

पैरा 113.2। 3

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 एससीआर 177

संदर्भित किया गया है

पैरा 113.2। 3

[1978] 1 एससीआर 423

संदर्भित किया गया है

पैरा 113.2। 3

[2009] 14 एससीआर 385

संदर्भित किया गया है

पैरा 113.2। 4

[1985] 2 एससीआर 966

संदर्भित किया गया है

पैरा 114.3

[2001] 2 पूरक। एससीआर 60

संदर्भित किया गया है

पैरा 115

[2012] 1 एससीआर 573

संदर्भित किया गया है

पैरा 139

[2001] 1 पूरक। एससीआर 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 178.4

[2003] 4 पूरक। एससीआर 651

पैरा 186

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3395

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 22.04.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 475 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

2020 की सिविल अपील सं. 3396, टी. सी. (सी) सं. 234 , 235 , 236 , 237 ,

238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 2020 में, 2021 की सिविल अपील संख्या 1056,2021 की सिविल अपील संख्या 1057 और 2020 की डायरी संख्या 20274।

तुषार मेहता, एस. जी. , ध्रुव मेहता, गोपाल शंकरनारायणन, जयदीप

गुप्ता, हुज़ेफा अहमदी, अरविंद पी. दातार, अनुपम लाल दास, कृष्णन वेणुगोपाल, श्याम दीवान, नीरज किशन कौल, रवींद्र श्रीवास्तव, अभिषेक मनु सिंघवी, रितिन राय, सिद्धार्थ लूथरा, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रतीक कुमार, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मोहित किशोर,

सुश्री रवीना राय, अनुभव राय, स्नेहल काकरानिया, साहिल नारंग, विश्वजीत दुबे, उदय खरे, शत्रुजीत बनर्जी, सुमित अत्री, मेसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, प्रवर वीर मिश्रा, अमित कुमार मिश्रा, शशांक मनीष, सुश्री मानसी

चटपल्लीवार, सुश्री स्मृति शाह, सुश्री ट्विंकल कटारिया, सुश्री निधि सहाय, जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन v.

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

श्रीवास्तव, सुश्री गरिमा तिवारी, सुश्री हरनीत खानूजा, अर्पित जैन, बी. रमण मूर्ति, अनुश राजन, सुश्री आशिमा चौहान, सुश्री मानसी गुप्ता, पुनीत दत्त त्यागी, राघवेंद्र एम. बजाज, सुश्री गरिमा बजाज, जोएल, अमित द्विवेदी, सैफी शाम, अमर गुप्ता, दिव्यम अग्रवाल, आशीष जोशी, सुश्री पल्लवी कुमार, सुमंत बत्रा, संजय भट्ट, रबीन मजूमदार, सुश्री निहारिका शर्मा, सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, सचिन शर्मा, रोहन जेटली, तनवीर नायर, अक्षय शर्मा, राम लाल रॉय, हिमांशु शेखर, जमनेश कुमार, एल. के. भूषण, मोहित शर्मा, मेसर्स। दुआ एसोसिएट्स, सुश्री रेवती राघवन, शारिक अहमद, तारिक अहमद, सुश्री प्रशी त्यागी, सुनील कुमार वर्मा, अमित पवन, उपस्थित दलों के अधिवक्ता।

दिनेश माहेश्वरी, जे.

परिचयात्मक

1. विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति और अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए संबंधित याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2. दीवानी अपीलों, विशेष अपीलों और स्थानांतरण मामलों का यह समूह अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट दिवालियापन में समाधान योजना 1 से संबंधित है।

समाधान प्रक्रिया 2 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत 3 कॉर्पोरेट देनदार, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से संबंधित है, जिसका

गतिविधियाँ बड़ी संख्या में व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, जिनमें अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं में फ्लैट/अपार्टमेंट के खरीदार भी शामिल हैं।

2.1 . जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, निगम के संबंध में सी. आई. आर. पी.

ऋणी जे. आई. एल. अतीत में विभिन्न विवादों में उलझा हुआ है और यहां तक कि जब समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना, एन. बी. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड को ऋणदाताओं की समिति द्वारा वित्तीय ऋणदाताओं के मतदान हिस्से के 97.36% के पर्याप्त बहुमत से अनुमोदित किया गया है।

1 इसके बाद कुछ स्थानों पर इसे 'योजना' भी कहा गया है। 2 ' संक्षेप में सी. आई. आर. पी. '।

5 इसके बाद आम तौर पर 'घर खरीदार' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 6 इसके बाद इसे 'एनबीसीसी' भी कहा जाता है। 7 ' संक्षेप में सीओसी।

विभिन्न हितधारकों से कई विवाद/आपत्तियां सामने आई हैं और

भूमिका निभाने वाले, अपनी खुद की चिंताओं को व्यक्त करते हुए, जैसे असंतुष्ट वित्तीय लेनदार, असंतुष्ट घर खरीदार, असंतुष्ट भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी,

निगमित देनदार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से निराश लेनदार और अल्पांश शेयरधारकों को निराश किया। इन सबके अलावा कॉरपोरेट देनदार की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उसके हितधारकों के पास समाधान प्रक्रिया पर कई सवाल हैं।

वे विशेष रूप से 750 करोड़ रुपये की राशि से चिंतित हैं, जिसे जे. ए. एल. द्वारा मुकदमे के पहले दौर में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जमा किया गया था।

3. विविध प्रकार से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों पर विचार करना

विभिन्न पक्षों द्वारा रखे गए प्रस्ताव/आपत्तियाँ, ऐसा प्रतीत होता है शुरुआत में मामले की एक संक्षिप्त रूपरेखा और रेखाचित्र बनाने के लिए उपयुक्त है।

संक्षिप्त रूपरेखा और रेखाचित्र

4. इस समूह में शामिल मामले इसमें आत्मसात हो गए हैं।

निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय:

4.1 . निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया 09.08.2017 पर शुरू की गई जब राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच ने वित्तीय लेनदारों में से एक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, जब अंतरिम समाधान पेशेवर ने इस सी. आई. आर. पी. में दावे आमंत्रित

किए, तो घर खरीदारों के साथ व्यवहार एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, क्योंकि उन्हें केवल 'अन्य लेनदारों' के रूप में माना जाता था, न कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बराबर।

4.2 . उपरोक्त स्थिति के कारण इस न्यायालय में कार्यवाही हुई, जिन पर 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 744 के नेतृत्व में याचिकाओं के एक समूह में विचार किया गया था: चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत संघ और

11 जिसमें, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर कई आदेश पारित किए गए थे, अन्य बातों के साथ-साथ, जे. आई. एल. की धारक कंपनी जे. ए. एल. को न्यायालय में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, विशेष रूप से कुछ घर खरीदारों द्वारा किए जा रहे धनवापसी के दावे को देखते हुए। अंत में निपटाने के दौरान

8 इसके बाद इसे 'जेएएल' भी कहा जाता है। 9 9 इसके बाद 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' या 'एन. सी. एल. टी.' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। जैसा कि ध्यान दिया जाएगा, इलाहाबाद पीठ के समक्ष मामला बाद में न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया था। ये अभिव्यक्तियाँ 'न्यायाधिकरण' या 'एन. सी. एल. टी.' या 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' दिए गए संदर्भ के अनुसार उक्त अंतरिती पीठ को भी संदर्भित करती हैं। 10 ' आई. आर. पी. 'संक्षेप में।

11 1 1 उसमें अंतिम निर्णय तब से (2018) 18 एस. सी. सी. 575 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस न्यायालय ने परियोजनाओं की प्रकृति, बड़ी संख्या में घर खरीदारों के हितों और सभी संबंधित लोगों के बीच सर्वसम्मति सहित कई कारकों पर ध्यान दिया कि निगमित देनदार का परिसमापन किसी भी हितधारक के हित में नहीं होगा। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि इसके लिए वैधानिक रूप से विस्तारित अवधि भी

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सी. आई. आर. पी. समाप्त हो गया था, लेकिन एक प्रासंगिक पर्यवेक्षण कार्यक्रम हुआ था, जिसमें एक संशोधन अध्यादेश के माध्यम से, जो 06.06.2018 पर लागू हुआ, घर खरीदारों की स्थिति के बारे में संदेह को दूर कर दिया गया था और उन्हें स्पष्ट रूप से वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए और विस्तारित अवधि का प्रावधान करते हुए; सी. ओ. सी. के नए सिरे से गठन के लिए; और आई. आर. पी. को समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए रुचि की नई अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करने की अनुमति देते हुए, इस उद्देश्य में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश

जारी किए। इस न्यायालय ने यह भी प्रावधान किया कि 750 करोड़ रुपये की राशि, जो जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई है,

उनकी राय में मतभेद था और मामला तीसरे सदस्य को भेजा गया था। इस बीच, आई. डी. बी. आई. बैंक ने सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए 270 दिनों की अवधि से मतदान प्रतिशत के बारे में स्पष्टीकरण के लिए आवेदन की लंबित अवधि को हटाने की मांग की। जबकि यह आवेदन लंबित था, एन. सी. एल. टी. ने संबंधित पक्षों से सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जवाब दाखिल करने का आह्वान किया। बोलीदाता से प्राप्त समाधान योजना, लंबित आवेदन के परिणाम के अधीन। इन पहलुओं के संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेशों को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई थी। अपीलीय प्राधिकरण ने अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा 270 दिनों की कुल अवधि की गणना के उद्देश्य से 90 दिनों के बहिष्कार का प्रावधान किया और कुछ और टिप्पणियों के साथ अपीलों का निपटारा किया। इसने 2019 की सिविल अपील संख्या 8437 [@2019 की डी संख्या 27229] के नेतृत्व में इस न्यायालय में आगे की अपीलों को जन्म दिया: जयप्रकाश

एसोसिएट्स लिमिटेड और एएनआर। वी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और Anr.[1]3, जो

12 इसके बाद इसे 'अपीलीय प्राधिकरण' या 'एन. सी. एल. ए. टी.' भी कहा जाता है। 13 तब से इसमें अंतिम निर्णय (2020) 3 एस. सी. सी. 328 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

06.11.2019 पर तय किया गया था। इसमें, इस न्यायालय ने पाया कि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने में देरी कानूनी प्रक्रिया के कारण हुई और न तो घर खरीदारों और न ही किसी अन्य वित्तीय लेनदार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। कार्यवाहियों की लंबितता; और पूर्ण शक्तियों के तहत, इस न्यायालय ने अभी और आदेश पारित किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधित समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करके कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किया गया था।

आई. आर. पी. द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर एक आवेदन में कुछ लेन-देनों से बचने के लिए आदेश की मांग की गई है, जिसके तहत कई पार्सल हैं। जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के साथ भूमि को गिरवी रखा गया था और दूसरा, जिसमें दो ऋणदाताओं का दावा शामिल था।

जे. ए. एल. के बैंकों को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये दोनों पहलू अंततः सिविल अपील संख्या के नेतृत्व में अपीलों के एक अन्य समूह में इस न्यायालय के निर्णय के

लिए सामने आए। 8512-8527 2019 काः अनुज जैन, जेपी इन्फ्राटेक के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर

सीमित वी। एक्सिस बैंक लिमिटेड आदि। , जिन पर निर्णय लिया गया था 26.02.20201 4. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन सात में से छह लेन-देन संहिता की धारा 43 के अर्थ के भीतर अधिमान्य थे और ऐसे लेन-देन से बचने के लिए एन. सी. एल. टी. के निर्देशों को बरकरार रखा गया था।

दूसरे मुद्दे पर, इस न्यायालय ने कहा कि आवेदक बैंक निगमित देनदार जे. आई. एल. और संबंधित के वित्तीय लेनदार नहीं थे।

एन. सी. एल. टी. द्वारा इस संबंध में पारित आदेशों को बहाल कर दिया गया।

4.5 . हम उचित चरण और बाद के मोड़ पर मुकदमेबाजी के उपरोक्त पिछले दौर के प्रासंगिक विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षिप्त रूपरेखा के उद्देश्य से यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि संकल्प दो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को लेनदारों की समिति के मतदान के लिए रखा गया था और अंत में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों के 97 प्रतिशत से अधिक मतदान हिस्से के विशाल बहुमत से सीओसी द्वारा 17.12.2019 पर अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, <आई. डी. 1 पर, अंतरिम समाधान पेशेवर ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो सी. पी. (आई. बी.) संख्या 77/ए. एल. डी./2017 में 2020 का सी. ए. संख्या 5 था, धाराओं के साथ पठित धारा 30 (6) के संदर्भ में समाधान योजना को प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए।

31 और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) की संहिता और विनियमन 39 (4) के 60 (5)

14 तब से इसमें अंतिम निर्णय जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य। : (2020) 8 एससीसी 401।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

व्यक्ति) विनियम, 2016 1 5. बाद में, पहले से लंबित कार्यवाही

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ को नई दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा कई आपत्तियां/सुझाव/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।

हितधारक, समाधान योजना के पक्ष या विपक्ष में जा रहे हैं या यहाँ तक कि एक

स्पर्शरेखा। 4.6 . अपने दिनांक 03.03.2020 के आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (NCLT) ने कुछ संशोधनों और कुछ निर्देशों के साथ समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़कर कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया, जैसे कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार बैंक और भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी, लेकिन कुछ अन्य को अस्वीकार करते हुए, जिसमें जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी भी शामिल है और कुछ प्रस्तावों को उचित मंच 1 6 16 में निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया।

4.7 . समाधान आवेदक एनबीसीसी ने इसके खिलाफ अपील की

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 2020 का कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 465 दिनांकित उपरोक्त आदेश, जिसमें अपीलीय प्राधिकरण ने गैर-प्रतिनिधित्व वाले पक्षों को नोटिस जारी करते हुए दिनांकित एक अंतरिम आदेश जारी किया

अनुमोदित समाधान योजना को अपील के परिणाम के अधीन लागू किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि आई. आर. पी. एक 'अंतरिम निगरानी समिति' का गठन कर सकता है जिसमें सफल समाधान आवेदक (एन. बी. सी. सी.) और तीन प्रमुख संस्थागत वित्तीय लेनदार शामिल हैं, जो सी. ओ. सी. के सदस्य थे।

4.8 . उपरोक्त आदेश दिनांक 22.04.2020 के विपरीत, छह

निगम ऋणी की अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं में घर खरीदारों के संघों और कुछ व्यक्तिगत घर खरीदारों ने संहिता की धारा 62 के तहत अपनी अपीलों को बनाए रखने की अनुमति के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस प्रकार की गई प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी किए गए थे, जो 06.08.2020 पर वापस किए जा सकते थे।

4.9 . 06.08.2020 पर, हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि उक्त आदेश दिनांक 03.03.2020 के खिलाफ कई अपीलें NCLAT के समक्ष लंबित थीं;

और पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि इस न्यायालय में उन अपीलों को वापस लिया जा सकता है और मामले में और देरी की संभावना से बचने के लिए संघों और घर खरीदारों की उपरोक्त अपीलों के साथ सुनवाई की जा सकती है।

15 इसके बाद इसे 'सी. आई. आर. पी. विनियम' भी कहा जाता है। 16 एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांकित 03.03.2020 के इस क्रम में कुछ टंकण संबंधी त्रुटियों को इसके दिनांकित 17.03.2020 के आदेश द्वारा ठीक किया गया था।

5. इसलिए, यह स्पष्ट है कि समाधान योजना, जैसा कि सी. ओ. सी. द्वारा 17.12.2019 पर अनुमोदित किया गया है और 03.03.2020 दिनांकित आदेश, जैसा कि पारित किया गया है कुछ निर्देशों और संशोधनों के साथ समाधान योजना के अनुमोदन में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.), वर्तमान की धुरी हैं।

मुकदमेबाजी और इन धुरी का एक सहायक दिनांक 22.04.2020 का अंतरिम आदेश है, जैसा कि समाधान आवेदक एनबीसीसी द्वारा दायर अपील में एनसीएलएटी द्वारा पारित किया गया है, जो समाधान योजना को लागू करते समय एक 'अंतरिम निगरानी समिति' के गठन का प्रावधान करता है।

दलों और उनकी संबंधित भूमिकाओं और हितों में

बात।

6. रूपरेखा में क्या देखा गया है, और उठाए गए विभिन्न मुद्दों और दावा किए गए विभिन्न राहतों के लिए आवश्यक निर्णय को ध्यान में रखते हुए

इन मामलों में, कई पक्षों की अलग-अलग भूमिकाओं और स्थिति के साथ, शामिल प्रमुख पक्षों के प्रासंगिक विवरणों को उनके संबंधित हितों के संदर्भ में उनके व्यवहार्य वर्गीकरण के साथ संक्षेप में बताना सार्थक होगा। 1 17

6.1 . इस समूह में हमारे सामने मुख्य दलों को, उनके संबंधित रुख, विवाद और दृष्टिकोण के संदर्भ में, उपरोक्त धुरी की तुलना में मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक श्रेणी उन पक्षों की है जो समाधान योजना के लिए खड़े हैं, जैसा कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित है लेकिन 17 व्यक्तियों/संस्थाओं का यह परिचय पक्षकारों को निर्धारण के लिए उठाए जाने वाले बिंदुओं के साथ व्यापक रूप से सह-संबंधित करने के लिए है और इसमें शामिल पक्षों की एक विस्तृत सूची होने का इरादा नहीं है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जो दिनांकित उपरोक्त आदेशों के कुछ हिस्सों के खिलाफ शिकायत करते हैं 03.03.2020 और 22.04.2020, जहाँ तक समाधान योजना के संशोधन और इसके कार्यान्वयन के लिए संशोधित तंत्र का प्रावधान है। दूसरी श्रेणी उन पक्षों की है जो समाधान योजना के खिलाफ इसके एक या अधिक निर्देशों या चूक के लिए शिकायत करते हैं; और/या जो अपनी आपत्तियों के रूप में दिनांकित 03.03.2020 आदेश से असंतुष्ट हैं।

या तो अस्वीकार कर दिया गया है या ध्यान में नहीं रखा गया है; और/या जो पहले भाग के पक्षों से अलग कारणों से दिनांकित 22.04.2020 आदेश से असंतुष्ट हैं।

समाधान योजना के पक्ष में खड़े पक्ष

7. जिन दो संस्थाओं को, इस प्रकार, किसी अन्य प्रतिस्पर्धी दल के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए,

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना इस प्रकार है: ((i) निगमित ऋणी कंपनी जिसके संबंध में समाधान योजना को अपनाया और अनुमोदित किया गया है;

और (ii) अंतरिम समाधान पेशेवर। इन्हें निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

7.1 . जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल):

यह निगमित देनदार कंपनी है जिसके संबंध में सी. आई. आर. पी. को लिया गया है और समाधान योजना बनाई गई है और उसे मंजूरी दी गई है। इस कंपनी को अनिवार्य रूप से एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित किया गया था, जब इसकी होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को सम्मानित किया गया था।

नोएडा से आगरा तक एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के अधिकार और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता किया गया था। इस कंपनी जे. आई. एल. की स्थापना के साथ, अन्य परियोजनाओं के अलावा, अधिग्रहित भूमि के दो स्थानों में अचल संपत्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवास योजनाओं की परिकल्पना की गई थी, एक विश टाउन, नोएडा में और दूसरा मिर्जापुर में। वर्तमान मामलों में बड़े पैमाने पर विवादों की जड़ें इस कंपनी जे. आई. एल. के अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं के साथ लेन-देन के साथ-साथ घर खरीदारों और ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ लेन-देन में भी हैं।

7.2 . अंतरिम समाधान पेशेवर अनुज जैन (आई. आर. पी.):

वह जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. में अंतरिम समाधान पेशेवर हैं। उन्होंने समय-समय पर विभिन्न प्रकार के लेनदारों के दावों से निपटने सहित संहिता द्वारा परिकल्पित कदम और कार्यवाही की है।

18 ' एस. पी. वी. 'संक्षेप में। 19 ' संक्षेप में सी. ए.।

20 ' संक्षेप में 'यीडा'।

कुछ लेन-देनों से बचने के लिए एक आवेदन को अधिमान्य होने के रूप में प्रस्तुत करना, जिसे अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 के उपरोक्त निर्णय में निपटाया और स्वीकार किया गया था; सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के लिए संकल्प योजनाओं को प्रस्तुत करना; और अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना। दिनांकित 03.03.2020 आदेश के संबंध में

एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष उनके द्वारा दायर अपील, जो अनिवार्य रूप से समाधान योजना को संशोधित करने और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान के तरीके को बदलने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाती है, 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 486 है, स्थानांतरित हो जाती है।

8. पार्टियों का प्रमुख समूह जो अनुमोदित समाधान योजना के लिए खड़े होते हैं और आपत्तियों/शिकायतों को बताते हुए इसके कार्यान्वयन की मांग करते हैं एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित 22.04.2020 दिनांकित आदेश के संशोधन भागों और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित 03.03.2020 दिनांकित आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित हैं:

8.1 . एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी):

एन. बी. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड समाधान आवेदक है और उसने जे. आई. एल. के लिए समाधान योजना तैयार की थी, जिसे 97.36% के बहुमत से मंजूरी दी गई थी।

सी. ओ. सी. के मतदान का हिस्सा। एन. बी. सी. सी. दिनांकित 03.03.2020 आदेश के उन हिस्सों को अलग करना चाहता है जहां एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना की कुछ शर्तों को संशोधित किया है और/या कुछ निर्देश जारी किए हैं। इस कंपनी द्वारा दायर अपील, जो 2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 475 है, इस न्यायालय में स्थानांतरित की गई है और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (ग) 2020 की सं. 236। यह कंपनी विभिन्न अन्य अपीलों/याचिकाओं में भी प्रतिवादी है और समाधान योजना के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों का व्यापक रूप से विरोध किया है। 2 1

8.2 . आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड:

यह बैंक निगमित देनदार जे. आई. एल. के संस्थागत वित्तीय लेनदार के रूप में खड़ा है। निगमित देनदार जे. आई. एल. के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, जिसकी परिणति में हुई है एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की मंजूरी, इस बैंक द्वारा धारा 7 के तहत दायर एक आवेदन के अनुसार शुरू की गई थी

21 इस कंपनी ने अपनी समाधान योजना में खुद को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में "नवरत्न" के रूप में पेश किया है, जिसने अचल संपत्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने संचालन के क्षेत्रों में विविधता लाई है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एन. सी. एल. टी. के समक्ष कोड। यह बैंक खुद सहित नौ संस्थागत वित्तीय लेनदारों के एक समूह का नेतृत्व करता है, जिन्होंने विचाराधीन समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया है और दूसरी तरफ पक्षों की ओर से आग्रह किए गए विवादों का विरोध करते हुए समाधान योजना के समर्थन में खड़ा है।

8.3 . जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर

एसोसिएशन और 5 अन्य: वे घर खरीदारों के संगठन हैं जिन्होंने जे. आई. एल. द्वारा शुरू की गई आवास परियोजनाओं में निवेश किया है। वे 2020-22 की सिविल अपील संख्या 3395 में अपीलकर्ता हैं, जो एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 22.04.2020 आदेश पर सवाल उठाते हैं और अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को लागू किया जाना चाहिए।

8.4 . ईश्वर झा और 6 अन्य:

वे जे. आई. एल. द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं में फ्लैटों के व्यक्तिगत घर खरीदार हैं। वे 2020-23 की सिविल अपील संख्या 3396 में अपीलकर्ता हैं, जो एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 22.04.2020 के आदेश पर सवाल उठाते हैं और वे अनिवार्य रूप से यह भी प्रस्तुत करते हैं कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए।

8.5 . कृष्ण देव मिश्रा और 2 अन्य:

वे जे. आई. एल. द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं में फ्लैटों के व्यक्तिगत घर खरीदार भी हैं। वे 2020 की आई. ए. संख्या 87967 के आवेदक हैं। 2020 की सिविल अपील संख्या 3395 में और इसी तरह प्रस्तुत करें कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए।

8.6 . मेजर जनरल प्रवीण कुमार और कर्नल वी. एस. गौर:

वे घर खरीदार हैं जिन्होंने 2020 की सिविल अपील संख्या 3395 में अभियोग/हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किए हैं, जो आई. ए. संख्या है। 73323 2020 का क्रमशः और 2020 का 73330, अनिवार्य रूप से मांग कर रहा है

एन. बी. सी. सी. को टावर संख्या में प्राथमिकता के आधार पर शेष कार्यों को पूरा करने का निर्देश। 5 केंसिंगटन पार्क में 12 और 14 से 16 तक-1, जेपी ग्रीन्स, ताकि फ्लैटों का कब्जा खरीदारों को सौंपा जा सके।

विरोध करने वाले

9. ऐसे व्यक्ति/निकाय जो किसी न किसी कारण से समाधान योजना के खिलाफ शिकायत करते हैं; और/या जो समाधान योजना से असंतुष्ट हैं। 22 @ 2020 की सिविल अपील डायरी संख्या 14741। 23 @2020 की सिविल अपील डायरी संख्या 15061।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. और/या एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को उन आपत्तियों/प्रस्तावों के संदर्भ में समूहीकृत किया जा सकता है जिनके लिए वे खड़े हैं। 10. आपत्ति करने वालों के पहले समूह में ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं शामिल होती हैं जो अन्यथा 'घर खरीदारों' के वर्ग से संबंधित होते हैं, लेकिन समाधान योजना और बाद के आदेशों के संबंध में उनकी अपनी शिकायतें होती हैं। दलों के इस समूह को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

10.1 . विश टाउन होम बायर्स वेलफेयर सोसाइटी:

यह जे. आई. एल. की परियोजनाओं में घर खरीदारों का एक समाज है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मांग करता है लेकिन कुछ पर आरक्षण रखता है।

समाधान योजना की शर्तें, जहां जे. आई. एल. द्वारा परियोजनाओं के विलंबित कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक मुआवजा नहीं दिया गया है। विशेष रूप से अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016-24 की धारा 18 के संदर्भ में। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक अन्य समाधान आवेदक सुरक्षा रियल्टी की योजना एनबीसीसी की तुलना में कहीं बेहतर थी। इस सोसायटी को यह भी शिकायत है कि एनबीसीसी समाधान योजना में जेएएल से प्राप्त 750 करोड़ रुपये की राशि के उपचार और उपयोग के साथ-साथ इस अदालत के दिनांक 1 के फैसले के बाद जेआईएल को आई 758 एकड़ भूमि का उल्लेख करने में विफल रही है। इस सोसायटी ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 506 दिनांकित उक्त आदेश के खिलाफ दायर की थी जो इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया है और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (ग) 2020 की सं. 243। इस सोसायटी ने प्रस्तावित 'अंतरिम निगरानी समिति' में एनबीसीसी को जारी रखने के खिलाफ प्रस्तुतियों के साथ 2020 की सिविल अपील संख्या 3395 में 2020 का आई. ए. संख्या 72707 भी दायर किया है।

10.2 . जेपी अमन ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन:

यह जे. आई. एल. की परियोजनाओं में से एक, सेक्टर 151 नोएडा में जेपी ग्रीन्स अमन में घर खरीदारों का एक संघ है। यह संगठन

यह कहता है कि वास्तव में, 'अमन परियोजना' पूरी हो चुकी है; 22 टावरों के आवंटनकर्ताओं को अधिकार का प्रस्ताव पहले ही जारी किया जा चुका है; कि टावर संख्या के संबंध में विलंबित दंड की

अनुमति दी जानी चाहिए। 23 और 24 जिसके लिए आई. आर. पी. द्वारा ओ. ओ. पी. जारी किया गया है और आई. आर. पी. को टावर संख्या में फ्लैटों के लिए ओ. ओ. पी. के लिए कदम उठाने चाहिए। 25 और 27 जिसके लिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 26 के लिए आवेदन पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। यह संगठन पूरा होने की अनुमानित तिथि से व्यथित है और 24 इसके बाद इसे 'रेरा' भी कहा जाता है। 25 5 ' ओ. ओ. पी. 'संक्षेप में।

26 6'ओ. सी. 'संक्षेप में।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विलम्ब में आनुपातिक वृद्धि, जैसा कि समाधान योजना में दिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 03.03.2020 के विपरीत, इस संघ ने कंपनी को दायर किया था एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2020 की अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 480

इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (ग) 2020 की सं. 240।

10.3 . आशीष मोहन गुप्ता और अनर:

ये वे घर खरीदार हैं जो ऋणदाताओं की समिति की कार्यवाही के साथ-साथ कई अन्य आधारों पर भी सवाल उठाते हुए समाधान योजना का विरोध करना चाहते हैं, जो योजना और इसकी मंजूरी पर आपत्ति जताने वाले घर खरीदारों/संघों द्वारा आग्रह किए गए आधारों के लिए सामान्य हो सकते हैं। उन्होंने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 489 दायर की थी जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (ग) 2020 की सं. 242।

10.4 . जेपी ऑर्चर्ड रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी:

जे. आई. एल. की परियोजनाओं में घर खरीदारों का यह एक और समाज है जो जे. आई. एल. की परियोजनाओं को लागू करना चाहता है, लेकिन समाधान योजना की शर्तों पर उसकी अपनी आपत्तियां हैं, जहां जे. आई. एल. द्वारा परियोजनाओं के विलंबित कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक मुआवजा आर. ई. आर. ए. के संदर्भ में प्रदान नहीं किया गया है। इस सोसायटी ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर नहीं की है, लेकिन इस न्यायालय में वापस ली गई अन्य अपीलों को देखते हुए, इस न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका को प्राथमिकता दी है, जो 2020 की एस. एल. पी. डायरी संख्या 1829 है, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 03.03.2020 को चुनौती देने की मांग की गई है।

10.5 . ईश्वर केवलरमानी और 76 अन्य:

ये 2020 की सिविल अपील संख्या 3395 में 2020 की आई. ए. संख्या 88795 के एक अन्य अभियोग आवेदन के आवेदक हैं। वे हैं।

जे. आई. एल. द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के घर खरीदार और दिनांक 1 के आदेश से व्यथित हैं क्योंकि एन. सी. एल. टी. जे. आई. एल. के पास अब उपलब्ध 758 एकड़ भूमि के उपयोग को निर्दिष्ट करने में विफल रहा है और एक अन्य शिकायत यह है कि एन. बी. सी. सी. ने कब्जे में देरी के कारण घर खरीदारों को मुआवजा प्रदान नहीं करके वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

10.6 . अशोक चंद्रः

वह एक अन्य घर खरीदार है जिसने 2020 की सिविल अपील संख्या 3395 में 2020 की आई. ए. संख्या 84309 दायर की है और यह निर्धारित करने के लिए निर्देश चाहता है।

पूरा होने में अनुचित देरी के कारण घर खरीदारों को मुआवजे की पर्याप्त और उचित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि [2021] 12 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना के विस्थापन में विचाराधीन सी. आई. आर. पी. से निपटने के लिए अलग तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।

11. समाधान योजना के अन्य विरोधियों और एन. सी. एल. टी. के दिनांकित 03.03.2020 के आदेश को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता हैः एक निगमित देनदार जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी और इन कंपनियों से संबंधित व्यक्ति/संस्थाएं; दूसरा निगमित देनदार जे. आई. एल. का असंतुष्ट संस्थागत वित्तीय लेनदार; और तीसरा अन्य हितधारक हैं। 12. विरोध करने वालों के पहले उप-संप्रदाय में, हमारे सामने मुख्य पक्ष इस प्रकार हैंः

12.1 . जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल):

यह निगमित देनदार जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी है; जे. आई. एल. में उसकी लगभग 31.03.2017% हिस्सेदारी थी। यह

कंपनी ने चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुसार 750 करोड़ रुपये की राशि जमा की थी। कुछ अन्य आपत्तियों के अलावा, यह कंपनी जे. ए. एल. अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की वापसी की मांग कर रही है और यह तर्क दिया जाता है कि उक्त राशि निगमित देनदार जे. आई. एल. की संपत्ति नहीं है और इसका उपयोग जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. के लिए नहीं किया जा सकता है। इस होल्डिंग कंपनी ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2020 की कंपनी

अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 478 दिनांकित 03.03.2020 के उक्त आदेश के खिलाफ दायर की थी जो इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया है और पंजीकृत है।

टी. सी. के रूप में (ग) 2020 की सं. 238।

12.2 . पंकज शर्मा और 3 अन्यः

वे जे. ए. एल. द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं के घर खरीदार हैं और इसी तरह तर्क दे रहे हैं कि अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि का उपयोग कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भी 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 544 के कथित आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की थी, जो इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया है और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (सी) 2020 की संख्या 237।

12.3 . नाइट्स कोर्ट सोशल वेलफेयर एसोसिएशनः

यह 'नाइट्स' में घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ है।

जे. ए. एल. की 'न्यायालय परियोजना' जो इस तथ्य से व्यथित हैं कि जे. ए. एल. द्वारा परियोजना को अधूरा छोड़ दिया गया है और जो उक्त जे. ए. पी. ई. केन्सिंगटन बोलवार्ड के उपयोग के लिए जे. आई. एल. की समाधान योजना में किए गए प्रावधान से समान रूप से व्यथित हैं।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

750 करोड़ रुपये की राशि। इस संगठन ने एन. सी. एल. टी. के दिनांकित 03.03.2020 के उक्त आदेश को सीधे इस न्यायालय में विशेष के माध्यम से चुनौती दी है।

2020 की अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10543।

12.4 . कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के निलंबित प्रबंध निदेशक मनोज गौरः

वह निगमित कर्जदार जे. आई. एल. के निलंबित प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने खुद को जे. ए. एल. का कार्यकारी अध्यक्ष भी बताया है।

आई. आर. पी. द्वारा दायर अपील में उन्हें तीसरे प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी देखा गया है कि उन्होंने होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. के साथ मिलकर एन. बी. सी. सी. द्वारा दायर अपील में एक अभियोग आवेदन (2020 का आई. ए. संख्या 1508) दायर किया जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 15.07.2020 पर अनुमति दी गई थी और इस तरह वे एन. बी. सी. सी. की अपील में सातवें प्रतिवादी बने। उनकी प्रस्तुतियों के अनुसार, आई. आर. पी. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि समाधान

योजना कुछ समय के लिए लागू कानून का उल्लंघन नहीं करती है और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना में कई शर्तों और निर्देशों पर उनके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं।

13. समाधान योजना के विरोधियों के दूसरे उप-संप्रदाय में निगमित देनदार जे. आई. एल. का संस्थागत वित्तीय लेनदार शामिल है।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड।

13.1 . जे. आई. एल. के असहमत वित्तीय लेनदार के रूप में भुगतान के लिए इस बैंक के दावे के संबंध में समाधान योजना के संशोधन में एन. सी. एल. टी. द्वारा जारी किए गए निर्देश, समाधान योजना के पक्ष में खड़े व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा चुनौती के प्रमुख आधारों में से एक है। इस बैंक ने 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि के निपटारे के संबंध में समाधान योजना के खंडों पर भी आपत्ति जताई है। जे. ए. एल. के ऋणदाता और बंधक होने के रूप में अपनी एक अन्य क्षमता में

जे. आई. एल. की भूमि पर जे. ए. एल. को इस तरह के ऋण की प्रतिभूति में, इस बैंक ने अपने प्रतिभूति ब्याज को जारी करने के संबंध में समाधान योजना को एक और चुनौती दी है। इस बैंक ने कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) डायरी में एनसीएलएटी के समक्ष उक्त आदेश दिनांक 03.03.2020 को चुनौती दी थी।

2020 का सं. 21936 और इस न्यायालय में 2020 की स्थानांतरण याचिका (सी) डायरी सं. 20274 दायर की है, जिसमें मामलों के वर्तमान समूह के अनुरूप सुनवाई के लिए एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

14. समाधान योजना के विरोधियों के तीसरे उप-संप्रदाय में विभिन्न संस्थाएं/व्यक्ति शामिल हैं, जो ज्यादातर अपने स्वयं के दावे/शिकायतें रखते हैं। वे इस प्रकार हैं:

14.1 . यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण:

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976-27 की धारा 3 के तहत गठित इस प्राधिकरण को शुरू में ताज कहा जाता था। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 28; बाद में इसका नाम बदलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 9 कर दिया गया। यह रियायत के तहत जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भूमि प्रदाता था।

समझौता। भूमि के उपलब्ध भागों से निपटने और आकस्मिक दायित्व (भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के संबंध में) को पूरा करने के लिए समाधान योजना में प्रावधान इस प्राधिकरण की चिंता के मुख्य क्षेत्र हैं, जिन्होंने समाधान योजना पर अपनी आपत्तियां दायर की थीं। वाई. ई. आई. डी. ए. के संबंध में समाधान योजना के संशोधन में जारी किए गए निर्देश भी समाधान योजना के पक्ष में खड़े व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा चुनौती के प्रमुख आधारों में से एक हैं।

14.2 . यस बैंक लिमिटेड:

यह बैंक जे. आई. एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड का वित्तीय लेनदार है। यह बैंक इस बात पर जोर देता है कि जे. एच. एल. की परिसंपत्तियां, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उसके साथ गिरवी रखी गई हैं, जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. के दायरे में नहीं हैं जिन्हें एन. बी. सी. सी. द्वारा निपटाया जाना है और यह तदनुसार समाधान योजना में संशोधन चाहता है। इस बैंक ने 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 488 दिनांकित उक्त आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की, जो इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया है और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (ग) 2020 की सं. 235।

14.3 . राजेश गुप्ता और 2 अन्य:

कहा जाता है कि इन तीन व्यक्तियों ने निगमित देनदार के साथ संबंधित समझौते किए हैं, समाधान योजना में प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ अपनी शिकायत रखते हैं जहां समाधान आवेदक ने ऐसे समझौतों/उप-पट्टा विलेखों को रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। वे जेपी ग्रीन्स विश टाउन में भूखंडों की बिक्री विलेख में प्रवेश करने या धनवापसी के लिए निर्देश चाहते हैं। उन्होंने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) दिनांकित उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील भी दायर की थी।

29 ' संक्षेप में 'यीडा'। 30 ' जे. एच. एल. 'संक्षेप में।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

14.4 . रमन प्रकाश मंगला और 29 अन्य:

वे जे. आई. एल. के अल्पांश शेयरधारक हैं और उनका दावा है कि

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में अल्पांश शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य देकर उनके हितों पर विचार करना चाहिए। एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 630 दिनांकित आदेश के विरुद्ध उनकी अपील भी इस न्यायालय में स्थानांतरित की जाती है और टी. सी. के रूप में पंजीकृत है। (ग) 2020 की सं. 239।

14.5 . ज्ञानेंद्र कुमार रवींद्र:

वह जे. आई. एल. के एक अल्पांश शेयरधारक भी हैं और उन्होंने 2020 की सिविल अपील संख्या 3395 में अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो 2020 की आई. ए. संख्या 89429 है। वे इसी तरह अल्पसंख्यक शेयरधारकों को उनके शेयरों का 'उचित मूल्य' दिए बिना उनके अधिकार को समाप्त करने के लिए एनबीसीसी की कार्रवाई से व्यथित हैं।

निर्धारण के लिए बिंदु

15. इस मामले का एक संक्षिप्त विवरण और रूपरेखा तैयार करने और इस मुकदमे के प्रमुख पक्षों को उनके संबंधित हितों से परिचित कराने के बाद, हम अब उन प्रमुख बिंदुओं का संकेत दे सकते हैं, जो इस मामले के लिए उत्पन्न होते हैं। प्रश्नगत समाधान योजना की शर्तों और एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विवादित आदेशों के माध्यम से आदेशित संशोधनों के साथ-साथ हमारे सामने रखे गए विविध प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण। द.

इस समूह में दृढ़ संकल्प की मांग करने वाले प्रमुख बिंदु हैं:

A. शक्तियों का विस्तार और सीमाएँ क्या हैं और

लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से निपटने के दौरान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र?

ख. क्या दो संकल्प योजनाओं पर एक साथ मतदान के कारण एनबीसीसी की समाधान योजना की मंजूरी दूषित हो जाती है। लेनदारों की समिति में?

((ii) क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना में प्रदान किए गए तंत्र को मंजूरी नहीं देने में गलती की है। [2021] 12 एस. सी. आर. के तहत रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाई. ई. आई. डी. ए. के साथ रियायत समझौता, एस. पी. वी. एस. को शामिल करने के लिए प्रस्तावित; और प्रासंगिक शर्तों को संशोधित करने में भी गलती हुई है?

(iii) क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने वाई. ई. आई. डी. ए. के संबंध में समाधान योजना में मांगी गई राहतों और रियायतों को मंजूरी नहीं देने में गलती की है? डी. क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जैसे असहमत वित्तीय लेनदार के साथ व्यवहार को मंजूरी नहीं देने में गलती की है, क्योंकि यह सीआईआरपी विनियमों के विनियमन 38 (1) (बी) के साथ

पठित संहिता की धारा 30 (2) (बी) के अनुरूप नहीं है; और निम्नलिखित शर्तों को संशोधित करने में गलती की है -

समाधान योजना और असहमत वित्तीय लेनदार को मौद्रिक संदर्भ में भुगतान निर्देशित करने में? ई. क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सावधि जमा धारकों के संबंध में समाधान योजना में दिए गए कदम को संशोधित करने और समाधान आवेदक को लावारिस सावधि जमा धारकों के बकाया के लिए भी प्रावधान करने का निर्देश देने में गलती की है?

च. (i) क्या समाधान योजना का उद्देश्य जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड की परिसंपत्तियों से अनधिकृत रूप से निपटना है?

((ii) क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने गलती की है।

यह मानते हुए कि यस बैंक लिमिटेड ने जेपी की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति के गठन पर सहमति व्यक्त की थी

हेल्थकेयर लिमिटेड? G. क्या समाधान योजना में इसके लिए शर्त है

कुछ समझौतों/उप-पट्टों को रद्द करना अनुचित है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसे संशोधित नहीं करने में गलती की है? एच. इस बारे में कि क्या अल्पांश शेयरधारक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क नहीं करने के बावजूद अपने दावों/आपत्तियों को बताने के हकदार हैं और क्या समाधान योजना अल्पांश शेयरधारकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करती है?

I. (i) क्या ऋणदाताओं की समिति द्वारा एनबीसीसी की समाधान योजना के अनुमोदन के बाद, जहां घर खरीदार एक वर्ग के रूप में हैं। योजना के लिए सहमति, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या घर खरीदारों का कोई भी संघ समाधान योजना के लिए एक चुनौती बनाए रख सकता है और एक असहमत वित्तीय लेनदार या एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है?

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत हैएस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

((ii) क्या समाधान योजना की शर्तें इसमें निहित हैं।

अचल संपत्ति के प्रावधानों का उल्लंघन (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016?

(iii) क्या समाधान योजना का उल्लंघन है

सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकताएँ? ((iv) क्या कोई आवास परियोजना जो पूरी हो चुकी है या जो पूरी होने वाली है, उसे समाधान योजना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए?

जे. (i) चित्रा शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई 750 करोड़ रुपये की राशि और उस पर उपार्जित ब्याज जे. ए. एल. की संपत्ति है या नहीं और समाधान योजना में इसके बारे में कोई शर्त है।

जे. आई. एल. या एन. बी. सी. सी. द्वारा इसका उपयोग अस्वीकार्य है?

((ii) क्या जे. आई. एल. और/या उसके द्वारा कोई राशि प्राप्य है।

सत्ता? ((ii) क्या 758 के भूमि तट के उपयोग के संबंध में समाधान योजना में पर्याप्त प्रावधान करने की आवश्यकता है।

एकड़, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 26.02.2020 निर्णय के संदर्भ में जे. आई. एल. को उपलब्ध हो गया है?

एल. अन्य मुद्दों पर उचित आदेश क्या होना चाहिए? स्पष्टीकरण/निर्देश की मांग करने वाले प्रस्ताव आवेदक द्वारा उठाया गया?

एम. के बारे में कि क्या अपीलीय प्राधिकरण प्रदान करने में उचित था

कार्यान्वयन के लिए एक अंतरिम निगरानी समिति के लिए

अपीलों के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन समाधान योजना?

एन. अंतिम आदेश और राहत क्या होनी चाहिए?

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

16. इस प्रकार उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए, हमें आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. विनियमों में निहित लाभप्रद प्रावधानों की जांच करने और [2021] 12 एस. सी. आर. के विचार और अनुमोदन से संबंधित प्रक्रिया के लिए मुझे लागू करने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन समाधान योजना; और विवादित समाधान योजना की शर्तों, प्रिस्क्रिप्शनों और शर्तों के साथ-साथ संशोधनों के लिए, जैसा कि न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा दिनांकित 03.03.2020 के विवादित आदेश में आदेश दिया गया है (या अस्वीकार किया गया है)। हालांकि, तथ्यों के दिए गए सेट में और परिस्थितियों, प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने से पहले और समाधान योजना और विवादित आदेश की प्रासंगिक विशेषताओं पर विस्तार करने से पहले, वर्तमान सी. आई.

आर. पी. से संबंधित महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि पहलुओं और इस सी. आई. आर. पी. से संबंधित मुकदमे के पिछले दौर में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना समीचीन है।

17. इस मुकदमे की विषय वस्तु की स्पष्ट तस्वीर के लिए, प्रासंगिक इतिहास की कुछ झलकियाँ उपयुक्त होंगी। 17.1 . उत्तर प्रदेश सरकार, यू. पी. की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांकित 24.04.2001 अधिसूचना के माध्यम से।

1976 के अधिनियम ने ताज एक्सप्रेस-वे परियोजना के विकास के लिए ताज एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (टी. ई. ए.) की स्थापना की, जो कि छह लेन का 160 किलोमीटर लंबा सुपर एक्सप्रेस-वे है, जिसमें सेवा सड़कों और नोएडा और आगरा को जोड़ने वाली संबंधित सुविधाओं के साथ, इससे होकर गुजरता है।

यमुना नदी के किनारे एक तथाकथित वर्जिन क्षेत्र।

17.2 . प्रारंभिक चरणों में, उक्त ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने परियोजना के निष्पादन के लिए इकाई का चयन करने के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। इस प्रक्रिया में, अंततः जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली कंपनी सफल बोलीदाता के रूप में सामने आई। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक इस कंपनी का नाम अब जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) रखा गया है।

17.3 . उक्त बोली प्रक्रिया के बाद, प्रमुख टी. ई. ए. और टी. ई. ए. के बीच 07.02.2003 दिनांकित एक रियायत समझौता निष्पादित किया गया था।

सफल बोलीदाता जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्हें "रियायत प्राप्तकर्ता" के रूप में जाना जाने लगा। इस रियायत समझौते के विभिन्न नियम और शर्तें विवाद के एक खंड का विषय हैं।

वर्तमान मुकदमेबाजी में, जैसा कि आगे प्रासंगिक चरणों में चर्चा की गई है। वर्तमान चरण में, यह ध्यान देने योग्य है कि इस सीए के तहत, रियायत प्राप्तकर्ता को एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जानी थी और इसकी संबद्ध सुविधाएँ; और विकास के लिए अन्य भूमि भी प्रदान की जानी थी। इस संबंध में, रियायत प्राप्तकर्ता को 36 वर्षों के लिए सड़क के उपयोगकर्ताओं से टोल एकत्र करने के अधिकार के साथ एक्सप्रेसवे भूमि का पट्टा दिया गया था; और सड़क से सटे भूमि को प्रदान किया गया था

90 वर्षों के लिए पट्टे पर वाणिज्यिक दोहन के लिए रियायत प्राप्तकर्ता। जहां तक इस तरह से हस्तांतरित की जा रही भूमि के लिए प्रीमियम का संबंध है, जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड समझौते में शर्तें अच्छी हैं।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सी. ए. का प्रभाव था कि ऐसा प्रीमियम इसके बराबर होगा -

अधिग्रहण लागत के साथ-साथ प्रति वर्ष 100 रुपये प्रति हेक्टेयर का पट्टा किराया। सी. ए. के खंड 18.1 में, पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई कि यदि रियायत प्राप्तकर्ता और टी. ई. ए. रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों को एक विशेष प्रयोजन वाहन में स्थानांतरित करना आवश्यक समझेंगे। (' एस. पी. वी.), रियायत प्राप्तकर्ता उचित समय में ऐसा करेगा, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया जाएगा।

रियायत प्राप्तकर्ता, टी. ई. ए. और एस. पी. वी.। परियोजना को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस-वे बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़े और वाणिज्यिक, मनोरंजन, औद्योगिक, संस्थागत और आवासीय उद्देश्यों के लिए सड़क के किनारे अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के लिए भी आगे बढ़े।

17.4 . इस परियोजना के बाद और सी. ए. के उक्त खंड 18.1 के संदर्भ में, कॉर्पोरेट देनदार जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ('जे. आई. एल.') को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित किया गया था और

दिनांकित समझौता 27.11.2007। इस तरह, निगमित देनदार जे. आई. एल. को रियायत पाने वाले के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। बाद में, एक अधिसूचना दिनांक 11.07.2008 के माध्यम से, ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ('वाई. ई. आई. डी. ए.') कर दिया गया। उपरोक्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम यह रहा है कि

कि दिनांक 07.02.2003 के उक्त रियायत समझौते के तहत अधिकार और दायित्व अब कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. को रियायतकर्ता और वाई. ई. आई. डी. ए. को भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में संबंधित हैं।

17.5 . जैसा कि देखा गया है, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. को मूल रियायतकर्ता जे. ए. एल. द्वारा एस. पी. वी. के रूप में स्थापित किया गया था; और जे. ए. एल. के पास लगभग 71.64% था।

31.03.2017 पर जे. आई. एल. में इक्विटी हिस्सेदारी। मान लीजिए, जे. ए. एल. जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी थी। जब जे. आई. एल. को एस. पी. वी. के रूप में स्थापित किया गया था उक्त सीए के तहत परियोजना/परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से, आंशिक बंधक के खिलाफ बैंकों के एक संघ से वित्त प्राप्त किया गया था

17.6 . हालांकि, जे. आई. एल. ने अपने कई दायित्वों में चूक की, जिसमें प्रस्तावित अचल संपत्ति परियोजनाओं को पूरा करना और भुगतान करना शामिल है। ऋणदाता वित्तीय संस्थानों का बकाया।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. जे. आई. एल. की ओर से अपने बकाया के भुगतान में चूक के कारण ऋणदाता बैंक, आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड ने जे. आई. एल. के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की। आवेदक बैंक ने आरोप लगाया कि जे. आई. एल. ने आई. एन. आर. 526.11 करोड़ के अपने बकाया के पुनर्भुगतान में चूक की थी। जे. आई. एल. ने याचिका पर अपनी आपत्तियाँ दायर कीं लेकिन बाद में, आपत्तियों को वापस ले लिया और संहिता के प्रावधानों के तहत समाधान योजना के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की।

18.1 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. एल. टी. ने जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की। धारा 14 के तहत स्थगन का आदेश जारी किया गया था।

19. उपरोक्त स्थिति के कारण इस न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं, विशेष रूप से पीड़ित घर खरीदारों द्वारा। जैसा कि देखा गया है, उन याचिकाओं चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले के नेतृत्व में इस न्यायालय द्वारा एक समूह के रूप में निपटा गया था। इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर याचिकाओं के उक्त समूह में इस आशय के कई आदेश पारित किए गए थे कि आई. आर. पी. को जे. आई. एल. के प्रबंधन को संभालने की अनुमति दी गई थी और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे। जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी के रूप में जे. ए. एल. को अदालत में जमा करने के निर्देश के साथ विभिन्न आदेश भी दिए गए थे, विशेष रूप से कुछ घर खरीदारों द्वारा किए जा रहे धनवापसी के दावे को देखते हुए। अंत में मामलों का निपटारा करते समय, इस न्यायालय ने घर खरीदारों के साथ-साथ जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के लेनदारों के हितों पर भी ध्यान दिया; और इस तथ्य सहित कि सी. आई. आर. पी. को समाप्त करने के लिए 180 दिनों की वैधानिक अवधि, और यहां तक कि 90 दिनों की विस्तारित अवधि, समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर, दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) के माध्यम से प्राप्त होने वाली कार्यवाही की स्थिति और वैधानिक प्रावधानों पर भी ध्यान दिया।

31 इसके बाद इसे 'बोर्ड' भी कहा जाता है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अध्यादेश, 2018, जो 06.06.2018 पर लागू हुआ, घर खरीदारों की स्थिति के बारे में संदेह को हटा दिया गया और वे स्पष्ट रूप से थे निगमित देनदार के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, इस न्यायालय ने घर खरीदारों और अन्य लेनदारों के हित में आगे के आदेश देते हुए विचाराधीन सी. आई. आर. पी. को राहत प्रदान की।

19.1 . चित्रा शर्मा के उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित कार्यवाही और आदेश वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण हैं। और, इसलिए, आवश्यक विवरणों में उपयोगी रूप से वर्णित किया जा सकता है।

चित्रा शर्मा के मामले में आदेश और निर्देश

20. जैसा कि देखा गया है, इस न्यायालय को चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में अनिवार्य रूप से इस कारण से स्थानांतरित किया गया था कि बड़ी संख्या में घर खरीदार,

जिन्होंने जे. ए. एल. और जे. आई. एल. द्वारा प्रस्तावित अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश किया था,

जे. आई. एल. के संबंध में प्रस्तावित सी. आई. आर. पी. के मद्देनजर व्यथित महसूस कर रहे थे और जिनके अधर में छूटने की संभावना थी क्योंकि, दिए गए समय पर

लेनदारों '। दिए गए परिदृश्य में, स्थानांतरित किए जाने पर, इस न्यायालय ने याचिकाओं के उक्त समूह में 04.09.2017 पर नोटिस जारी किया; इलाहाबाद में NCLT के समक्ष कार्यवाही अगले आदेश तक रोक दी गई थी; भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी के कार्यालय में कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था; और अभियोग और हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति दी गई थी।

20.1 . इसके बाद, 11.09.2017 पर, विज्ञापन की छुट्टी के लिए IDBI बैंक लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए-दिनांकित अंतरिम आदेश

04.09.2017 , इस मामले के कई पहलुओं और इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के प्रभावों को योजना के संदर्भ में पेश किया गया था

संहिता में निहित प्रावधानों का। दूसरी ओर, घर खरीदारों की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे निम्न और मध्यम आय वर्ग के थे, जिन्होंने अपनी जीवन बचत को जे. आई. एल. और जे. ए. एल. में निवेश किया था।

हितों की रक्षा करने की आवश्यकता थी। यह तर्क दिया गया था कि यदि सी. आई. आर. पी. को बहाल किया गया था, तो घर खरीदारों से एक प्रतिनिधि होना चाहिए या अदालत सी. ओ. सी. पर किसी को उनके हितों का समर्थन करने के लिए नियुक्त कर सकती है। घर खरीदार।

20.1. 1 . इस प्रकार की गई दलीलों पर ध्यान देते हुए और हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, इस न्यायालय ने पहले की शर्तों को संशोधित किया।

दिनांकित 04.09.2017 आदेश और अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय के भौतिक निर्देश जारी किए गए कि - (i) आई. आर. पी. जे. आई. एल. का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान के साथ अंतरिम समाधान योजना तैयार करेगा; (ii) श्री शेखर नाफडे, विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री शुभांगी तुली, ए. ओ. आर. के साथ घर खरीदारों के हितों का समर्थन करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सी. ओ. सी. की बैठकों में भाग लेंगे; जे. आई. एल. या जे. ए. एल. के निदेशक या प्रबंध निदेशक दिवालिया कार्यवाही की स्थापना की तारीख और आदेश की तारीख को भी, ऋण देने वाली संस्थाओं के नामित निदेशकों को छोड़कर, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे; और जे. आई. एल. के खिलाफ सभी मुकदमे और कार्यवाही संहिता की धारा 14 (1) (ए) के संदर्भ में रोक दी जाएगी। इसके अलावा, इस अदालत ने जेएएल को 2,000 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया और

इस उद्देश्य के लिए, यह इस न्यायालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए। इसकी प्रासंगिकता के लिए, उपरोक्त आदेश दिनांकित 11.09.2017, इस न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और भौतिक निर्देश, जो वर्तमान मुकदमेबाजी के एक बड़े हिस्से पर असर डालते हैं, को विस्तार से, निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

" हस्तक्षेप/प्रलोभन के लिए सभी आवेदन हैं -

अनुमति दी गई।

एस. एल. पी. (सी) संख्या में 2017 का आई. ए. सं. 87575। 24001- 24002 में से

2017 (डी. सं। 27277 , 27579 और 2017 का 27624) वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं में दायर किया गया है।

यह 4-9-2017 दिनांकित आदेश को खाली करने/संशोधित करने के लिए एक आवेदन है। उस दिन इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया था निम्नलिखित आदेश:

" 2. ..... इस बीच द्वारा पारित विवादित आदेश (ओं)

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। विशेष अनुमति याचिका की एक प्रति भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में दी जानी चाहिए। अभियोग/हस्तक्षेप के लिए सभी आवेदनों की अनुमति है।

उत्तरदाता 1 और 2 की ओर से उपस्थित भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि आदेश ने जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर को पारित किया

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस न्यायालय द्वारा 4-9-2017 को खाली या संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि रोक का परिणाम यह होगा कि प्रत्यर्थी 3, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का प्रबंधन बहाल हो जाएगा। यह इस न्यायालय द्वारा अभिप्रेत परिणाम नहीं था। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि यदि उक्त कंपनी का पूर्व प्रबंधन जारी रहता है, तो यह लेनदारों और उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करेगा।

रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आई. आर. पी.) ने रिकॉर्ड सौंपे हैं। प्रतिवादी 3, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड ("जे. आई. एल".)। इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि आई. आर. पी. को कम से कम एक प्रारंभिक योजना तैयार करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने घर खरीदारों के हितों के लिए भी अपनी चिंता व्यक्त की है।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील

आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड की ओर से पेश होते हुए, (रिट याचिका में प्रतिवादी 6) प्रस्तुत करता है कि वैधानिक योजना के तहत, आई. आर. पी. को संभालना होगा अन्यथा अधिनियम के अक्षर और भावना प्रभावित होने की संभावना है।

घर खरीदारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील,

इसके विपरीत, प्रस्तुत करता है कि वे निम्न और मध्यम आय समूह से संबंधित हैं और उन्होंने जे. आई. एल. और इसकी होल्डिंग कंपनी, जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ("जे. ए. एल".) के साथ जीवन बचत का निवेश किया है। यह हो चुका है

दृढ़ता से आग्रह किया कि फ्लैट खरीदारों का निवेश जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के पास है और इसलिए, खरीदारों का हित हो सकता है

संरक्षित। यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि आई. आर. पी. को बहाल किया जाता है, तो घर खरीदारों से एक प्रतिनिधि होना चाहिए या यह न्यायालय लेनदारों की इस समिति में किसी को नियुक्त कर सकता है और घर खरीदारों के हितों का समर्थन कर सकता है।

पक्षकारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, दिनांकित 4-9-2017 आदेश के संशोधन में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

क) आई. आर. पी. तुरंत जे. आई. एल. का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा।

आई. आर. पी. इस न्यायालय के समक्ष 45 दिनों के भीतर एक अंतरिम समाधान योजना तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। अंतरिम समाधान योजना लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करेगी।

ख) श्री शेखर नाफडे, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ सुश्री शुभांगी तुली, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड, इसमें भाग लेंगी

धारा 21 के तहत ऋणदाताओं की समिति की बैठकें

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

घर खरीदार और उनके हितों की रक्षा करना;

ग) जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के प्रबंध निदेशक और निदेशक

इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। घ) जे. ए. एल. जो दिवाला कार्यवाही में पक्षकार नहीं है,

2000 करोड़ रुपये (दो हजार रुपये) की राशि जमा करेंगे।

करोड़) इस न्यायालय के समक्ष 27-10-2017 पर या उससे पहले। इसके लिए उक्त उद्देश्य, यदि जे. ए. एल. की कोई संपत्ति या संपत्ति होनी है

बेचा जाता है, जो पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए

संस्थान की तारीख को जे. आई. एल. या जे. ए. एल. के निदेशक जे. आई. एल. के साथ-साथ वर्तमान के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही

निदेशक/प्रबंध निदेशक भी नहीं छोड़ेंगे।

इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश। पूर्वगामी

(आईडीबीआई/आईसीआईसीआई/एस. बी. आई.); ङ) जे. आई. एल. के खिलाफ लगाए गए सभी मुकदमे और कार्यवाही निम्नलिखित के संदर्भ में होगी -

धारा 14 (1) (ए) पर रोक लगी हुई है क्योंकि हमने आई. आर. पी. को निर्देश दिया है कि

प्रबंधन में रहें।

यह स्पष्ट किया जाए कि हमने इस आदेश को ध्यान में रखते हुए पारित किया है

अधिनियम के प्रावधानों और इसके हितों को भी देखें घर खरीदार।

आई. ए. को तदनुसार निपटाया जाता है। मामला दोपहर 2 बजे 13-11-2017 पर सूचीबद्ध किया जाए।

इस न्यायालय द्वारा दी गई पूर्व तिथि अर्थात 10-10-2017 है।

रद्द कर दिया गया। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

20.1. 2 . यह आसानी से देखा जा सकता है कि दिशाओं को तैयार करने में

उपरोक्त, इस न्यायालय ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से इस कारण से कदम उठाए कि दिए गए स्तर पर, घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार नहीं माना जाता था और उनका प्रतिनिधित्व सी. ओ. सी. में नहीं किया जाता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यवहार्य और सुरक्षात्मक तंत्र विकसित करते हुए, जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड ने भागीदारी का स्वागत किया है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस न्यायालय ने महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि पहलुओं और तथ्य पर भी ध्यान दिया यह कि जे. आई. एल. अनिवार्य रूप से जे. ए. एल. का एक अहंकार था और इस प्रकार, यह ध्यान में रखते हुए भी कि जे. ए. एल. दिवालिया कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था, निर्देश दिया कि जे. ए. एल. 2,000 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगा और जे. ए. एल. की संपत्ति या संपत्ति के निपटान और जे. आई. एल. या जे. ए. एल. के निदेशकों/प्रबंध निदेशकों के देश से दूर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।

20.2 . जे. ए. एल. ने आई. एन. आर. 2,000 जमा करने के लिए उपरोक्त निर्देश में संशोधन/वापसी के लिए एक आवेदन (2017 का आई. ए. सं. 102471) दायर किया।

या एक संशोधन के लिए जो इसे यमुना एक्सप्रेसवे के संबंध में रियायत समझौते के तहत अधिकारों को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाएगा। विद्वान महान्यायवादी और आई. डी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा विपक्ष में प्रस्तुतियों को नोटिस करने के बाद इस आवेदन पर न्यायालय द्वारा

25.10.2017 पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। बैंक और YEIDA। आई. आर. पी. के वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि रियायत समझौते के तहत अधिकार जे. आई. एल. के थे, जो आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के अधीन था और इसलिए, इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि, 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का समय 05.11.2017 तक बढ़ा दिया गया था। 25.10.2017 दिनांकित आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी, आईडीबीआई लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से पेश विद्वान वकील श्री रवींद्र कुमार।

यह श्री पराग पी. त्रिपाठी द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, जो अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

कि यमुना एक्सप्रेसवे के संबंध में रियायत समझौते के तहत अधिकार जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जे. आई. एल.) के हैं, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कार्यवाही के अधीन है और इसलिए, इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री रविंदर कुमार ने कहा है कि रियायत
समझौते के तहत अधिकार हस्तांतरणीय नहीं हैं।

हमने कुछ घर खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा को भी सुना है।

वकील जो घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपने फ्लैट रखने में रुचि रखते हैं। हम उक्त पहलू पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आज।

हम दिनांकित 11-9-2017 आदेश के संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम 2000 करोड़ रुपये (दो हजार रुपये) जमा करने के लिए समय बढ़ाते हैं।

करोड़) तक 5-11-2017 "।

20.3 . फिर, आई. डी. 1 पर, इस अदालत ने विद्वान वकील श्री पवनश्री अग्रवाल को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें एक अदालत का उद्घाटन करना था।

वेब पोर्टल जिस पर घर खरीदारों का विवरण अपलोड किया जा सकता है। संस्थागत निदेशकों को छोड़कर जे. ए. एल. के सभी निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा करने वाले हलफनामों के साथ अगली तारीख को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। यह आदेश दिनांकित 13.11.2017 निम्नानुसार है: -

" अभियोग/हस्तक्षेप स्टैंड के लिए सभी आवेदन

अनुमति दी गई। घर खरीदारों को संपर्क करने के लिए निर्देशित किया जाता है

श्री पवनश्री अग्रवाल, विद्वान वकील, जिन्हें अदालत की सहायता के लिए मामले में न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है और वे एक वेब पोर्टल खोलेंगे ताकि घर खरीदार अपना विवरण दे सकें।

श्री पवनश्री अग्रवाल। मामले को 22-11-2017 पर सूचीबद्ध होने दें। उस दिन, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) के संस्थागत निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा करने वाले हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे।

20.4 . अगली तारीख को, आठ स्वतंत्र निदेशक और पाँच प्रवर्तक निदेशक न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। ए. पर

जे. ए. एल. की ओर से दिए गए बयान में, इस अदालत ने जे. ए. एल. को दिन के दौरान आई. एन. आर. 275 करोड़ जमा करने की अनुमति दी और आई. एन. आर. 150 करोड़ आई. एन. आर. 13.12.2017 और आई. एन. आर. 125 करोड़ आई. एन. आर. 31.12.2017 जमा करने का निर्देश दिया। 2, 000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए पहले के निर्देश को बनाए रखते हुए निदेशकों और उनके परिवारों की संपत्तियों और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई थी और संबंधित निदेशकों को अगली तारीख को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। न्यायमित्र को एक सप्ताह के भीतर एक वेब पोर्टल बनाने के लिए कहा गया था; और उस मामले के लिए, जे. ए. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को न्यायमित्र द्वारा आवश्यक सभी विवरण प्रदान करने थे और उन्हें 5 लाख रुपये की राशि भी प्रदान करनी थी। 22.11.2017 दिनांकित आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

" जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि कंपनी जेपी केंसिंगटन बॉउलेवार्ड ए. पी. ए. आर. टी. एम. एन. टी. एस. वेलफ़ेयर के साथ तैयार है।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

275 करोड़ रु. घर खरीदारों ने राशि की प्राप्ति के बारे में अपनी चिंता जताई। यह न्यायालय घर खरीदारों की शिकायत और चिंता की सराहना करता है।

हम समझते हैं कि निम्नानुसार निर्देश देना उचित होगा: (क) 275 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाए।

श्री अनुपम लाल दास, कंपनी की ओर से पेश विद्वान वकील,

आज इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष।

(ख) 150 करोड़ रुपये की राशि 13-12-2017 द्वारा जमा की जाए। (ग) 125 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि 31-12 द्वारा जमा की जाए।

तरीके से, और यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे न केवल आपराधिक के लिए उत्तरदायी होंगे अभियोजन लेकिन अदालत की अवमानना।

(ङ) इसके अलावा, हम यह भी निर्देश देते हैं कि उनके निकटतम और आश्रित परिवार के सदस्यों की संपत्ति और संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।

किसी भी तरह से स्थानांतरित किया जाए।

किश्तें। श्री पवनश्री अग्रवाल, जिन्हें पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, एक सप्ताह के भीतर एक पोर्टल बनाएँगे और आवश्यक कार्य करेंगे जैसा कि उन्होंने इसी तरह के मामलों में किया है। श्री अनुपम लाल

दास, विद्वान वकील द्वारा आवश्यक सभी विवरण प्रदान करेंगे

श्री पवनश्री अग्रवाल। श्री अनुपम लाल दास एक

श्री पवनश्री अग्रवाल को पोर्टल के निर्माण और परिणामी गतिविधियों को जारी रखने के लिए 5 लाख रुपये की राशि। मामले हों। 10-1-2018 पर सूचीबद्ध है। उस दिन सभी स्वतंत्र निदेशक

और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के प्रवर्तक निदेशक,

उपस्थित रहें। सभी पाँचों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों की प्रतियाँ

प्रवर्तक निदेशकों को केंद्रीय एजेंसी में सेवा दी जाएगी, ताकि विद्वान महान्यायवादी को इसके बारे में जागरूक किया जा सके।

तय तिथि पर फोन करें। "

20.5 . उपरोक्त के बाद, मामले पर 15.12.2017 पर विचार किया गया था, जमा किए गए INR 150 करोड़ को एक छोटे [2021] 12 S. C. R. में रखने का आदेश दिया गया था।

सावधि जमा और समय (आगे के भुगतान के लिए) 25.01.2018 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने जे. ए. एल. के घर खरीदारों की ओर से की गई दलीलों पर भी ध्यान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक 3 2 द्वारा जे. ए. एल. के खिलाफ एन. सी. एल. टी. में जाने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय के निर्देश जारी किए गए कि जे. ए. एल. अपनी आवास परियोजनाओं का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दायर करेगा।

देश और उनके निर्माण का चरण; न्यायमित्र जे. ए. एल. के घर खरीदारों के लिए एक स्वतंत्र वेब पोर्टल खोलेगा; आर. बी. आई. के आवेदन पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा; और संबंधित निदेशकों को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता है लेकिन वे देश नहीं छोड़ेंगे। दिनांकित 10.01.2018 के इस आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

" पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम हैं

निम्नलिखित दिशाओं को पार करने के लिए इच्छुक:

(i) जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) एक शपथ पत्र दाखिल करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि देश भर में इसकी कितनी आवास परियोजनाएं हैं और उनके निर्माण का चरण क्या है। उक्त शपथपत्र

इसलिए एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा।
((ii) श्री पवनश्री अग्रवाल, विद्वान न्यायमित्र जे. ए. एल. के घर खरीदारों के संबंध में एक स्वतंत्र वेब पोर्टल बनाएँगे।

जो घर खरीदारों के विवरण को प्रतिबिंबित करेगा।

(iii) श्री पवनश्री अग्रवाल द्वारा बनाया गया वेब पोर्टल

(v) जे. ए. एल. के स्वतंत्र निदेशकों को सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इस न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशक इस न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
(vi) परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष के हित का सृजन करने के लिए जे. ए. एल. को प्रतिबंधित करने के पहले के आदेश को दोहराया जाता है।

(vii) इस न्यायालय के समक्ष दायर अभियोग/हस्तक्षेप और निर्देशों के लिए आवेदन श्री पवनश्री को दिए जाएंगे।

अग्रवाल "।

32 ' संक्षेप में 'आरबीआइ'।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

20.6 . आई. डी. 1 पर आगे की प्रभावी कार्यवाही तब हुई जब जे. ए. एल. की ओर से यह कहा गया कि 550 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं और केवल 8 प्रतिशत घर खरीदार धनवापसी की मांग करने में रुचि रखते हैं जबकि अन्य अपने फ्लैटों पर कब्जा करने के इच्छुक हैं। इस न्यायालय ने संकेत दिया कि दिए गए चरण में, केवल धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों के संबंध में मामले की जांच की जा रही है और कार्यवाही के अगले चरण में अन्य शिकायतों की जांच की जाएगी। चूंकि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद 2,000 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश का पालन नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने 200 करोड़ रुपये की और जमा करने के निर्देश जारी किए, जैसा कि अदालत में मौजूद जे. ए. एल. के प्रबंध निदेशक ने सहमति व्यक्त की थी, जहां 100 करोड़ रुपये की पहली किश्त 15.04.2018 द्वारा जमा की जानी थी और इतनी ही राशि की दूसरी किश्त 10.05.2018 द्वारा जमा की जानी थी। न्यायमित्र ने बताया कि अदालत ने उनके पोर्टल और जे. ए. एल. के रिकॉर्ड के संदर्भ में कहा कि 1,300 करोड़ रुपये की राशि अकेले मूलधन के माध्यम से घर खरीदारों को वापस करने की आवश्यकता थी, जो धनवापसी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद न्यायमित्र से एक परियोजना-वार चार्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जो व्यक्तियों की संख्या और पूरा होने के चरण को दर्शाता है। घर खरीदारों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए कि डेवलपर निर्माण पूरा करने में असमर्थ होने के बावजूद मासिक किश्तों की मांग कर रहा था, डेवलपर था

उन खरीदारों के संबंध में बकाया या भविष्य की किश्तों की मांग करने से रोक दिया गया जिन्होंने धनवापसी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अलावा, आई. आर. पी. को समाधान योजना को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी, जिसे केवल अदालत की अनुमति से लागू किया जाना था। इस अदालत ने भी लिया

विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त असमर्थता पर ध्यान दें, जिन्हें पहले सी. ओ. सी. में घर खरीदारों के कारण का समर्थन करने का अनुरोध किया गया था और उनके स्थान पर, श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था। यह आदेश दिनांकित 21.03.2018 निम्नानुसार है: -

अदालत। श्री दास द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि केवल 8 प्रतिशत घर खरीदार/आवंटनकर्ता धनवापसी लेने के लिए इच्छुक हैं जबकि अन्य ने धनवापसी की है। फ्लैट रखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम यह पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहेंगे कि,

वर्तमान में, हम केवल उन घर खरीदारों के बारे में चिंतित हैं जो धनवापसी चाहते हैं। अगले चरण में, हम कर सकते हैं फ्लैट रखने का इरादा रखने वाले घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार करें। इस संबंध में, हम इसे उचित समझते हैं।

श्री पराग पी. त्रिपाठी, अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) और श्री जयंत भूषण और श्री संजय हेगड़े और अन्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, घर खरीदारों के कुछ संघों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, जो घर खरीदने का इरादा रखते हैं।

(क) जे. ए. एल. दो किश्तों में 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करेगी, जैसा कि प्रबंध निदेशक ने सहमति व्यक्त की है। जो आज न्यायालय में उपस्थित है। 100 करोड़ रुपये की पहली किश्त 15-4-2018 द्वारा जमा की जाएगी और 100 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त 10-5 2018 तक जमा की जाएगी।

(ख) यह श्री पवनश्री अग्रवाल, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उनके पोर्टल के अनुसार 1300 रुपये की राशि

वर्तमान में, करोड़ रुपये वापस करने की आवश्यकता है

उन घर खरीदारों के लिए मूल राशि जो आज तक धनवापसी चाहते हैं। जे. ए. एल. के रिकॉर्ड के अनुसार 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें श्री अग्रवाल से एक परियोजनावार चार्ट तैयार करने की आवश्यकता होगी जो दर्शाता है कि उस परियोजना और उसके चरण के संबंध में व्यक्ति

संबंधित परियोजनाओं को पूरा करना ताकि घर खरीदारों को आनुपातिक आधार पर राशि के वितरण के लिए उचित आदेश पारित किया जा सके।

(ग) विद्वान न्यायमित्र श्री अग्रवाल पोर्टल को चालू रखेंगे। हालांकि, केवल उन व्यक्तियों के अनुरोधों पर जिस पोर्टल ने आज से धनवापसी की मांग की है, उस पर इस स्तर पर विचार किया जाएगा।

(घ) घर खरीदारों की प्रस्तुति जो मांग कर रहे हैं

रिफंड यह है कि डेवलपर मासिक किश्तों की मांग कर रहा है। हम निर्देश देते हैं कि बकाया या जेपी केंसिंगटन बोलिवार्ड पार्टनर्स के लिए कोई मांग नहीं की जाए।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

डेवलपर द्वारा फ्लैट खरीदारों के लिए भविष्य की किश्तें जुटाई जाएंगी

जिन्होंने आज तक धनवापसी प्राप्त करने का विकल्प व्यक्त किया है। द. घर खरीदारों के संबंध में विकासकर्ता द्वारा उठाई गई मांगें

जिन्होंने पहले ही आज तक धनवापसी का विकल्प चुना है, वे रुके रहेंगे।

(ङ) आई. आर. पी. समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ सकता है लेकिन

इस न्यायालय की अनुमति लेने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

(च) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.)

ऊपर दिए गए निर्देशों के अधीन निर्णय लें।

अगली तारीख तय करने से पहले, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने

जानकारी दी कि श्री शेखर नाफडे, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने

इससे पहले घर खरीदारों के कारण का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया गया था

लेनदारों की समिति ने जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है

जैसे कि।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है

श्री शेखर नाफड़े के स्थान पर कोई और और तदनुसार

हम श्री गौरव अग्रवाल को अधिवक्ता नियुक्त करते हैं। यह और स्पष्ट किया जाता है

कि श्री गौरव अग्रवाल हमारे पिछले आदेशों से निर्देशित होंगे।

मामले को 16-4-2018 पर सूचीबद्ध किया जाए ताकि यह न्यायालय कर सके

इस बात पर ध्यान दें कि क्या विकासकर्ता ने निर्देश का पालन किया है

पहली किश्त जमा करने और संबंधित निर्देश पारित करने के लिए

आनुपातिक आधार पर जमा की गई राशि का संवितरण

श्री पवनश्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आधार।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

20.7 . 16.04.2018 पर, दो अनुप्रयोगों के अलावा

जे. ए. एल. के प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर याचिका पर, इस अदालत ने जे. ए. एल. द्वारा जमा किए गए 100 करोड़ रुपये पर ध्यान दिया और निर्देश दिया कि 100 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त 10.05.2018 द्वारा जमा की जाए। आई. आर. पी. को पहले के आदेश के संदर्भ में समाधान योजना को अंतिम रूप देने की स्वतंत्रता को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने जे. ए. एल. को उस गिनती पर कोई राय व्यक्त किए बिना सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी दी और प्रतिनिधित्व को कानून के अनुसार विचार करने के लिए छोड़ दिया। 3 3

33 जैसा कि थोड़ी देर बाद चर्चा की गई है, चित्रा शर्मा के मामले में पारित अंतिम निर्णय में यह प्रतीत हुआ है कि निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व जे. ए. एल. की आई. आर. पी. द्वारा तैयार की जा रही समाधान योजना में इच्छुक बोलीदाताओं में से एक के रूप में भाग लेने की प्रार्थना के संबंध में था और संहिता में पेश की गई धारा 29ए को देखते हुए जे. ए. एल. द्वारा इस तरह की भागीदारी की अनुमति नहीं थी।

20.8 . इसके बाद, 16.05.2018 पर, दूसरे के साथ काम करने के अलावा

जे. ए. एल. के एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा अनुमति के लिए दायर आवेदन

विदेश यात्रा करने के लिए, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 750 करोड़ रुपये की राशि जमा में पड़ी थी और यह देखा गया कि इसे 'घर खरीदारों के बीच अनुपात के आधार पर वितरित किया जाना है'। यह भी निर्देश दिया गया कि जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. आई. डी. 1 द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करेगी, जिसके अधीन, केवल परिसमापन के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक दी गई थी। 16.05.2018 दिनांकित इस आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

" पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, यह

निर्देश दिया जाता है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.),

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जे. आई. एल.) की होल्डिंग कंपनी जमा करेगी।

संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि

6-2018 . उक्त जमा के अधीन, आगे की रोक होगी।

इस बीच, अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) रहेगा प्रबंधन। यदि राशि 15-6-2018 द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो

जो जमा में पड़ा है उसका संबंध है, इसे वितरित किया जाना है घर खरीदारों के बीच अनुपात के आधार पर "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

20.9 . इसके बाद, 13.07.2018 पर, इस न्यायालय ने कुछ बातों पर ध्यान दिया

जे. ए. एल. द्वारा किए गए प्रस्तावों का याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया। इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अनिच्छा का अवलोकन करते हुए, इस न्यायालय ने मामलों को विशेष रूप से विचार करने के उद्देश्य से 16.07.2018 पर पोस्ट किया घर खरीदारों के अधिकारों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए जे. ए. एल. और जे. आई. एल. की क्षमता का मुद्दा।

21. उपरोक्त कार्यवाही के बाद अंततः याचिकाओं पर सुनवाई हुई

और इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 09.08.2018 निर्णय के माध्यम से निपटाया गया। चित्रा शर्मा के मामले में अंतिम निर्णय की महत्वपूर्ण विशेषताओं और विशेषताओं पर ध्यान देने से पहले, लेकिन घटनाओं के कालक्रम पर व्यवहार्य नज़र रखने के लिए, हम संकेत दे सकते हैं कि इस न्यायालय में कार्यवाही के समानांतर, एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. के साथ जारी रखा और उस प्रक्रिया में, जे. ए. एल. के दो ऋणदाताओं के जे. ए. एल. के कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त होने के दावों को खारिज करते हुए आई. आर. पी. के निर्णय को मंजूरी देते हुए जे. ए. एल. के दो ऋणदाताओं के वित्तीय लेनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार जे. आई. एल.

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निगमित देनदार जे. आई. एल. द्वारा संपार्श्विक के रूप में बनाए गए बंधक की ताकत

22.1 . चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में दिनांक 1 के अंतिम निर्णय में, इस न्यायालय ने पिछली कार्यवाही और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि जब समाधान योजनाओं पर सी. ओ. सी. द्वारा विचार किया गया और उनकी जांच की गई, तो जे. ए. एल. ने भी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें धारा 29 ए आई.

बी. सी. में निहित बाधा को देखते हुए खारिज कर दिया गया था और साथ ही जे. ए. एल. के कारण भी। सी. ओ. सी. को निर्माण के लिए धन जुटाने की अपनी क्षमता के बारे में समझाने में विफल रहा। हालाँकि, अन्य योजनाएं भी सी. ओ. सी. में आवश्यक बहुमत का समर्थन नहीं जुटा सकीं। तदनुसार, आईआरपी ने एन. सी. एल. टी. को सूचित किया कि कोई समाधान नहीं

सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए विस्तारित अवधि के भीतर भी सी. ओ. सी. द्वारा योजना को मंजूरी दी गई थी, जो 12.05.2018 पर समाप्त हो गई। इस न्यायालय ने धारा 33 आई. बी. सी. के आदेश पर ध्यान दिया, जिसके तहत समाधान योजना की अस्वीकृति के बाद परिसमापन होता है, लेकिन तब सुनवाई के दौरान पक्षों की सर्वसम्मति देखी गई कि जे. आई. एल. का परिसमापन उन घर खरीदारों के हितों को कम करने वाला नहीं था, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का योगदान देकर मूल्यवान निवेश किया था। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि परिवार के लिए एक घर को जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है और घर खरीदारों द्वारा की गई अपील पर ध्यान दिया ताकि उन्हें परिसमापन प्रक्रिया की दया पर छोड़ने के बजाय पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उस याचिका के सार की सराहना करते हुए, इस न्यायालय ने फिर भी कानून के अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता का संकेत दिया और उसके बाद, आई. बी. सी. की योजना का एक व्यापक दृष्टिकोण लेने के लिए आगे बढ़ा; और इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि हालांकि आई. बी. सी. में, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, घर खरीदारों के हितों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, लेकिन दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा लाए गए संशोधन में उनकी चिंताओं को दूर करने की मांग की गई थी, जो [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. डी. 1 पर लागू किया गया और जिसके द्वारा, घर खरीदारों को स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. के तहत वित्तीय लेनदारों के दायरे में लाया गया। इस न्यायालय ने बताया कि अब वित्तीय लेनदारों के रूप में विधिवत मान्यता प्राप्त होने के कारण, घर खरीदार अनिवार्य रूप से सी. ओ. सी. का एक हिस्सा थे, जो शर्तों के अनुसार गठित किए गए थे। धारा 21 आई. बी. सी. इस न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों पर भी ध्यान दिया सी. ओ. सी. में संबंधित वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से से संबंधित विनियमों में और किसी विशेष वर्ग में वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि का चयन।

22.2 . आगे बढ़ते हुए, इस न्यायालय ने जे. ए. एल. की ओर से की गई विभिन्न दलीलों का व्यापक रूप से उल्लेख किया, जिसमें उनके द्वारा पहले से ही पूरी की गई परियोजनाओं और निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के संदर्भ में डेवलपर्स के दृष्टिकोण को समझाने की मांग की गई थी; और इस अदालत की रजिस्ट्री में 600 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेट चेक जमा करने के उनके प्रस्ताव, अगर उन्हें कुछ संपत्तियों का निपटान करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि जे. ए. एल. ने 32

लेनदारों द्वारा स्वीकार किए गए पुनर्गठन समझौते के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. को निर्देश देने की मांग की थी। जे. ए. एल. का अनुरोध था कि 600 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेट चेक जमा करने के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही पर रोक जारी रखी जाए और इस अदालत के निर्देशों पर भी रोक लगाई जाए, जिसके तहत आई. आर. पी. को निगमित देनदार के प्रबंधन में बने रहने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने जे. ए. एल. के प्रस्तावों को निम्नानुसार दर्ज किया: -

इसके 600 करोड़ रुपये के पोस्टडेटेड चेक जमा करने के खिलाफ कार्यवाही। जे. ए. एल. ने इस अदालत के निर्देश पर भी रोक लगाने की मांग की है। आई. आर. पी. प्रबंधन में बनी रहेगी। "

' ए. आर. 'संक्षेप में।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

22.2. 1 . सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया

जे. ए. एल. की ओर से यह बताते हुए प्रस्तुत किया गया कि जे. ए. एल. की ओर से ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से आई. बी. सी. के अनुशासन के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। इस संबंध में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 29ए में निहित प्रावधानों और उस पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जिसमें कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों को समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य बनाया गया था। 35 यह न्यायालय,

अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में देखा और समझाया: -

" 39. धारा 29-ए के खंड (सी) और (जी) एक बाधा के रूप में काम करेंगे।

समाधान प्रक्रिया में भाग लेने वाले जे. ए. एल./जे. आई. एल. के प्रवर्तकों को। खंड (ग) के तहत, एक व्यक्ति जिसके पास समाधान योजना जमा करने के समय एक खाता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक या वित्तीय नियामक के दिशानिर्देशों के तहत एक गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह एक निर्धारित अवधि के लिए भागीदारी पर प्रतिबंध के अधीन है। खंड (छ) के तहत, एक व्यक्ति जो एक प्रवर्तक रहा है या एक कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में है जिसमें एक अधिमानी

लेन-देन, कम मूल्य वाला लेन-देन, जबरन वसूली क्रेडिट

लेन-देन या धोखाधड़ी का लेन-देन हुआ है और जिसके संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है। आई . बी. सी.

के तहत भाग लेने से प्रतिबंधित है। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 29-ए को व्यापक लोक हित में और प्रभावी निगमित शासन की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया है।

संसद ने अधिनियम में एक खामी को सुधार दिया जिसने सी. आई. आर. पी. में पूर्ववर्ती प्रबंधनों को पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति दी। धारा 30 आई. बी. सी., जैसा कि संशोधित किया गया है, यह भी स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति की समाधान योजना जो

धारा 29-ए के तहत अयोग्य पर सी. ओ. सी. द्वारा विचार नहीं किया जाएगाः

22.3 . उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय ने प्रस्ताव के विरोध में घर खरीदारों की ओर से आग्रह किए गए विभिन्न आधारों पर भी ध्यान दिया इस प्रकार प्रस्तुत किया गया और मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद, इस न्यायालय को विश्वास हो गया कि जे. ए. एल./जे. आई. एल. में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता और संसाधनों की कमी थी; और उन्हें अनुमति दी गई

35 हम यह इंगित कर सकते हैं कि 23.11.2017 पर घोषित दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के माध्यम से कुछ अन्य संशोधनों के साथ संहिता में धारा 29ए को जोड़ा गया था। अध्यादेश ने अपनी प्रस्तावना में कहा कि इसे इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान करना आवश्यक समझा गया था, जो अपनी पूर्ववृत्तियों के कारण संहिता के तहत प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस अध्यादेश ने बाद में दिवाला और दिवालियापन संहिता का रूप ले लिया

(संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का संख्या 8) जो 23.11.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ।

समाधान की प्रक्रिया में भाग लेने से वैधानिक प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे।

22.3. 1 . इसमें शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हम घर खरीदारों की ओर से इस प्रकार आग्रह किए गए आधारों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित हैं और

इस न्यायालय द्वारा उनकी उचित स्वीकृति इस प्रकार हैः -

" 40. घर खरीदारों की ओर से श्री आनंद ग्रोवर ने जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध किया है।

आधारः

40.1 . जे. ए. एल. को दिए गए ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो जे. ए. एल. को समाधान आवेदक/नए के रूप में अयोग्य बनाता है।

40.2 . धारा 29-ए (बी) के अलावा, जे. ए. एल. को धारा 29-ए (जी) आई. बी. सी. के तहत भी अयोग्य ठहराया गया है। धारा 29-ए (जी) में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो धोखाधड़ी वाले लेन-देन में लगा हुआ है, उसे किसी अन्य कंपनी के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर से इसमें शामिल हो सकता है।

धोखाधड़ी वाले लेनदेन। मई 2018 में, एन. सी. एल. टी., इलाहाबाद ने लगभग 750 के बंधक से जुड़े एक धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अलग कर दिया।

जे. आई. एल. की एकड़ भूमि जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में। यह बंधक बिना किसी विचार के था और 750 एकड़ भूमि की कीमत 5000 करोड़ रुपये हो सकती है। मामला अब एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष है।

जिसने इस संबंध में विशेष रूप से एक मुद्दा तैयार किया है;

40.3 . आर. बी. आई. पहले से ही इस अदालत के समक्ष पहल की मांग कर रहा है

40.4 . जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा आवास परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी विफलता का बहाना बनाने के लिए अनुरोध किए गए कारण जैसे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया है क्योंकि कोई रोक नहीं थी। ऐसा ही एक आदेश एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा 2-5 2016 को डेवलपर्स टाउनशिप प्रॉपर्टी ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम में पारित किया गया था। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ;
40.5 . जे. ए. एल. का तर्क कि उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा

एन. जी. टी. द्वारा लगाए गए कथित स्थगन का कारण स्पष्ट रूप से जे. जे. पी. केन्सिंगटन बॉउलेवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर है।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

गलत क्योंकि एनजीटी द्वारा रोक केवल कब्जा सौंपने पर थी

40.6 . आई. डी. 1 से सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान, निर्माण कार्य आई. आर. पी. के तत्वावधान में किया गया था, जिसके तहत जे. ए. एल. केवल एक ठेकेदार था। 40.7 . जे. ए. एल. का दावा कि फ्लैट वितरित किए गए हैं, एक खंडित दावा है क्योंकि फ्लैट अपूर्ण चरणों में वितरित किए गए हैं।

और आवंटन पत्रों के अनुरूप नहीं हैं। फर्श पूरा नहीं हुआ है, दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं

और कब्जे का प्रस्ताव व्यवसाय प्रमाण पत्र के बिना किया जा रहा है;

40.8 . जे. ए. एल. के पास फ्लैट देने की क्षमता नहीं है और जे. ए. एल. और जे. आई. एल. की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में चार साल से अधिक की देरी के कारण 22,000 घर खरीदार पीड़ित हैं। 40.9 . अनुबंधों के तहत, जे. ए. एल. और जे. आई. एल. फ्लैटों को वितरित करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं। अगर जे. ए. एल. फ्लैटों की डिलीवरी को लेकर गंभीर होता तो वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं होती।

उभरा। इसके अलावा, जे. ए. एल. जे. आई. एल. की दिवालिया प्रक्रिया से बचता और घर खरीदारों को दिवालिया होने की अनिश्चितताओं में नहीं डालता।

40.10 . जे. ए. एल. की साख के बारे में गंभीर संदेह हैं जिसने जे. आई. एल. से धन को अपने अन्य व्यवसायों की ओर मोड़ दिया है। आवेदक संघों ने जे. आई. एल. की वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए ए. एस. ए. वित्तीय सेवाओं को नियुक्त किया था और लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया होगा।

40.11 . जे. ए. एल. गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है: 40.11. 1 . जे. ए. एल. ने अभी तक इस अदालत के उस आदेश का सम्मान नहीं किया है जिसमें उसे घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए 2000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। जे. ए. एल. ने लगभग 10 महीने [2021] 12 एस. सी. आर. की समाप्ति के बाद 2000 करोड़ रुपये में से केवल 750 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

40.11. 4 .

40.11. 5 .

4000

41.

42.

(

22.4 .

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बाध्य तरीके से, विकासकर्ताओं के रूप में उनकी भूमिका को कम नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अदालत द्वारा विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए जो चल रही परियोजनाओं को जारी रखने के लिए जे. ए. एल./जे. आई. एल. की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि केवल 8 प्रतिशत घर खरीदारों ने धनवापसी का विकल्प चुना था, जबकि 92 प्रतिशत ने धनवापसी का दावा नहीं करने का विकल्प चुना था, जिससे जे. आई. एल./जे. ए. एल. की परियोजना को पूरा करने की क्षमता में विश्वास का संकेत मिलता है। हालांकि, दूसरी ओर, घर खरीदारों ने समान रूप से इस तरह की प्रस्तुतियों का विरोध किया और अदालत के समक्ष यह आग्रह किया गया कि उन्हें जे. आई. एल. या जे. ए. एल. की क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है।

बकाया परियोजनाओं को पूरा करें। तीसरे आयाम में, आई. आर. पी. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायालय सी. आई. आर. पी. का विस्तार करके उसे पुनर्जीवित कर सकता है।

आई. बी. सी. में निर्दिष्ट समय एक प्रस्ताव की संभावना पर नए सिरे से विचार करने में सक्षम बनाने के लिए जो संशोधित आई. बी. सी. के तहत घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखेगा और दूसरा विकल्प एक प्रस्ताव की संभावना का पता लगाने के लिए अदालत की देखरेख में एक समिति नियुक्त करना होगा जो परिसमापन की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। विविध प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, की आवश्यकता संहिता के अनुशासन को संतुलित करने, पूर्ण न्याय करने और सभी संबंधित लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, इस न्यायालय ने इस सुझाव को स्वीकार करना उचित और उचित पाया कि सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित किया जाए और सी. ओ. सी. का पुनर्गठन किया जाए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का सहारा लेते हुए आई. बी. सी. के संशोधित प्रावधानों के अनुसार। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित किया:

" 47. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए, मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करने की आवश्यकता है।

47.1 . सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत एन. सी. एल. टी. के कार्यवाही को स्वीकार करने के आदेश के बाद 9-8-2017 पर की गई थी। सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए 180 दिनों की अवधि 6-2-2018 पर समाप्त हो गई और विस्तारित अवधि 12-5-2018 पर समाप्त हो गई। जब सी. आई. आर. पी. शुरू किया गया था और 270 दिनों की अवधि समाप्त होने तक, घर खरीदारों को आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत वित्तीय लेनदारों का दर्जा नहीं था। सी. ओ. सी. में उनके पास कोई वैधानिक मतदान अधिकार नहीं था। इस न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के तहत, सी. ओ. सी. पर घर खरीदारों के एक प्रतिनिधि को नियुक्त करके एक व्यावहारिक व्यवस्था करने की मांग की गई थी ताकि उनके हितों को विधिवत ध्यान में रखा जा सके। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि पद की वैधानिक मान्यता के अभाव में
घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में, कानून वास्तविक [2021] 12 एस. सी. आर. की अनुमति नहीं देता था।

और सी. ओ. सी. में उन्हें मूल अधिकार। ये वैधानिक

अचल संपत्ति परियोजना में घर खरीदारों के महत्वपूर्ण हितों को पहचानने और दिवालिया समाधान प्रक्रिया में उन्हें वैधानिक दर्जा देने के लिए अध्यादेश द्वारा अधिकार लाए गए हैं। दुर्भाग्य से जब तक अध्यादेश 6-6-2018 पर अस्तित्व में आया, तब तक 270 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी थी; लक्षदीप की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था और आई. आर. पी.

एन. सी. एल. टी. को सूचित किया गया कि 12-5-2018 पर 270 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर किसी भी समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। 47.2 . आई. बी. सी. के संशोधन द्वारा लाए गए भौतिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए

अध्यादेश और यह तथ्य कि यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही में रहा है कि घर खरीदार हैं

संरक्षित, हमारा विचार है कि यह उचित है और सभी के हितों को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण न्याय करना है

इस बात से चिंतित कि सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और संशोधित प्रावधानों के अनुसार सी. ओ. सी. का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

घर खरीदार। वर्तमान मामले के तथ्यों में, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का सहारा लेना आवश्यक होगा। संसद ने निस्संदेह प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की अवधि और 90 दिनों की विस्तारित अवधि प्रदान की है। लेकिन वर्तमान मामले में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके परिणामस्वरूप

47.3 . आई. आर. पी. के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. ओ. सी. में जिसे संशोधित आई. बी. सी. के तहत पुनर्गठित किया जाएगा, घर खरीदारों के पास पर्याप्त मतदान शक्ति होगी ताकि वे अपने हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकें। इसके अलावा, इस न्यायालय को आई. बी. सी. के अनुशासन का पालन करना चाहिए जिसे संसद द्वारा विशेष रूप से निगमित दिवालियापन के समाधान को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। निगमित दिवालियापन से जुड़े मामलों की आवश्यकता

विशेषज्ञ का दृढ़ संकल्प। विधायिका ने विशिष्ट प्रावधान किए हैं जिनकी परिकल्पना जनहित में और अच्छे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। निगमित शासन। न्यायालय को समाधान प्रक्रिया की जटिलताओं की निगरानी का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। न्यायालय के श्री नरीमन (और श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित दो विकल्पों में से एक) के सुझाव को स्वीकार करते हुए जे. जे. पी. केंसिंगटन बोलवार्ड की नियुक्ति करने वाले पक्षों का स्वागत है।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. बी. सी. के बाहर समाधान प्रक्रिया की निगरानी करने वाली समिति न्यायालय को वित्तीय विशेषज्ञता के जटिल मामलों के मूल्यांकन के एक अपरिहार्य बोझ में शामिल करेगी, जिस पर संसद ने विशिष्ट तंत्र बनाने के लिए कानून बनाया है।

47.4 . हमारा दृढ़तापूर्वक यह विचार है कि न्यायालय के लिए सी. आई. आर. पी. की देखरेख के लिए एक समिति नियुक्त करना और सी. आई. आर. पी. के कार्य की निगरानी का कार्य संभालना उचित नहीं होगा। समिति। हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि आई. बी. सी. में निर्धारित किए गए तंत्र को न्यायिक तंत्र के साथ प्रतिस्थापित करके उनका स्थान न लिया जाए।

दिशा निर्देश। हमारे विचार में इस तरह की कार्रवाई कानून के शासन के तहत अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी। इसलिए, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग वर्तमान चरण में आई. आर. पी. की नियुक्ति के चरण से नए सिरे से समाधान प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप उस अवधि का नवीनीकरण किया जाना चाहिए जो समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। हम ऊपर ऐसा करने के कारण प्रस्तुत कर चुके हैं। उनमें से प्रमुख तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में 270 दिनों की अवधि अध्यादेश से पहले समाप्त हो गई थी।

घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करना

अस्तित्व में आया। इन परिस्थितियों में, इस आदेश की तारीख से शुरू होने वाले 180 दिनों तक कानून द्वारा निर्धारित अवधि को पुनर्जीवित करना आवश्यक होगा। इस अवधि के दौरान, आई. आर. पी. हर तरह से आई. बी. सी. के प्रावधानों का नए सिरे से पालन करेगा। संशोधित प्रावधान आई. बी. सी. के अनुसार एक नई सी. ओ. सी. का गठन किया जाना चाहिए

वित्तीय लेनदारों के रूप में आबंटियों की वैधानिक स्थिति को लागू करना। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिन तीन बोलीदाताओं की बोलियां आई. आर. पी. द्वारा योग्य पाई गई थीं, उनके अलावा आई. आर. पी. के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष पसंद के व्यापक क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने का अधिकार होगा। उस प्रक्रिया में, इन कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर भी सी. ओ. सी. द्वारा नए सिरे से विचार किया जा सकता है। हम बोली लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत बोलियों के गुण-दोष का मूल्यांकन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिन्हें मैदान में छोड़ दिया गया था, जिनमें से दो ने हस्तक्षेप किया है। सभी बोलियों को आई. बी. सी. अनुशासन का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे पास है,

जे. आई. एल. या जे. ए. एल. और पूर्व प्रवर्तकों को इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। धारा 29-ए और [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा उनकी भागीदारी स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

हम कोई भी अपवाद करने से इनकार करते हैं जो एक स्वास्थ्य लाभ का उल्लंघन करेगा।

और आई. बी. सी. में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

22.5 . इसके बाद, इस न्यायालय ने भी विचार किया

अंतरिम निर्देशों के अनुसार जमा में पड़े 750 करोड़ रुपये के आनुपातिक वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कुछ घर खरीदारों की ओर से प्रस्तुतियाँ। इस न्यायालय ने कहा कि यहाँ तक कि

जब धनवापसी चाहने वालों के दावे पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना था, तो इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका और इस प्रार्थना को अस्वीकार करने के चार प्रमुख कारण निर्दिष्ट किए गए। के संबंध में इस न्यायालय का विचार आई. एन. आर. 750 करोड़ की उक्त राशि, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए भी सीधे प्रासंगिक है, निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से निकाली जा सकती है: -

" 48. जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, 750 करोड़ रुपये की राशि है -

अंतरिम निर्देशों के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष जमा में पड़ा हुआ,

जिस पर ब्याज अर्जित हुआ है। घर खरीदारों ने ईमानदारी से प्रो रेटा को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने की मांग की

इस राशि का उन घर खरीदारों को संवितरण जो घर खरीदना चाहते हैं

एक रिफंड। हम इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हैं कि

जो घर खरीदार धन की वापसी की मांग करते हैं, वे पात्र हैं

सहानुभूति के साथ विचार करें। फिर भी, हमारी चिंता को देखते हुए याचिका और संतुलन पर विचार करते हुए, हम इच्छुक नहीं हैं

एक से अधिक कारणों से इसे स्वीकार करना।

48.1 . सबसे पहले, सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान, यह एक मामले के रूप में होगा।

कानून के अनुसार, न्यायालय के लिए एक अधिमानी निर्देश देने की अनुमति नहीं है

वित्तीय लेनदारों के एक विशेष वर्ग को भुगतान किया जा रहा है,

चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। वर्तमान के लिए, हम खुला छोड़ देते हैं

सवाल यह है कि क्या घर खरीदार असुरक्षित लेनदार हैं

(जैसा कि श्री त्रिपाठी द्वारा आग्रह किया गया था) या सुरक्षित लेनदारों (जैसा कि आग्रह किया गया था)

उनकी ओर से पेश वकील द्वारा)। वितरण का निर्देश

घर खरीदारों को 750 करोड़ रुपये की राशि वापसी स्पष्ट रूप से अनुचित होगी और अन्याय का कारण बनेगी

सुरक्षित लेनदार क्योंकि यह एक अधिमानी राशि होगी

निष्कर्ष को सुगम बनाने के लिए वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए समाधान प्रक्रिया।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

48.2 . दूसरा, वे आंकड़े जो न्यायमित्र द्वारा वेब पोर्टल खोले जाने के बाद वर्तमान में उपलब्ध कराए गए हैं।

क्यूरी, इंगित करते हैं कि 8 प्रतिशत घर खरीदारों ने अपने धन की वापसी की मांग की है, जबकि 92 प्रतिशत स्पष्ट रूप से घर पर कब्जा करना पसंद करेंगे।

जिन घरों को उन्होंने खरीदा है। हम 92 प्रतिशत घर खरीदारों के हितों की परवाह नहीं कर सकते, जिनमें से कई ने घर सुरक्षित करने के लिए ऋण भी लिया होगा। वे. यदि 750 करोड़ रुपये (अर्जित ब्याज के साथ) का कोष घर खरीदारों को वितरित किया जाता है जो धनवापसी चाहते हैं तो इसकी वैध शिकायत होगी। समाधान योजना के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए आई. बी. सी. द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है। वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग को धनवापसी की अनुमति देना किसी के समग्र हित में नहीं होगा।

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत समग्र योजना तैयार की जा रही है।

48.3 . तीसरा, सुनवाई के दौरान, न्यायालय को सुरक्षित लेनदारों की चिंताओं से अवगत कराया गया है, जिनमें से प्रमुख आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है। इस न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों में, आई. डी. बी. आई. बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि आई. बी. सी. के अधिनियमन का एक प्रमुख कारण ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण को जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए सुरक्षित किया गया है। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सार्वजनिक जमाओं में उत्पन्न होता है, जो अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं।

48.4 . चौथा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए इस अदालत का रुख किया है। संसद ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में धारा 35-एए और धारा 35-एबी को शामिल करके बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2017 लागू किया। यह संशोधन केंद्र सरकार को किसी भी बैंकिंग कंपनी को एक पहल शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत करने का अधिकार देता है।

आई. बी. सी. के तहत समझे गए डिफ़ॉल्ट के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया। ऐसा आदेश केंद्र द्वारा जारी किया गया था

5-5-2017 पर सरकार। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक सलाहकार समिति (आई. ए. सी.) का गठन किया जिसमें मुख्य रूप से इसके स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। आई. ए. सी. ने उन खातों को विचार के लिए लिया जिन्हें 31-3-2017 पर बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 500 जोखिमों में से आंशिक या पूरी तरह से गैर-निष्पादित वर्गीकृत किया गया था।

पहले कदम के रूप में,

आई. ए. सी. ने ऐसे सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों की सिफारिश की

करोड़। आई. ए. सी. ने शुरू में इसमें शामिल बारह खातों को लिया है। कुल एक्सपोजर 1,79,769 करोड़ रुपये। जे. आई. एल. बारह में से एक था।

जिन खातों के संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं

दिवाला समाधान शुरू करने के लिए। इसके बाद आई. ए. सी. उन खातों के संबंध में जहां 60 प्रतिशत या

अधिक को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था 30-6-2017 पर, बैंक कर सकते हैं

छह महीने के भीतर एक व्यवहार्य समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया जाए

ऐसा न करने पर खातों को एक संदर्भ के लिए निर्देशित किया जा सकता है

समाधान योजना मिल सकती है जिसके परिणामस्वरूप यह भी आवश्यक है सी. आई. आर. पी. के लिए संदर्भित किया जाना। आर. बी. आई. ने इस अभ्यास को इस रूप में किया है -

प्रमुख बैंकिंग के रूप में अपनी क्षमता में आर्थिक नीति का मामला देश में संस्था, जिसे पर्यवेक्षी भूमिका सौंपी गई है, और

बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति।

" "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

22.6 . ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने इस पर किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए और उसके बाद

निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस मामले पर निष्कर्ष निकालने का आदेश दिया गया: -

" 50. तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

50.1 . अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए

142 संविधान के अनुसार, हम निर्देश देते हैं कि 180 की प्रारंभिक अवधि

जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए दिन इस आदेश की तारीख से शुरू करें। अगर ऐसा हो जाए तो

90 दिनों के और विस्तार के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक, हम

एन. सी. एल. टी. को उसके अनुसार उचित आदेश पारित करने की अनुमति दें।

आईबीसी के प्रावधानों के साथ;

50.2 . हम निर्देश देते हैं कि नए सिरे से एक सी. ओ. सी. का गठन किया जाएगा।

दिवालियापन (संशोधन) अध्यादेश, 2018, अधिक विशेष रूप से अभिव्यक्ति की संशोधित परिभाषा

" वित्तीय लेनदारों "; 50.3 . हम आई. आर. पी. को नए भाव आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं।

आवेदकों द्वारा समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए ब्याज,

तीन शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं के अलावा जिनकी बोलियां या मामला हो सकता है, संशोधित बोलियों पर भी विचार किया जा सकता है; जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड का स्वागत है

50.4 . जे. आई. एल./जे. ए. एल. और उनके प्रवर्तक भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे।

सी. आई. आर. पी. में धारा 29-ए के प्रावधानों के आधार पर; 50.5 . आर. बी. आई. को इस न्यायालय में अपने आवेदन के संदर्भ में अनुमति दी गई है

बैंकों को निगमित दिवाला समाधान शुरू करने का निर्देश दें

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ कार्यवाही;

50.6 . 750 करोड़ रुपये की राशि जो जमा की गई है।

जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा इस न्यायालय में ब्याज के साथ

निवेशित रहते हैं और ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे जो हो सके एनसीएलटी द्वारा जारी किया जाए।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

23. इस प्रकार, हितधारकों की ओर से चिंता का त्रयी

निगमित देनदार जे. आई. एल. के परिसमापन से बचना; घर खरीदारों की विधायिका द्वारा वित्तीय लेनदारों के रूप में उचित मान्यता; और कानून के अनुशासन को बनाए रखते हुए इस कारण में पूर्ण न्याय करने के लिए इस न्यायालय की चिंता, चित्रा शर्मा में सुधार का कारण बनी, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में ध्यान देने योग्य है, निगमित देनदार जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. का पुनरुद्धार और संहिता द्वारा परिकल्पित और अनुमेय तरीकों के माध्यम से निगमित देनदार जे. आई. एल. की दिवालियापन का समाधान सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य के साथ सी. ओ. सी. का पुनर्गठन।

इस न्यायालय में एक और दौर और आगे का विस्तार

विचाराधीन सी. आई. आर. पी. के लिए समय।

24. हालांकि, निगम से संबंधित यह समाधान प्रक्रिया

ऋणी जे. आई. एल. फिर से खराब मौसम में आ गया, अब एक और धूसर क्षेत्र यानी ऋणदाताओं की समिति में वोटों की गिनती की विधि से निपटने के दौरान विभिन्न चरणों में समय बीतने के कारण, जिसके कारण मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हुआ। और इस न्यायालय को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में दिनांकित 06.11.2019 के निर्णय में स्थिति को बचाने के लिए फिर से अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करना पड़ा। उनकी प्रासंगिकता के लिए,

उस मामले में की गई टिप्पणियों और जारी किए गए निर्देशों को भी दोहराया जा सकता है।

25. इस सी. आई. आर. पी. से संबंधित मुकदमे का दूसरा दौर सामने आया।

निम्नलिखित परिस्थितियों में इस न्यायालय को:

25.1 . चित्रा के मामले में उपरोक्त निर्देशों का परिणाम

शर्मा ने कहा कि मामला एन. सी. एल. टी. के समक्ष न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में आगे बढ़ा। आई. आर. पी. ने सभी [2021] 12 एस. सी. आर. से दावे आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घर खरीदारों सहित जे. आई. एल. के हितधारकों ने निम्नलिखित आधार पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लेनदारों की समिति के गठन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की:

62.3 % घर खरीदार, और 0.4 % सावधि जमा धारक।

25.2 . हालाँकि, 17.09.2018 पर, घर खरीदारों के संघों में से एक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन किया गया जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया कि घर खरीदारों के मतदान प्रतिशत की गणना किस तरीके से की जाएगी। एनसीएलटी के दो सदस्य इस मुद्दे पर मतभेद व्यक्त किए गए जिसके परिणामस्वरूप, मामले को तीसरे सदस्य के समक्ष रखने के लिए एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष को संदर्भित किया गया। आखिरकार, तीसरे सदस्य द्वारा 24.05.2019 पर एक आदेश पारित किया गया। इस आदेश को घर खरीदारों के एक संघ ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी थी। इस बीच, आई. डी. बी. आई. बैंक ने सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए 270 दिनों की अवधि से संबंधित वित्तीय लेनदारों के वोटों की गिनती के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण के लिए उक्त आवेदन की लंबित अवधि को बाहर करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया। हालांकि, इस तरह के आवेदन के लंबित रहने के दौरान, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अधिकारियों, आवंटनकर्ताओं के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से संबंधित बोलीदाता से प्राप्त समाधान योजना पर विचार करने के लिए सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जवाब दाखिल करने का आह्वान किया। आई. डी. बी. आई. बैंक ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक और अपील के माध्यम से एन. सी. एल. टी. के इस आदेश पर हमला किया।

25.3 . उपरोक्त दो अपीलों पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपने दिनांक 30.07.2019 के फैसले के माध्यम से एक साथ निर्णय लिया गया था। एनसीएलएटी ने लिया इस तथ्य पर ध्यान दें कि संहिता के तहत कोई विनियमन नहीं बनाया गया था कि हजारों आबंटियों (घर खरीदारों) के मतदान हिस्से को कैसे गिना जाएगा, जब वे सभी 'वित्तीय लेनदारों' के अर्थ में आते हैं और इसलिए, सीओसी के सदस्य होते हैं। एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया कि यह एक असाधारण स्थिति थी जहां कानून चुप था और कोई दिशानिर्देश नहीं था जिसके कारण दोनों सदस्यों के बीच मतभेद हो गया और मामले का अंत में तीसरे सदस्य द्वारा निर्णय लिया गया। एन. सी. एल. ए. टी. ने राय दी कि दी गई स्थिति में, 270 दिनों की कुल

अवधि की गिनती करते समय कुछ अवधि को बाहर रखा जा सकता है। एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांक 30.07.2019 के इस फैसले में अपने जे. जे. पी. के. के. एन. एस. आई. टी. एन. बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर की प्रति की प्राप्ति की तारीख से सी. आई. आर. पी. के 270 दिनों की गिनती के उद्देश्य से 90 दिनों के बहिष्कार का प्रावधान किया है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निर्णय लें। एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी टिप्पणी की कि उपरोक्त बहिष्करणनई समाधान योजनाओं के आह्वान को सक्षम करने के लिए प्रदान किया जा रहा था, लेकिन दोहराया कि टिप्पणियों को देखते हुए जे. ए. एल. को कोई स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी और

चित्रा शर्मा (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय।

25.3. 1 . एन. सी. एल. ए. टी. की उन टिप्पणियों और निर्देशों में

इस न्यायालय के दिनांकित 06.11.2019 के निर्णय में पुनः प्रस्तुत किए गए 30.07.2019 के निर्णय को उपयोगी रूप से निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है: -

23. उपरोक्त अवधि को "समाधान पेशेवर"/"लेनदारों की समिति" को नई "समाधान योजनाओं" के लिए कॉल करने और बातचीत के बाद यदि आवश्यक हो तो सूचना और प्रसारण की धारा 30 की उप-धारा (5) के तहत उचित आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए बाहर रखा गया है। कोड अधिमानतः 45 दिनों की अवधि के भीतर। 45 दिनों की शेष अवधि किसी भी कठिनाई और उपयुक्तता को दूर करने के लिए दी जाती है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाने वाला आदेश। आबंटियों के मतदान के हिस्से को मतदान की तारीख/"विनियमन" और/पर मौजूद "आई एंड बी कोड" के संदर्भ में गिना जाना चाहिए।

या न्यायनिर्णायक के बहुमत निर्णय के अनुसार

प्राधिकरण। 24. यह स्पष्ट किया जाता है कि इससे पहले की सभी "समाधान योजनाओं" में शामिल हैं -

"ऋणदाताओं की समिति" द्वारा खारिज किए जाने के कारण "एनबीसीसी" द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह "एनबीसीसी" के लिए एक नई बेहतर "समाधान योजना" दायर करने के लिए खुला होगा। यह सूचित किया जाता है कि "अडानी इन्फ्रा (आई) लिमिटेड" ने भी फाइल करने का प्रस्ताव रखा है।

" समाधान योजना "लेकिन हम इसके संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमने सभी पात्र व्यक्तियों [2021] 12 एस. सी. आर. को अवसर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या किसी भी व्यक्ति के साथ मिलकर "रुचि की अभिव्यक्ति"/(बेहतर) "समाधान योजना" दायर करने के लिए, लेकिन जो धारा 29-ए के संदर्भ में अयोग्य हैं, उन्हें ऐसी योजना दायर करने से रोक दिया जाता है। चित्रा शर्मा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त अवलोकन और निर्णय को देखते हुए "जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड" को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

26. एन. सी. एल. ए. टी. के उपरोक्त फैसले पर इस अदालत में जे. ए. एल. और विश टाउन होमबॉयर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हमला किया गया था। ये

अपीलों ने इस न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से दो मुद्दे उठाए: एक, यह कि क्या एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के पास उस संबंध में संहिता में किसी भी स्पष्ट प्रावधान के बिना अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैधानिक अवधि से किसी भी अवधि को बाहर करने की शक्ति थी; और दूसरा, क्या यह बोली लगाने वाले को, जिसकी समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था, संशोधित योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए खुला था या ऐसी योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट वैधानिक अवधि के बाद सी. ओ. सी. द्वारा विचार करने के लिए नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने के लिए खुला था?

27. अपीलों के समर्थन में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट था कि रुख को स्वीकार करने का अपरिहार्य परिणाम

अपीलकर्ताओं द्वारा लिया गया निर्णय विवादित निर्णय को दरकिनार करना और पक्षों को ऐसी स्थिति में धकेलना होगा जहां एकमात्र विकल्प जे. आई. एल. से संबंधित परिसमापन प्रक्रिया के साथ इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि सी. आई. आर. पी. की अवधि समाप्त होने से पहले कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई थी या संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना की अस्वीकृति का मामला है। हालाँकि, दलीलों के दौरान, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के बीच पूरी सहमति (फिर से) थी कि जे. आई. एल. के परिसमापन को रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे हितधारकों, विशेष रूप से बड़ी संख्या में घर खरीदारों के हितों को अधिक नुकसान होगा। 28. दी गई परिस्थितियों में और हितधारकों द्वारा ली गई स्थिति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इसे न तो आवश्यक पाया और न ही

आग्रह किए गए मुद्दों पर विस्तार करने के लिए उपयुक्त और इसके बजाय, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का फिर से प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े।

इस मामले में पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने, निश्चित रूप से, चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में पहले से की गई टिप्पणियों के संदर्भ में संहिता के तहत पूरी प्रक्रिया को वितरण से बाहर रखने के लिए घर खरीदारों के एक वर्ग द्वारा दिए गए सुझावों को खारिज कर दिया, लेकिन इस तरह के निर्देशों के एक हिस्से को संशोधित करना उचित पाया, इस हद तक कि इस तरह के संशोधन विधायी इरादे के साथ संघर्ष में नहीं खड़े होंगे और न्याय के कारण को कम करेंगे, एक जेयपी केंसिंगटन बुलमेंट्स वेलफेयर प्रदान करके।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए खिड़की। इस न्यायालय ने संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों में लाए गए विभिन्न संशोधनों और मामले की समग्र परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया, जहां जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. को पूरा करने में देरी कानून की देरी के कारण थी और न तो घर खरीदारों और न ही अन्य वित्तीय लेनदारों को एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के लिए दोषी ठहराया जाना था। इस मामले में प्राप्त होने वाली विचित्र, बल्कि असाधारण स्थिति में, इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित करना उचित समझा कि मामले के पुनरुद्धार के लिए एक प्रयास किया गया था।

निगमित देनदार जे. आई. एल., ऐसा न हो कि परिसमापन प्रक्रिया के संपर्क में आ जाए और उस मामले के लिए आई. आर. पी. को उन दो बोलीदाताओं को समाधान योजना के अनुरोध को फिर से जारी करने की अनुमति दी जाए जिन्होंने पहले योजनाएं प्रस्तुत की थीं और उनसे संशोधित समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, जिन्हें सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 12 (3) के तीसरे प्रावधान के अनुसार दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा पर भी ध्यान दिया, जो 16.08.2019 से प्रभावी हुई। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: -

हाल के विधायी परिवर्तनों, समाधान योजना के दायरे का विस्तार किया गया है जिसमें अब निगमित देनदार के पुनर्गठन का प्रावधान शामिल हो सकता है जिसमें विलय, समामेलन और विलयन के माध्यम से और अधिक सी. ओ. सी. को न केवल समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने की शक्ति दी गई है, बल्कि प्रस्तावित वितरण का तरीका भी है, जो लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में अंत:स्थापित धारा 12-ए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सी. ओ. सी. के 90 प्रतिशत मतदान हिस्से के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत दायर आवेदन को वापस लेने की अनुमति देने में सक्षम बनाती है। इसी तरह, विनियमन 36-बी का उपखंड (7) 4-7-2018 के प्रभाव से

जोड़ा गया है, जो समाधान योजनाओं के अनुरोध से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से अभिधारणा करता है। कि समाधान पेशेवर, समिति के अनुमोदन के साथ, समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध को फिर से जारी कर सकता है, यदि पहले के अनुरोध के जवाब में प्राप्त समाधान योजनाएं संतोषजनक नहीं हैं, इस शर्त के अधीन कि अनुरोध अंतिम सूची में सभी संभावित समाधान आवेदकों को किया जाता है। वर्तमान मामले में, अंत में केवल दो बोलीदाताओं ने भाग लिया और अपना प्रस्ताव [2021] 12 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया।

योजना जिसे सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया था और जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, विनियमन 36-बी (7) के अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, हम आईआरपी को दो बोलीदाताओं (सुरक्षा रियल्टी और रियल्टी) को समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध को फिर से जारी करने की अनुमति देना उचित समझते हैं। एन. बी. सी. सी.) और/या उन्हें संशोधित समाधान योजना (ओं) प्रस्तुत करने के लिए बुलाना, जिसे फिर इसके देय के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जा सकता है।

विचार करें।

17. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी पक्षों के बीच सर्वसम्मति है, जिसमें

प्रस्ताव आवेदक कि जे. आई. एल. के परिसमापन को रोका जाना चाहिए और इसके बजाय कुछ व्यवहार्य व्यवस्था का पता लगाकर स्थिति को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए जो सभी संबंधित लोगों के हितों को कम करेगा। 18. ऊपर उल्लिखित विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि हमें निगमित देनदार (ए. आई. एल.) को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के लिए अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है और ऐसा करना चाहिए, ताकि यह आई एंड बी संहिता के भाग II के अध्याय III के तहत परिसमापन प्रक्रिया के संपर्क में न आए। हम ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि इस परियोजना को 20,000 से अधिक में से आंशिक रूप से लागू किया गया है।

घर खरीदारों, उनमें से एक बड़ी संख्या को कब्जे में ले लिया गया है और शेष काम प्रगति पर है और कुछ मामलों में पूरा होने के अग्रिम चरण में है। इस पृष्ठभूमि में यह सभी संबंधित लोगों के हित में होगा कि वे एक व्यवहार्य योजना को स्वीकार करें

19. वास्तव में, धारा 12 (3) का तीसरा प्रावधान दिवालिया समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा की भविष्यवाणी करता है, जो आ गई है। 16-8-2019 से प्रभावी। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया लंबित है और इसके भीतर पूरी नहीं हुई है।

दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि में, ऐसी समाधान प्रक्रिया दिवाला और दिवालियापन शुरू होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 "।

इस मामले को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सभी संबंधित लोगों को निर्देश जारी करना उचित, उचित और समीचीन समझते हैं कि वे जेपी केंसिंगटन बोलिवार्ड समझौते की शुरुआत की तारीख के बजाय इस आदेश की तारीख से 90 दिनों की विस्तारित अवधि पर विचार करें।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019। इसका मतलब है, इस आदेश के संदर्भ में, जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. होगा

आज से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया गया।

20. हम उस आदेश की प्रकृति के लिए संबंधित वकील की दलीलों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जिसे हम पारित करना चाहते हैं, जिसमें जे. ए. एल. के अधिकार क्षेत्र के बारे में भी शामिल है, जो हमारी राय में, जे. ए. एल. के खिलाफ पहले से ही चित्रा शर्मा में वर्णित अधिनियम की धारा 29-ए के आधार पर जवाब दिया गया है।

29. दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने पर्याप्त और पूर्ण न्याय के उद्देश्य से और हितधारकों के हित में निम्नलिखित पारित किए: -

" 21. तदनुसार, हम पक्षों के साथ पर्याप्त और पूर्ण न्याय करने के लिए और सभी पक्षों के हित में निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं।

जे. आई. एल. के हितधारक:

21.1 . हम आई. आर. पी. को आज से 90 दिनों के भीतर सी. आई. आर. पी. पूरा करने का निर्देश देते हैं। पहले 45 दिनों में, आई. आर. पी. केवल सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. से संशोधित समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए खुला रहेगा। क्रमशः, जो अंतिम बोलीदाता थे और जिन्होंने प्रस्तुत किया था

पहले के अवसर पर समाधान योजना बनाएं और बातचीत के बाद, यदि आवश्यक हो, तो संशोधित योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष रखें और ऐसे समय के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दूसरे में 21-12-2019 से शुरू होने वाले 45 दिनों के चरण में, किसी भी कठिनाई को दूर करने और उस पर उचित आदेश पारित करने के लिए सीमा प्रदान की जाती है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा।

21.2 . एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष किसी भी अन्य आवेदन की लंबितता, जिसमें कोई भी अंतरिम निर्देश भी शामिल है, आई. आर. पी. के लिए उपरोक्त दो नामित बोलीदाताओं से संशोधित समाधान योजना प्राप्त करने और उसे संसाधित करने और इस आदेश के संदर्भ में निर्धारित विस्तारित समय सीमा के भीतर आई. एंड बी. संहिता के प्रावधानों के अनुसार इसे अपने तार्किक अंत तक ले जाने में कोई बाधा नहीं होगी। 21.3 . हम निर्देश देते हैं कि आई. आर. पी. व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर किसी भी रुचि (बेहतर) समाधान योजना की अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, जो धारा 29 के संदर्भ में बहुत कम अयोग्य है।

आई एंड बी कोड का ए। 21.4 . ये निर्देश वर्तमान मामले के तथ्यों में असाधारण स्थिति में जारी किए गए हैं और इन्हें एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

21.5 . इस आदेश को मान्यता सहित दोनों अपीलों में उठाए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर देने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

निर्देश या आदेश जारी करने के लिए एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. की शक्ति आई एंड बी संहिता और उसके तहत बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट वैधानिक समयसीमा और शर्तों के अनुरूप।

30. ऊपर उद्धृत अंश इस बात की अंतर्दृष्टि देते हैं कि क्या हुआ था

सभी की चिंता और इस न्यायालय द्वारा अपनी पूर्ण शक्तियों में पारित आदेशों का उद्देश्य क्या था। यह जानना दूर की बात नहीं है कि जहां भी जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहा था, वहां भी देरी का मुख्य कारण किसी भी हितधारक को नहीं बताया गया था; और फिर, पूरे समय, इस बात पर सर्वसम्मति थी कि जे. आई. एल. के परिसमापन से बचा जाना चाहिए और एक व्यवहार्य समाधान की खोज की जानी चाहिए। दिनांक 1 के फैसले में उपरोक्त निर्देशों ने अंततः दो आवेदकों द्वारा संशोधित समाधान योजनाओं को सी. ओ. सी. के समक्ष रखा और एन. बी. सी.

सी. द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना के पक्ष में सी. ओ. सी. के मतदान का नेतृत्व किया जो मामलों के इस समूह में विवाद का मूल है।

31. मुकदमे के दूसरे दौर के संबंध में विवरण को पूरा करने के लिए, हम यह भी बता सकते हैं कि दिनांकित निर्णय के बाद

06.11.2019 , भले ही संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने और सी. ओ. सी. द्वारा विचार करने से संबंधित प्रक्रिया हुई, लेकिन समाधान योजना के अनुमोदन में प्रस्ताव की परिणति में देरी हुई। इसलिए, आई. आर. पी. ने इस न्यायालय में एक विविध आवेदन दायर किया (2020 का एम. ए. संख्या 540), जिसमें विभिन्न कठिनाइयों और अपरिहार्य परिस्थितियों की ओर इशारा किया गया था, जो देरी का कारण बनी थीं, हालांकि प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था। आई. आर. पी. द्वारा इस प्रकार दायर आवेदन में बताए गए कारणों को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने 03.02.2020 दिनांकित एक अन्य आदेश द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के लिए समय को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। इस तरह समाधान योजना की मंजूरी की प्रक्रिया विवादित आदेश में समाप्त हुई

नई दिल्ली में एन. सी. एल. टी. की प्रधान पीठ द्वारा दिनांक 1. 3 6

32. विचाराधीन समाधान योजना पर विस्तार करने से पहले, ऐसा प्रतीत होता है

निगमित देनदार जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. को सीधे प्रभावित करने वाले एक अन्य मुकदमे से संबंधित विशेषताओं का वर्णन करना उचित और उचित है। जैसा कि संकेत दिया गया है, कि मुकदमा द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में था 36 पारितिकरण में यह संकेत दिया जा सकता है कि बाद में, चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले के संबंध में कुछ विविध आवेदनों के साथ-साथ अंतर्वर्ती आवेदन भी दायर किए गए थे, जिनमें से अधिकांश का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2019 के उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए 18.12.2019 पर किया गया था। यहाँ निर्धारित करने की आवश्यकता वाले बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, उन अनुप्रयोगों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कुछ लेन-देनों को तरजीही रूप से टालने के लिए आई. आर. पी. और जे. ए. एल. के कुछ ऋणदाता संस्थानों के बंधक लेन-देन के बल पर जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के दावे के संबंध में, जिसके तहत जे. आई. एल. की संपत्ति को जे. ए. एल. के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा गया था। जे. ए. एल. के तरजीही लेन-देन और ऋणदाताओं से संबंधित इस न्यायालय में एक और मुकदमा

33. इस सी. आई. आर. पी. से संबंधित अन्य मुकदमा, जिसके परिणामस्वरूप अनुज जैन (उपरोक्त) के मामले में दिनांकित 26.02.2020 का निर्णय आया।

निम्नलिखित परिस्थितियाँ:

33.1 . जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान भी आई. आर. पी. ने एक याचिका दायर की थी।

आई. डी. 1 पर कुछ लेन-देनों से बचने के लिए आवेदन, जिसके तहत निगमित देनदार ने ऋणदाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अपनी भूमि के कई हिस्सों को गिरवी रखा था। आईआरपी

आरोप लगाया कि संहिता की धारा 43,45 और 66 के संदर्भ में विचाराधीन लेन-देन तरजीही, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी वाले थे। एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 16.05.2018 के आदेश द्वारा आई. आर. पी. द्वारा सात में से छह लेनदेन के संबंध में किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिन पर सवाल उठाए गए थे।

और यह अभिनिर्धारित किया कि उन लेन-देनों को धोखाधड़ी, तरजीही और कम मूल्यवान होने के रूप में टाला जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसे छह लेन-देनों के संबंध में, प्रतिभूति ब्याज को समाप्त करने का आदेश दिया गया था और इसमें शामिल संपत्तियों को निगमित देनदार में निहित किया गया था, जिसमें बोझ जारी किया गया था। हालाँकि, अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने मामले के बारे में पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और अपने फैसले में तारीख दी।

01.08.2019 , एन. सी. एल. टी. द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को पलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन लेन-देन तरजीही या कम मूल्यवान या धोखाधड़ी की शरारत के दायरे में नहीं आते हैं और विचाराधीन ऋणदाता (जे. ए. एल. के ऋणदाता) संहिता के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार थे। पीड़ित, आई. आर. पी. के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के लेनदारों में से एक और घर खरीदारों के संघों ने इस न्यायालय में अपीलों को प्राथमिकता दी।

33.2 . उपरोक्त के अलावा, सी. आई. आर. पी. के दौरान, जे. ए. एल. के दो ऋणदाता बैंकों ने वित्तीय श्रेणी में शामिल करने की मांग की।

जे. आई. एल. लेकिन आई. आर. पी. के लेनदार सहमत नहीं हुए और उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया। पीड़ित होने के कारण, उक्त बैंकों ने अपने [2021] 12 एस. सी. आर. का दावा करते हुए एन. सी. एल. टी. के समक्ष संहिता की धारा 60 (5) के तहत अलग-अलग आवेदनों को प्राथमिकता दी।

जे. ए. एल. को दी गई सुविधाओं के लिए जे. आई. एल. द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के कारण निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त होने का दावा। एन. सी. एल. टी. ने उक्त बैंकों द्वारा अपने दिनांकित आई. डी. 2 और आई. डी. 1 के माध्यम से दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया, जबकि यह निष्कर्ष निकाला कि निगमित देनदार जे. आई. एल. द्वारा अपनी धारक कंपनी जे. ए. एल. के ऋण की संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बनाए गए बंधक के बल पर, जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जे. ए. एल. के पीड़ित ऋणदाताओं द्वारा दिनांकित 09.05.2018 और 15.05.2018 के उक्त आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों को कथित रूप से दिनांकित 01.08.2019 के विवादित आदेश में दर्ज परिणाम के अनुसार अनुमति दी गई थी। निगमित देनदार जे. आई. एल. के ऋणदाताओं में से एक ने इस अदालत में एक अपील को प्राथमिकता देते हुए कहा कि ऐसे बंधककर्ताओं को निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय ऋणदाता के रूप में नहीं लिया जा सकता है। 34. तरजीही लेन-देन से बचने और जे. ए. एल. के ऋणदाता बैंकों के दावे को मान्यता देने से संबंधित उपरोक्त दो अपीलें

जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों पर एक साथ विचार किया गया और इस न्यायालय द्वारा अनुज जैन (उपरोक्त) के मामले में दिनांकित सामान्य निर्णय के माध्यम से अनुमति दी गई।

34.1 . विचाराधीन लेन-देन के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा कि उन्हें निगम द्वारा संबंधित पक्ष की प्राथमिकता माना गया था ऋणी जे. आई. एल. को दो साल की अवधि के दौरान और संहिता की धारा 43 (4) द्वारा परिकल्पित अवधि के भीतर कवर किया गया था। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का आह्वान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

विधायिका के इरादे के साथ समन्वय में काम करता है; और इसलिए, अभिव्यक्ति "या", अभिव्यक्तियों के बीच असंगत के रूप में दिखाई देती है।

" निगमित देनदार "और" हस्तांतरणकर्ता "को" और "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; ताकि दो अभिव्यक्तियों का संयोजन हो अर्थात, "निगमित देनदार" और " हस्तांतरणकर्ता "। इस प्रावधान की व्याख्या करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि विवादित लेनदेन निगमित देनदार जे. आई. एल. के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के भीतर नहीं आते हैं और इसलिए, संहिता की धारा 43 (3) के संदर्भ में अपवादात्मक हस्तांतरण नहीं थे। तदनुसार, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" सारांश: विचाराधीन लेन-देन धारा 43 आई. बी. सी. द्वारा प्रभावित हैं।

30. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम स्पष्ट रूप से हैं

यह विचार कि विचाराधीन लेन-देन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित होते हैं और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ऐसा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है, जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड ने कहा

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

नं. 1 6 तक। एन. सी. एल. ए. टी., हमारे विचार में, एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित सुविचारित और न्यायोचित आदेश में हस्तक्षेप करना सही नहीं था। इस संबंध में "।

34.2 . जे. ए. एल. के ऋणदाताओं की स्थिति से संबंधित दूसरे प्रश्न के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा कि जब लेनदेन में संहिता की धारा 43 द्वारा प्रश्न को अधिमानी और प्रभावित पाया गया था, उन्हें उनके मूल्य और मूल्य से वंचित किया गया था; और उन में शामिल संपत्ति पर कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा बनाए गए प्रतिभूति हित।

लेन-देन पूरी तरह से समाप्त हो गया था और इसलिए, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में कॉर्पोरेट ऋणदाता जे. आई. एल. के ऋणदाताओं के रूप में किसी भी स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि

जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं की स्थिति की जांच इस निष्कर्ष से स्वतंत्र रूप से की गई थी कि विचाराधीन लेनदेन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित हुए थे, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथः -

" 34.4 . हम, निश्चित रूप से, दोहरा सकते हैं कि इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि हम मुख्य मुद्दे के संबंध में पहुंचे हैं,

कोड की धारा 44 के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश के बल के अनुसार, विचाराधीन लेनदेन को उनके मूल्य और मूल्य से वंचित किया जाता है, जिसे हमारे द्वारा अनुमोदित किया गया है। सबसे विशिष्ट रूप से, निगमित देनदार जे. आई. एल. द्वारा विचाराधीन संपत्तियों पर बनाए गए सुरक्षा हितों का पूरी तरह से निर्वहन किया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी ऋणदाता कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के लेनदार के रूप में किसी भी स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं और उनके वित्तीय लेनदार के रूप में माने जाने का कोई दावा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। हालाँकि, इसकी प्रासंगिकता के लिए, हम इस मुद्दे को निर्धारित करना उचित समझते हैं कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को, विचाराधीन बंधक बनाने के कारण, जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जा सकता है, इस निष्कर्ष से स्वतंत्र कि विचाराधीन लेनदेन धारा 43 द्वारा प्रभावित हैं।

कोड "।

34.3 . इसके बाद, इस न्यायालय ने जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं की स्थिति से संबंधित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया और कहा कि वे,

विचाराधीन बंधक, सुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन इस कारण से कि कॉर्पोरेट देनदार पर उनका कोई वित्तीय ऋण नहीं था, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता वित्तीय श्रेणी में नहीं आ रहे थे।

निगमित देनदार जे. आई. एल. के लेनदार। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर निष्कर्ष का सारांश निम्नलिखित शब्दों में दिया:

विचाराधीन, सुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन ऐसे बंधक न तो किसी ऋण, सुविधा या अग्रिम के लिए हैं निगमित देनदार और न ही निगमित देनदार की किसी सुविधा या प्रतिभूति की रक्षा के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निगमित देनदार पर धारा के अर्थ में कोई "वित्तीय ऋण" बकाया है।

5 (8) संहिता; और इसलिए, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. के "वित्तीय ऋणदाताओं" की श्रेणी में नहीं आते हैं। "

35. यह ध्यान देने योग्य होगा कि भूमि निर्माण के अंश

सात प्रश्नगत लेन-देनों का विषय लगभग 858 एकड़ था और 100 एकड़ भूमि को सातवें लेन-देन का विषय बनाते हुए, जिसे तरजीही घोषित नहीं किया गया था, 758 एकड़ भूमि का एक हिस्सा, जो पहले जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में बंधक के कारण बोझ उठाती थी, इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के साथ जारी किया गया और जे. आई. एल. में निहित था।

अड़चनें। इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत समाधान योजना पर सी. ओ. सी. द्वारा मतदान करने के बाद, लेकिन एन. सी. एल. टी. दिनांक 03.03.2020 के विवादित आदेश से पहले 26.02.2020 पर निर्णय दिया गया था।

36. पूर्ववर्ती मुकदमों के संबंध में पूर्वगामी विवरण अनिवार्य रूप से इस न्यायालय के निर्णयों की उन विशेषताओं को चिह्नित करने और उन पर जोर देने के लिए किया गया है जो उनकी अपनी प्रासंगिकता, असर और निहितार्थ रखते हैं।

वर्तमान मामलों के समूह में शामिल मुद्दों पर।

37. इस कथन को जारी रखते हुए, अब हम विवादित समाधान योजना को अपना सकते हैं, जिसे प्रस्ताव आवेदक एनबीसीसी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सीओसी द्वारा 97.36% के भारी बहुमत के साथ मतदान किया गया था।

समाधान योजना

और उस मामले के लिए, यह प्रावधान किया गया था कि पहले 45 दिनों में, आई. आर. पी. केवल दोनों में से संशोधित समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने के लिए खुला होगा। सुरक्षा रियल्टी और

एन. बी. सी. सी. नामक आवेदक, जो अंतिम बोलीदाता थे और जिन्होंने पहले के अवसर पर समाधान योजना प्रस्तुत की थी, और संशोधित योजना (योजनाओं) को सी. ओ. सी. के समक्ष रखने के लिए।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

38.1 . हमारे सामने बताए गए तथ्यों से यह पता चलता है कि संशोधित समाधान योजनाएं उक्त आवेदकों से मंगाई गई थीं और

07.12.2019 पर आयोजित सी. ओ. सी. की 16वीं बैठक में विचार के लिए रखा गया। समाधान योजनाओं पर विचार करने के बाद, सी. ओ. सी. के सदस्यों ने समाधान आवेदकों से अपने प्रस्तावों में सुधार करने का अनुरोध किया और इसके बाद, दोनों प्रस्ताव आवेदक अपने संशोधित प्रस्तावों में परिशिष्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए। समाधान योजनाएं। तदनुसार, सुरक्षा रियल्टी ने 07.12.2019 पर समाधान योजना के लिए एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया और एनबीसीसी ने 08.12.2019 पर समाधान योजना के लिए अपना परिशिष्ट प्रस्तुत किया। फिर, आई. आर. पी. से 08.12.2019 दिनांकित प्रमाण पत्र के साथ कि सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाएं सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 39 (2) के साथ पठित संहिता की धारा 30 (3) के तहत पूरी तरह से अनुपालन कर रही थीं, संबंधित परिशिष्टों के साथ योजनाओं को 10.12.2019 के सुबह 9 बजे से 16.12.2019 के दोपहर 11.59 तक ई-मतदान के लिए रखा गया।

38.2 . सी. ओ. सी. द्वारा मतदान में, परिशिष्ट के साथ एन. बी. सी. सी. द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को मतदान हिस्सेदारी के 97.36% के वोट से मंजूरी दी गई।

वित्तीय लेनदारों के पक्ष में। दूसरी ओर, सुरक्षा रियल्टी द्वारा प्रस्तुत योजना वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का केवल 2.12% वोट ही जुटा सकी। मतदान के परिणाम आई. आर. पी. द्वारा सी. ओ. सी. के सदस्यों को 17.12.2019 पर प्रसारित किए गए थे और सी. ओ. सी. के निर्देश पर आई. आर. पी. ने 17.12.2019 पर आशय पत्र जारी किया, जिसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया।

एन. बी. सी. सी.

38.3 . इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.11.2019 के आदेश के अनुपालन में, आई. आर. पी. ने सी. पी. में 2020 की सी. ए. संख्या 5 वाला आवेदन दायर किया।

नई दिल्ली ने कार्यवाही को अपने पास स्थानांतरित कर लिया और इस तरह इस न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी., नई दिल्ली) द्वारा दिनांकित 03.03.2020 का विवादित आदेश पारित किया गया। 39. अपनी प्रकृति के कारण और संहिता के साथ-साथ सी. आई. आर. पी. विनियमों में निहित प्रावधानों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, विचाराधीन समाधान

योजना एक विशाल दस्तावेज है जिसमें व्यावसायिक योजनाएं, लेनदारों के साथ व्यवहार, इक्विटी सहित वित्तीय प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रतिबद्धता, अनुमानित कदम और अपेक्षित राहत और रियायतें। हम.

संबंधित विशिष्ट मुद्दे से निपटने के दौरान प्रासंगिक स्तर पर इस योजना में विशेष शर्तों का उल्लेख करेगा। हालाँकि, समाधान योजना का अवलोकन इसकी अवधारणा [2021] 12 एस. सी. आर. पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और प्रमुख विशेषताएँ। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं आई. आर. पी. द्वारा हमारे सामने रखी गई समाधान योजना का सारांश। इस सारांश को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (1) दावे और उनका उपचार; (2) योजना का कार्यान्वयन; (3) एनबीसीसी द्वारा मांगी गई प्रमुख राहत; (4) परियोजना की स्थिति; और (5) अनुलग्नक 1, जो कार्यान्वयन का एक हिस्सा है।

प्रक्रिया।

39.1 . दावों का सारांश और उनके उपचार के तहत

समाधान योजना इस प्रकार है: -

एस. स्वीकार किए गए लेनदार का प्रकार जेड नं.

दावा (एनबीसीसी समाधान योजना के तहत आईएनआर उपचार)

करोड़)

बैंक/वित्तीय 9,783

1 .

1526 एकड़ के स्वामित्व का हस्तांतरण

संस्थाएं

जे. आई. एल. के विभिन्न भूखंड।

एनबीसीसी ने

भारतीय रुपया में 1526 एकड़ का

अनुमानित मूल्य

5,001 क्र.

● यमुना के स्वामित्व का 100% हस्तांतरण

यमुना एक्सप्रेस-वे को बंद किया

जाएगा

एस. पी. वी. में।

एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. 2,200 करोड़ रुपये का नया ऋण उठाएगा और एक्सप्रेसवे के हस्तांतरण के लिए विचार के हिस्से के रूप में जे. आई. एल. को इसका भुगतान करेगा। इस धन का उपयोग एनबीसीसी द्वारा इकाइयों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

वास्तविक 9,588 के आवंटनकर्ता

आबंटियों को तदनुसार पूर्ण इकाइयाँ

मिलेंगी

2 .

(प्रधानाचार्य

एस्टेट

अनुसूची ए, जो 9 महीने तक होती है

राशि)

एनबीसीसी।

अतीत के लिए कोई विलंब दंड नहीं दिया जाएगा

इकाइयों के निर्माण में देरी और

एनबीसीसी द्वारा वितरित। एनबीसीसी भुगतान करेगा।

विलंबित जुर्माना 5 रुपये प्रति वर्ग

किलोमीटर की दर से। फीट। /प्रति

डिलीवरी की तारीख से 1 वर्ष से अधिक

अनुसूची ए में बल के अधीन उल्लेख किया गया है

मैजेयूर घटना।

- जिन आबंटियों ने अपने दावे दायर नहीं

किए हैं

दूसरे के समान व्यवहार किया जाता है

आबंटित किए जाएंगे और इकाइयाँ प्रदान की जाएंगी,

के लिए प्रथागत जाँच के अधीन

ग्राहकों के अनुपालन और केवाईसी।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सावधि जमा 29

3 .

100 % एफ. डी. धारकों का अग्रिम

भुगतान '

धारकों

ध्यान दें: एफ डी

(केवल एफ. डी. धारकों के ऐसे दावे जो हैं

के धारक

स्वीकृत वित्तीय का हिस्सा बनाना

लगभग। 90

ऋण) 29 रुपये की राशि का मूल बकाया

करोड़ ने नहीं किया

मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर

करोड़।

फाइल दावे।

अन्य एफ. डी. धारकों के लिए देयता

(लगभग। आईएनआर

90 करोड़) जिन्होंने अपना दाखिल नहीं किया है

संबंधित दावों को त्याग दिया जाएगा।

धनवापसी चाहने वाले

64

4 .

धनवापसी का पूरा स्वीकृत दावा

और (प्राचार्य)

चाहने वालों को भुगतान करके निपटाया

जाएगा

(आबंटियाँ

राशि)

ग्राहक)

आई. एन. आर. 62.40 करोड़ से अधिक

राशि नहीं

जिसका 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान

किया जाएगा और

शेष राशि का समान भुगतान किया जाएगा।

4 वर्ष की अवधि में अर्थात प्रत्येक वर्ष 20

प्रतिशत

जिसके तहत प्रावधान किया गया है

समाधान योजना।

ऑपरेशनल

5 .

464

कुल परिचालन ऋण 464 करोड़ है।

लेनदार

आई. एन. आर. के भुगतान से निपटाने का प्रस्ताव

20 क्र. इसमें यमुना का दावा भी शामिल है।

एक्सप्रेसवे

औद्योगिक विकास

विकास की दिशा में प्राधिकरण (वाई. ई. आई. डी. ए)

शुल्क आदि।

लगभग के लिए YEIDA का दावा। 6000 रुपये

तब से आई. आर. पी. द्वारा करोड़ रुपये स्वीकार नहीं किए गए हैं।

ये भविष्य के दायित्वों से संबंधित हैं

टोल सड़क का रखरखाव (जो नहीं है)

देय हो जाता है) और संबंधित उप-न्यायिक मामले

किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देना।

कर्मचारी /

6 .

नो क्लेम के कर्मचारी

अब तक सभी देय राशि का भुगतान किया जा चुका है।

निगमित कर्जदार

असहमति जताते हुए

7 .

इक्विटी में आनुपातिक हिस्सेदारी

वित्तीय

612

यमुना एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. और लैंड पार्सल

लेनदार (अन्य)

परिसमापन मूल्य पर 1526 एकड़।

आवंटित लोगों की तुलना में)

समता

8 .

एनबीसीसी जे. आई. एल. का 100% शेयरधारक बनेगा।

शेयरधारक

1,388

रु. 1 मौजूदा शेयरधारकों के लिए करोड़ रुपये

विचार करें। इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग

जे. आई. एल.

जेपी हेल्थकेयर

9 .

जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) 100% है।

सीमित

निगमित देनदार की सहायक कंपनी।

एनबीसीसी

(सहायक

की पूरी हिस्सेदारी के विनिवेश का प्रस्ताव

ना.

कंपनी)

जे. एच. एल. या किसी न्यास को इस उद्देश्य के लिए हस्तांतरण बिक्री।

जे. एच. एल. के ऋणदाता इसके हकदार नहीं होंगे -

परिसंपत्तियों से निपटें या प्रतिकूल हस्तक्षेप करें
निरंतर व्यावसायिक संचालन के साथ

जेएचएल किसी भी तरह से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39.2 . कार्यान्वयन प्रक्रिया के सारांश में, एक के माध्यम से

फ्लो चार्ट, विभिन्न कदमों का संकेत दिया गया है जिनमें विभिन्न एस. पी. वी. का गठन; यमुना एक्सप्रेसवे के प्रतिभूतिकरण द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपये के नए ऋण जुटाना; इक्विटी शेयरों और ऋण वितरण के खिलाफ यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारों का हस्तांतरण;

1,526 5, 001 करोड़ रुपये की एकड़ भूमि, 5,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण और 1 करोड़ रुपये की इक्विटी जारी करना; जे. एच. एल. का विविधीकरण; 120 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश आदि। आदि।

39.2. 1 . आई. आर. पी. ने इस सारांश में अन्य प्रमुख बातों का भी संकेत दिया है।

कार्यान्वयन प्रावधान, जिनमें से अधिकांश विवाद के विषय हैं इस मुकदमे में। वह सारांश इस प्रकार है: -

" कार्यान्वयन के अन्य प्रमुख प्रावधान

- भूमि और टोल सड़क के हस्तांतरण के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. की मानित मंजूरी

डाक टिकट जैसी किसी भी लागत के बिना नामित एस. पी. वी. के लिए

शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, आदि।
- अतिरिक्त किसान मुआवजे के लिए देयता (वर्तमान में विचाराधीन)

संग्रह सीधे अंतिम उपयोगकर्ता से होता है।
- जे. ए. एल. द्वारा जमा किए गए 750 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का हस्तांतरण,

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार

- जे. ए. एल. जे. आई. एल. को देय राशि का भुगतान करेगा (लगभग। 500 रुपये) (716 रुपये) दिवालिया शुरू होने की तारीख पर करोड़) से जे. आई. एल. तक।

39.3 . समाधान योजना में एनबीसीसी द्वारा मांगी गई प्रमुख राहतें

इनका सारांश इस प्रकार है: -

प्रमुख राहतों की मांग

एस. आई.

मसला।

नहीं।

750 करोड़ रुपये (ब्याज सहित)

एनबीसीसी ने वापस लेने का अधिकार बरकरार रखा है

1 .

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा जमा किया गया।

750 करोड़ रुपये के मामले में इसकी समाधान योजना

उस पर उपार्जित ब्याज के साथ नहीं

(जे. ए. एल.), जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी

जे. आई. एल. को उपलब्ध कराया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिखित याचिका दायर की

(सिविल) सं. 744/2017।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू किया है

जे. आई. एल. को पी. एम. एल. ए. से छुट्टी दी जाएगी और

2 .

रोकथाम के तहत जांच

अन्य जांच। एनबीसीसी ने बरकरार रखा है।

धन शोधन अधिनियम, 2002 ("पीएमएलए")

अपने संकल्प से हटने का अधिकार

जे. आई. एल. के खिलाफ।

यदि उक्त राहत नहीं दी जाती है तो योजना बनाएँ।

जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर सोसाइटी v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

858 जे. आई. एल. की एकड़ जमीन गिरवी रखी गई थी।

एनबीसीसी ने राहत मांगी है कि 858 एकड़ में

जे. ए. एल. के ऋण को सुरक्षित करने के लिए जे. ए. एल. ऋणदाताओं के साथ

गिरवी रखी गई भूमि में निहित रहना जारी रहेगा

बिना किसी विचार या प्रतिवाद के

जे. आई. एल. किसी भी बंधक, शुल्क और छूट से मुक्त है।

जे. आई. एल. (लेन-देन) को गारंटी।

26.2.2020 758 का बंधक अलग रखा है
परिहार लेन-देन के रूप में एकड़।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के व्यावसायिक अनुमोदन के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. का मानित अनुमोदन वाई. ई. आई. डी. ए. पर बाध्यकारी होगा और इसका गठन होगा। स्थानांतरण

किसी भी के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा पर्याप्त
अनुमोदन

एन. बी. सी. सी. के अनुसार, लैंड बैंक एस. पी. वी. और टोल रोड से रोड एस. पी. वी. तक भूमि के हस्तांतरण के लिए अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
जैसा कि योजना में विचार किया गया है।

आय कर देयता

भूमि के हस्तांतरण के कारण

आय में वृद्धि कर रहा है
एक वर्ष में लगभग 3,000 करोड़ रुपये

समाधान आवेदक द्वारा 33,000 करोड़ रुपये की कर मांग होने का अनुमान लगाया गया है। 30 वर्ष की अवधि के लिए, हस्तांतरण का इलाज

राजस्व सब्सिडी के रूप में भूमि पार्सल। यह

राशि को परिचालन ऋण के रूप में माना जा रहा है
और के अनुसार निपटाया जा रहा है

समाधान योजना।

जे. ए. एल. को 716 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान

जे. ए. एल. को 716 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था।
निर्माण कार्य और रखरखाव

दिवाला शुरू होने की तिथि (बाद में यह राशि कम हो गई है

शुल्क/जमा। जे. ए. एल. से बकाया 716 करोड़ रुपये की यह राशि भी उपलब्ध होगी।

लगभग। 500 करोड़ रुपये)

फ्लैटों को पूरा करने के उद्देश्य से जे. आई. एल.

घर खरीदारों और अन्य संबद्ध लोगों के लिए

उद्देश्य।

यदि राहत नहीं दी जाती है, तो वर्तमान में जे. आई. एल. के स्वामित्व वाली और जे. ए. एल. के घर खरीदारों द्वारा उपयोग की जा रही परिसंपत्तियां

रखरखाव, के लिए उपलब्ध नहीं होगा

जे. ए. एल. के घर खरीदार

मंजूरी की तारीख।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 .

YEIDA द्वारा अतिरिक्त FAR अपील

वाई. ई. आई. डी. ए. में दायर अपील को वापस लेगा

जिला न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर

दिनांकित 23.1.2017 पुरस्कार को चुनौती देना

संबंधित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित

संकल्प के अनुसार अतिरिक्त एफ. ए. आर. का उपयोग करें योजना बनाएँ।

भविष्य में वाई. ई. आई. डी. ए. का कोई दावा/दावा आर. टी.

पूर्ववर्ती को अतिरिक्त मुआवजा

8 .

भूमि स्वामी (दोनों अचल संपत्ति के लिए)

द्वारा अधिग्रहित और जे. आई. एल. को हस्तांतरित की गई भूमि

और टोल रोड के लिए अधिग्रहित भूमि)

YEIDA (रियायत के संदर्भ में)

समझौता), यदि कोई हो, तो केवल YEIDA द्वारा सीधे पुनर्प्राप्त करने योग्य

वास्तविक पट्टा धारक (अर्थात उप-पट्टेदार)

ऐसी तारीख और कोई दावा/दावा नहीं होगा
जे. आई. एल. या एन. बी. सी. सी. के खिलाफ।

इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए

रियायत अवधि का विस्तार

9 .

रियायत अवधि (वर्तमान में 36 वर्ष) रियायत समझौते के तहत

दस साल की अतिरिक्त अवधि।

यह दायित्व समाप्त हो जाएगा,

पूँजीगत लागत के पुनर्भुगतान की देयता

10 .

नोएडा-ग्रेटर नोएडा से संबंधित

जे. आई. एल. को अनुमति देने में वाई. ई. आई. डी. ए. की विफलता का कारण

के उपयोगकर्ताओं से टोल/शुल्क एकत्र करें और अपने पास रखें

एक्सप्रेसवे

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे

रियायत की अवधि के दौरान

समझौता।

39.4 . कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा और तरीके निर्धारित किए गए हैं इस सारांश के अनुलग्नक में इंगित किया गया है जो निम्नानुसार है: -

क्रियाएँ

समय-सीमा

एस. नहीं।

एनबीसीसी एस. पी. वी. का निगमन

90 दिनों के भीतर

1 .

मंजूरी

100% शेयरधारिता का अधिग्रहण

से

जे. आई. एल.

तिथि

द्वारा समानता प्रतिबद्धता का निवेश

2 .

ऊपर तक

ए

निगम में एनबीसीसी एसपीवी। अधिकतम

से

100% INR 120 करोड़ के अधिग्रहण की दिशा में ऋणदाता

90 दिनों के भीतर निगम में हिस्सेदारी

संभालने का

कर्जदार

निगमित

कर्जदार में

रूप

से

इक्विटी/क्वासी

इक्विटी/ऋण।

90 दिनों के भीतर

डी-लिस्टिंग (1 रुपये के निकास मूल्य के साथ)

3 .

सार्वजनिक शेयरधारकों को करोड़) और

मंजूरी

से

के शेयरों का निष्कासन

तिथि

गैर-प्रवर्तक शेयरधारक और

मौजूदा प्रवर्तक जे. पी. केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

90 दिनों के

भीतर

निगम ऋणदाता द्वारा एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. का समावेश

4 .

मंजूरी की

तारीख

कॉरपोरेट देनदार से यमुना एक्सप्रेसवे परिसंपत्ति का हस्तांतरण

90 दिनों के

भीतर

एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. तक व्यावसायिक हस्तांतरण या किसी अन्य माध्यम से

मंजूरी की

तारीख

के बराबर विचार के लिए कर कुशल हस्तांतरण तंत्र यमुना एक्सप्रेसवे का पुस्तक मूल्य

निगमित कर्जदार संस्थागत वित्तीय लेनदार के बकाया का हस्तांतरण/नवीनीकरण

निगम से आई. एन. आर. [नया ऋण-(कम) 2000 करोड़] की सीमा

एक्सप्रेसवे द्वारा वैकल्पिक/गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना कॉर्पोरेट देनदार को 2,200 करोड़ रुपये का एस. पी. वी.

एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. द्वारा निगम को इक्विटी शेयर जारी करना

भविष्य के नकदी प्रवाह को सुरक्षित करके एक्सप्रेसवे ऋणदाताओं से एक्सप्रेसवे

अवैतनिक सी. आई. आर. पी. लागतों का भुगतान

90 दिनों के

भीतर

5 .

मंजूरी की

तारीख

6 .

परिचालन ऋणदाताओं को परिचालन ऋण का भुगतान (अन्य 20 करोड़ रुपये या

परिसमापन

मूल्य, यदि

कॉर्पोरेट देनदार के ऊपर के रूप में श्रमिकों के बकाया से)

कोई देय

के लिए

ऑपरेशनल

धारा 30 और

53 कोड का

(इसके

अलावा

श्रमिकों का बकाया

ऊपर), जो

भी हो

अधिक है,

होगा

पहले पूरा भुगतान किया गया

को कोई भी

भुगतान

वित्तीय

लेनदार।

आई. एन. आर. के हस्तांतरित/नए ऋण का भुगतान [नया ऋण-(कम)]

7 .

2000 एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. द्वारा संस्थागत वित्तीय को करोड़

लेनदार

8 .

29 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान

90 दिनों के भीतर

शर्तों के अधीन एफ. डी. धारकों के लिए स्वीकृत वित्तीय ऋण

मंजूरी की तारीख

समाधान योजना में निर्दिष्ट के रूप में

9 .

2, 000 करोड़ रुपये का भुगतान। एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. द्वारा निगम को

90 दिनों के भीतर

वैकल्पिक/गैर-परिवर्तनीय के आंशिक मोचन के लिए ऋणदाता

मंजूरी की तारीख

स्वीकृत वित्तीय ऋण का रूपांतरण (संस्थागत ऋण के कारण)

90 दिनों के भीतर

10 .

वित्तीय लेनदार) कॉर्पोरेट देनदार के इक्विटी शेयरों में

मंजूरी की तारीख

और बाद में इसे समाप्त करने के लिए शेयर पूंजी में कमी

में संस्थागत वित्तीय लेनदारों की हिस्सेदारी

पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार

लैंड बैंक एस. पी. वी. का निगमन और इक्विटी शेयर जारी करना

90 दिनों के भीतर

11 .

लैंड बैंक एस. पी. वी. द्वारा 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

मंजूरी की तारीख

निगमित देनदार द्वारा सदस्यता ली गई 5, 001 करोड़ रुपये की भूमि का हस्तांतरण * जगानपुर-187 एकड़,

मिर्जापुर-170 एकड़, टप्पल-550 एकड़ और आगरा-619 एकड़

भूमि बैंक एस. पी. वी. को हस्तांतरित की जाने वाली विशिष्ट भूमि

उपरोक्त स्थान के विवेक पर होगा

संस्थागत वित्तीय लेनदार) 5,001 करोड़ रुपये की सीमा तक कॉर्पोरेट देनदार से लेकर लैंड बैंक एसपीवी तक

संस्थागत वित्तीय लेनदारों के लिए निगमित देनदार निगमित देनदार से इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

90 दिनों के भीतर

12 .

100% इक्विटी के बराबर संस्थागत वित्तीय लेनदार

मंजूरी की तारीख

समान राशि के लिए एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. की शेयर पूंजी

समान सीमा तक बकाया ऋण घर खरीदारों को निर्मित फ्लैटों की डिलीवरी डिलीवरी के अनुसार

13 .

उनके दावों की संतुष्टि

में निर्धारित

कार्यक्रम
संलग्नक ए।

आई. एन. आर. 62.40 करोड़ से अधिक राशि का आई. एन. आर. 62.40 करोड़ के 20 प्रतिशत तक भुगतान।

14 .

मांग करने वालों को उनके स्वीकृत दावों के लिए धनवापसी करें

90 दिनों के भीतर

मंजूरी

तिथि,

शेष राशि होनी है

भुगतान किया

जाएगा।

समान रूप से एक

अवधि में

4 प्रत्येक वर्ष

अर्थात 20 प्रतिशत

जिस तरह से वर्ष

इस योजना के तहत प्रदान किया गया

आई. एन. आर. 200 करोड़ की शेष राशि का मोचन इससे पहले किसी भी समय

15 .

कॉरपोरेट कर्जदार के लिए एक्सप्रेसवे एसपीवी

का मुद्रीकरण

एक्सप्रेसवे

परिसंपत्ति

संस्

थागत

द.

वित्तीय लेनदार।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

40. जैसा कि देखा गया है, इस समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने पर, विभिन्न आपत्तियां उठाई गईं

विभिन्न हितधारक। ऐसी सभी आपत्तियाँ और अनुमोदन के लिए प्रार्थना

समाधान योजना पर समान रूप से विचार किया गया था; और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने दिनांक 03.03.2020 के आदेश द्वारा, कुछ संशोधनों और कुछ निर्देशों के साथ योजना को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ा है। 03.03.2020 दिनांकित यह आदेश किसी न किसी कारण से चुनौती का विषय है

हमारे सामने दल। उनकी प्रासंगिकता के लिए, आवश्यक विवरणों में इस क्रम की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना उचित होगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 03.03.2020 आदेश

संशोधनों के साथ समाधान योजना की मंजूरी

41. संहिता की धारा 31 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांक 03.03.2020 का आदेश यथोचित हो सकता है।

पाँच खंडों में विभाजित। सबसे पहले, एन. सी. एल. टी. ने चित्रा शर्मा, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और अनुज के मामलों में उपरोक्त तीन दौर की मुकदमेबाजी में सी. आई. आर. पी. के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं और इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का वर्णन किया।

जैन (ऊपर)। दूसरा, एन. सी. एल. टी. ने चित्रा शर्मा के मामले में इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के संदर्भ में जे. ए. एल. द्वारा जमा किए गए उक्त 750 करोड़ रुपये से संबंधित मुद्दे को निपटाया और जो चित्रा शर्मा में अंतिम फैसले के संदर्भ में एन. सी. एल. टी. के निर्देशों का पालन करना था। तीसरा, एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना की जांच की और

इसके प्रस्तावों, अनुमानों और शर्तों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। इसके बाद, चौथे खंड में, एन. सी. एल. टी. ने जे. ए. एल. और इसके हितधारकों, आई. सी. आई. सी. आई. बैंक, वाई. ई. आई. डी. ए., कुछ पीड़ित घर खरीदारों सहित कई व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा समाधान योजना के खिलाफ आपत्तियों पर विचार किया। यस बैंक और समझौता धारक। पांचवें खंड में, एन. सी. एल. टी. आम तौर पर

समाधान योजना में राहत और रियायतों से संबंधित खंडों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर विभिन्न अन्य आवेदनों पर भी विचार करता है। उनकी प्रासंगिकता के लिए, न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के दिनांकित 03.03.2020 के आदेश में सामग्री टिप्पणियों और निष्कर्षों को क्रमिक रूप से प्रसारित किया जा सकता है।

42. दिनांक 1 के आदेश के पहले भाग में, एन. सी. एल. टी. ने उन्हीं पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख किया है जिन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे जे. ए. एल. को एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अनुबंध का पुरस्कार, जे. आई. एल. को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल करना, वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा बढ़ाया गया रियायत समझौता, जे. आई. एल. द्वारा एक्सप्रेसवे बिछाने और आवासीय फ्लैट विकसित करने के लिए परियोजनाओं को लेना, जे. आई. एल. [2021] 12 एस. सी. आर.

घर खरीदारों से धन एकत्र किया लेकिन उन्हें फ्लैट देने में विफल रहा और ऋण की किश्तों के भुगतान में भी चूक की, चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय में सी. आई. आर. पी. और मुकदमे की शुरुआत की। एन. सी. एल. टी. ने चित्रा शर्मा में उपरोक्त सभी प्रासंगिक अंतरिम आदेशों और अंतिम निर्णय को पार किया। एन. सी. एल. टी. ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के मामले में दिनांकित आई. डी. 1 के फैसले में और अनुज जैन के मामले में दिनांकित आई. डी. 2 के फैसले में इस अदालत के निर्देशों पर भी ध्यान दिया।

43. दूसरे भाग में, आई. एन. आर. 750 करोड़ की उक्त राशि और उस पर अर्जित ब्याज के संबंध में, एन. सी. एल. टी. ने एक विशाल राशि पर ध्यान दिया।

विभिन्न दावेदारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों की विविधता, जिन्हें उपयोगी रूप से निम्नानुसार भी वर्णित किया जा सकता है।

उक्त राशि का अनुपात वितरण और उसे एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित करने के कारण, राशि को जे. ए. एल. को वापस करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विनियोजित नहीं किया जा सका। यह प्रस्तुत किया गया था कि 750 करोड़ रुपये की उक्त जमा राशि ने रचनात्मक न्यास का स्वरूप प्राप्त कर लिया था और इस राशि को भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 77 और 83 में निहित सिद्धांतों पर जे. ए. एल. को वापस करने की आवश्यकता थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी शेष राशि का भुगतान करने या इस धन का उपयोग घर खरीदारों के धन की वापसी के लिए करने का निर्देश नहीं दिया था, इसे जे. ए. एल. के पैसे के रूप में माना जाना था और तदनुसार वापस किया जाना था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सी. आई. आर. पी. विनियम 36 और 37 के अनुसार, केवल निगमित देनदार की संपत्तियां समाधान प्रक्रिया के अधीन थीं और जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई राशि निगमित की संपत्ति नहीं थी।

ऋणी को वापस करना आवश्यक था। जे. ए. एल. की इस तरह की दलीलों का विधिवत समर्थन आईसी. आई. सी. आई. बैंक, बैंकों के संघ के नेता द्वारा किया गया था, जिन्होंने जे. ए. एल. को धन उधार दिया था और यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जे. ए. एल. के प्रवर्तकों को 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घर खरीदारों को राहत न मिले और उनका पैसा वापस किया जा सके, लेकिन आई. बी. सी. में संशोधन के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने न तो इस तरह के धनवापसी का आदेश दिया और न ही जे. ए. एल. के प्रवर्तकों को 1,250 करोड़ रुपये की शेष राशि जमा करने पर जोर दिया, बल्कि इस काम को सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने और आई. बी. सी. के अनुसार समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए एन. सी. एल. टी. को सौंप दिया। आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई विशिष्ट जे. ए. पी. ई. केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर नहीं है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के लिए इस धन का उपयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश को जे. ए. एल. को वापस करने की आवश्यकता थी। निगमित देनदार के प्रवर्तक-निदेशकों ने भी एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि इस धन का कोई भी हिस्सा जे. आई. एल. द्वारा जमा नहीं किया गया था और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए जे. आई. एल. को नहीं सौंपा गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने कभी यह नहीं माना था कि जे. ए. एल. जे. आई. एल. की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का योगदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था। इसी तरह, अपीलकर्ता पंकज शर्मा और जे. ए. एल. के अन्य घर खरीदारों ने भी उक्त राशि जे. ए. एल. को जारी करने का अनुरोध किया ताकि इसका उपयोग जे. ए. एल. के घर खरीदारों के लिए किया जा सके। यह प्रस्तुत किया गया था कि जे. ए. एल. स्वयं वित्तीय संकट में है और यदि इसकी इतनी बड़ी राशि किसी अन्य कंपनी को दी जाती है, तो जे. ए. एल. के हितधारकों के हित खतरे में पड़ जाएंगे। यह भी।

प्रस्तुत किया कि जिस उद्देश्य के लिए जमा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ था और यह जे. आई. एल. के फ्लैटों के निर्माण के लिए नहीं था और यह पैसा, जे. आई. एल. की संपत्ति नहीं होने के कारण, जे. ए. एल. को वापस कर दिया जाना चाहिए।

43.2 . इसके विरोध में, आई. डी. बी. आई. बैंक के नेतृत्व में जे. आई. एल. के ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 09.08.2018 के फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने

इस तथ्य से अवगत था कि यह राशि केवल एक वर्ग के लेनदारों को वितरित नहीं की जा सकती थी और इसलिए, इसे धनवापसी चाहने वालों के उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कॉर्पोरेट देनदार यमुना से संग्रह के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कर रहा था

चिंता; और इस परिदृश्य में, ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि को सी. ओ. सी. में मतदान हिस्से के अनुसार जे. आई. एल. के ऋणदाताओं को अनुपात के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। अन्य लोगों के साथ, आई. आर. पी. ने यह भी प्रस्तुत किया कि 32,754 आवंटी थे जिन्हें जे. आई. एल. के रिकॉर्ड के अनुसार फ्लैट बेचे गए थे और उनमें से 24,296 अपने फ्लैटों के कब्जे की प्रतीक्षा कर रहे थे; और यदि कॉर्पोरेट देनदार की परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए धन जारी करने का आदेश दिया गया था, तो यह निर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा और बड़े उद्देश्य की पूर्ति करेगा। आई. आर. पी. द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि चित्रा शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, इस धन का उद्देश्य केवल घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना था। यह भी बताया गया कि जे. ए. एल., जे. आई. एल. और घर खरीदारों से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार जे. ए. एल. इस परियोजना का विकासकर्ता था और घर खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा देने के लिए जिम्मेदार। आई. आर. पी. ने [2021] 12 एस. सी. आर. के दौरान इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का भी उल्लेख किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चित्रा शर्मा के मामले में कार्यवाही के साथ-साथ जे. ए. एल. द्वारा आई. डी. 1 पर दिए गए एक निपटान प्रस्ताव में कहा गया है कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि का उपयोग जे. आई. एल. के व्यवसाय के पुनरुद्धार के लिए किया जाना था, चाहे कानूनी कार्यवाही का परिणाम कुछ भी हो। इन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त राशि घर खरीदारों के लिए होने के कारण, जे. ए. एल. या उसके ऋणदाताओं या प्रवर्तकों या घर खरीदारों के लिए इस निर्णय द्वारा समाप्त मुद्दे को फिर से खोलने की मांग करने के लिए खुला नहीं था।

43.3 . दोनों पक्षों की दलीलों की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए, जहां एक पक्ष जे. आई. एल. के घर खरीदारों के लाभ के लिए 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि और अर्जित ब्याज के उपयोग का समर्थन कर रहा था और जहां दूसरा पक्ष जे. ए. एल. को धन वापस करने के लिए बहस कर रहा था, एन. सी. एल. टी. ने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि इस धन से कैसे निपटा जाए।

43.4 . एन. सी. एल. टी. ने उस पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जिसमें इस न्यायालय ने उक्त राशि जमा करने का आदेश पारित किया था जहाँ प्रवर्तक

जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के निदेशक एक ही थे और जे. आई. एल./जे. ए. एल.

जे. आई. एल. के घर खरीदारों को उनके द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर फ्लैट देने में विफल रहा। एन. सी. एल. टी. ने पाया कि इस अदालत के आदेशों में, जे. आई. एल./जे. ए. एल. को घर खरीदारों के धन की वापसी के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था; अदालत ने उस धन को कभी भी जे. ए. एल. की संपत्ति के रूप में नहीं माना था और इस अदालत द्वारा घर खरीदारों को जमा

राशि वितरित नहीं करने का एकमात्र कारण यह था कि उनमें से केवल 8 प्रतिशत ने धनवापसी की मांग की थी, जबकि 92 प्रतिशत ने फ्लैटों पर कब्जा करने के लिए कहा था और तरजीही व्यवहार से बचने के लिए, इस मुद्दे को एन. सी. एल. टी. को भेज दिया गया था। एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि हालांकि जे. ए. एल. घर खरीदारों के लिए ऋणी नहीं था, लेकिन जब ऋण दायित्व के संबंध में या किसी दायित्व के निर्वहन के लिए ऋणी की ओर से पैसा आया था,

न तो इसे जमा करने वाला व्यक्ति बाद में कह सकता था कि वह पैसे का मालिक था और न ही पैसे को न्यास की राशि के रूप में माना जा सकता था। एन. सी. एल. टी. ने कहा कि इस धन का उपयोग कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों के दायित्व के लिए किया जाना चाहिए और जे. ए. एल. को धन की वापसी के लिए कोई भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर हावी होगा। एन. सी. एल. टी. ने तदनुसार, आई. एन. आर. 750 करोड़ के मुद्दे के संबंध में सभी आवेदनों का निपटारा किया और कहा कि इस धन को निगमित देनदार की संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। संबंधित परिच्छेद

इस मुद्दे के संबंध में एन. सी. एल. टी. की टिप्पणियों और निष्कर्षों को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

- जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 51. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि जे. ए. एल. ने धन जमा किया है। यह तथ्य ज्ञात है कि जे. आई. एल. का पैसा जे. आई. एल. के घर खरीदारों को टावरों के निर्माण के लिए जे. ए. एल. को गया है, यह एक तथ्य है कि जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के प्रवर्तक-निदेशक एक ही हैं। यह एक तथ्य है कि जे. आई. एल./जे. ए. एल. जे. आई. एल. के घर खरीदारों को उनके द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर फ्लैट देने में विफल रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों में केवल यह कहा गया है कि जे. आई. एल./जे. ए. एल. रुपये जमा करेगा। 2000 घर खरीदारों के पैसे की वापसी के लिए एक करोड़ रुपये। उस पैसे को जे. ए. एल. का पैसा नहीं माना गया है। सभी आदेशों को पढ़ने पर

52. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में और दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, आइए देखें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चित्रा शर्मा के मामले में क्या निर्णय दिया है। 750 धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों को दिए गए करोड़ रुपये स्पष्ट रूप से अनुचित होंगे और उनके साथ अन्याय होगा। सुरक्षित लेनदार क्योंकि यह अधिमानी होगा

लेनदारों के एक वर्ग के साथ व्यवहार (चित्रा शर्मा मामले (2018) 18 एस. सी. सी. का पैरा 48.1)। यह अवलोकन होने के कारण, अब हमारे सामने मुद्दा यह है कि इसके बारे में कैसे जाना है। अवलोकन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह पैसा जे. ए. एल. को वापस जाना चाहिए। इसके अलावा माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने जे. ए. एल./जे. आई. एल. को इस शर्त पर धन जमा करने के लिए नहीं कहा है कि इसे जे. ए. एल. को वापस कर दिया जाएगा।

यह जे. आई. एल. के घर खरीदारों को वितरित नहीं किया गया है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह जे. ए. एल. का पैसा है। 53. यह एक तथ्य है कि यदि समय के भीतर घरों की डिलीवरी नहीं की जाती है, तो एकमात्र उपाय या तो घरों को पूरा करना है या [2021] 12 एस. सी. आर. को वापस करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षों के बीच किया गया समझौता, यदि पक्ष अग्रिम धन धन की वापसी का हकदार है, तो न्यायिक संबंध में पैसे दिए गए व्यक्ति और पैसे लिए गए व्यक्ति के बीच लेनदार और देनदार का संबंध बन जाएगा। जब ऐसा धन देनदार से लेनदार को या किसी ऋणदाता को वापस आ गया हो।

लेनदार के कारण के बीच में व्यक्ति, इसे कभी भी देनदार का पैसा नहीं कहा जा सकता है, इसे लेनदार को वापस किए गए पैसे के रूप में माना जाना चाहिए। 54. इस मामले में, जे. ए. एल. जे. आई. एल. और जे. ए. एल. द्वारा बताए गए परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पैसा धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दिया गया था। ऐसा नहीं है कि यह पैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस शर्त पर जमा किया गया था कि अगर इसे घर खरीदारों को वितरित नहीं किया गया है तो इसे जे. ए. एल. को वापस कर दिया जाएगा। जब तक देनदार लेनदार को धन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, एक बार जब इसे उस भुगतान के लिए जमा कर दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि धन देनदार का है।

***

***

*** 56. आईसीआईसीआई बैंक के वकील ने तर्क दिया है कि पैसा अस्थिर है।

इसलिए जब तक जे. ए. एल. से पुनर्भुगतान के लिए धन नहीं जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि जे. आई. एल. द्वारा जमा किया गया धन जे. आई. एल. के घर खरीदारों को देय धन है।

57. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसा अस्थिर है, लेकिन चुकाने की बाध्यता नहीं है।

फंजिबल, इसलिए जब धन जमा किया जाता है या लेनदार को इसे चुकाने के लिए वापस किया जाता है, तो धन फंजिबल होने के कारण और पुनर्भुगतान के लिए एक दायित्व होने के कारण, इसे अब देनदार के स्वामित्व वाला धन नहीं माना जा सकता है। हालाँकि जे. ए. एल. अपने आप में घर खरीदारों के लिए ऋणी नहीं है, जब कर्जदार की ओर से पैसा आया है। किसी ऋण दायित्व के संबंध में या किसी

दायित्व के निर्वहन के लिए, उस दायित्व के प्रति इसे जमा करने वाला व्यक्ति बाद में यह नहीं कह सकता कि वह धन का मालिक है, इसलिए वह इसे वापस करने का हकदार है।

58. यदि विश्वास की अवधारणा की जांच की जाती है, तो हमें पता चलेगा कि विश्वास एक ऐसा संबंध है जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लाभ के लिए संपत्ति/धन रखा जाता है। न्यासी न्यास लाभार्थियों के लाभ के लिए संपत्ति/धन रखता है। न्यासी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य के तहत है कि मालिक की संपत्ति का रखरखाव किया जाए और इसका लाभ जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर को मिले।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उन व्यक्तियों तक पहुँचा जाता है जिनके लिए इसका इरादा है। न्यास के मामले में, मालिक लाभार्थी को लाभ देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए, मालिक/बसने वाला संपत्ति का मालिक होने के नाते, वह इसका उपयोग नहीं होने की स्थिति में इसे वापस लेने का हकदार है।

जिस उद्देश्य के लिए मालिक ने इरादा किया था। लेकिन ऐसा तब नहीं होता है जब ऋणदाता या ऋणदाता की ओर से धन प्राप्त होता है। किसी दायित्व के निर्वहन की दिशा में निकल पड़े। न्यास के मामले में, उस संपत्ति या धन का स्वामित्व तब तक मालिक के पास रहता है जब तक कि इसका उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। उस मालिक का अपनी संपत्ति/धन को देने का कोई दायित्व नहीं है।

59. घर खरीदारों के मुद्दे के मामले में, एक बार घर खरीदारों ने एक डेवलपर के साथ एक समझौता किया और जब उनके संबंध आए

ट्रस्ट मनी के रूप में माना जाता है और न ही रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा शासित के रूप में माना जाता है, इसलिए हमें यह कहने का कोई गुण नहीं मिला है कि यह पैसा ट्रस्ट अवधारणा द्वारा नियंत्रित है।
60. इस मामले में घर खरीदारों का पैसा कॉर्पोरेट देनदार और जे. ए. एल. के पास पड़ा हुआ है, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घर खरीदारों से आने वाला पैसा निर्माण के नाम पर जे. ए. एल. को गया है। जे. ए. एल. के मामले में ऐसा नहीं है कि जे. आई. एल. का पैसा निर्माण के लिए नहीं आया है। इसके अलावा, जे. ए. एल. जब तक जमा कर चुका था, तब तक उसे पता था कि वह उस पैसे को जे. आई. एल. के घर खरीदारों के स्वामित्व वाले दायित्व के लिए जमा कर रहा था।

61. यहाँ कहने के लिए कोई धारणा या अनुमान नहीं हो सकता था।

जे. ए. एल. ने इस धन को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस धारणा के साथ जमा किया कि यदि इस धन का उपयोग जे. आई. एल. के घर खरीदारों को इसके वितरण के लिए नहीं किया गया है तो वह इसे वापस कर देगा।

62. जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि इस धन को जे. ए. एल. को वापस करना है, तब तक इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जानबूझकर [2021] 12 एस. सी. आर. के भीतर धन को बरकरार रखा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह इस बात से संबंधित है कि इसका भुगतान किसी दायित्व के प्रति किया गया है या नहीं। चूँकि जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. की ओर से जे. आई. एल. के घर खरीदारों को बिना किसी आपत्ति या शर्त के भुगतान किया है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि भुगतान जे. आई. एल. के दायित्व के प्रति है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. की ओर से भुगतान किया था, जबकि जे. आई. एल. के घर खरीदारों के संबंध में मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, जब जे. आई. एल. को घर खरीदारों के धनवापसी के लिए धन जमा करने के लिए कहा गया था और उसी का भुगतान जे. ए. एल. द्वारा किया जा रहा था, अब जे. ए. एल. को यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह जे. ए. एल. का धन है। 63. तर्क के बारे में यह कहते हुए कि रुपये के लिए। 750 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट देनदार (जे. आई. एल.) के खाते में नहीं गए हैं, इसलिए इसे जे. आई. एल. की संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर धन जमा किया गया है और जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वापस नहीं किया गया है, तो हम केवल यह समझने तक सीमित हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धन वापस नहीं किया है क्योंकि अन्य लेनदारों की तुलना में कुछ लेनदारों को धन वापस करना एक तरजीही व्यवहार बन जाएगा, इसलिए इस तरह की टिप्पणी को यह कहने के लिए अतिरंजित नहीं किया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारणा पर धन वापस करने से इनकार कर दिया है कि यह धन जे. ए. एल. को वापस जाना है।

64. यदि हम ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्षय में स्थिति को देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि घर खरीदारों ने पैसे का भुगतान किया, जे. आई. एल. और जे. ए. एल. घर खरीदारों को घर देने में विफल रहे, इसलिए जे. आई. एल. का दायित्व है कि वह पैसे वापस करके उस दायित्व को पूरा करे।

या घर खरीदारों को घर पहुँचाकर, किसी भी काम के लिए नहीं किया जा रहा है, पैसा जे. आई. एल. से जे. ए. एल. को चला गया है, और इसका कुछ हिस्सा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वापस आ गया है, अब जे. ए. एल. या उसके लेनदारों के लिए यह प्रचार करने के लिए खुला नहीं है कि यह पैसा जे. ए. एल. का है।

65. इसे ध्यान में रखते हुए, हम एतद्द्वारा विचार करते हैं कि इस धन का उपयोग कॉर्पोरेट जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर के लेनदारों के दायित्व के लिए किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

देनदार और यदि यह पीठ किसी भी कारण से कोई आदेश पारित करती है

इस पैसे को जे. ए. एल. को वापस करने के लिए, यह कुछ भी नहीं होगा

माननीय उच्चतम न्यायालय के विवेक और उसके निर्देशों का उल्लंघन करना। जब जे. ए. एल. द्वारा धन का भुगतान किया गया हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इसे अब जे. ए. एल. की संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इस बारे में कि क्या सूचना ज्ञापन में यह कहा गया है कि यह रु। 750 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति है या नहीं, हर मामले को उसके तथ्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि किसी भी कारण से, यह नहीं है

सूचना ज्ञापन में निगमित देनदार की संपत्ति के रूप में दिखाया गया है, क्या यह कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमा राशि को एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित करने का कोई अर्थ नहीं है? माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि इस धन को जे. ए. एल. को वापस करने का कोई निर्देश नहीं है या यह निर्धारित करने के लिए कि इसे जे. ए. एल. को भुगतान किया जाना है या नहीं, इस पीठ के लिए यह मानते हुए कि यह धन निगमित देनदार की संपत्ति है, निष्कर्ष के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष निकालने के लिए खुला नहीं है। चूंकि जे. ए. एल. घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए आगे बाध्य नहीं है, इसलिए यह मानने का कोई अवसर नहीं है कि यदि यह पैसा जे. ए. एल. को वापस जाता है, तो इसका उपयोग घरों के निर्माण के लिए किया जाएगा। कॉरपोरेट देनदार के लेनदारों के कारण, इसे ध्यान में रखते हुए, हम रुपये से संबंधित सभी सीए का निपटान करते हैं। 750 करोड़ का मुद्दा

यह मानते हुए कि इस धन को निगम की संपत्ति माना जाना है

देनदार "।

44. 750 करोड़ रुपये के मुद्दे से निपटने के बाद, एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना की मंजूरी के संबंध में मुद्दा उठाया और उस मामले के लिए, विवादित आदेश के तीसरे खंड में, समाधान योजना की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिन पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एन. सी. एल. टी. द्वारा अपने दिनांकित 03.03.2020 आदेश के चौथे खंड में जिन आपत्तियों पर विचार किया गया है, उन्हें अब आक्षेपकर्ता और विषय वस्तु के संदर्भ में देखा जा सकता है।

एन. बी. सी. सी. जे. आई. एल. का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा था, जिसकी कीमत लगभग 8,257 रुपये थी। ₹120 करोड़ की छोटी राशि के लिए करोड़; कि समाधान योजना एक आकस्मिक योजना थी जिसमें एनबीसीसी ने वापस लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था यदि ₹750

करोड़ की उक्त राशि को समाधान योजना के हिस्से के रूप में नहीं माना गया था और [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. आई. एल. को पी. एम. एल. ए. और अन्य जांचों से मुक्त नहीं किया गया था; कि अनुमोदन रेरा की धारा 11 (4) (जी) के साथ असंगत था; कि दो संकल्प योजनाओं पर एक साथ मतदान करने की कानून में अनुमति नहीं थी;

कि समाधान आवेदक ने गलत सुझाव दिया कि वित्तीय लेनदारों के बकाया के प्रस्तावित निपटान में कोई बाल कटवाने नहीं थे क्योंकि बाल कटवाने की राशि 6,101 करोड़ रुपये तक थी जो कि 9,783 करोड़ रुपये के ऋण का% थी। आई. आर. पी. ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के प्रवर्तकों को सी. ओ. सी. द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार। पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य। (2019 का सी. ए. सं. 4242) 3 7, संहिता में किसी भी प्रावधान के लिए समाधान आवेदक को परिसमापन मूल्य से मेल खाने की आवश्यकता नहीं है; कि संहिता में कोई भी प्रावधान दो योजनाओं पर एक साथ मतदान करने से नहीं रोकता है; और पायनियर के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। : (2019) 8 एस. सी. सी. 416, आर. ई. आर. ए. और आई. बी. सी. सह-अस्तित्व में हैं और उनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए और टकराव की स्थिति में, आर. ई. आर. ए. को आई. बी. सी. को रास्ता देना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जब घर खरीदार जो रेरा आपत्तियां उठाने के हकदार थे, उन्होंने स्वयं योजना के पक्ष में मतदान किया था, तो प्रवर्तक/निदेशक कोई शिकायत नहीं उठा सके। जे. ए. एल. के खिलाफ निगमित देनदार के दावे का सवाल था, जो कि जुटाने की अग्रिम राशि के रूप में दी गई राशि थी, जिस पर लेखांकन में विसंगति थी, लेकिन जे. ए. एल. की ओर से यह स्वीकार किया गया कि जे. आई. एल. द्वारा जे. ए. एल. से 274 करोड़ रुपये की राशि शुद्ध रूप से प्राप्य थी। इसके लिए, एनसीएलटी

शेष देय राशि के संबंध में खाता। एन. सी. एल. टी. ने 750 करोड़ रुपये की उक्त जमा राशि और संहिता में धारा 32ए के माध्यम से जोड़े जाने से संबंधित मुद्दे पर अपने निष्कर्ष के संदर्भ में योजना की आकस्मिक प्रकृति के बारे में प्रस्तुतियों को भी दरकिनार कर दिया था। 28.12.2019 से प्रभावी संशोधन। एन. सी. एल. टी. की प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं: -

" 69. इन दो मुद्दों के संबंध में, इस पीठ ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि रु। 750 एन. सी. एल. टी. के पास पड़े हुए करोड़ रुपये का उपयोग कॉर्पोरेट ऋणदाता के लेनदारों के लिए और पी. एम. एल. ए. की कार्यवाही के संबंध में, धारा 32ए को लागू करने के लिए किया जाएगा।

संहिता 28.12.2019 में संशोधन के माध्यम से अस्तित्व, अब पीएमएलए से किसी अलग सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है

37 तब से (2020) 11 एस. सी. सी. 467 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर कार्यवाही, इसलिए हमने इस मुद्दे से निपटा नहीं है, इसलिए तर्क यह है कि

उस योजना की कोई योग्यता नहीं है जो सशर्त है।

***

***

***

72. इसके अलावा, जे. ए. एल. द्वारा दिए गए आंकड़ों की गणना यह कहने के लिए कि समाधान योजना द्वारा रखे गए आंकड़े सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं, किसी भी स्थिति में, यह सी. ओ. सी. द्वारा उठाया जाने वाला मुद्दा है।

बेंच जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के प्रवर्तकों द्वारा दिखाए गए आंकड़ों पर समाधान योजना के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती है, जब तक कि ऐसी योजना धोखाधड़ी से दूषित न हो जाए।

73. इसके अलावा, यह प्रवर्तक/निदेशकों का मामला नहीं है कि कंपनी के पास सकारात्मक निवल मूल्य है जो कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के परिसमापन की स्थिति में अवशिष्ट आय प्राप्त करने का अधिकार देता है। जब तक देनदारियाँ कंपनी की परिसंपत्तियों से अधिक हैं, तब तक प्रवर्तकों/निदेशकों के तर्कों को इस रूप में नहीं देखा जा सकता है

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना पर असर डालने वाला एक बिंदु।

74 ..... एक साथ मतदान करने पर यह आपत्ति संहिता या विनियमों के उल्लंघन के रूप में नहीं दिखती है। किसी भी प्रावधान में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि दो योजनाओं पर मतदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं है कि यदि दो योजनाओं को मतदान के लिए रखा जाता है, तो योजना को गैर-कानूनी घोषित करने के पक्ष में मतदान किया गया। विच्छेद के सिद्धांत को कार्रवाई को मान्य करके लागू किया जा सकता है। कानून के तहत वैध के रूप में कर सकते हैं। यदि कोई अधिकता हुई है, तो ऐसी अधिकता को निकाला जा सकता है। इसके अलावा दोनों योजनाओं को मंजूरी

नहीं दी गई है। इसके अलावा, असफल समाधान आवेदक को हमारे सामने प्रस्तुत योजना से कोई शिकायत नहीं है।

75. आर. ई. आर. ए. मुद्दे के संबंध में, आई. आर. पी. प्रस्तुत करता है कि पायनियर अर्बन लैंड के पैरा 28 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। (डब्ल्यूपी (सी) नहीं। 43 2019 का) ने अभिनिर्धारित किया कि आर. ई. आर. ए. और आई. बी. सी. को सह-अस्तित्व में रखा जाना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए।

टकराव, रेरा को आई. बी. सी. को रास्ता देना चाहिए।

76. जब घर खरीदार, जो स्वयं रेरा आपत्ति उठाने के हकदार हैं, ने योजना के पक्ष में मतदान किया है, तो रेरा का उल्लंघन, यदि कोई हो, तो यह प्रवर्तकों/निदेशकों की शिकायत नहीं हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

77. रुपये के संबंध में। 716 कॉरपोरेट देनदार द्वारा जे. ए. एल. के खिलाफ करोड़ों का दावा, आई. आर. पी. प्रस्तुत करता है कि जे. ए. एल. को भुगतान की गई राशि निर्धारित करने के बाद, जे. ए. एल. द्वारा वापस की जाने वाली राशि की राशि है रु. 594 31.12.2019 पर करोड़। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रुपये जुटाने के लिए अग्रिम राशि। 586 जे. ए. एल. और जे. आई. एल. द्वारा 31.12.2019 पर देय और देय करोड़ रुपये हैं, जिनमें से जे. ए. एल. का कहना है कि जे. आई. एल. द्वारा जे. आई. एल. को देय और देय राशि केवल रु. है। 274 करोड़। हालांकि, जे. ए. एल. के वकील ने तय किए गए आंकड़ों का समर्थन करने वाली सामग्री नहीं रखी है, क्योंकि जे. ए. एल. के वकील ने खुद कहा है कि जे. ए. एल. से जे. आई. एल. द्वारा प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि रु। 274 करोड़,

जे. ए. एल. तुरंत रुपये का भुगतान करेगा। 274 समाधान आवेदक द्वारा मांगे गए शेष धन के रूप में जे. आई. एल. को करोड़ रुपये, जे. आई. एल. और जे. ए. एल. एक सुलह विवरण का मसौदा तैयार करेंगे, तदनुसार जिसे भी कोई बकाया देय है उसे भुगतान किया जाना है।

46. आपत्तियों का एक और बड़ा हिस्सा, परिमाण और निहितार्थ के संदर्भ में, असंतुष्ट वित्तीय लेनदार आईसीआईसीआई बैंक से सामने आया।

इस ऋणदाता बैंक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि एक असहमत वित्तीय लेनदार होने के नाते, यह परिसमापन मूल्य के अनुसार भुगतान प्राप्त करने का हकदार था।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1) (बी) के साथ पठित संहिता की धारा 30 (2) (बी) की शर्तें लेकिन समाधान योजना में, इसे प्रदान करने की मांग की गई थी। एस. पी. वी. एस. में केवल भूमि और इक्विटी को शामिल करने का प्रस्ताव है और समाधान योजना में ऐसा प्रावधान पूरी तरह से अस्वीकार्य था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों को नए ऋण के आधार पर 300 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 38 (1) (बी) और इस तरह का भुगतान एक परिसमापन राशि होनी चाहिए, जैसा कि संहिता की धारा 53 के तहत कहा गया है। इसके विपरीत, समाधान आवेदक और आई. आर. पी. की ओर से यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 30 (2) में कहीं भी यह परिकल्पना नहीं की गई थी कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को परिसमापन मूल्य का भुगतान नकद में होना चाहिए; कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 38 (1) (बी) में भी केवल असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान की प्राथमिकता के लिए प्रावधान किया गया था। वित्तीय लेनदारों को स्वीकृति देने और नकद में भुगतान करने के तरीके का उल्लेख नहीं किया गया था; कि जब स्वीकृति देने वाले वित्तीय लेनदारों को नकद में भुगतान नहीं किया जा रहा था और उन्होंने इक्विटी और भूमि पार्सल स्वीकार किए थे, तो जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड को भुगतान किया गया था।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

नकद में वित्तीय लेनदारों का असहमति व्यक्त करना सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "भुगतान" शब्द का अर्थ भी उद्धृत किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि दायित्व के निर्वहन के लिए दिए गए धन या अन्य मूल्यवान चीज़ को संहिता की धारा 30 (2) के तहत भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए।

46.1 . असहमति रखने वाले वित्तीय लेनदार के इस दावे के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने जे. आई. एल. और उक्त लेनदार के बीच समझौते की बाध्यकारी प्रकृति के साथ-साथ संहिता की धारा 30 (2) और 53 के संदर्भ में असहमति रखने वाले वित्तीय लेनदार के अधिकारों का भी उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र उपलब्ध उपाय भुगतान था। ऐसे असहमत वित्तीय लेनदार को परिसमापन राशि के बराबर राशि जो वह संहिता की धारा 53 के तहत प्राप्त करने का हकदार होगा। एनसीएलटी ने कहा,

" 91. यदि आप आई. बी. सी. के तहत संकल्प पर आते हैं, तो इसमें दो परिणाम होते हैं। एक यह है कि कुछ लेनदार मौजूदा स्थिति के समाधान के लिए सहमत हैं। दूसरा यह है कि कुछ लेनदार सहमत नहीं हो सकते हैं। संकल्प के लिए।
व्यक्ति संकल्प के लिए सहमत होते हैं, वे निस्संदेह उस व्यवस्था से बाध्य होते हैं जिस पर वे सहमत हुए थे। लेकिन किस बारे में

असंतुष्ट लेनदार, जो प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं हैं, वे संहिता की धारा 30 (2) और 53 द्वारा शासित हैं। असहमत लेनदार के मामले में, निगमित देनदार या समाधान आवेदक निगमित देनदार के स्थान पर कदम रखने के लिए बाध्य है।

निगमित देनदार और असहमत वित्तीय लेनदार के बीच किए गए पहले के अनुबंध द्वारा और फिर संहिता की धारा 53 के तहत प्रो रेटा वितरण द्वारा। एकमात्र विकल्प उपलब्ध है

अर्थात्, असहमत लेनदार को उस परिसमापन राशि के बराबर नकद में भुगतान किया जाएगा जो वह संहिता की धारा 53 के तहत प्राप्त करने का हकदार है। यह एक

असंतुष्ट वित्तीय लेनदार को देय परिसमापन राशि की गणना करने और असंतुष्ट लेनदार को उसी राशि का भुगतान करने के लिए कल्पना करना जैसे कि कंपनी का परिसमापन हो गया हो। इस तरह का भुगतान करने के लिए कंपनी को तथ्यात्मक रूप से बंद करने की आवश्यकता नहीं है।

46.2 . ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित "भुगतान" शब्द का भी एन. सी. एल. टी. द्वारा विश्लेषण किया गया था और यह कहा गया था कि दायित्व को पूरा करना होगा। देखा जा सकता है और तत्काल मामले में, दायित्व ब्याज के साथ उधार दिए गए धन का पुनर्भुगतान था। यह देखा गया कि असहमत वित्तीय लेनदारों को न केवल संहिता की धारा 53 के आधार पर बल्कि समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर भी नकद में भुगतान किया जाना था

जे. आई. एल. और असहमत वित्तीय लेनदार के बीच, निम्नलिखित शब्दों में:

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 92 ..... इसलिए यह तर्क यह कहने के लिए मुश्किल नहीं होगा कि वादे के रूप में भुगतान दायित्व का निर्वहन है। यदि वादा करने वाला भुगतान दायित्व को छोड़ने के लिए सहमत हो गया है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। इस मामले में, असहमत वित्तीय लेनदार समाधान योजना की मंजूरी के लिए सहमत नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें नकद में भुगतान किया जाएगा, न केवल संहिता की धारा 53 के तहत जनादेश के आधार पर, बल्कि समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर भी। निगमित देनदार और असहमत वित्तीय के बीच

लेनदार "।

46.3 . एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि योजना की मंजूरी मिलने पर

सी. ओ. सी. द्वारा, पक्षकारों के लिए यह कहना खुला नहीं था कि चूंकि सहमति देने वाले लेनदारों को असहमति रखने वाले लेनदार की तुलना में बेहतर व्यवहार नहीं मिल रहा था, इसलिए असहमति रखने

वाला लेनदार योजना के लिए बाध्य रहेगा और जब कोई विशेष मुद्दा कानून द्वारा शासित होता है, तो कानून में मौजूद कुछ भी समानता के आवरण के तहत किसी भी पक्ष पर नहीं थोपा जा सकता है। इसके बाद एन. सी. एल. टी. ने सी. आई. आर. पी. विनियमों की धारा 53 और विनियमन 38 के साथ संहिता की धारा 30 (2) की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े और समाधान योजना के उन पहलुओं से निपटने के लिए अपनी शक्तियों की भी जांच की जो संहिता की धारा 30 (2) के अनुरूप नहीं थे। इस प्रकार जाँच और विश्लेषण करने के बाद, एन. सी. एल. टी. ने कहा कि जब समाधान योजना धारा 30 (2) के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो आई. आर. पी. या समाधान आवेदक यह नहीं कह सकता है कि अनुमोदन निम्नलिखित के दायरे में है - सी. ओ. सी. का वाणिज्यिक विवेक, सी. ओ. सी. द्वारा जो कुछ भी तय किया गया था, वह असहमत वित्तीय लेनदार पर बाध्यकारी था और योजना को संशोधित करना उसके (एन. सी. एल. टी.) अधिकार क्षेत्र में था ताकि इसे अपनी मूल संरचना में बदलाव किए बिना कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। एन. सी. एल. टी. ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया: -

" 98. यदि धारा 30 (2) (बी) (ii) की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, और उक्त खंड के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि भुगतान होगा

संहिता की धारा 53 के तहत वित्तीय लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि, क्योंकि यह वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए है, इसके बाद यह आगे कहा गया है कि यह धारा 53 के अनुसार उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी

कोड से। 99. जब इन सभी प्रावधानों और आई. बी. बी. आई. विनिर्देशों ने असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को स्पष्ट भुगतान किया तो इसका अर्थ है

राशि, समाधान पेशेवर या समाधान आवेदक यह तर्क नहीं दे सकते कि भुगतान न केवल नकद में हो सकता है, बल्कि इसमें भी हो सकता है

दयालु।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

100. व्यक्ति किसी चीज के लिए सहमत होते हैं, वे इसके लिए सहमत हो सकते हैं

कुछ भी, इसका मतलब यह नहीं है कि असहमत व्यक्ति भी

स्वीकृति देने वाले वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाता है। कब

कोई भी वित्तीय लेनदार किसी प्रस्ताव के लिए असहमत था, वह जानता है कि वह

उस पर पड़ने वाली स्थिति से समझौता करना पड़ता है

संहिता की धारा 53। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका

धारा 53 के तहत पात्रता उपचार से कम या ज्यादा है।

वित्तीय लेनदारों को स्वीकृति देना। उनके अधिकार पहले से ही हैं

धारा 53 के तहत समझौता किया गया जिस पर उन्हें उनके अधिकार के लिए काट दिया गया

प्रो रेटा आधार। उन्हें और अधिक पीड़ा नहीं दी जा सकती है

समाधान आवेदक या सी. ओ. सी. की इच्छा। धारा 30 (2) के अनुसार

धारा 53 की पात्रता का उल्लेख किया है, और यह पीठ बनाई जा रही है

यह सत्यापित करने के लिए कि क्या धारा 30 (2) का अनुपालन किया गया है

पूरा किया गया या नहीं, आर. पी. या समाधान योजना आवेदक

यह नहीं कह सकते कि योजना की मंजूरी वाणिज्यिक के दायरे में है

इसलिए सी. ओ. सी. द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, सी. ओ. सी. का विवेक असहमत वित्तीय लेनदारों पर बाध्यकारी है। जब भी ऐसा होता है

योजना में अनुपालन मौजूद नहीं है, यह पीठ इसके लिए अधिकृत है उसी की जांच करें और योजना के बावजूद योजना में हस्तक्षेप करें

संहिता की धारा 30 (4) के तहत विचार के अनुसार अनुमोदित किया गया।

101. समाधान योजना को देखते हुए असहमत लोगों के साथ व्यवहार

उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय लेनदार, चूंकि संहिता में यह नहीं कहा गया है कि योजना को मंजूरी दी जानी चाहिए

धारा 30 (6) के तहत समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत

संहिता के अनुसार, हमारा विचार है कि इस पीठ का अधिकार क्षेत्र है -

योजना को इस हद तक संशोधित करके योजना को मंजूरी दें कि

योजना की मूल संरचना में परिवर्तन करें।

(रेखांकित मूल में है)

46.4 . इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकताओं को बनाए रखने के बाद

अपनी मूल संरचना को बनाए रखते हुए असंतुष्ट वित्तीय लेनदार के साथ व्यवहार के संबंध में योजना, एन. सी. एल. टी. ने पाया कि दो पहलू जिन्हें समाधान आवेदक द्वारा बुनियादी शर्तें बनाई गई थीं, अर्थात् 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि प्राप्त करना और पी. एम. एल. ए. को समाप्त करना।

आई. एन. आर. 750 करोड़ के उक्त कोष के संबंध में निर्णय और कानून के संशोधन द्वारा कार्यवाही का विधिवत ध्यान रखा गया था। एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के लिए, योजना को संहिता की धारा 30 (2) के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। ऐसा कहने के बाद, एन. सी. एल. टी. ने संकल्प [2021] 12 एस. सी. आर. की शर्तों को संशोधित करने के लिए आगे बढ़े।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह से योजना बनाएँ कि समाधान आवेदक असंतुष्ट वित्तीय लेनदार को ब्याज की डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ आदेश की तारीख से छह महीने से शुरू होने वाले ब्याज के साथ बारह मासिक किश्तों में संहिता की धारा 53 के संदर्भ में प्राप्य राशि का भुगतान करेगा। एन. सी. एल. टी. ने निम्नलिखित आदेश दिए: -

योजना के तहत, हम संहिता की धारा 30 (2) (बी) (ii) के अनुपालन में इसे बनाने के लिए इस योजना को संशोधित करते हैं, यह मानते हुए कि समाधान आवेदक आईसीआईसीआई को उस राशि का भुगतान करेगा जो वह इस योजना की मंजूरी की तारीख से 18 महीने के भीतर संहिता की धारा 53 के तहत प्राप्त करने का हकदार है, जो छह महीने से शुरू होने वाले स्वीकृत दावे पर ब्याज के साथ 12 समान मासिक किश्तों में है। यहाँ से। यदि
समाधान आवेदक भुगतान करने में विफल रहा है

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आईसीआईसीआई चूक की तारीख से स्वीकार किए गए दावे पर वाणिज्यिक ब्याज का दावा करने का हकदार है, जो कि 12 मासिक किश्तों के पहले महीने से है।

47. वाई. ई. आई. डी. ए. की आपत्तियों से संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक और बड़ा विवादास्पद मुद्दा। जैसा कि देखा गया है, YEIDA भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी थी और उसने रियायत में प्रवेश किया था एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए और आसपास के भूखंडों के विकास के उद्देश्य से भूमि पट्टे पर देने के लिए समझौता।

47.1 . एन. सी. एल. टी. ने देखा कि उक्त सी. ए. के अनुसार,

जे. आई. एल. को अधिग्रहित और पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में अतिरिक्त मुआवजा निगमित देनदार जे. आई. एल. का था। यह भी बताया गया कि जे. आई. एल. द्वारा इस तरह के अतिरिक्त मुआवजे के सवाल के अधीन था मध्यस्थता कार्यवाही जहाँ इस आशय का अधिनिर्णय किया गया था कि निगमित ऋणी को अतिरिक्त मुआवजे की इस राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है,

लेकिन अधिनिर्णय पर जे. ई. आई. डी. ए. द्वारा जे. ई. पी. के. एन. एस. आई. टी. एन. बोलवार्ड ए. पी. ए. आर. टी. एम. एन. टी. एस. वेलफ़ेयर के तहत कार्यवाही में सवाल उठाया गया है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34,199638-39। यीडा

समाधान योजना में इस शर्त पर अपनी आपत्ति व्यक्त की कि पुरस्कार को खारिज किए जाने की स्थिति में, YEIDA परियोजना भूमि के अंतिम उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त मुआवजे की राशि एकत्र करेगा। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि सीए में, दो भुगतान घटक मौजूद थे-एक रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा देय अधिग्रहण लागत का और दूसरा

पट्टा किराया होना, जिसका भुगतान उप-पट्टेदार/अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे घटकों को देखते हुए, आई. आर. पी. या समाधान आवेदक इस बात पर जोर नहीं दे सकता था कि वाई. ई. आई. डी. ए. को अंतिम उपयोगकर्ताओं से सीधे अधिग्रहण लागत एकत्र करनी होगी। यह भी कहा गया कि भले ही एक्सप्रेसवे के लिए उपयोग की गई भूमि 36 वर्षों के बाद वाई. ई. आई. डी. ए. को वापस करनी थी, फिर भी सी. ए. ने प्रमुख घटकों के रूप में प्रदान किया कि रियायत प्राप्तकर्ता इस अवधि के लिए टोल एकत्र करेगा और अधिग्रहण की लागत सहित सभी लागतों को वहन करना होगा; और एक्सप्रेसवे की भूमि के संबंध में कोई छूट नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि समाधान आवेदक हस्तांतरित भूमि को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकता है और कहता है कि अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान केवल विकास के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर लागू होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सी. ए. के खंड 18.1 को ध्यान में रखते हुए, किसी एस. पी. वी. को रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता के मामले में, वाई. ई. आई. डी. ए., रियायत प्राप्तकर्ता और निगमित एस. पी. वी. को शामिल करते हुए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, ताकि वाई. ई. आई. डी. ए. संबंधित एस. पी. वी. पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके; और समाधान आवेदक या सी. ओ. सी. एकपक्षीय रूप से कॉर्पोरेट देनदार के अधिकारों और दायित्वों को वाई. ई. आई. डी. ए. की सहमति के बिना एस. पी. वी. को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट के मामले में इस अदालत का निर्णय। लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। :

2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1542 को यह प्रस्तुत करने के लिए भी संदर्भित किया गया था कि आई. बी. सी.

निगमित देनदार से संबंधित लेन-देन पर लागू होने वाले प्रत्येक अधिनियम पर इसका प्रबल प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थता मामले को वापस लेने की आवश्यकता को योजना के आवरण के तहत वाई. ई. आई. डी. ए. पर जोर नहीं दिया जा सकता है; और समाधान योजना

के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा रखे गए अधिकारों को कम करने वाले कई प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, उसी को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। हालांकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह भी देखा कि इस तरह की आपत्तियों के बावजूद, वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि परियोजना जनता के लिए थी

कारण, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी

38 इसके बाद इसे 'मध्यस्थता अधिनियम' भी कहा जाता है। 39 यह दिनांकित शुद्धिपत्र 17.03.2020 और पक्षों की प्रस्तुतियों से प्रतीत होता है कि यह मुद्दा जिला न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय के समक्ष लंबित है।

बशर्ते कि इसमें 'रियायत समझौते से छूट को हटाकर' आवश्यक परिवर्तन किए गए हों।

47.2 . वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से आपत्तियों और प्रस्तुतियों से संबंधित इस मुद्दे के संबंध में, एन. सी. एल. टी. का विचार था कि सी. ओ. सी. को नहीं करना चाहिए।

समाधान योजना को यह कहते हुए मंजूरी दी है कि अतिरिक्त मुआवजा अंतिम उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया जाएगा और समाधान योजना की शर्तों को संशोधित करने के लिए आगे बढ़े हैं ताकि यह पढ़ा जा सके कि YEIDA को संबंधित SPVS के माध्यम से अधिग्रहण लागत एकत्र करने का अधिकार होगा। इस मुद्दे के संबंध में कि क्या एक्सप्रेस-वे के संबंध में अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए 36 वर्षों के बाद वाई. ई. आई. डी. ए. को वापस कर दिया जाएगा, एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना को पढ़ना उचित पाया क्योंकि इसे पक्षों के लिए खुला छोड़ दिया गया है ताकि जब भी अवसर आए, सक्षम मंच में इस मुद्दे पर उचित उपाय किया जा सके। एनसीएलटी ने यह भी देखा

कि रियायत समझौता राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित था और इसलिए, इसके नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन लागू कानून का उल्लंघन होगा। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से फिर से प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं कि उनका प्रयास केवल सी. ए. के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए था ताकि कॉर्पोरेट देनदारों या एस. पी. वी. के काम पर बकाया की प्राप्ति और पर्यवेक्षण पर उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके, लेकिन समाधान योजना की अस्वीकृति के लिए नहीं। इस मुद्दे के संबंध में वाई. ई. आई. डी. ए. की प्रासंगिक टिप्पणियाँ, निष्कर्ष और निर्देश निम्नानुसार हैं:

" 118. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने पर, अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के संबंध में, यदि मध्यस्थता कार्यवाही में निगम को कोई निर्देश दिया गया है। कर्जदार रियायत के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा देगा

समझौते के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा अतिरिक्त लागत का भुगतान किया जाएगा।

हम इस मुद्दे पर नहीं जाते कि अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए या नहीं।

अधिग्रहण लागत का हिस्सा है क्योंकि यानी एक बिंदु पहले से ही मध्यस्थ प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया और यह मुद्दा दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, अब जिस सीमित बिंदु पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या इस तरह के मुआवजे का भुगतान, यदि भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाना है।

119. जैसा कि ऊपर कहा गया है, दो भुगतान घटक आते हैं।

रियायत पाने वाले से एक अधिग्रहण लागत है, दो पट्टे का किराया है। रियायत समझौते में, यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण लागत (वास्तविक लागत) का भुगतान रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा, जहां तक पट्टे के किराए का संबंध है, यह विस्तार से बताया गया है कि लीज जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

किराया या तो उप-पट्टेदार से या अंतिम उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया जा सकता है, जहां ब्याज या तो उप-पट्टेदार या अंतिम उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरित किया जाता है। इसलिए, सी. ओ. सी. को यह कहते हुए समाधान योजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी कि यदि मुआवजा दिया जाता है, तो अंतिम उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया जाएगा। 120. इन सभी बाधाओं को दूर करने और इस समाधान योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए, हम एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि समाधान योजना को पढ़ा जाएगा क्योंकि वाई. ई. आई. डी. ए. को एस. पी. वी. के माध्यम से अधिग्रहण लागत एकत्र करने का अधिकार है

चिंतित हैं।

121. अन्य आपत्तियों के संबंध में कि एक्सप्रेसवे भूमि के संबंध में इस आधार पर अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि एक्सप्रेसवे 36 वर्षों के बाद वाई. ई. आई. डी. ए. को वापस कर दिया जाएगा, वाई. ई. आई. डी. ए. के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह भूमि लगभग 36 वर्षों के लिए टोल संग्रह के विचार पर दी गई है।

122. इस तथ्यात्मक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि दोनों रियायत समझौते द्वारा शासित हैं, इसलिए

समाधान योजना को पढ़ा जाना चाहिए कि अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए समय आने पर दोनों पक्षों के लिए सक्षम फोरम ऑफ लॉ के समक्ष इस मुद्दे पर उचित उपाय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

123. एस. पी. वी. एस. को रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण पर,

रियायत समझौते के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यह कॉर्पोरेट देनदार एक रियायत प्राप्तकर्ता है, पहली बार रियायत प्राप्तकर्ता ने अपने अधिकारों और दायित्वों को उपरोक्त दो एस. पी. वी. को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा है, हमारा विचार है कि दस्तावेजों को रियायत प्राप्तकर्ता, वाई. ई. आई. डी. ए. और प्रत्येक एस. पी. वी. के बीच निष्पादित किया जाएगा। अंत में हमें यह कहना होगा कि रियायत समझौता राज्य सरकार द्वारा बनाए गए क़ानून पर आधारित है, इसलिए रियायत समझौते के नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन संहिता की धारा 30 (2) के तहत लागू कानून का उल्लंघन है, जैसा कि ऊपर निर्णय लिया गया है। 124. अपने अधिकारों के संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले YEIDA के वकील के बावजूद, वकील ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि YEIDA का प्रयास केवल नियमों के अनुपालन के लिए है।

रियायत समझौते के नियम और शर्तें ताकि राज्य की एजेंसियां अपने बकाये की वसूली पर उचित निगरानी रख सकें

और निगमित ऋणदाता या उसके एस. पी. वी. के कार्यों पर उचित पर्यवेक्षण करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कि इस समाधान योजना को उपरोक्त आधारों पर इस पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. 750 करोड़ रुपये से संबंधित उपरोक्त प्रमुख मुद्दों, जे. ए. एल. और इसके हितधारकों, आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और वाई. ई. आई. डी. ए. की आपत्तियों से निपटने के बाद, एन. सी. एल. टी. ने अन्य मुद्दों से निपटने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। सावधि जमा धारक, कुछ पीड़ित घर खरीदार, यस बैंक और समझौता धारक।

48.1 . जहां तक सावधि जमा धारकों का संबंध है, एन. सी. एल. टी. ने प्रावधान किया कि समाधान आवेदक अपने बकाया का भुगतान करने का प्रावधान करेगा जब भी लावारिस सावधि जमा धारक इसका दावा करता है, और यह अधिकार तब तक लागू रहेगा जब तक वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दावा करने के हकदार थे। विवादित आदेश में एन. सी. एल. टी. के ये निर्देश इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत: -

" 125. एफ. डी. धारकों के भुगतानों के संबंध में जिन्होंने ऐसे दावे नहीं किए हैं जो निगमित देनदार के अभिलेखों में परिलक्षित हुए हैं,

योजना आवेदक अपने बकाया का भुगतान करने का प्रावधान करेगा जब भी लावारिस एफ. डी. धारक इसका दावा करेगा और यह अधिकार तब तक लागू रहेगा जब तक वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दावा करने के हकदार हैं।

48.2 . एन. सी. एल. टी. ने कुछ घर खरीदारों की दलीलों पर भी ध्यान दिया जो समाधान योजना से सहमत नहीं थे।

सवाल करते हैं। असंतुष्ट घर खरीदारों ने कहा कि फ्लैटों को पूरा करने के लिए समाधान योजना में दी गई समय-सीमा व्यावहारिक नहीं थी; नाममात्र ब्याज की सीमा को छोड़कर, परिकल्पित समय-सीमा के भीतर फ्लैटों को पूरा नहीं करने की स्थिति में धन की वापसी के लिए कोई खंड नहीं था; और घर खरीदारों का मतदान हिस्सा केवल 57.66% होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि फ्लैटों की मंजूरी के लिए शत-प्रतिशत सहमति दी गई थी।

सीओसी द्वारा समाधान योजना। एन. सी. एल. टी. ने ऐसे विरोधियों को असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया क्योंकि लेनदारों के इस वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि ने समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया था। एन. सी. एल. टी. ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया: -

" 126. एक रश्मि सिंघल और एक अन्य आवेदक ने खुद को असंतुष्ट घर खरीदार बताते हुए आई. ए. 871/2020 दायर किया, जिसमें कहा गया कि फ्लैटों को पूरा करने के लिए समाधान योजना में दी गई समय सीमाएं नहीं हैं। योजना में
उल्लिखित नाममात्र ब्याज की सीमा को छोड़कर, योजना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर फ्लैट पूरा नहीं होने की स्थिति में धन की वापसी के लिए कोई खंड नहीं होने के कारण,

ये दोनों प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने समाधान योजना के अनुमोदन के लिए असहमति जताई है। उन्होंने आगे मतदान के हिस्से पर भरोसा करते हुए कहा कि घर खरीदारों का मतदान हिस्सा केवल 57.66% है, इसलिए यह जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर नहीं हो सकता है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कहा जाता है कि सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के लिए सौ प्रतिशत सहमति दी गई है। आई. बी. सी. के तहत एक नियम होने के कारण, जब भी किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किए गए लेनदारों के एक वर्ग से 50 प्रतिशत से अधिक मतदान होता है, तो 50 प्रतिशत से अधिक के लिए अधिकृत प्रतिनिधि को दी गई मंजूरी 100% अनुमोदन बन जाएगी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष घर खरीदारों को असहमत करना सी. ओ. सी. के कुल मतदान के खिलाफ असहमत वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा। यदि अधिकृत प्रतिनिधि सी. ओ. सी. में असहमत होता है, तो लेनदारों के संबंधित वर्ग को असंतुष्ट वित्तीय लेनदार माना जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई असहमतिपूर्ण वित्तीय

लेनदार वहाँ है, उसका एकमात्र ध्यान यह है कि उसे संहिता की धारा 30 (2) के अनुसार भुगतान किया गया है या नहीं, लेकिन यह देखने के लिए नहीं कि क्या

समाधान योजना व्यवहार्य है या नहीं "।

48.3 . समाधान योजना में अपने उधारकर्ता (जे. एच. एल.) के शेयरों से निपटने के खिलाफ जे. आई. एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जयप्रकाश हेल्थकेयर लिमिटेड को ऋण देने वाले यस बैंक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में, एन. सी. एल. टी. ने कहा कि समाधान आवेदक और उक्त बैंक जे. एच. एल. के शेयरों और परिसंपत्तियों से निपटने के लिए एक समिति के गठन के लिए सहमत हुए थे, इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। एनसीएलटी ने कहा -

" 127. जे. आई. एल. की सहायक कंपनी जयप्रकाश हेल्थकेयर को ऋण देने वाले यस बैंक ने भी कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित हेल्थकेयर के शेयरों के लेनदेन पर आपत्ति जताई है। हालाँकि, चूंकि समाधान आवेदक और यस बैंक सहायक कंपनी के शेयरों और परिसंपत्तियों से निपटने के लिए एक समिति के गठन के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए हम किसी भी दायित्व के अधीन नहीं हैं। इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए "।

48.4 . समाधान आवेदक द्वारा उन लेन-देनों को रद्द करने के लिए आरक्षित अधिकार के संबंध में जहां भूमि के कुछ अंश हस्तांतरित किए गए थे।

समझौतों को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा सामान्य रूप से निष्पादित किया गया था। सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले इसके व्यवसाय और धन थे

और इसलिए, ऐसे समझौतों को एकतरफा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता था। एन. सी. एल. टी. ने आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. द्वारा जवाबी प्रस्तुतियों पर भी ध्यान दिया कि कॉर्पोरेट देनदार और समझौता धारकों के बीच कथित रूप से निष्पादित समझौतों का निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन [2021] 12 एस. सी. आर.

समाधान आवेदक ने ऐसे उपकरणों को रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है जहां भी कॉर्पोरेट देनदार ने उचित समझौतों के बिना और विचार के समर्थन के बिना सौदे किए थे। इस संबंध में,

एन. सी. एल. टी. ने कहा कि यदि कोई समझौता कानूनी रूप से वैध नहीं था और विचार की कमी से ग्रस्त था, तो यह कहने की भी आवश्यकता नहीं थी कि इस तरह के समझौते को संबंधित पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि तब भी जब इस तरह का एक खंड था उल्लिखित, समझौता धारकों ने सक्षम मंच में उपचार लेने का अपना अधिकार नहीं खोया था; और मामले के इस हिस्से को निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया: -

" 132. यह एक तुच्छ कानून है जब कोई समझौता कानून की नजर में मान्य नहीं है और उस पर विचार नहीं किया गया है, तो इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

अलग से कहा कि इस तरह के समझौते को रद्द किया जा सकता है प्रभावित पार्टी।

133. हालांकि इस तरह के खंड का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता धारकों ने सक्षम मंच के समक्ष अपनी शिकायतों के लिए उपचार लेने का अपना अधिकार खो दिया है, इसके मद्देनजर,

खंड को अधिकारों को प्रभावित करने वाले खंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए

कथित समझौता धारकों "।

48.5 . एन. सी. एल. टी. ने 858 एकड़ भूमि को शामिल करने के खिलाफ जे. ए. एल. और अन्य विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में भी टिप्पणियां कीं।

समाधान योजना का हिस्सा और बताया कि अनुज जैन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के दिनांक 26.02.2020 के फैसले के बाद इस तरह की आपत्ति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी।

49. इस प्रकार प्रासंगिक आपत्तियों से निपटने के बाद, एनसीएलटी

अपने आदेश के पांचवें खंड में प्रवेश किया और आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों/निर्देशों के साथ राहत और रियायतों से संबंधित प्रावधानों से निपटा गया: -

उपरोक्त चर्चा में खंड 1 से 5 को पहले ही शामिल किया जा चुका है। खंड सं. 6: - आयकर की पिछली देनदारियों के संबंध में

अधिकार, वे बुझा दिए जाएँगे।

40 इस आंकड़े को एन. सी. एल. टी. द्वारा 17.03.2020 पर इस न्यायालय के दिनांकित 26.02.2020 के आदेश के संदर्भ में '758 एकड़' के रूप में सही किया गया था।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

खंड सं. 7: - चूंकि निगमित देनदार की शेयर पूंजी में कमी इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

अभी तक निगमित नहीं की गई कंपनियों के संबंध में शेयर पूंजी को कम करने की प्रक्रिया को माफ नहीं कर सकते।

खंड संख्या 8 और 10: - खंड 8 में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क का भुगतान कानून के तहत अनुमत सीमा तक माफ कर दिया गया है।

खंड संख्या 9: - सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले पिछले दावों से उत्पन्न होने वाले किसी भी गैर-अनुपालन का इस निगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यहाँ से ऋणी। खंड संख्या 11: - निगमित देनदार के ऋणदाता सभी खातों को नियमित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण का ऐसा वर्गीकरण किया जाए।

हस्तांतरण की तारीखों से उनकी पुस्तकों में खाता मानक है।

खंड संख्या 12: - आर. पी. के समक्ष रखे गए सभी दावे और उन दावों से संबंधित किसी भी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाता है।

खंड संख्या 13: - विकास से संबंधित अनुबंधों के बारे में

जे. ए. एल. द्वारा, समाधान आवेदक उसी को समाप्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि दावों के संबंध में, यदि कोई हो, तो समाधान आवेदक को जे. ए. एल. के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

खंड सं. 14: - वाई. ई. आई. डी. ए. के संबंध में रियायत समझौते से उत्पन्न होने वाले दायित्व के संबंध में, चूंकि वे मुद्दे रियायत समझौते द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए यह पीठ कंपनी ऋणदाता के खिलाफ वाई. ई. आई. डी. ए. के अधिकारों को रद्द नहीं कर सकती है।

रियायत समझौता।

खंड सं. 15: - निगमित देनदार और तीसरे पक्ष के बीच निष्पादित उप-पट्टों के लिए समझौते, जो कानून के अनुसार नहीं हैं और भौतिक प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं हैं, समाधान आवेदक को कानून के अनुसार समाप्त करने का अधिकार होगा।

खंड सं. 16 से 18: - समाधान आवेदक को अनुमोदन तिथि से 12 महीने का समय दिया जाता है ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके

निगमित देनदार या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अनुमोदन तिथि तक की किसी भी अवधि से संबंधित लागू कानूनों और प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस, यदि कोई हों, का अनुपालन न करना।

खंड संख्या 19: - अचल संपत्ति के विकास के लिए जे. ए. एल. को हस्तांतरित के रूप में दिखाई गई भूमि के संबंध में, जहां स्वामित्व और स्वामित्व अभी भी निगमित देनदार के पास है, समाधान आवेदक कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। खंड सं. 20: - यह कहने की जरूरत नहीं है कि सी. आई. आर. प्रक्रिया के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आई. आर. पी. को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। आई. आर. पी. और समाधान आवेदक निगमित देनदार के पूर्व प्रबंधन द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

खंड सं. 21: - उपरोक्त चर्चा में इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

खंड संख्या 22: - संकल्प आवेदक के साथ सीडी की पुस्तकों के समेकन के उद्देश्य से, प्रभावी तिथि को तुरंत बाद की तिमाही के पहले दिन के रूप में माना जाएगा।

चतुर्थांश जिसमें समाधान आवेदक सीडी का अधिग्रहण पूरा करता है।

खंड संख्या 23: - यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या यह जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को गिरवी रखी गई निगमित देनदार की भूमि का उल्लेख कर रहा है, यदि ऐसा है, क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, तो इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

खंड संख्या 24: - सभी समझौतों को रद्द करने का यह सामान्यीकरण

जब तक प्रत्येक लेन-देन विशेष रूप से नहीं किया जाता है, तब तक इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है।

खंड सं. 25: - समाधान आवेदक सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद समाधान योजना को संशोधित नहीं कर सकता है।

खंड संख्या 26: - आई. आर. पी. के समक्ष रखे गए दावों और सी. डी. की अन्य देनदारियों के बारे में जो कंपनी के रिकॉर्ड में दिखाए गए हैं और जहां ऐसे लेनदारों को नोटिस दिया गया है, उन्हें अनुमोदन तिथि के बाद वापस लिया जा सकता है। खंड संख्या 27: - वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा रियायत अवधि के

विस्तार के संबंध में, यह निर्णय लेने के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. है कि ऐसा विस्तार दिया जाना चाहिए या नहीं।

खंड संख्या 28: - यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण केवल केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को समझौता करने का निर्देश दे सकता है

कानून के तहत अनुमत सीमा तक अनुमतियाँ। जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

50. जहां तक अन्य आवेदनों/आपत्तियों का संबंध है, एन. सी. एल. टी. ने जहां भी आवश्यक हो, टिप्पणियों के साथ उनका निपटारा किया। हमें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सभी टिप्पणियाँ लेकिन उपयोगी रूप से ऐसे दो आवेदनों की अस्वीकृति की ओर इशारा कर सकती हैं।

50.1 . ऐसा ही एक आवेदन घर खरीदारों में से एक के फाइनेंसर द्वारा दायर किया गया था, जिसमें सी. ओ. सी. में इसे शामिल करने की मांग की गई थी। यह आवेदन था

निम्नलिखित शब्दों में गलत धारणा के रूप में खारिज किया गया: -

" पी. एन. बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा इस आवेदक को सी. ओ. सी. में शामिल करने के लिए आई. आर. पी. को निर्देश देने के लिए सी. ए.-74/2019 दायर किया गया और यदि घर खरीदारों को कोई राशि वापस की जाती है, तो आवेदक को देय राशि का भुगतान इस आवेदक को किया जाना चाहिए क्योंकि यह घर खरीदारों के लिए ऋणदाता है। इस आवेदन को गलत धारणा के रूप में खारिज कर दिया गया है, क्योंकि घर के ऋणदाता-खरीदारों को सीडी का वित्तीय लेनदार होने का कोई अधिकार नहीं होगा।

50.2 . तीन घर खरीदारों द्वारा एक अन्य आवेदन दायर किया गया था जिसमें सी. ओ. सी. दिनांकित 01.03.2019 के कार्यवृत्त को रद्द करने में राहत की मांग की गई थी; कॉर्पोरेट देनदार की फोरेंसिक भूमि लेखा परीक्षा करने के निर्देश के लिए; और आई. आर. पी. को विभिन्न निर्देशों के लिए, जैसे कि रियायत समझौते पर कानूनी राय लेना, एक्सप्रेसवे लागत वृद्धि का विश्लेषण, घर खरीदारों के प्रश्नों की जानकारी और उत्तर प्रदान करना आदि। आदि। एन. सी. एल. टी. ने इन आवेदकों के प्रस्तावों को नोट किया और इस टिप्पणी के साथ आवेदन को खारिज कर दिया कि वे हजारों में से तीन व्यक्ति थे।

घर खरीदार और यदि ऐसे मुद्दों की जांच की जानी थी और निर्णय लिया जाना था, समाधान प्रक्रिया कभी पूरी नहीं की जा सकती थी और समाधान योजना के अनुमोदन के चरण में, यदि इस तरह की आपत्तियों की अनुमति दी जाती, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। एनसीएलटी ने कहा -

" यह श्री हेमंत कुमार और दो अन्य लोगों द्वारा दायर एक आवेदन है, जिनके पास सी. ओ. सी. में प्रत्यक्ष मतदान नहीं है, क्योंकि हजारों घर-खरीदार हैं, उनमें से ये तीन संख्या में बहुत कम हैं, अगर इन सभी मुद्दों की जांच की जानी है और निर्णय लिया जाना है, और उपचार की प्रतीक्षा की जानी है, तो यह समाधान प्रक्रिया इसके दो साल बाद भी पूरी नहीं होगी। इसके अलावा, इस समाधान योजना के अनुमोदन के समय, यदि इस तरह की आपत्तियों की अनुमति दी जाती है, तो इसका कोई अंत नहीं हो सकता है, इसलिए यह आवेदन

एतद्द्वारा खारिज किया जाता है "।

51. उपरोक्त के साथ, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने सभी आवेदनों का निपटारा करते हुए इस मामले पर निष्कर्ष निकाला और जबकि [2021] 12 एस. सी. आर.

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सभी हितधारक इस प्रकार पारित आदेश से बंधे रहेंगे। हालाँकि, विभिन्न हितधारकों को विभिन्न प्रस्तुतियाँ करनी होती हैं और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेश के विरुद्ध विभिन्न आपत्तियाँ।

52. संहिता की धारा 31 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश की प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान देने के बाद, इस आदेश की महत्वपूर्ण विशेषताओं और निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना सार्थक होगा क्योंकि आगामी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उसमें दिए गए निर्देशों के इर्द-गिर्द घूमता होगा। प्रासंगिक पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

चित्रा शर्मा (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई राशि निगमित देनदार जे. आई. एल. की संपत्ति बन गई है और उक्त धन का उपयोग घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना था। जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को देय राशि के सवाल के संबंध में, यह निर्देश दिया गया था कि जे. ए. एल. 274 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि का भुगतान करेगा और खातों के मिलान के बाद, जिसे भी बकाया देय पाया गया, उसे आगे का भुगतान किया जाएगा। (ख) जहां तक असंतुष्ट वित्तीय लेनदार आईसीआईसीआई बैंक की आपत्तियों का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माना कि इस तरह के लेनदारों को भुगतान किया जाता है।

असहमति जताने वाले वित्तीय लेनदार को आदेश के छह महीने बाद अर्जित होने वाले ब्याज के साथ बारह मासिक किश्तों के रूप में, संहिता की धारा 53 के तहत हकदार राशि के अनुसार नकद में बनाया जाएगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा यह भी देखा गया कि उसके पास था

संहिता की धारा 30 (2) का अनुपालन किया गया, जब तक कि इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं किया गया था। (ग) जहां तक वाई. ई. आई. डी. ए. की आपत्तियों का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि वाई. ई. आई. डी. ए. को अधिग्रहण लागत एकत्र करने का अधिकार होगा।

एस. पी. वी. को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया ताकि समाधान योजना को रियायत समझौते की शर्तों के अनुरूप बनाया जा सके; हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया

उचित स्तर पर उचित कार्रवाई करने के लिए इसे पक्षों पर छोड़ दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिकारों के हस्तांतरण के लिए और जेयपी केन्सिंगटन बॉउलेवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(घ) जहां तक सावधि जमा धारकों से संबंधित मुद्दे का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने प्रावधान किया है कि समाधान आवेदक उन सावधि जमा धारकों के बकाया का भुगतान करने का प्रावधान, जिन्होंने दावा नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दावा न किए गए सावधि जमा धारकों के बकाया को पूरा करने के लिए समाधान योजना में एक और संशोधन का निर्देश दिया।

(ई) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कुछ पीड़ित घर खरीदारों द्वारा ली जाने वाली आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि उन्हें असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत या माना नहीं जा सकता था।

(छ) जहां तक समझौता धारकों का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि यदि कोई समझौता कानून में मान्य नहीं है और इससे पीड़ित है विचार करने के लिए, यह कहने की भी आवश्यकता नहीं थी कि इस तरह के समझौते को संबंधित पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। हालांकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह भी कहा कि तब भी जब ऐसा खंड था

समाधान योजना में उल्लेख किया गया है कि समझौता धारकों ने सक्षम मंच में उपचार लेने का अपना अधिकार नहीं खोया था।

(ज) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आम तौर पर समाधान योजना की अनुसूची 3 में 'राहत और रियायतों' से संबंधित खंडों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर विभिन्न अन्य आवेदनों पर भी विचार करता है। प्रस्ताव आवेदक द्वारा मांगी गई कुछ राहतों और रियायतों को संबंधित खंडों के खिलाफ निर्दिष्ट कारणों से प्रदान नहीं किया गया था या अस्वीकार कर दिया गया था। अन्य आवेदनों/आपत्तियों को कुछ टिप्पणियों के साथ निपटाया गया।

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अंतरिम आदेश 22.04.2020

व्यवस्था 53. जैसा कि शुरुआत में देखा गया था, उपरोक्त आदेश दिनांक 03.03.2020 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न अपीलों में चुनौती दी गई थी

(एन. सी. एल. ए. टी.), जिसे हमने इस मुकदमे से संबंधित सभी कारकों पर ध्यान देने और अनुरोधों को स्वीकार करने के बाद इस न्यायालय से वापस ले लिया है [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित पक्षों द्वारा किया गया। इस तरह के अनुरोध तब किए गए थे जब मामले पहली बार एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए हमारे सामने पेश हुए थे, जिसके तहत एन. सी. एल. ए. टी. ने विचाराधीन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अंतरिम निगरानी समिति के गठन की अंतरिम व्यवस्था की थी। उक्त आदेश दिनांक 22.04.2020, इस समूह में चुनौती का विषय होने के कारण, कथा को पूरा करने के लिए उपयोगी रूप से देखा जा सकता है।

54. समाधान आवेदक एनबीसीसी ने इसके खिलाफ अपील की

जहां तक उसने समाधान योजना में किए गए संशोधनों से व्यथित महसूस किया है, उपरोक्त आदेश दिनांक 03.03.2020। उस अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने गैर-प्रतिनिधित्व वाले पक्षों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि अनुमोदित समाधान योजना को अपील के परिणाम के अधीन लागू किया जा सकता है, लेकिन साथ ही, यह भी प्रावधान किया गया था कि आई. आर. पी. एक अंतरिम निगरानी समिति का गठन कर सकती है जिसमें सफल समाधान आवेदक (एन. बी. सी. सी.) और तीन प्रमुख संस्थागत वित्तीय लेनदार, जो सी. ओ. सी. के सदस्य थे। यह विवादित अंतरिम आदेश दिनांक 22.04.2020 निम्नानुसार है: -

" 22.04.2020 अपीलकर्ता-एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, जो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ शुरू की गई 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' में सफल समाधान आवेदक के रूप में उभरा है, उसके द्वारा प्रस्तुत 'समाधान योजना' में विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए संशोधनों से व्यथित है और जैसा कि लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिस हद तक वह आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आपत्तियों की अनुमति देता है और भुगतान का निर्देश देता है।

लावारिस सावधि जमा धारक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण व्यावसायिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सका निर्धारित मतदान शेयरों द्वारा ली गई लेनदारों की समिति और विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपनी सीमा को पार कर लिया

इस तरह के संशोधन करने में अधिकार क्षेत्र।

मुख्य में स्पीड पोस्ट के माध्यम से उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें

अपील के साथ-साथ अंतरिम आवेदन में भी।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की ओर से सुश्री मीशा, विद्वान वकील, नोटिस स्वीकार करती हैं। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से-अंतरिम संकल्प

पेशेवर, श्री सुमंत बत्रा, विद्वान वकील नोटिस स्वीकार करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 5-आई. डी. बी. आई. बैंक की ओर से विद्वान वकील श्री बिध्वजीत दुबे नोटिस स्वीकार करते हैं। इन उत्तरदाताओं को आगे कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त उत्तरदाता अपना उत्तर जयपी केंसिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर में दाखिल कर सकते हैं।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र। प्रत्युत्तर, यदि कोई हो तो उसके एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

उत्तरदाता Nos.2 और 3 को नोटिस दिया जाए। प्रक्रिया शुल्क के साथ आवश्यकताएं तीन दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। यदि अपीलकर्ता उत्तरदाताओं के ईमेल पते प्रदान करता है, तो सेवा को ऐसा होने दें

ईमेल के माध्यम से भी।

श्री सुमंत बत्रा, विद्वान वकील 'संकल्प' का प्रतिनिधित्व करते हुए

पेशेवर 'कुछ के संबंध में अपील दायर करने का इरादा रखता है

आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 103 में की गई टिप्पणियाँ।

हमें बताया गया है कि 'सफल समाधान योजना' के कार्यान्वयन में 'सफल समाधान आवेदक' यानी एन. बी. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड के साथ-साथ तीन प्रमुख कंपनियों की भागीदारी शामिल होगी। संस्थागत वित्तीय लेनदार, जो इसके सदस्य हैं

' ऋणदाताओं की समिति अर्थात आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड, आई. आई. एफ. सी. एल. और एल. आई. सी.

इस बीच, अगले आदेश तक, इस अपील के परिणाम के अधीन अनुमोदित 'समाधान योजना' को लागू किया जा सकता है। अंतरिम

समाधान पेशेवर 'अंतरिम निगरानी' का गठन कर सकते हैं

समिति 'जिसमें' सफल समाधान आवेदक 'अर्थात अपीलार्थी और तीन प्रमुख संस्थागत वित्तीय लेनदार शामिल हैं, जो लेनदारों की समिति के सदस्य थे'

जैसा कि ऊपर बताया गया है।

श्री सुमंत बत्रा, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अभी तक वे 'कॉर्पोरेट देनदार' के मामलों को जारी रख रहे हैं और उनका प्रबंधन कर रहे हैं। समाधान पेशेवर, जो 'अंतरिम निगरानी समिति' का घटक होगा, को इस आदेश की तारीख से 'अंतरिम निगरानी समिति' द्वारा उचित समझा जाने वाला भुगतान जारी रहेगा। यदि अतीत के लिए कोई शुल्क बकाया है

समाधान पेशेवर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

' कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का भुगतान 'लेनदारों की समिति' के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। ये

15 मई, 2020 को 'नोटिस के बाद प्रवेश' के लिए मामले को सूचीबद्ध करें। प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

55. पक्षों और उनके संबंधित हितों पर ध्यान देने के बाद; निर्धारण के लिए प्रारंभिक बिंदु; प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि, विशेष रूप से इस न्यायालय [2021] 12 एस. सी. आर. के तीन फैसलों के संदर्भ में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 09.08.2018,06.11.2019 और 26.02.2020; समाधान योजना की मुख्य विशेषताएं; और विवादित आदेशों के प्रमुख पहलू, अब हम उन प्रावधानों को देख सकते हैं जो मामलों के इस समूह में उत्पन्न होने वाले बिंदुओं के निर्धारण के लिए प्रासंगिक होंगे।

56. जबकि संहिता में आम तौर पर उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों को धारा 3 में परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर, भाग के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ दिवाला समाधान और निगमित व्यक्तियों के परिसमापन से संबंधित संहिता की धारा 2 को इसकी धारा 5 में परिभाषित किया गया है।

56.1 . धारा 3 में होने वाली प्रासंगिक परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

" धारा 3 (8): " निगमित देनदार "का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जो

किसी भी व्यक्ति को ऋण देना पड़ता है;

धारा 3 (10): " लेनदार "से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर ऋण बकाया है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक

धारा 3 (12): " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गया हो। और देय है और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है,

जैसा भी मामला हो;
धारा 3 (30): " सुरक्षित लेनदार "का अर्थ है पक्ष में लेनदार

जिनका सुरक्षा हित बनाया जाता है;

धारा 3 (31): " प्रतिभूति ब्याज का अर्थ है अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या संपत्ति का दावा, जो किसी लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया है, या उसके लिए प्रदान किया गया है जो किसी दायित्व के भुगतान या प्रदर्शन को सुरक्षित करता है और जिसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना शामिल है।

समनुदेशन और बोझ या कोई अन्य समझौता या

किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करने वाली व्यवस्था:

बशर्ते कि प्रतिभूति हित में प्रदर्शन शामिल नहीं होगा

गारंटी; "

56.2 . इस उद्देश्य के लिए धारा 5 में होने वाली प्रासंगिक परिभाषाएँ

संहिता के भाग II के अंश इस प्रकार हैं:

- जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" धारा 5 (1): " न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "से, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अभिप्रेत है -

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408; धारा 5 (7): " वित्तीय लेनदार "से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे

(ख) किसी भी स्वीकृति ऋण सुविधा या उसके अव्यावहारिक समतुल्य के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई राशि; (ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या इसी तरह की किसी भी राशि के जारी होने के बाद जुटाई गई राशि।

उपकरण;

(घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

(ई) गैर-सहारा आधार पर बेची गई किसी भी प्राप्य वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्त वस्तुएँ;

(च) किसी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता भी शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव पड़ता है;

41 41 [स्पष्टीकरण। - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

((ii) "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" शब्दों के अर्थ खंड (घ) और खंड (घ) में क्रमशः दिए गए होंगे। (अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2;]

2018 के अधिनियम 26 w.r.e.f द्वारा स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। 06.06.2018।

(छ) के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेन-देन

किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ और किसी भी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।

(ज) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व;

(i) इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि;

धारा 5 (20): " "प्रचालन ऋणदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर प्रचालन ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है;

धारा 5 (21): " प्रचालन ऋण का अर्थ है वस्तु या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एक दावा जिसमें रोजगार या ऋण शामिल है, जो उस समय लागू किसी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में है और केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय है।

धारा 5 (25): " समाधान आवेदक का अर्थ है एक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत दिए गए निमंत्रण के अनुसार समाधान पेशेवर के लिए योजना बनाना;

धारा 5 (26): " समाधान योजना "का अर्थ है द्वारा प्रस्तावित एक योजना

भाग II के अनुसार एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के दिवाला समाधान के लिए समाधान आवेदक

42 [स्पष्टीकरण। - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समाधान योजना में निगमित देनदार के पुनर्गठन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जिसमें विलय, समामेलन और पृथक्करण शामिल हैं;]

धारा 5 (27): " इस भाग के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर का अर्थ है एक दिवाला पेशेवर जिसे निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसमें एक अंतरिम शामिल है

समाधान पेशेवर; और

2019 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 16.08.2019)।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निगमित देनदार "। 57. जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, और जो खोजने के लिए बहुत दूर नहीं है,

06.06.2018 से प्रभावी धारा 5 के खंड (8) के उपखंड (एफ) में डाले गए स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत किसी आवंटनकर्ता से जुटाई गई किसी भी राशि

को उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव माना जाता है और इस प्रकार, यह "वित्तीय ऋण" के विवरण का जवाब देता है। इस स्पष्टीकरण का प्रासंगिक परिणाम

संशोधन यह है कि एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसा आबंटित व्यक्ति निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार की क्षमता में है। इस संशोधन से पहले, इस तरह के आवंटनकर्ता को केवल एक 'अन्य लेनदार' के रूप में माना जाना चाहिए था और चित्रा शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय में मुकदमेबाजी के पीछे यही प्रमुख कारण था। पूर्ण और सार्थक के लिए

संहिता की धारा 5 (8) (च) में अंत:स्थापित इस स्पष्टीकरण को समझते हुए, इसके लिए निर्धारित अर्थों पर ध्यान देना सुसंगत होगा। आर. ई. आर. ए. में "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" शब्द हैं। आर. ई. आर. ए. की धारा 2 के निर्दिष्ट खंड (डी) और (जेड. एन.) निम्नानुसार हैं: -

" धारा 2 (घ): " आबंटित "किसी अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में, का अर्थ है

जो बाद में बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा के माध्यम से उक्त आवंटन प्राप्त करता है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसे ऐसा भूखंड, अपार्टमेंट या भवन, जैसा भी मामला हो, किराए पर दिया जाता है; धारा 2 (जेडएन): " अचल संपत्ति परियोजना "का अर्थ है एक इमारत या एक इमारत का विकास जिसमें या अपार्टमेंट शामिल हैं, या एक इमारत को परिवर्तित करना।

मौजूदा इमारत या उसके एक हिस्से को अपार्टमेंट में, या

भूखंडों या आवासों में भूमि का विकास, जैसा भी मामला हो, सभी या कुछ कथित आवासों या भूखंडों या भवनों को बेचने के उद्देश्य से, और इसमें सामान्य क्षेत्र, विकास कार्य, सभी सुधार और संरचनाएं शामिल हैं।

वहाँ; "

58. अब हम संहिता में निहित प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और जैसा कि [2021] 12 एस. सी. आर. में मामले पर लागू होता है।

विशेष रूप से अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्यों से संबंधित धारा 18; धारा 21 जो ऋणदाताओं की समिति की संरचना और उससे संबंधित मामलों को निर्दिष्ट करती है; धारा 24 जो ऋणदाताओं की समिति की बैठक के लिए मानदंडों को निर्धारित करती है; समाधान पेशेवर के कर्तव्यों से संबंधित धारा 25; वित्तीय ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में 06.06.2018 से प्रभावी और 16.08.2019 से प्रभावी रूप से संशोधित धारा 25A; समाधान योजना की आवश्यक

बातों पर धारा 30 और समाधान पेशेवर द्वारा ऋणदाताओं की समिति को इसे प्रस्तुत करना; न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित धारा 31; समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित धारा 32 और 61 और समाधान योजना और समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित धारा 32 और 61। ये प्रावधान इस प्रकार हैं: -

" धारा 18. अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य। - द.

अंतरिम समाधान पेशेवर निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे,

अर्थात्: (क) निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए निगमित देनदार की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करें, जिसमें निगमित देनदार से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

(i) पिछले दो वर्षों के लिए व्यावसायिक संचालन;

((ii) पिछले दो वर्षों के लिए वित्तीय और परिचालन भुगतान।

वर्षों से;

((ग) प्रारंभ की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची; और ((घ) ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) धाराओं के तहत की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करें और उनका मिलान करें।

13 और 15;

(ग) लेनदारों की एक समिति का गठन करना;

(घ) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निगरानी करना और उनका प्रबंधन करना।

जब तक एक समाधान पेशेवर द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक संचालन

लेनदारों की समिति; (ई) यदि आवश्यक हो तो सूचना उपयोगिता के साथ एकत्र की गई फाइल जानकारी; और

(च) किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना जिस पर निगम का अधिकार हो। देनदार के पास स्वामित्व अधिकार हैं जैसा कि जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफेयर की बैलेंस शीट में दर्ज है।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निगमित देनदार, या सूचना उपयोगिता या भंडार के साथ

प्रतिभूतियों या किसी अन्य रजिस्ट्री के स्वामित्व को दर्ज करता है

सहित परिसंपत्तियाँ

जो किसी विदेशी देश में स्थित हो सकता है; ((ii) ऐसी परिसंपत्तियाँ जो निगम के कब्जे में हों या न हों।

कर्जदार;

((ग) मूर्त परिसंपत्तियाँ, चाहे वह चल हो या अचल; ((iv) बौद्धिक संपदा सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ;

(v) किसी भी सहायक कंपनी में रखे गए शेयरों सहित प्रतिभूतियाँ।

निगमित देनदार, वित्तीय साधन, बीमा पॉलिसियाँ;

(vi) अदालत द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ।

या प्राधिकार:

(छ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

स्पष्टीकरण। इस [धारा] 4 3 के प्रयोजनों के लिए, पद " परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:

(क) निगम के कब्जे में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ

न्यास के तहत या संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत रखे गए देनदार जिनमें शामिल हैं -

जमानत;

((ख) निगम की किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

ऋणी; और (ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से।

44 धारा 21. ऋणदाताओं की समिति। - (1) अंतरिम

समाधान पेशेवर प्राप्त सभी दावों के मिलान के बाद करेगा

निगमित देनदार के विरुद्ध और वित्तीय निर्धारण

निगमित देनदार की स्थिति, लेनदारों की एक समिति का गठन करती है।

2018 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 14 , "उप-अनुभाग" (w.r.e.f) के लिए। 06.06.2018)। 2018 के अधिनियम 26 द्वारा इसके संशोधन में धारा 21 में विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं: 06.06.2018 जिसमें कुछ अभिव्यक्तियों के प्रतिस्थापन/लोप के साथ-साथ कुछ प्रावधान भी शामिल हैं। सभी सूक्ष्म विवरणों को एक तरफ रखते हुए, हम यह संकेत दे सकते हैं कि इसी संशोधन द्वारा, उप-धाराओं (6ए) और (6बी) को भी संपादित किया गया था और उप-धाराओं (7) और (8) को प्रतिस्थापित किया गया था। उनके प्रतिस्थापन से पहले, उप

एन. एस. (7) और (8) निम्नानुसार थे:

" (7) बोर्ड मतदान हिस्सेदारी निर्धारित करने का तरीका निर्दिष्ट कर सकता है।

उप-धारा (6) के तहत प्रतिभूतियों के रूप में जारी किए गए वित्तीय ऋणों का।

(2) लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे:

बशर्ते कि कोई वित्तीय लेनदार या अधिकृत

धारा 24 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6ए) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार के प्रतिनिधि को, यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो उसे कोई अधिकार नहीं होगा -

ऋणदाताओं की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान।

बशर्ते कि पहला परंतुक एक पर लागू नहीं होगा

प्रारंभ की तारीख। (3) उप-धारा (6) और (6ए) के अधीन रहते हुए, जहां निगमित देनदार पर दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों का वित्तीय ऋण बकाया है -

किसी संघ या समझौते का हिस्सा, प्रत्येक ऐसा वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनके मतदान का हिस्सा उनके बकाया वित्तीय ऋणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(4) जहाँ कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदार होने के साथ-साथ एक परिचालन लेनदार भी है,

(क) ऐसा व्यक्ति इस हद तक वित्तीय लेनदार होगा कि -

निगमित देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण, और ऋणदाताओं की समिति में शामिल किया जाएगा, जिसके अनुपात में मतदान का हिस्सा होगा ऐसे लेनदार को देय वित्तीय ऋणों की सीमा;

ऐसे लेनदार का ऋणी। (5) जहां एक परिचालन लेनदार ने किसी वित्तीय लेनदार को कोई परिचालन ऋण सौंपा है या कानूनी रूप से हस्तांतरित किया है,

(8) ऋणदाताओं की समिति के सभी निर्णय नहीं के मत से लिए जाएंगे।

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का पचहत्तर प्रतिशत:

बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से कार्रवाई का प्रयोग करेंगे। जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समनुदेशन या हस्तांतरणकर्ता को इस तरह के समनुदेशन या कानूनी हस्तांतरण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा। (6) जहां वित्तीय ऋण की शर्तें एक संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा के हिस्से के रूप में विस्तारित की जाती हैं,

एकल न्यासी या अभिकर्ता सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करेगा, प्रत्येक वित्तीय लेनदार कर सकता है

(क) न्यासी या अभिकर्ता को अपने मतदान के हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करें;

(ख) ऋणदाताओं की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करें

उनके मतदान के हिस्से की सीमा;

(ग) एक दिवालिया पेशेवर को नियुक्त करें (इसके अलावा

समाधान पेशेवर) अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी कीमत पर; या

(घ) एक या अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग अपने मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करें।

(6(क) जहाँ वित्तीय ऋण हो।

(क) प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तें न्यासी या अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रदान करती हैं -

(ख) खंड के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा, निर्दिष्ट संख्या से अधिक लेनदारों के एक वर्ग के लिए बकाया है। (क) या उप-धारा (6), अंतरिम समाधान पेशेवर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूची के साथ एक आवेदन करेगा

अंतरिम समाधान पेशेवर के अलावा एक दिवालिया पेशेवर के नाम वाले सभी वित्तीय लेनदारों को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए, जिन्हें समिति की पहली बैठक से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

लेनदारों का;

(ग) संरक्षक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ऐसा व्यक्ति की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। ऐसे वित्तीय ऋणदाता,

और खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि [2021] 12 एस. सी. आर. की समिति की बैठकों में भाग लेगा।

लेनदार, और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से उसके मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करें।

(6 ख) प्राधिकृत व्यक्ति को देय पारिश्रमिक

प्रतिनिधि

(i) उप-धारा (6 ए) के खंड (ए) और (सी) के तहत, यदि कोई हो,

वित्तीय ऋण या संबंधित ऋण की शर्तों के अनुसार हो।

दस्तावेजीकरण; और ((ii) उप-धारा (6 ए) के खंड (बी) के तहत जैसा निर्दिष्ट किया गया है वैसा ही होगा जो दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का हिस्सा होगा।

(7) बोर्ड उप-धारा (6) और (6 ए) के तहत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान का तरीका और मतदान के हिस्से का निर्धारण निर्दिष्ट कर सकता है। (8) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, लेनदारों की समिति के सभी निर्णय कम से कम मत से लिए जाएंगे।

पचास-एक प्रतिशत से अधिक। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का:

बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो ऐसी तरीके से ऐसे कार्यों का प्रयोग करेंगे जो निर्दिष्ट किया जाए।

(9) ऋणदाताओं की समिति को समाधान पेशेवर से किसी भी वित्तीय जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए कहने का अधिकार होगा। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगमित देनदार से संबंध।

(10) समाधान पेशेवर लेनदारों की समिति द्वारा आवश्यक किसी भी वित्तीय जानकारी को उपलब्ध कराएगा। उप-धारा (9) के तहत ऐसी मांग के सात दिनों की अवधि के भीतर।

45 धारा 24. लेनदारों की समिति की बैठक। - (1) लेनदारों की समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मिल सकते हैं जो निर्दिष्ट किए जाएं।

(2) ऋणदाताओं की समिति की सभी बैठकें समाधान पेशेवर द्वारा संचालित की जाएंगी।

धारा 24 में 2018 के अधिनियम 26 द्वारा किए गए संशोधन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो अनिवार्य रूप से धारा 21 के संशोधन के बाद के हैं।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत हैएस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(3) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना देगा

(ख) निलंबित निदेशक मंडल के सदस्य या कॉर्पोरेट व्यक्तियों के भागीदार, जैसा भी मामला हो; (ग) परिचालन ऋणदाता या उनके प्रतिनिधि यदि उनके कुल बकाया की राशि ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है।

(4) निदेशक, भागीदार और एक प्रतिनिधि

उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कार्यात्मक लेनदार लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं होगा। ऐसी बैठकों में मतदान करने का अधिकार:

बशर्ते कि ऐसे किसी निदेशक, भागीदार या

परिचालन ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, ऐसी बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगे। (5) धारा 21 की उप-धाराओं (6), (6ए) और (6बी) के अधीन, कोई भी लेनदार जो लेनदारों की समिति का सदस्य है।

संकल्प के अलावा किसी अन्य दिवाला पेशेवर को नियुक्त कर सकते हैं

लेनदारों की समिति की बैठक में ऐसे लेनदार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेशेवर:

बशर्ते कि ऐसी दिवालियापन के लिए देय शुल्क

(6) प्रत्येक लेनदार ऐसे ऋणों के आधार पर उसे सौंपे गए मतदान हिस्से के अनुसार मतदान करेगा। लेनदार।

(7) समाधान पेशेवर प्रत्येक लेनदार को निर्दिष्ट तरीके से आवंटित किए जाने वाले मतदान हिस्से का निर्धारण करेगा

बोर्ड। (8) ऋणदाताओं की समिति की बैठकें उस तरीके से आयोजित की जाएंगी जो निर्दिष्ट की जाए।

धारा 25। समाधान पेशेवर के कर्तव्य। - (1) यह समाधान पेशेवर का कर्तव्य होगा कि वह [2021] 12 एस. सी. आर. को संरक्षित और संरक्षित करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार की परिसंपत्तियाँ, जिसमें निरंतर व्यवसाय भी शामिल है

निगमित देनदार का संचालन।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: (क) निगमित देनदार के व्यावसायिक रिकॉर्ड सहित निगमित देनदार की सभी परिसंपत्तियों की तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेना;

(बी) कॉर्पोरेट देनदार की ओर से तीसरे पक्ष के साथ प्रतिनिधित्व करें और कार्य करें, कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें।

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में;

(ग) धारा 28 के तहत लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अधीन अंतरिम वित्त जुटाना; (घ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लेखाकार, कानूनी या अन्य पेशेवरों की नियुक्ति;

(ई) दावों की एक अद्यतन सूची बनाए रखें;

(च) समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उसमें भाग लेना।

ऋणदाता; (छ) धारा 29 के अनुसार सूचना ज्ञापन तैयार करना;

46 [(ज) संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करें, जो इस तरह के समाधान को पूरा करते हैं।

निगम ऋणी के व्यवसाय की जटिलता और संचालन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए ऋणदाताओं की समिति के अनुमोदन से उसके द्वारा निर्धारित मानदंड और ऐसी अन्य शर्तें जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए।]

((i) ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना।

(जे) लेन-देन से बचने के लिए आवेदन दाखिल करें।

अध्याय III के अनुसार, यदि कोई हो; और

खंड (एच) को 2018 के अधिनियम 8 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 4 , w.r.e.f। 23.11.2017। प्रतिस्थापन के लिए खंड निम्नानुसार था:

" (ज) संभावित ऋणदाताओं, निवेशकों और किसी भी अन्य व्यक्ति को निवेश करने के लिए आमंत्रित करें।

समाधान योजनाओं को आगे बढ़ाना; "।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

((ट) ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

47 धारा 25 ए। प्राधिकृत व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य

वित्तीय लेनदारों के प्रतिनिधि। - (1) प्राधिकृत

धारा 21 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6 ए) या धारा 24 की उप-धारा (5) के तहत प्रतिनिधि को भाग लेने का अधिकार होगा।

और की ओर से लेनदारों की समिति की बैठकों में मतदान करें

वित्तीय लेनदार जिसका वह पूर्व के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है भौतिक रूप से प्राप्त ऐसे लेनदारों के मतदान निर्देश या

इलेक्ट्रॉनिक साधन।

(2) यह प्राधिकृत प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि -

समिति की बैठक का कार्यक्रम और कार्यवृत्त प्रसारित करें।

वह जिस वित्तीय लेनदार का प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए लेनदारों का।

(3) अधिकृत प्रतिनिधि इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा

वित्तीय लेनदार का हित जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और हमेशा करेगा।

उनके पूर्व निर्देशों के अनुसार कार्य करें:

बशर्ते कि यदि अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करता है

प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय लेनदार प्रत्येक वित्तीय लेनदार से, उसके मतदान हिस्से की सीमा तक:

बशर्ते कि यदि कोई वित्तीय लेनदार नहीं देता है

भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूर्व निर्देश,

अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से मतदान करने से परहेज करेगा ऐसे लेनदार।

(3क) उप-धारा (3) में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के तहत अधिकृत प्रतिनिधि उन सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से अपना वोट डालेगा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है।

पचास प्रतिशत से अधिक मत। मतदान का हिस्सा

वे वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला है:

बशर्ते कि किसी आवेदन के संबंध में वोट डालने के लिए

धारा 12ए के तहत, अधिकृत प्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएगा। उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार मतदान करें।

(4) अधिकृत प्रतिनिधि के साथ फाइल करेगा

लेनदारों की समिति भौतिक रूप से प्राप्त कोई भी निर्देश

धारा 25ए को 2018 के अधिनियम 26 (w.r.e.f) द्वारा जोड़ा गया था। 06.06.2018)। इसमें, 2019 के अधिनियम संख्या 26 (डब्ल्यू. ई. एफ. 16.08.2019) द्वारा उप 1 (3ए) जोड़ा गया था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या इलेक्ट्रॉनिक साधन, वित्तीय लेनदार से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, के लिए

उसके अनुसार मतदान करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस वित्तीय लेनदार का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके मतदान के निर्देश हैं

अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सही ढंग से दर्ज किया गया या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

" इलेक्ट्रॉनिक साधन "वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

48 धारा 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। - (1) एक संकल्प

आवेदक एक संकल्प योजना 49 [एक शपथ पत्र के साथ] प्रस्तुत कर सकता है। यह कहते हुए कि वह प्रस्ताव की धारा 29 ए] के तहत पात्र है

सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार पेशेवर।

(2) समाधान पेशेवर प्रत्येक संकल्प की जांच करेगा।

प्रत्येक समाधान योजना की पुष्टि करने के लिए उसे प्राप्त योजना

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया के भुगतान का प्रावधान करता है।

बोर्ड द्वारा प्राथमिकता में निर्दिष्ट तरीके से लागत

50 [निगमित देनदार के अन्य ऋणों का भुगतान;

551 [(ख) प्रचालन संबंधी ऋणों के भुगतान का प्रावधान करता है।

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से लेनदार जो इससे कम नहीं होगा

((i) ऐसी स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि

धारा 53 के तहत निगमित देनदार का परिसमापन; या

((ii) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाती, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित,

49 2018 के अधिनियम 26 द्वारा अंत:स्थापित, सेक। 23 (i) (w.r.e.f। 06.06.2018)। 50 2018 के अधिनियम 26 द्वारा प्रतिस्थापित, सेक। 23 (ii) (ए), "पुनर्भुगतान" के लिए (w.r.e.f। 06.06.2018)। 51 2019 के अधिनियम 26 द्वारा प्रतिस्थापित, एस। 6 (क), खंड (ख) (डब्ल्यू. ई. एफ. 16.08.2019) के लिए। इससे पहले खंड (बी) को 2018 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधित किया गया था। 23 (ii) (ए) (w.r.e.f। 06.06.2018)। प्रतिस्थापन से पहले खंड (बी) निम्नानुसार था:

" (ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो कम से कम न हो। परिसमापन की स्थिति में परिचालन लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि

धारा 53 के तहत निगमित देनदार; "जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयरएस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जो भी अधिक हो, और ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है

वित्तीय लेनदार, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी। स्पष्टीकरण 1. संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019, इस खंड के प्रावधान कॉर्पोरेट दिवालियापन पर भी लागू होंगे।

निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया

((i) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है; ((ii) जहां धारा 61 के तहत अपील की गई है या

धारा 62 या ऐसी अपील किसी भी धारा के तहत प्रतिबंधित नहीं है।

उस समय लागू कानून का प्रावधान; या

((ग) जहाँ किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;]

(ग) के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है

समाधान योजना की मंजूरी के बाद निगमित देनदार;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है; (च) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है।

52 [स्पष्टीकरण। खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम के तहत शेयरधारकों की कोई मंजूरी आवश्यक है,

2013 (18 2013 का) या उस समय के लिए लागू कोई अन्य कानून समाधान योजना के तहत कार्यों का कार्यान्वयन, जैसे

2018 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 23 (ii) (B) (w.r.e.f। 06.06.2018)।

अनुमोदन दिया गया समझा जाएगा और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।] (3) समाधान पेशेवर अनुमोदन के लिए ऋणदाताओं की समिति के समक्ष ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो इसकी पुष्टि करती हैं।

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें।

53 [(4) लेनदारों की समिति कम से कम 54 [छियासठ] प्रतिशत के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। मतदान का

वित्तीय लेनदारों का हिस्सा, इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद और व्यवहार्यता, 5 [प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।

धारा 53 की उप-धारा (1) में, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित की प्राथमिकता और मूल्य शामिल हैं] और ऐसी अन्य आवश्यकताएं जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:

बशर्ते कि ऋणदाताओं की समिति एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी, जो ऋण की शुरुआत से पहले प्रस्तुत की गई हो।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (ऑर्ड। 2017 का 7), जहां समाधान आवेदक धारा 29ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है:

धारा 29क के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने के लिए ऐसी अवधि, जो तीस दिन से अधिक न हो: बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी धारा 12 की उप-धारा (3) के परंतुक और निगमित दिवालियापन के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।]

2018 के अधिनियम 8 द्वारा प्रतिस्थापित, सेक। 6 , उप-धारा (4) (w.r.e.f) के लिए। 23.11.2017)।प्रतिस्थापन से पहले (4) निम्नानुसार था:

" (4) लेनदारों की समिति नहीं के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक। .

2018 के अधिनियम 26 द्वारा प्रतिस्थापित, एस। 23 (iii) (a) "पचहत्तर" (w.r.e.f) के लिए। 06.06.2018)। 2019 के अधिनियम 26, एस. 6 (ख) (डब्ल्यू. ई. एफ. 16.08.2019)।

उप-जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड साझेदारों का स्वागत

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

56 [बशर्ते कि धारा 29ए में पात्रता मानदंड के रूप में

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश। 2018 का 6) उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश। 2018 का 6)।]

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना

माना जाता है:

बशर्ते कि प्रस्ताव आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा न हो।

तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया का भुगतान, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिन्हें वैधानिक बकाया देय है, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारक: 59 [बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उपखंड के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले

धारा, संतुष्ट करती है कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं।]

2018 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 23 (iii) (b) (w.r.e.f। 06.06.2018)। धारा 31 में 2019 के 26 के अधिनियम 26 द्वारा इसके संशोधनों में भी विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। उनकी प्रासंगिकता के लिए, इस धारा के सभी संबंधित संशोधन

इंगित भी किया।

2019 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 7 (डब्ल्यू. ई. एफ. 16.08.2019)।2018 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 24 (a) (w.r.e.f। 06.06.2018)।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि

समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, यह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकती है।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, (क) न्यायनिर्णायक द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश

धारा 14 के तहत प्राधिकरण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान के संचालन से संबंधित सभी अभिलेखों को अग्रेषित करेगा। प्रक्रिया और समाधान योजना बोर्ड को दर्ज की जानी चाहिए

डाटाबेस।

60 [(4) समाधान आवेदक, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि जहां समाधान योजना में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में निर्दिष्ट संयोजन का प्रावधान है, वहां समाधान आवेदक उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी प्राप्त करेगा। लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना का अनुमोदन।]

धारा 32. अपील करें। - समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश की कोई भी अपील धारा 61 की उप-धारा (3) में निर्धारित तरीके और आधारों पर होगी।

धारा 61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण। - (1)

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस भाग के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील दायर की जाएगी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण से तीस दिन पहले:

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।

2018 के अधिनियम 26 द्वारा अनु. 24 (ख) (w.r.e.f। 06.06.2018)।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था, लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी। (3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्:

(i) अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन है

उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधान;

((ii) निगमित दिवालियापन के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है।

((iii) निगमित देनदार के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋणों का समाधान योजना में प्रावधान नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीका;

((iv) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत नहीं आई है।

अन्य सभी ऋणों के लिए प्राथमिकता में पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान; या
(v) समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है।

(4) धारा 33 के तहत पारित परिसमापन आदेश के खिलाफ अपील भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर दायर की जा सकती है।

इस तरह के परिसमापन आदेश के संबंध में प्रतिबद्ध। धारा 53. परिसंपत्तियों का वितरण। - (1) संसद या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी तरीके से वितरित किया जाएगा जो निर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत का पूरा भुगतान; (ख) निम्नलिखित ऋण जो निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध होंगे:

(i) चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया

परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले; और
((ii) ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति को इस तरह से छोड़ने की स्थिति में किसी सुरक्षित लेनदार को देय ऋण

धारा 52 में निर्धारित; [2021] 12 एस. सी. आर.

(ग) मजदूरी और अन्य कर्मचारियों का कोई बकाया भुगतान

परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए श्रमिकों की तुलना में;

(घ) असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण;

(ङ) निम्नलिखित देय राशि निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से क्रमबद्ध होगी:

(i) केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि, जिसमें खाते में प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है। भारत की संचित निधि और संचित निधि

किसी राज्य के पूरे या किसी भाग के संबंध में, यदि कोई हो,

परिसमापन शुरू होने से पहले की दो साल की अवधि

((ii) किसी भी अवैतनिक राशि के लिए किसी सुरक्षित लेनदार को देय ऋण। सुरक्षा हित के प्रवर्तन के बाद;

(च) कोई शेष ऋण और देय राशि;

(छ) तरजीही शेयरधारक, यदि कोई हो; और

(ज) इक्विटी शेयरधारक या भागीदार, जैसा भी मामला हो।

(3) परिसमापक को देय शुल्क प्रत्येक वर्ग को देय आय से आनुपातिक रूप से काटा जाएगा। उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ता और संबंधित प्राप्तकर्ता को आय ऐसी कटौती के बाद वितरित की जाएगी।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए

((i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक चरण में

समान श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं के एक वर्ग के संबंध में आय का वितरण, प्रत्येक ऋण का या तो पूरा भुगतान किया जाएगा, या प्राप्तकर्ताओं के एक ही वर्ग के भीतर समान अनुपात में भुगतान किया जाएगा, यदि आय अपर्याप्त है ऋणों को पूरी तरह से पूरा करें; और

((ii) "श्रमिकों का बकाया" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनियों की धारा 326 में दिया गया है।

अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

धारा 238। अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान। इस संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद

इसके लिए किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत

बल में होने का समय या प्रभाव रखने वाला कोई उपकरण ऐसा कोई भी कानून।

59. हम विनियमन 16ए, 37,38,39 और एन सी. आई. आर. पी. विनियमों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो प्रासंगिक समय पर लागू होते हैं: -

" " 61 16ए. अधिकृत प्रतिनिधि। - (1) अंतरिम समाधान पेशेवर दिवाला पेशेवर का चयन करेगा, जो

विनियम 12 के उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त प्रपत्र सीए में वर्ग में वित्तीय लेनदारों की सबसे अधिक संख्या का चयन,

के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें

संबंधित वर्ग:

बशर्ते कि एक दिवालिया पेशेवर के लिए विकल्प

उप के तहत प्राप्त प्रपत्र सीए में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें

विनियम 12 के विनियम (2) पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर पर लागू होगा

प्राधिकृत की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त दावों के सत्यापन के दो दिनों के भीतर उप-विनियम (1) के तहत चुने गए प्रतिनिधि

विनियम 12.

(3) लेनदारों के किसी भी वर्ग के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति में कोई भी देरी किसी भी निर्णय की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

समिति द्वारा लिया गया।

(4) अंतरिम समाधान पेशेवर सूची प्रदान करेगा।

प्रत्येक वर्ग में संबंधित अधिकृत को लेनदारों का

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि।

(5) अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की एक अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

जैसे-जैसे सूची को अद्यतन किया जाता है।

स्पष्टीकरण: जिस वर्ग के लेनदारों के दावों की प्राप्ति या सत्यापन में अधिकृत प्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। प्रतिनिधित्व करता है।

विनियमन 16 ए को डब्ल्यू. ई. एफ. 04.07.2018 में डाला गया था।

(6) अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक साधन प्रदान करेंगे।

प्राधिकृत प्रतिनिधि और के बीच संचार का

वर्ग में लेनदार।

(7) एक वर्ग में लेनदार का मतदान हिस्सा होगा

वित्तीय ऋण का अनुपात जिसमें ब्याज शामिल है

आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर जब तक कि एक अलग दर न हो

दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी।

(8) एक वर्ग में लेनदारों का अधिकृत प्रतिनिधि

समिति की प्रत्येक बैठक के लिए शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। उनके द्वारा निम्नलिखित तरीके से भाग लिया गया, अर्थात्:

वर्ग में लेनदारों की संख्या	समिति की प्रति बैठक शुल्क (रु.)
10-100	15,000
101-1000	20,000
	25,000

1000 से अधिक

(9) अधिकृत प्रतिनिधि कार्यसूची को प्रसारित करेगा।

एक वर्ग में लेनदारों को और कम से कम मतदान खिड़की की घोषणा करें मतदान के निर्देश के लिए खिड़की खुलने से चौबीस घंटे पहले

और मतदान की खिड़की को कम से कम बारह घंटे के लिए खुला रखें।

6237. समाधान योजना। - एक समाधान योजना के लिए प्रदान करेगा

दिवाला समाधान के लिए, जो भी आवश्यक हो, उपाय

अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए निगमित देनदार, जिसमें शामिल हैं

लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

(क) निगमित देनदार की सभी या कुछ परिसंपत्तियों का अंतरण

एक या अधिक व्यक्तियों के लिए;

((ख) परिसंपत्तियों के सभी या कुछ हिस्से की बिक्री, चाहे वह किसी भी परिसंपत्ति के अधीन हो।

सुरक्षा हित या नहीं;

(ख) निगमित देनदार का विलय के माध्यम से पुनर्गठन,

समामेलन और विलयन;

(ग) निगमित देनदार के शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण,

या निगमित देनदार का किसी एक के साथ विलय या समेकन या अधिक लोग;

विनियमन 37 को पहले वाले डब्ल्यू. ई. एफ. 06.02.2018 के स्थान पर रखा गया था। खंड (बा)

इस विनियमन डब्ल्यू. ई. एफ. 28.11.2019 के अधीन; और खंड (सीए) को डब्ल्यू. ई. एफ. से जोड़ा गया था।

2018 .

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(ग) यदि लागू हो तो निगमित देनदार के किसी भी शेयर को रद्द करना या उसकी सूची से हटा देना:

(घ) किसी भी प्रतिभूति हित की संतुष्टि या संशोधन;

(ई) किसी भी ऋण की शर्तों के किसी भी उल्लंघन का इलाज या माफी

निगमित देनदार से देय;

(च) लेनदारों को देय राशि में कमी;

(छ) परिपक्वता तिथि का विस्तार या ब्याज दर में परिवर्तन या कॉर्पोरेट देनदार से देय ऋण की अन्य शर्तें;

(ज) निगम के संवैधानिक दस्तावेजों में संशोधन

कर्जदार;

((i) नकद, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के बदले में, या अन्य उपयुक्त उद्देश्य के लिए निगमित देनदार की प्रतिभूतियों को जारी करना;

(जे) निगमित देनदार द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के पोर्टफोलियो में परिवर्तन;

(के) निगमित देनदार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में परिवर्तन; और

(1) केंद्र और राज्य से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना

सरकारें और अन्य प्राधिकरण। 6338. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री। - [(1) समाधान योजना के तहत देय राशि

(क) परिचालन ऋणदाताओं को वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा; और

-विनियम (1) को डब्ल्यू. ई. एफ. 04.07.2018 में संशोधित किया गया था। फिर डब्ल्यू. ई. एफ. को प्रतिस्थापित किया गया।2018 ; और फिर फिर से डब्ल्यू. ई. एफ. 28.11.2019 को प्रतिस्थापित किया गया। अंतिम प्रतिस्थापन से पहले, बी-विनियमन (1), निम्नानुसार था:

" (1) समाधान योजना के तहत परिचालन लेनदारों को देय राशि

वित्तीय लेनदारों की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। "[2021] 12 एस. सी. आर.

(ख) वित्तीय लेनदारों को, जिन्हें धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत मतदान करने का अधिकार है और जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है, उन्हें योजना के पक्ष में मतदान करने वाले वित्तीय लेनदारों पर प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा।] (1 ए) एक समाधान योजना में एक विवरण शामिल होगा कि इसने कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों के साथ कैसे व्यवहार किया है।

(1 बी) एक समाधान योजना में विवरण देने वाला एक विवरण शामिल होगा यदि समाधान आवेदक या उसके संबंधित पक्षों में से कोई भी विफल रहा है

अतीत में किसी भी समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समाधान योजना के कार्यान्वयन की विफलता को लागू करना या योगदान करना। (2) एक समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:

(क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;

(ख) निगम के व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण

अपनी अवधि के दौरान देनदार; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त साधन।

65 [(3) एक समाधान योजना प्रदर्शित करेगी कि

(ख) यह व्यवहार्य और व्यवहार्य है; (ग) इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं;

(घ) इसके लिए आवश्यक अनुमोदन और समय-सीमा के प्रावधान हैं।

एक ही; और

(ई) समाधान आवेदक के पास इसे लागू करने की क्षमता है

समाधान योजना।]

विनियमन (3) को डब्ल्यू. ई. एफ. 07.11.2017 में डाला गया और फिर इसे डब्ल्यू. ई. एफ. 2018 में प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पहले, यह उप-विनियम (3) निम्नानुसार था: (3) एक समाधान योजना में समाधान आवेदक और अन्य संबंधित व्यक्तियों का विवरण होगा ताकि समिति को ऐसे आवेदक और अन्य संबंधित व्यक्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके।

इसके अनुमोदन के लिए समाधान योजना पर विचार करना। .

पी. ई. केंसिंगटन बोलवार्ड की साझेदारी का स्वागत

ओ. सी. आई. ए. एन. वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

6639. समाधान योजना की स्वीकृति। - " [(1) एक संभावित

अंतिम सूची में समाधान आवेदक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है।

या संहिता के अनुसार तैयार की गई योजनाएं और ये

इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाधान पेशेवर के लिए नियम विनियमन के तहत समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध में दिया गया समय

36 बी के साथ

(क) एक शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि वह धारा के तहत पात्र है।

29 समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए ए;

68 [***] (

ग) संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक उपक्रम

कि इस संबंध में प्रदान की गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख

या समाधान योजना में सही और सही है और की खोज

किसी भी समय गलत जानकारी और रिकॉर्ड आवेदक को प्रस्तुत कर देगा। निगमित दिवाला संकल्प में बने रहने के लिए अयोग्य

प्रक्रिया, किसी भी वापसी योग्य जमा को जब्त करना, और दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करना संहिता के तहत।

(1 ए) एक समाधान योजना जो अनुपालन नहीं करती है

उप-विनियम (1) के प्रावधानों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।]

69 69 [(2) समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करना होगा

समिति सभी समाधान योजनाओं का पालन करती है जो

संहिता की आवश्यकताएँ और उसके तहत बनाए गए विनियम

निम्नलिखित लेन-देन, यदि कोई हो, के विवरण के साथ,

उसके द्वारा पाया या निर्धारित किया गया

(1) एक समाधान आवेदक धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (एच) के तहत दिए गए निमंत्रण में समाधान पेशेवर को संहिता और इन विनियमों के साथ तैयार समाधान योजना (ओं) प्रस्तुत करेगा। ख) डब्ल्यू. ई. एफ. 05.10.2018 को हटा दिया गया था। छूटने से पहले, यह निम्नानुसार था:" (ख) एक वचन कि वह विनियमन 38 के उप-विनियम (1) के तहत उद्देश्यों के लिए आवश्यक सीमा तक अतिरिक्त धन प्रदान करेगा; और विलयन (2) को डब्ल्यू. ई. एफ. 07.11.2017 से प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रतिस्थापन से पहले, यह

एटियन (2) निम्नानुसार था:

" (2) समाधान पेशेवर उन सभी समाधान योजनाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो संहिता और इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) धारा 43 के तहत तरजीही लेनदेन;

(ख) धारा 45 के तहत कम मूल्य वाले लेनदेन;

(ग) धारा 50 के तहत ऋण लेनदेन की जबरन वसूली; और

(घ) धारा 66 के तहत धोखाधड़ी वाले लेनदेन,

और ऐसे लेन-देनों के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश, यदि कोई हों।]

70-7[(3) समिति सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सख्ती से उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी और इसे ऐसे संशोधनों के साथ अनुमोदित कर सकती है जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि समिति समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करेगी।]

उप-विनियम (3) को डब्ल्यू. ई. एफ. 04.07.2018 के स्थान पर रखा गया था। इसके प्रतिस्थापन से पहले

निम्नानुसार:

" (3) समिति इस तरह के संशोधनों के साथ किसी भी समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।

जैसा कि यह उचित लगता है "

इसके प्रावधान को डब्ल्यू. ई. एफ. 25.07.2019 से प्रतिस्थापित किया गया था। इसके प्रतिस्थापन से पहले

नीचे के रूप में खड़ा है:

" बशर्ते कि समिति अनुमोदन के कारणों को दर्ज करेगी या

समाधान योजना को अस्वीकार करना। "

उप-विनियमन (3ए) डब्ल्यू. ई. एफ. को भी शामिल किया गया था।

लेकिन उसे डब्ल्यू. ई. एफ. 05.10.2018 से हटा दिया गया।

न कि यह और संकेत देता है कि डब्ल्यू. ई. एफ. 07.08.2020, इस पूरे उप-विनियम (3) को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और उप-विनियम (3ए) और (3बी) को जोड़ा गया है, अनिवार्य रूप से जी द्वारा एक से अधिक समाधान योजनाओं पर विचार करने की संभावना के साथ

यद्यपि डब्ल्यू. ई. एफ. 07.08.2020 संशोधन, वर्तमान मामले पर सीधे लागू नहीं होगा, लेकिन संदर्भ के लिए, हम नए प्रतिस्थापित को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

उप-विनियम (3), (3ए) और (3बी) निम्नानुसार हैं:

" (3) यह समिति करेगी (
क) उप-विनियम (2) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन इस प्रकार करें -

प्रति मूल्यांकन मैट्रिक्स;

(ख) प्रत्येक की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श दर्ज करें।

समाधान योजना; और

(ग) ऐसी सभी संकल्प योजनाओं पर एक साथ मतदान करें।

(3(क) जहां केवल एक संकल्प योजना पर मतदान किया जाता है, वहां उस पर विचार किया जाएगा।

यदि इसे आवश्यक वोट मिलते हैं तो इसे मंजूरी दे दी जाती है।

(3बी) जहां दो या दो से अधिक संकल्प योजनाओं को एक साथ मतदान के लिए रखा जाता है, तो संकल्प योजना, जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करती है, लेकिन आवश्यक जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टियों से कम नहीं

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

72 [(4) समाधान पेशेवर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा

न्यायनिर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना अधिकतम अवधि से कम से कम पंद्रह दिन पहले प्राधिकरण

धारा के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करना

12 , अनुसूची के फॉर्म एच में एक अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ

और प्रदर्शन सुरक्षा की प्राप्ति का प्रमाण जिसके तहत आवश्यक है

विनियमन 36 ख का उप-विनियमन (4 ए)।]

(5) समाधान पेशेवर तुरंत एक प्रति भेजेगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश का अनुमोदन या अस्वीकार करना

प्रतिभागियों और समाधान आवेदक के लिए समाधान योजना।

(6) समाधान योजना में एक प्रावधान जो अन्यथा होगा

निगम के सदस्यों या भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होती है

ऋणी, जैसा भी मामला हो, संवैधानिक शर्तों के तहत निगमित देनदार के दस्तावेज, शेयरधारकों का समझौता, संयुक्त

प्रभावी होने के बावजूद कि ऐसी सहमति नहीं दी गई है प्राप्त किया।

(7) अंतरिम के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो

निगमित देनदार के किसी भी कार्य के लिए, इससे पहले हो सकता है दिवाला शुरू होने की तिथि।

(8) प्रबंधन या नियंत्रण का प्रभारी व्यक्ति

एक समाधान के बाद निगमित देनदार का व्यवसाय और संचालन

योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, एक बना सकता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आदेश के लिए आवेदन कार्यान्वयन में स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता

समाधान योजना की शर्तें।

73 73 [(9) एक लेनदार, जो गैर-कार्यान्वयन से व्यथित है।

धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना,

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक संकल्प योजनाओं को समान वोट मिलते हैं, लेकिन आवश्यक वोटों से कम नहीं, समिति मतदान से पहले घोषित टाई-ब्रेकर फॉर्मूले के अनुसार उनमें से किसी एक को मंजूरी देगी: बशर्ते कि जहां प्रस्ताव योजनाओं में से किसी को भी आवश्यक वोट नहीं मिलते हैं, समिति फिर से प्रस्ताव योजना पर मतदान करेगी कि

संहिता के तहत समय सीमा के अधीन, सबसे अधिक वोट प्राप्त किए। उप-विनियम को पहले वाले डब्ल्यू. ई. एफ. 04.07.2018 के स्थान पर रखा गया था और डब्ल्यू. ई. एफ. 24.01.2019 का नेतृत्व भी किया गया था।

उप-विनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 24.01.2019 अंत:स्थापित किया गया।

पेशेवर, यदि धारा 33 के तहत परिसमापन का आदेश पारित किया जाता है। (2) समिति परिसमापन लागत को पूरा करने के लिए उपलब्ध तरल परिसंपत्तियों के मूल्य का सबसे अच्छा अनुमान लगाएगी, जैसा कि अनुमान लगाया गया है -

उप-विनियम (1)।

(3) जहां उप-विनियम (2) के तहत तरल परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य उप-विनियम (1) के तहत अनुमानित परिसमापन लागत से कम है, समिति दोनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए योगदान प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी देगी।

(4) समाधान पेशेवर धारा 30 या 33 के तहत समिति के अनुमोदन या निर्णय को दाखिल करते समय उप-विनियमन (3) के तहत अनुमोदित योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

मामला हो सकता है।

स्पष्टीकरण।

इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, 'परिसमापन लागत' होगी

(1) दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन (2) भारत (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016।

60. हम यह दोहराने में जल्दबाजी करेंगे कि प्रावधानों के पूर्ववर्ती निष्कर्षण में, हमने संशोधनों/प्रतिस्थापनों/का संकेत दिया है।

वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सीमा तक संबंधित फुटनोटों में सम्मिलन; और जरूरी नहीं कि समय-समय पर किए गए सभी परिवर्तन।

जे. आई. एल. का सी. आई. आर. पी.: जटिलताओं का इतिहास

61. मामलों के इस समूह से संबंधित तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि निगम का दिवालिया समाधान

ऋणी जे. आई. एल. अपने साथ ऐसे परेशान करने वाले और आश्चर्यजनक रूप से जटिल मुद्दों को ले जाता है जहां इस न्यायालय ने दो बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया था ताकि इस उद्देश्य में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके। 74 इस उप-विनियम को डब्ल्यू. ई. एफ. 25.07.2018 में डाला गया था।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समाधान योजना में एक या दूसरी शर्त पर कई प्रश्नों के अलावा पूछताछ की गई। इसके अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर कई सवाल उठे हैं, जिसमें कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया गया है और योजना को संशोधित किया गया है, जबकि कुछ अन्य आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना में संशोधन ने समाधान आवेदक और यहां तक कि आई. आर. पी. को असंतुष्ट होने के कई कारण दिए हैं और साथ ही, कुछ आपत्तियों की अस्वीकृति को भी विरोधियों द्वारा चुनौती दी गई है। इसके अलावा, कुछ हितधारकों, जिन्होंने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आपत्तियां नहीं उठाई, ने भी योजना के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाई हैं। संक्षेप में कहें तो समाधान की इस प्रक्रिया को अभी भूलभुलैया से गुजरना बाकी है बाधाओं से।

61.1 . इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमने इस न्यायालय में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित सभी अपीलों को वापस ले लिया था।

और व्यावहारिक रूप से उन सभी पक्षों को मौखिक और लिखित प्रस्तुतियाँ करने का अवसर प्रदान करते हुए पूरे मामले को पर्याप्त विस्तार से सुना है जो अपनी बात को रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे। 61.2 . हमने इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की भी जांच की है और प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है, जो पहले यहां तैयार किए गए निर्धारण के बिंदुओं में परिलक्षित होते हैं।

62. आगे बढ़ने से पहले, हम यह भी दोहरा सकते हैं कि इन मामलों पर विचार करते हुए और पहले से लंबित मामलों को स्थानांतरित करते समय

एन. सी. एल. ए. टी. ने इस न्यायालय को दिनांक 1 के आदेश द्वारा निर्देश दिया था कि आई. आर. पी. विषय कंपनी यानी जे. आई. एल. के मामलों का प्रबंधन करना जारी रखेगी। हम यह इंगित कर सकते हैं कि आई. आर. पी. ने कॉर्पोरेट देनदार की स्थिति और फ्लैटों के निर्माण और स्वामित्व के प्रस्ताव जारी करने से संबंधित गतिविधियों के प्रमुख हिस्से को बताते हुए 05.09.2020 दिनांकित एक हलफनामा दायर किया है, जिसके परिणामस्वरूप आई. आर. पी. के अनुसार, अचल संपत्ति आवंटनकर्ताओं की देयता में कमी आई है। इस शपथ पत्र के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

" मेरा कहना है कि कॉर्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबंधन के हिस्से के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ डिपोनेंट [2021] 12 एस. सी. आर. को जारी रखे हुए है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉर्पोरेट देनदार की अचल संपत्ति परियोजनाओं का हिस्सा बनने वाली आवासीय और वाणिज्यिक आवास इकाइयों का निर्माण। मैं आगे

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान राज्य

(इसके बाद, "सी. आई. आर. प्रक्रिया"), आई. आर. पी. ने आवासीय और वाणिज्यिक आवास इकाइयों का निर्माण जारी रखा और अधिभोग के आधार पर 7996 इकाइयों के लिए स्वामित्व प्रस्ताव (0. ओ. पी.) जारी किया है।

समय-समय पर नोएडा प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र

समय। जारी किए गए इन ओ. ओ. पी. में से 6,429 का उप-पट्टा पंजीकरण पूरा हो चुका है। ऐसी अधिभोग की प्राप्ति के बाद प्रतिनिधि द्वारा शुरू की गई ओ. ओ. पी. जारी करने की प्रक्रिया

प्रमाण पत्र जारी है।

मैं आगे कहता हूं कि लगभग 2,688 आवंटी जिनके लिए देरी की छूट प्रदान करने वाले ओ. ओ. पी. एस. 17.12.2019 से पहले जारी किए गए थे,

या तो उप-पट्टा विलेख अभी भी निष्पादित किया जाना है या उप-पट्टा विलेख के पंजीयक के समक्ष पंजीकरण के लिए लंबित है।

नोएडा का आश्वासन।

मेरा कहना है कि इकाइयों की डिलीवरी और उप-पट्टा पंजीकरण के माध्यम से उनके हस्तांतरण के परिणामस्वरूप वित्तीय घाटे में कमी आई है।

लेनदारों (अचल संपत्ति आवंटनकर्ताओं) की देनदारी रु। 2,250 निगम में सी. आई. आर. प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक करोड़ रुपये

देनदार "।

आई. बी. सी. के उद्देश्य और योजना

63. संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए, संहिता की योजना पर व्यापक रूप से चर्चा शुरू करना सार्थक होगा और

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में कुछ प्रासंगिक भूमिका निभाने वालों के कार्य।

निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों का दिवाला समाधान और एक समयबद्ध तरीके से व्यक्ति; अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन के लिए उद्देश्य। प्रस्तावना इस प्रकार है: -

" संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम

निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान,

समयबद्ध तरीके से साझेदारी फर्म और व्यक्ति

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता और जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड साझेदारी का संतुलन

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हित

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता का आदेश और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना, और

उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए।

यह इस आधार पर स्थापित किया गया था कि 'वित्तीय लेनदार' और 'परिचालन लेनदार' के बीच वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। इस आधार के साथ-साथ संहिता के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित कई अन्य आधारों को इस न्यायालय द्वारा प्रतिद्वंद्वी दलीलों की विशाल विविधता पर विस्तृत विस्तार के बाद खारिज कर दिया गया था। पाठ्यक्रम में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व-विद्यमान कानून की स्थिति के साथ-साथ संहिता के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों पर भी ध्यान दिया। जबकि यह देखते हुए कि संहिता का ध्यान कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना था, जहां परिसमापन अंतिम उपाय होगा, इस न्यायालय ने बताया कि अपनी योजना और ढांचे पर, संहिता कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक लाभकारी कानून था, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून। इस न्यायालय ने कहा -

" 27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता।

कर्जदार। जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण

यह कि वे कुशलता से चल रही चिंताओं के रूप में संचालित होते हैं, संहिता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट

ऋणी को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में व्यवहार्यता को बढ़ाता है

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण। सबसे बढ़कर, अंततः सभी हितधारकों के हित हैं -

निगमित देनदार के रूप में देखा जाता है जो स्वयं एक बन जाता है

75 इसके बाद इसे 'स्विस रिबन' का मामला भी कहा जाता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान योजना के लाभार्थियों को श्रमिकों को भुगतान किया जाता है,

दीर्घावधि में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम हैं।

निवेश करें। एक निगमित देनदार का समय पर समाधान जो ऋण में है

लाल, एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा, एक लंबा रास्ता तय करेगा

ऋण बाजारों के विकास में सहायता करना। चूंकि अधिक निवेश

ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से इसका उल्लेख नहीं करती है - परिसमापन, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि

या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत समाधान योजनाएं नहीं हैं

निशान तक। परिसमापन में भी परिसमापक बेच सकता है

निगमित ऋणी का व्यवसाय एक चालू चिंता के रूप में। (देखें।

आर्सेलर मित्तल "पैरा 83, एफएन 3 पर) 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि का प्राथमिक ध्यान

कानून पुनरुत्थान और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है

निगमित देनदार से निगमित देनदार की रक्षा करके

अपने स्वयं के प्रबंधन और एक कॉर्पोरेट मृत्यु से

परिसमापन। इस प्रकार यह संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा कर देता है, न कि केवल

लेनदारों के लिए वसूली कानून। निगम के हित

इसलिए ऋणी को विभाजित कर दिया गया है और उससे अलग कर दिया गया है। इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं। इस प्रकार, संकल्प

प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, लेकिन वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करना। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

64. संहिता के उद्देश्यों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए

अब हम इस न्यायालय की योजना और संहिता के प्रासंगिक भागों की संरचना का अवलोकन कर सकते हैं। इसके भाग I में संहिता के शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग के साथ-साथ संहिता में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषा और अर्थ के बारे में प्रावधान हैं। अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग प्रावधान लागू हुए हैं, जैसे

धारा 1 की उप-धारा (3) के परंतुक के तहत अनुज्ञेय। संहिता का दूसरा भाग दिवाला समाधान और निगमों के लिए परिसमापन से संबंधित है।

लोग। भाग II के अध्याय I में इसकी प्रयोज्यता के लिए प्रावधान किया गया है और इस भाग (धारा 4 और 5) में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को भी परिभाषित किया गया है।

76 आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्यः (2019) 2 एससीसी 1.

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

भाग 2 के अध्याय 2 में निगमित दिवालियापन के प्रावधान हैं। धारा 6 से 32 में समाधान प्रक्रिया जबकि इस भाग 2 के अध्याय 3 में धारा 33 से 5477 में परिसमापन प्रक्रिया के प्रावधान हैं।

64.1 . भाग II के अध्याय II पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इसमें दिवाला समाधान की प्रक्रिया का खाका शामिल है। निगमित ऋणी जिन पर यह भाग लागू होता है, उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करते हुए जो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं; इस तरह की शुरुआत का तरीका और प्रभाव; समाधान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिकाएं और अधिकार और कर्तव्य जैसे कि समाधान पेशेवर, ऋणदाताओं की समिति, वित्तीय ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि और समाधान आवेदक; समाधान योजना तैयार करने के लिए आवश्यक मामले; समाधान योजना प्रस्तुत करना और अनुमोदन; और समाधान योजना के अनुमोदन के खिलाफ अपील।

समाधान योजना की मंजूरी: महत्वपूर्ण कदम और भूमिका निभाने वाले

65. जैसा कि देखा गया है, चित्रा शर्मा के मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ पठित संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार और

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (ऊपर), कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया पहले ही अंतरिम समाधान पेशेवरों की नियुक्ति के चरणों से गुजर चुकी है।

ऋणदाताओं की समिति का गठन और पुनर्गठन, समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना और फिर से प्रस्तुत करना, ऋणदाताओं की समिति द्वारा एनबीसीसी की समाधान योजना का अनुमोदन, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को उक्त समाधान योजना प्रस्तुत करना और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी, हालांकि कुछ संशोधनों के साथ।

65.1 . अब हमारे सामने उठाए गए मुद्दे मूल रूप से संबंधित हैं

विचाराधीन समाधान योजना की सामग्री; लेनदारों की समिति द्वारा इसकी मंजूरी; और निर्णय प्राधिकरण द्वारा अपने अनुमोदन में संशोधनों के साथ पारित आदेश। इस प्रकार, उठाए गए मुद्दों और निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर, वर्तमान मामले में ध्यान सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था पर है, जो,

संहिता की धारा 30 (4) के तहत, समाधान योजना को समाधान पेशेवर द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद संहिता की धारा 30 (2) में निर्दिष्ट वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप माना जाता है और मतदान किया जाता है; और संहिता की धारा 31 के संदर्भ में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर। को ध्यान में रखते हुए

77 धारा 4 से 32 01.12.2016 पर लागू हुई जबकि धारा 33 से 54 15.12.2016 पर लागू हुई।

इससे जुड़े मुद्दों पर, हम सी. आई. आर. पी. के इन महत्वपूर्ण कदमों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक सिद्धांतों पर उपयोगी रूप से ध्यान दे सकते हैं। 66. समाधान योजना के अनुमोदन के लिए सी. आई. आर. पी. में उठाए गए कदमों से संबंधित प्रासंगिक पहलू इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए सामने आए हैं।

कम से कम तीन प्रमुख निर्णयों में, के. शशिधर बनाम के मामलों में। इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य। : (2019) 12 एस. सी. सी. 150 (आई. डी. 1 पर निर्णय लिया गया), एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम। सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। : (2020) 8 एस. सी. सी. 531 (15.11.2019 पर निर्णय लिया गया), और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम। पद्मनाभन वेंकटेश और

ओआरएस। : (2020) 11 एस. सी. सी. 467 (22.01.2020 पर तय)। चुनाव लड़ने वाले दलों ने भी अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में इन फैसलों पर भरोसा किया है। हम ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से निपटने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के दायरे से संबंधित बिंदु ए का निर्धारण करते हुए इस निर्णय के बाद के भाग में इन मामलों का थोड़ा विस्तार से उल्लेख करेंगे। इस मोड़ पर, हम केवल कुछ आवश्यक भूमिका निभाने वालों के महत्व का संकेत दे सकते हैं। प्रक्रिया, संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों से स्पष्ट और इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई।

66.1 . आई. बी. सी. की योजना में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की पटकथा काफी हद तक समाधान के इर्द-गिर्द घूमती है।

धारा 13 (1) (सी) के संदर्भ में और धारा 16 में निर्धारित तरीके से प्राधिकरण। सभी लेनदारों के दावों को एकत्र करना और स्वीकार करना; लेनदारों की समिति की नियुक्त करना और बैठकें आयोजित करना; और मध्यवर्ती अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाना अंतरिम समाधान पेशेवर को सौंपे गए प्रमुख कार्य हैं, जैसा कि धारा 15,17,18 और 20 से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोड। इसके अलावा, आई. बी. सी. की योजना में, लेनदारों की समिति को अपने गठन के सात दिनों के भीतर होने वाली अपनी पहली बैठक में, अंतरिम समाधान पेशेवर को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने या उसके स्थान पर किसी अन्य समाधान पेशेवर को नियुक्त करने का संकल्प लेना होता है (धारा 22 आई. बी. सी. के अनुसार)। धारा 23 के संदर्भ में, समाधान पेशेवर को पूरे सी. आई. आर. पी. का संचालन करना है और सी. आई. आर. पी. की अवधि के दौरान निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन करना है। उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विस्तार ऋणदाताओं की समिति की सभी बैठकों के संचालन, सी. ओ. सी. के सदस्यों को ऐसी बैठकों की सूचना देने, निलंबित जे. जे. पी. के. के. के

योजनाओं को प्रस्तुत करना। इन अनुपालनों को सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 35,36,36 ए और 36 बी द्वारा विधिवत विनियमित किया जाता है।

66.1. 1 . प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एस्सार स्टील (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने प्रस्ताव की प्रमुख भूमिका का सारांश दिया।

निम्नलिखित शर्तों में पेशेवर: -

" 48. ऊपर बताए गए विस्तृत प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि समाधान पेशेवर एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल संहिता की धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन को स्वीकार करने के चरण से लेकर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने तक कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन करता है, बल्कि एक प्रमुख व्यक्ति भी है जो ऋणदाताओं की समिति की बैठकें नियुक्त और बुलाता है, ताकि वे समाधान योजनाओं पर निर्णय ले सकें जो समाधान पेशेवर द्वारा समाधान आवेदकों को दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य

समाधान पेशेवर को सभी लेनदारों के दावों को एकत्र करना, मिलान करना और अंत में स्वीकार करना है, जिनकी भुगतान के लिए पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

या आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं, संकल्प आवेदक द्वारा और अंत में

लेनदारों की समिति द्वारा बातचीत और निर्णय लिया गया।

66.2 . इसके अलावा, एस्सार स्टील में अन्य बातों के साथ-साथ यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. के संदर्भ में संभावित समाधान आवेदक की भूमिका के बारे में भी बताया गया है।

समाधान योजना की सामग्री पर सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 और 38 के साथ-साथ विधायी मार्गदर्शक, एक संभावित समाधान आवेदक के आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के अधिकारों की ओर इशारा करते हुए और साथ ही समाधान योजना तैयार करने के अपने कर्तव्य की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के साथ कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया समाधान के लिए आवश्यक उपाय प्रदान किए जाते हैं।

ऋणदाताओं की समिति: सी. आई. आर. पी का नायक

67. जबकि उनकी प्रतिनिधि भूमिकाओं में, समाधान पेशेवर और समाधान आवेदक यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि समाधान योजना संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकताओं

के अनुरूप तैयार की गई है और विचार के लिए उचित रूप से प्रस्तुत की गई है, निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका यह है कि समाधान योजना को उसी रूप में अपनाया जाए या नहीं, जैसा कि उसे प्रस्तुत किया गया था या संशोधित रूप में; और यह कि कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार का प्रयास किया जाए या नहीं, अंततः प्रमुख निकाय के पास है, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार शामिल हैं और जिन्हें "लेनदारों की समिति" कहा जाता है। जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों से देखा गया है-उद्धृत, एक पर अंतिम निर्णय

समाधान योजना लेनदारों की समिति द्वारा ली जाती है; और, अनुमोदन के लिए, संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार, वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत द्वारा एक समाधान योजना के पक्ष में मतदान की आवश्यकता होती है। यह इंगित करना भी प्रासंगिक है कि हालांकि समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को एक चालू चिंता के रूप में चलाना है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, लेकिन संहिता की धारा 28 (3) के अनुसार, वह प्रबंधन से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले सकता है।

कम से कम 66 प्रतिशत मतदान शेयरों के मत से लेनदारों की समिति की पूर्व मंजूरी के बिना निगमित देनदार का।

67.1 . इसलिए, यह स्पष्ट है कि समाधान की योजना की मंजूरी के साथ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान अंततः अनन्य है।

लेनदारों की समिति का क्षेत्र। समाधान प्रक्रिया के दौरान भी,

इसके लिए। धारा 30 (4) और धारा 28 (3) से यह भी स्पष्ट है कि अनुमोदन के प्रमुख निर्णय लेनदारों की समिति द्वारा वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट से लिए जाने हैं, न कि साधारण बहुमत से। ऋणदाताओं की समिति को निगमित दिवालियापन समाधान में इस तरह की अनूठी और निर्णायक भूमिका सौंपने के कारण और उद्देश्य और उस मामले के लिए, न के एक बड़े ब्लॉक को 78 सी. ओ. सी. के न्यूनतम मतों का यह प्रतिशत, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए और कुछ कार्यों के पूर्व अनुमोदन के लिए भी, संहिता में 'पचहत्तर' था जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था और इसे 06.06.2018 से प्रभावी संशोधन के माध्यम से 'छियासठ' में बदल दिया गया था।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के दो तिहाई से भी कम, बड़े पैमाने पर थे

दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में वर्णित

नवंबर, 2015 में इस आवश्यक विषय पर टिप्पणी करते हुए कि 'चूक करने वाली फर्म का उचित स्वभाव एक व्यावसायिक निर्णय है,

और केवल लेनदारों को ही ऐसा करना चाहिए।

67.2 . के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले में, उक्त रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरणों को निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने निगम में लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान की प्रधानता को उजागर किया।

निम्नलिखित शर्तों में दिवाला समाधान प्रक्रियाः -

" 52. जैसा कि ऊपर कहा गया है, "अस्वीकृत" समाधान योजना की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से और कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; लेकिन आई एंड बी संहिता की धारा 33 (1) के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है। विधायिका ने सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं दिया है, असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करने के लिए बहुत कम। विधायी इतिहास और जिस पृष्ठभूमि में आई एंड बी संहिता लागू की गई है, उससे यह पता चलता है कि चूक करने वाली कंपनियों से बकाया ऋण की वसूली में तेजी लाने के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। नए दृष्टिकोण में, एक शांत अवधि होती है जिसके बाद 270 दिनों (बाहरी सीमा) के भीतर एक त्वरित समाधान प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें विफल रहने पर परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत को अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया है। पहले की व्यवस्था में, निगमित देनदार अनिश्चित काल के लिए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत या ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत दिए गए संरक्षण का आनंद लेना जारी रख सकता था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है।

इसके अलावा, सी. ओ. सी. का व्यावसायिक ज्ञान दिया गया है।

आई एंड बी कोड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा। एक आंतरिक धारणा है कि

प्रस्तावित समाधान योजना की जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया मूल्यांकन। इस विषय पर राय सी. ओ. सी. में उचित विचार-विमर्श के बाद उनके द्वारा व्यक्त किया गया मामला

मतदान के माध्यम से बैठकें, मतदान शेयरों के अनुसार, एक [2021] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामूहिक व्यावसायिक निर्णय। विधायिका, सचेत रूप से,

वाणिज्यिक को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है

व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों या उनके ज्ञान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष सामूहिक निर्णय। कि

गैर-न्यायोचित बनाया जाता है।

53. नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में सी. ओ. सी. को विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए प्राथमिकता दी गई है। यह देखा गया है

इस प्रकार:

" दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न

जब कोई फर्म (मसौदा कानून में कॉर्पोरेट देनदार के रूप में संदर्भित) चूक करती है, तो सवाल उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। कई संभावनाओं की कल्पना की जा सकती है। एक संभावना यह है कि

फर्म को परिसमापन में ले जाएँ। एक और संभावना है कि

एक ऋण पुनर्गठन पर बातचीत करें, जहां लेनदार एन. पी. वी. के आधार पर ऋण में कमी को स्वीकार करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत का मूल्य परिसमापन मूल्य से अधिक है। एक अन्य संभावना है कि फर्म को चालू संस्था के रूप में बेचा जाए और आय का उपयोग लेनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाए। कई संकर संरचनाएँ

इन व्यापक श्रेणियों की कल्पना की जा सकती है। समिति का मानना है कि केवल एक ही सही मंच है

ऐसी संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए: एक लेनदार समिति, जहाँ सभी वित्तीय लेनदारों के पास ऋण की मात्रा के अनुपात में वोट होते हैं।

अतीत में, भारत में कानून हथियार लाए हैं

सरकार (विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका) इस प्रश्न में। समिति द्वारा इससे सख्ती से बचा गया है।

एक चूक करने वाली फर्म का उचित स्वभाव है

व्यावसायिक निर्णय, और केवल लेनदारों को ही इसे करना चाहिए।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर; इटैलिक में जोर मूल में है)

67.3 . एस्सार स्टील (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निगम से संबंधित लगभग सभी प्रासंगिक प्रावधानों का सर्वेक्षण किया।

दिवाला समाधान प्रक्रिया; और, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस प्रक्रिया में विभिन्न भूमिका निभाने वालों के कार्यों की व्याख्या की। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने दिवालियापन कानून सुधारों जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर की उपरोक्त रिपोर्ट के आगे के विस्तृत संदर्भ के साथ ऋणदाताओं की समिति के वाणिज्यिक विवेक और उसके कारणों को फिर से समझाया।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

नवंबर, 2015 की समिति। के. शशिधर (ऊपर पुनः प्रस्तुत) में देखी गई उक्त रिपोर्ट के अंश के अलावा, न्यायालय ने एस्सार स्टील में इस रिपोर्ट के कई अन्य अंशों पर ध्यान दिया; और इसका एक भाग, जो समाधान की प्रक्रिया को संभालने वाले केवल वित्तीय लेनदारों के लिए तर्क को रेखांकित करता है, उपयोगी रूप से नीचे दिए गए अनुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है (पैरा 56 का भाग पी। एस. सी. सी. का 578): -

" 5.3. 1 . आई. आर. पी. की शुरुआत में कदम

***

4. ऋणदाता समिति का गठन

ऋणदाता समिति के पास निर्णय लेने की शक्ति होगी

वार्ता में बहुमत से अंतिम समाधान। बहुमत

मतदान के लिए 75 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर ऋणदाताओं की आवश्यकता होती है।

कुल वित्तीय देनदारियों के भार द्वारा समिति। बहुमत

वोट में किसी भी असहमति पर एक विकल्प भी शामिल होगा। एक बार बहुमत वोट प्राप्त होने के बाद लेनदार। .....

समिति ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि किस पर होना चाहिए

ऋणदाता समिति, जिसे ऋणदाता समिति की शक्ति दी गई है

अंततः इकाई को एक चालू संस्था के रूप में रखना या इसे समाप्त करना। द. समिति ने तर्क दिया कि ऋणदाता समिति के सदस्य

व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता के साथ लेनदार होना चाहिए,

साथ ही मौजूदा देनदारियों की शर्तों को संशोधित करने के लिए तैयार होना बातचीत में। आम तौर पर, परिचालन लेनदार न तो होते हैं

दिवाला संबंधी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम

इकाई, और न ही भुगतान स्थगित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार है

इकाई के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएँ। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि, प्रक्रिया को तेज़ और कुशल बनाने के लिए, कोड होगा

प्रदान करें कि लेनदार समिति को सीमित किया जाना चाहिए

केवल वित्तीय ऋणदाता। "

(इटैलिक में जोर मूल में है)

67.4 . एस्सार स्टील में, न्यायालय ने उपरोक्त-उद्धृत और

के. शशिधर (ऊपर) में निर्णय के अन्य अंश और अन्य बातों के साथ-साथ ऋणदाताओं की समिति की व्यावसायिक विवेक की निर्णायक भूमिका की व्याख्या निम्नलिखित अंशों में की गई है: -

" 54. चूँकि यह समिति का व्यावसायिक ज्ञान है

लेनदार जो यह तय करने वाले हैं कि पुनर्वास करना है या नहीं किसी विशेष [2021] 12 एस. सी. आर. की स्वीकृति के माध्यम से निगमित देनदार।

समाधान योजना, संहिता के प्रावधान और

विनियमों में ऐसी समिति की स्थापना के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया गया है और उपरोक्त समिति के सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाने हैं।

उसका विवेक।

***

***

59. भले ही यह समाधान पेशेवर है जो मध्यवर्ती अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाता है, फिर भी, ऐसे समाधान पेशेवर कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं।

ऋणदाताओं की समिति के कम से कम 66 प्रतिशत मतों के पूर्व अनुमोदन के बिना।

60. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चूंकि निगमित संकल्प है

अंततः ऋणदाताओं की समिति के बहुमत के मत के हाथों में, समाधान पेशेवर द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता के प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है जो कॉर्पोरेट ऋणदाता के प्रबंधन के अधिग्रहण और ऋणदाताओं की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा एक समाधान योजना की स्वीकृति द्वारा कॉर्पोरेट संकल्प के बीच के अंतराल में किए जाने वाले प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 30 (4) के तहत, लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और विभिन्न अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

***

***

64. इस प्रकार, ऋणदाताओं की समिति के बहुमत निर्णय पर एक समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" छोड़ दी गई है, जो स्पष्ट रूप से योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है, जिसमें विभिन्न वर्गों के ऋणदाताओं के बीच धन के वितरण का तरीका भी शामिल है। उदाहरण के लिए, एक समाधान योजना का मामला लें जिसमें बिजली बकाया के भुगतान का प्रावधान नहीं है। यह निश्चित रूप से लेनदारों की समिति के लिए खुला है कि वह संभावित समाधान आवेदक को इस प्रभाव के लिए एक संशोधन का सुझाव दे कि ऐसा बकाया

पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को जारी रखना जेपी केंसिंगटन बोलिवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर के अभाव में असंभव न हो जाए।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बुनियादी और आवश्यक तत्व

व्यवसाय, अर्थात्, बिजली। यह, बदले में, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है

परिणामी संशोधन के साथ समाधान आवेदक

निधियों का वितरण, एक निश्चित प्रकार को भुगतान प्रदान किया जा रहा है

प्रचालन लेनदार, अर्थात् बिजली वितरण कंपनी, प्रस्तावित समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित अग्रिम भुगतान से बाहर

अन्य वित्तीय और परिचालन लेनदारों को देय। क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि यह इस बहुमत का व्यावसायिक ज्ञान है।

लेनदारों का जो बातचीत के माध्यम से निर्धारित करना है

संभावित समाधान आवेदक, कैसे और किस में

जिस तरह से निगमित समाधान प्रक्रिया होनी है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

67.5 . महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, फिर से,

इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने एस्सार स्टील (उपरोक्त) में विस्तार से उल्लेख किया और निगमित दिवाला समाधान के मामले में लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक विवेक को सौंपी गई प्रधानता को दोहराया।

68. इसके लिए जो ऊपर देखा गया है, यह एक नहीं होगा

इस संदर्भ में अतिशयोक्ति कि, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में, लेनदारों की समिति की भूमिका एक नायक के समान है, प्रक्रिया की अंतिमता (निश्चित रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अधीन), जो अपने व्यावसायिक ज्ञान में प्रमुख निर्णय लेता है और

इसके परिणाम भी सामने आते हैं। जैसा कि देखा गया है, इस प्रक्रिया का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करना है और यह स्वीकार किया जाता है कि एक चूक करने वाले कॉर्पोरेट देनदार का उचित व्यवहार और समाधान का विकल्प, कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में रखने या इसे समाप्त करने के लिए, वित्तीय लेनदारों द्वारा किया जाना है, जो व्यवहार्यता का आकलन कर सकते हैं और मौजूदा शर्तों के संशोधन में निर्णय ले सकते हैं। देनदारियाँ। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष समाधान योजना की स्वीकृति से कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित किया जाए या नहीं, यह निर्णय अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक निर्णय है और इसलिए, समिति पर छोड़ दिया जाता है।

वित्तीय ऋणदाताओं, अर्थात ऋणदाताओं की समिति से मिलकर, लेकिन इस आवश्यकता के साथ कि समाधान योजना, इसके अनुमोदन के लिए, वित्तीय ऋणदाताओं के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत मतों को इकट्ठा करना चाहिए।

69. ऋणदाताओं की समिति की प्रधानता का महत्व

कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया तब सामने आती है जब हम [2021] 12 एस. सी. आर.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा की जांच करें

एक समाधान योजना के साथ उसी के बाद लेनदारों की समिति द्वारा मतदान किया गया है। हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामलों के इस समूह में शामिल अधिकांश अन्य प्रश्न कुछ संशोधनों के साथ एनबीसीसी की समाधान योजना के अनुमोदन में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 03.03.2020 के आदेश के इर्द-गिर्द घूमते हैं, निर्धारण के लिए पहले बिंदु के रूप में ऐसी रूपरेखाओं से संबंधित प्रश्न तैयार किए हैं। किसी विशेष आपत्ति या मुद्दे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधता पर निर्णय काफी हद तक इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है या अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है या अवैध रूप से या सामग्री के साथ काम किया है।

अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अनियमितता। वास्तव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा भी इस न्यायालय द्वारा चित्रित की गई है उपरोक्त निर्णय, जैसा कि अवसंरचना में देखा जाएगा।

70. पूर्वगामी टिप्पणियों के साथ और उपरोक्त व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए, अब हम इन बिंदुओं को उठा सकते हैं

इस मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होना।

बिंदु ए

समाधान योजना से निपटने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा

71. जैसा कि देखा गया है, निगमित देनदार जे. आई. एल. के संबंध में समाधान योजना, जैसा कि एन. बी. सी. सी. द्वारा प्रस्तावित किया गया है, द्वारा अनुमोदित किया गया है

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 97.36% के मतों के साथ लेनदारों की समिति। हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने दिनांकित 03.03.2020 के विवादित आदेश को पारित करते हुए, समाधान योजना की कुछ शर्तों को संशोधित किया है, जबकि समाधान योजना की कुछ अन्य शर्तों के संबंध में संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया है। किसी भी घटना के संबंध में, चाहे योजना की शर्तों को संशोधित करने का हो या संशोधन के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने का, निश्चित रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होगा। 72. ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से निपटने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को इस न्यायालय द्वारा के. शशिधर, एस्सार स्टील और

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड में उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से परिभाषित, चित्रित और वर्णित किया गया है। इनमें से प्रत्येक मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं के संक्षिप्त संदर्भ के साथ इन निर्णयों से उत्पन्न सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

73. की प्रक्रिया से संबंधित निर्णयों की इस श्रृंखला में पहला

सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही में समाधान योजना की मंजूरी के. शशिधर (उपरोक्त) का मामला था, जहां दो अलग-अलग कॉर्पोरेट देनदारों, कामिनेनी स्टील एंड पावर (इंडिया) (पी) लिमिटेड ('के. एस. पी. आई. पी. एल.') और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('आई. आई. एल.') से संबंधित मामले थे।

73.1 . अनावश्यक विवरणों से वंचित, के. एस. पी. आई. पी. एल. के मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू यह थे कि उक्त कंपनी ने एक याचिका दायर की थी

संहिता की धारा 10 के तहत याचिका जिसमें सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की मांग की गई थी जिसे एन. सी. एल. टी., हैदराबाद और आई. आर. पी. द्वारा 10.02.2017 पर स्वीकार किया गया था, नियुक्त किया गया था।

समाधान योजना '। यह ध्यान दिया जाए कि सुसंगत समय पर, संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार समाधान योजना के अनुमोदन की आवश्यकता यह थी कि इसे वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत के मत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। 73.1. 1 . उपरोक्त मतदान के बाद प्राप्त स्थिति यह थी कि समाधान योजना वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के न्यूनतम 75 प्रतिशत वोट प्राप्त करने से कम हो गई। आई. आर. पी. ने 03.11.2017 पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी., हैदराबाद) के समक्ष परिणाम का एक हलफनामा दायर किया। हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंध निदेशक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि बहुमत को वित्तीय लेनदार के मतदान हिस्से को ध्यान में रखे बिना गिना जाना चाहिए, जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लेने का फैसला किया। यह निवेदन था कि इस तरह के बहिष्कार के साथ, योजना के अनुमोदन में मतदान हिस्सेदारी का प्रतिशत

78.63% होगा और इसलिए, योजना को इसके द्वारा अनुमोदित के रूप में लिया जा सकता है

सीओसी। एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 20.11.2017 के आदेश द्वारा इस प्रकार दायर याचिका को अनुमति दी और कुछ निर्देशों के साथ समाधान योजना को मंजूरी दी। उक्त बैंक ऑफ इंडिया सहित तीन असंतुष्ट वित्तीय लेनदार महाराष्ट्र ने समाधान योजना को मंजूरी देने में एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की, इसके बावजूद कि उसे वित्तीय

लेनदारों के मतदान हिस्से के न्यूनतम 75 प्रतिशत मतों की मंजूरी नहीं मिली है। कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंध निदेशक ने भी एक अपील [2021] 12 एस. सी. आर. दायर की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित गारंटी के संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा किए गए अवलोकन को चुनौती देना।

73.2 . अन्य निगमित देनदार आई. आई. एल. से संबंधित तथ्यात्मक पहलू यह था कि इसके ऋणदाता बैंक ने दिवाला आवेदन दायर किया था जो था -

एन. सी. एल. टी., मुंबई द्वारा 17.01.2017 पर भर्ती कराया गया। इस निगमित देनदार से संबंधित सी. ओ. सी. की बैठक में, 66.57% मतदान हिस्सेदारी रखने वाले वित्तीय लेनदारों ने प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 33.43% मतदान हिस्सेदारी रखने वाले असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों ने इसके खिलाफ मतदान किया। परिणामस्वरूप, मतदान हिस्सेदारी के अपेक्षित प्रतिशत के समर्थन के अभाव में प्रस्तावित योजना को मंजूरी नहीं दी गई। प्रस्ताव आवेदक ने एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने और नए वोट आमंत्रित करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। आसन्न परिसमापन कार्यवाही पर आपत्ति जताई गई थी

श्रमिक संघ द्वारा भी। हालांकि, एन. सी. एल. टी. ने खारिज कर दिया कि

आवेदन और दिनांक 23.11.2017 के अपने आदेश द्वारा परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की गई थी। 73.3 . अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने के. एस. पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल. से संबंधित दोनों अपीलों को एक साथ लिया और उनका निपटारा किया।

आई. डी. 1 दिनांकित एक सामान्य निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 30 (4) के तहत निर्धारित वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के मत द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की वैधानिक आवश्यकता अनिवार्य थी और विचाराधीन योजनाओं को अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित नहीं किया गया था। इसलिए याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

73.4 . एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस प्रकार पारित सामान्य निर्णय में था

इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दें। इस न्यायालय में अपीलों के लंबित रहने के दौरान, धारा 30 (4) में उपरोक्त संशोधन किया गया था और समाधान योजना के अनुमोदन के लिए अपेक्षित मतदान हिस्सेदारी को 06.06.2018 से घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया था।

73.5 . प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की लंबी अवधि की जांच करने के बाद, यह न्यायालय इन प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या आई. बी. सी. की धारा 30 (4) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के

मतदान हिस्से का प्रतिशत अनिवार्य था; क्या मतदान से दूर रहने वाले वित्तीय लेनदारों के वोटों को मतदान हिस्से के आवश्यक प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य से नजरअंदाज करने की आवश्यकता थी; क्या अपीलों के लंबित रहने के दौरान लागू किए गए संशोधन उन मामलों पर लागू थे; और क्या यह खुला था जे. जे. पी. के. के. एन. एस. आई. टी. एन. बी. एल. ए. एल. ए. वी. एल. ए. ए. आर. टी. एम. ए.

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण को समाधान योजना की अस्वीकृति के लिए, यथास्थिति, आई. बी. सी. की धारा 30 (2) या 61 (3) में निर्दिष्ट कारकों के अलावा किसी अन्य कारक पर विचार करने के लिए? 73.6 . इस न्यायालय ने संहिता की पूरी योजना का विश्लेषण किया, विशेष रूप से समाधान योजना और इसके अनुमोदन के संबंध में

लेनदारों की समिति और फिर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा; और

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मतदान हिस्सेदारी का प्रतिशत निर्देशिका नहीं था और संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों में निहित प्रावधानों के आलोक में, अनुमोदन करने वाले मतों को मतदान हिस्सेदारी के अपेक्षित प्रतिशत को पूरा करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि समाधान योजना के अनुमोदन के लिए नए योग्यता मानक निर्धारित करने वाली धारा 30 (4) में संशोधन न तो था संचालन में पूर्वव्यापी और न ही पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ रहा था। न्यायालय ने के. एस. पी. आई. पी. एल. के मामले में मतदान हिस्सेदारी के अलग-अलग प्रतिशत के सुझाव को भी खारिज कर दिया। ये पहलू वर्तमान उद्देश्य के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं हैं। प्रासंगिक पहलू इस संबंध में उद्धरण हैं -

ऋणदाताओं की समिति और न्यायनिर्णायक की संबंधित भूमिकाएँ

प्राधिकरण। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस न्यायालय ने ऋणदाताओं की समिति के व्यावसायिक विवेक को दी गई प्रधानता और इस तरह के व्यावसायिक विवेक को गैर-न्यायसंगत बनाए जाने के बारे में विस्तार से बताया। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित परिच्छेदों में समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित मामले पर विचार करते हुए एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र की सख्त सीमाओं को भी परिभाषित किया: -

" 55. जबकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का विवेक

धारा 31 द्वारा वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा "अनुमोदित" समाधान योजना की जांच तक सीमित है। उस जाँच में भी, जिन आधारों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है, वे हैं -

धारा 30 (2) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जब

समाधान योजना कथित के अनुरूप नहीं है

आवश्यकताएँ। धारा 30 (2) पर लौटते हुए, की जाने वाली जांच इस संबंध में है कि क्या समाधान योजना प्रदान करता है: (i) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान को प्राथमिकता देते हुए एक निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान, (ii) ऋण का पुनर्भुगतान।

निर्धारित तरीके से परिचालन लेनदारों के ऋण, (iii) निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन, (iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण, (v) 12 एस. सी. आर. के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस समय लागू विधि, (vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। बोर्ड

आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान के दौरान लेनदारों को अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतदान के समय वित्तीय लेनदारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि विभिन्न कारकों का एक मिश्रित बोझ होना तय है। जाहिर है, प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और उनकी धारणाओं को शामिल करना। संकल्प आवेदक की अनुमानित योजना को वास्तविकता में बदलने की सामान्य क्षमता के बारे में। समाधान आवेदक ने मानक डेटा द्वारा समर्थित अनुमान दिए होंगे, लेकिन फिर भी असहमत वित्तीय लेनदारों की राय में, यह इससे मुक्त नहीं होगा।

अटकलबाजी होना। ये पहलू पूरी तरह से वित्तीय लेनदारों के अधिकार क्षेत्र में हैं जिन्हें इस पर मतदान करने के लिए कहा जाता है - आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना।

57. आई एंड बी संहिता के प्रावधानों को नंगे पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि धारा 61 (1) के तहत अपील का उपाय एक "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा पारित आदेश" के खिलाफ है, जो हम मान लेंगे कि इस तथ्य को दर्ज करने से भी संबंधित हो सकता है कि प्रस्तावित समाधान योजना को खारिज कर दिया गया है या एक आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत का मतदान। निर्विवाद रूप से, अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता की चौड़ाई और अपील के आधारों सहित अपील का उपचार क़ानून का एक हिस्सा है। अधिकारिता और प्राधिकरण का निवेश करने वाले प्रावधान

एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. में, जैसा कि पहले देखा गया है, सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं करने का वाणिज्यिक निर्णय नहीं लिया है। समाधान योजना या उसे अस्वीकार करना, न्यायसंगत है।

इस जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

स्थिति को निर्दिष्ट सीमित आधारों से प्रबलित किया जाता है

एक अपील शुरू करने के लिए वह भी एक आदेश के खिलाफ "अनुमोदन"

धारा 31 के तहत एक समाधान योजना। सबसे पहले, कि अनुमोदित

समाधान योजना किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में है

उस समय लागू कानून। दूसरा, वहाँ है

संकल्प द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के दौरान "पेशेवर" अवधि। तीसरा, परिचालन ऋणदाताओं पर बकाया ऋण

समाधान योजना में प्रावधान नहीं किया गया है

निर्धारित तरीके से। चौथा, दिवाला समाधान योजना

अन्य सभी ऋण। पाँचवाँ, समाधान योजना का पालन नहीं होता है बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य मानदंड के साथ। उल्लेखनीय है कि,

मामले या आधार-चाहे वह धारा 30 (2) के तहत हो या धारा के तहत।

समाधान योजना जिसे अस्वीकार कर दिया गया हो या माना गया हो सी. ओ. सी. द्वारा अपने व्यावसायिक निर्णय के प्रयोग में अस्वीकार कर दिया गया।

58. निसन्देह, ऐसी अपील में जांच इन तक सीमित होगी -

खंड के तहत समाधान पेशेवर द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति

(एन. सी. एल. टी.) आई एंड बी की धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 31 (2) के तहत कोड। किसी अन्य जांच की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा,

अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को दिया गया अधिकार क्षेत्र भी है

स्पष्ट रूप से परिवेष्टित। यह केवल चुनौती की जांच कर सकता है

या असहमत वित्तीय लेनदारों का वाणिज्यिक ज्ञान। इस प्रकार, निर्धारित प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.)

आई एंड बी में निर्दिष्ट सीमित अधिकार क्षेत्र से संपन्न

संहिता और समानता के न्यायालय के रूप में कार्य करना या पूर्ण अभ्यास नहीं करना

शक्तियाँ "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

74. के. शशिधर के मामले में निर्णय के कुछ महीने बाद,

समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित पूर्वनिर्धारित प्रावधान आए

आर में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीश पीठ के समक्ष आगे की व्याख्या

एस्सार स्टील (ऊपर)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74.1 . पृष्ठभूमि पहलुओं पर, विवरणों को छोड़ते हुए, पर्याप्त है

यह वर्तमान उद्देश्य के लिए नोटिस देता है कि एस्सार स्टील के मामले में, एन. सी. एल. टी., अहमदाबाद ने एक ऋणदाता बैंक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कुछ दौर की कार्यवाही के बाद, आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड की बातचीत समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा 92.24% के बहुमत से मंजूरी दी गई थी। कई और कार्यवाही के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने दिनांक 08.03.2019 के आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए आवेदन का निपटारा कर दिया। हालाँकि, अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने समाधान योजना की शर्तों को संशोधित किया और आय को पुनर्वितरित करने के लिए आगे बढ़ा, जबकि, अन्य बातों के साथ, यह मानते हुए कि वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों को एक समाधान योजना के तहत समान व्यवहार का अधिकार है और आगे यह कहते हुए कि सी. ओ. सी. को वितरण के तरीके को तय करने का अधिकार नहीं था।

एक या अन्य लेनदारों के बीच किया जाना था, क्योंकि वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच हितों का टकराव होगा। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

74.2 . दी गई पृष्ठभूमि में, समाधान पेशेवरों की भूमिकाएँ,

समाधान आवेदक और लेनदारों की समिति के साथ-साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता भी एस्सार स्टील (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा आगे और पूर्ण व्याख्या के लिए सामने आई। हम आई. बी. सी. की योजना और दिवालिया होने की प्रक्रिया में ऋणदाताओं की समिति की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में इस निर्णय के अंशों को पहले ही देख चुके हैं। निगमित देनदार का समाधान। एस्सार स्टील में दिवाला समाधान की इस प्रक्रिया में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता के संबंध में, इस न्यायालय ने के. शशिधर में निर्धारित और स्पष्ट किए गए सिद्धांतों का व्यापक रूप से उल्लेख किया और उसके बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है,

जो किसी भी परिस्थिति में किसी व्यवसाय पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है।

ऋणदाताओं की समिति के बहुमत का निर्णय है,

संहिता की धारा 30 (2) के चार कोनों के भीतर होना,

जहाँ तक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का संबंध है, और धारा

32 जहां तक अपील का संबंध है, संहिता की धारा 61 (3) के साथ पढ़ें। न्यायाधिकरण का संबंध है, इस तरह की समीक्षा के मानदंडों में कहा गया है -

स्पष्ट रूप से के. शशिधर में उल्लिखित है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

74.3 . एस्सार स्टील में हालांकि यह तर्क दिया गया था कि उप-धारा (5)

के. शशिधर में धारा 60 पर विचार नहीं किया गया था और उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने परिचालन लेनदारों के अधिकारों और दिवाला समिति की रिपोर्ट, 2018 में दिए गए कारणों की जांच की और फिर जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड के सहयोग को दोहराया

लेनदारों की समिति की प्रधानता कानून को अनिश्चित शब्दों में घोषित करते हुए कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदारों की समिति द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय के गुण-दोष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है; इसके लिए उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा यह देखने के लिए थी कि लेनदारों की समिति ने निगम को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा था। देनदार के परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और परिचालन ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया। उल्लेखनीय रूप से, एस्सार स्टील में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को पता चलता है कि आवश्यक मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वह मानदंडों को संतुष्ट करने के बाद समाधान योजना को फिर से जमा करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेज सकता है। यह

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया: -

" 73. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतिम

प्रत्येक वर्ग या उप-वर्ग के लेनदारों को क्या भुगतान करना है और कितना भुगतान करना है, इसका विवेकाधिकार लेनदारों की समिति के पास है।

लेकिन, ऐसी समिति के निर्णय में इस तथ्य को प्रतिबिंबित होना चाहिए

निगमित देनदार की परिसंपत्तियाँ और यह तथ्य कि उसके पास है सभी हितधारकों के हितों को पर्याप्त रूप से संतुलित करना।

परिचालन लेनदारों सहित। यह मामला होने के कारण, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, में न्यायिक समीक्षा शामिल होगी जो है -

संहिता के प्रावधानों के रूप में धारा 30 (2) (ई) में उल्लिखित हैं -

उस समय लागू कानून के प्रावधान भी। इस प्रकार, जबकि

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण गुण-दोष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है

समिति द्वारा लिया गया वाणिज्यिक निर्णय

लेनदारों, सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है

कि ऋणदाताओं की समिति ने ध्यान में रखा है

तथ्य यह है कि कॉर्पोरेट देनदार को एक के रूप में चलते रहने की आवश्यकता है

दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान चिंता;

कि उसे अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और वह

परिचालन सहित सभी हितधारकों के हित

लेनदारों का ध्यान रखा गया है। यदि न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण तथ्यों के एक दिए गए समूह पर पाता है कि उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, यह एक संदेश भेज सकता है

समाधान योजना ऋणदाताओं की समिति को वापस करने के लिए

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने के बाद ऐसी योजना प्रस्तुत करें। [2021] 12 एस. सी. आर. को मंजूरी देते समय लेनदारों की समिति द्वारा दिए गए कारण।

इस प्रकार एक समाधान योजना को न्यायनिर्णायक द्वारा देखा जा सकता है।

केवल इस दृष्टिकोण से प्राधिकरण, और एक बार जब यह संतुष्ट हो जाता है कि

ऋणदाताओं की समिति ने इन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया है,

इसके बाद इसे समाधान योजना को पारित करना चाहिए, अन्य चीजें समान हैं।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

74.4 . इसके बाद, इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार किया

कुछ दावों और आपत्तियों के संबंध में जिन्हें विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है; यह ध्यान देना पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय ने एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश को मंजूरी नहीं दी और निर्देश दिया कि निगमित देनदार का सी. आई. आर. पी.

संशोधित समाधान योजना के अनुसार किया जाता है, जैसा कि लेनदारों की समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है।

75. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (ऊपर) एक और कंपनी है।

जिस निर्णय में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लेनदारों की समिति के निर्णय में हस्तक्षेप इस न्यायालय की पूर्ण अस्वीकृति के साथ हुआ।

75.1 . महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड में मामला सी. आई. आर. पी. से संबंधित है।

निगमित देनदार यूनाइटेड सीमलेस टच्यूबलर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में।

जहाँ चार अलग-अलग आवेदकों की समाधान योजनाओं पर विचार किया गया और सी. ओ. सी. ने वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 87.10% के बहुमत से अपीलार्थी महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड द्वारा दायर समाधान योजना को मंजूरी दी। परिसमापन मूल्य के संबंध में कुछ अंतर उत्पन्न हुए

निगमित देनदार और सी. ओ. सी. की परिसंपत्तियों का औसत निकटतम अनुमान का औसत लिया। हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने परिसमापन मूल्य के पुनर्निर्धारण का आदेश दिया और तदनुसार, संशोधित मूल्य पर पहुंचा गया। इसके बाद, सी. ओ. सी. ने संशोधित परिसमापन मूल्य पर विचार करते हुए अपीलार्थी की समाधान योजना को फिर से मंजूरी दी। फिर, एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी जिसमें निगमित देनदार की पूंजी में निवेश के लिए 477 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान शामिल था। निगमित देनदार के एक प्रवर्तक और एक वित्तीय लेनदार ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष यह तर्क देते हुए अपील दायर की कि समाधान योजना ने समाधान आवेदक को अनुचित लाभ दिया, जिसके बाद अपीलीय प्राधिकरण ने समाधान आवेदक को अपने धन प्रवाह को बढ़ाने का निर्देश दिया।

75.2 . उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस मामले पर विचार किया गया था

समाधान आवेदक द्वारा दायर अपील। संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ एस्सार स्टील (उपरोक्त) में व्याख्याओं की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि संहिता या विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी भी जे. जे. पी. के. के. एन. एस. आई. टी. एन. बोलवार्ड की बोली का स्वागत किया जाए।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समाधान आवेदक को परिसमापन मूल्य का मिलान करना होगा; कि इस तरह की मूल्यांकन प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य समाधान योजना पर उचित निर्णय लेने में सी. ओ. सी. की सहायता करना था; और एक बार सी. ओ. सी. द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल यह पता लगाना था कि क्या समाधान योजना है।

धारा 30 की उप-धारा (2) और (4) की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि दिए गए मामले में, अपीलीय प्राधिकरण ने

वाणिज्यिक ज्ञान के बजाय न्यायसंगत धारणाओं पर आगे बढ़े।

यहां तक कि यह देखते हुए कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्राप्त परिसमापन मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर परिसंपत्तियों को जारी करना असमान प्रतीत होता है, इस न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को आधार सौंपना चाहिए -

मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर समाधान योजना का आकलन करने के बजाय लेनदारों का वाणिज्यिक ज्ञान। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया: -

" 27. अब सवाल यह उठता है कि क्या समाधान योजना को मंजूरी देते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, भले ही वह संहिता की धारा 31 की आवश्यकता का अनुपालन करता हो। इंडियन बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और उक्त

कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व प्रवर्तक ने इस बात पर जोर दिया है कि एमएसएल को 477 करोड़ रुपये में 597.54 करोड़ रुपये की संपत्ति जारी करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। विद्वान वकील उपस्थित हो रहा है

इन दोनों उत्तरदाताओं ने उन्हें मजबूत करने की मांग की है

इस बिंदु पर अन्य समाधान आवेदक का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना जिसकी बोली 490 करोड़ रुपये की थी जो कि बोली की राशि से अधिक है।

अपीलार्थी एमएसएल।

28. संहिता या विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसके तहत किसी भी समाधान आवेदक की बोली भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियम 35 में दिए गए तरीके से प्राप्त परिसमापन मूल्य से मेल खाती हो। (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

विनियम, 2016। एस्सार स्टील में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है।

संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक समाधान योजना को पूरा करता है इसकी धारा 30 की उप-धारा (2) और (4) की आवश्यकता।

हम, अपने आप में, उक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं पाते हैं

मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्राप्त परिसमापन मूल्य प्रतीत होता है असमान। यहाँ, हमें लगता है कि अदालत को आधार छोड़ना चाहिए

लेनदारों के व्यावसायिक ज्ञान के बजाय

मात्रात्मक आधार पर समाधान योजना का आकलन करें विश्लेषण करें। संहिता की योजना ऐसी है। की धारा 31 (1)

संहिता स्पष्ट शब्दों में बताती है कि अंतिम अनुमोदन के लिए

समाधान योजना, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि

संहिता की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकता है

अनुपालन किया गया। संहिता की धारा 31 (1) का प्रावधान

एक अन्य बिंदु निर्धारित करता है जिस पर एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को करना होता है

संतुष्ट रहें। वह कारक यह है कि समाधान योजना में प्रावधान हैं।

इसे लागू करने के लिए। द्वारा हस्तक्षेप का दायरा

सीमित न्यायिक समीक्षा में निर्णय लेने का अधिकार निर्धारित किया गया है।

एस्सार स्टील में, प्रासंगिक मार्ग (पैरा 54) जिसमें से हमारे पास है

इस निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया। एम. एस. एल. का मामला

उनकी अपील है कि वे कंपनी चलाना चाहते हैं और अधिक निवेश करना चाहते हैं

प्राधिकारी को न्यायनिर्णायक के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था सफल समाधान आवेदक को बढ़ाने के लिए निर्देश देने में प्राधिकरण

उनकी निधि अग्रिम रूप से प्रवाहित होती है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

76. उपर्युक्त व्याख्याएँ यह स्पष्ट करती हैं कि

क्या निगमित देनदार को एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना चाहिए या उसका परिसमापन किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक निर्णय है; और आई. बी. सी., यह निर्णय लेनदारों की समिति पर छोड़ दिया गया है, जिसमें वित्तीय लेनदार शामिल हैं। अलग-अलग शब्दों में कहें तो दिवाला प्रस्ताव के संबंध में, किसी विशेष समाधान योजना को स्वीकार किया जाना है या नहीं, इसका निर्णय अंततः ऋणदाताओं की समिति के हाथों में है और ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी, एक समाधान योजना को अनुमोदित के रूप में नहीं लिया जा सकता है यदि इसे वित्तीय ऋणदाताओं के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के मतों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। इस प्रकार, मोटे तौर पर, एक समाधान योजना को तभी मंजूरी दी जाती है जब वित्तीय लेनदारों का सामूहिक वाणिज्यिक ज्ञान, जिसमें कम से कम दो तिहाई मतदान हिस्सा होता है।

लेनदारों की समिति, इसके पक्ष में खड़ी है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

77. आई. बी. सी. की योजना में, जहां समाधान योजना का अनुमोदन विशेष रूप से सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान के क्षेत्र में है, न्यायिक समीक्षा का दायरा तदनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के संबंध में धारा 31 में निहित प्रावधानों और अनुमोदन के आदेश के खिलाफ अपील के दायरे के संबंध में धारा 61 के साथ पठित धारा 32 द्वारा सीमित है।

77.1 . न्यायिक समीक्षा पर ऐसी सीमाओं को विधिवत रूप से लागू किया गया है।

सी. ओ. सी. द्वारा प्रयोग किए गए व्यावसायिक ज्ञान की शुद्धता या अन्यथा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा संहिता की धारा 30 (2) के चार कोनों के भीतर है, जो अनिवार्य रूप से यह जांचने के लिए होगी कि समाधान योजना उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, यह ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, और इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं: (क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का प्राथमिकता से भुगतान; (ख) परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान; (ग) असंतुष्ट वित्तीय ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान; (घ) समाधान योजना की मंजूरी के बाद निगमित ऋणदाता के मामलों के प्रबंधन के लिए; और (ङ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण। 77.2 . न्यायिक समीक्षा के दायरे पर सीमाओं को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील के लिए प्रदान किए गए सीमित आधार द्वारा प्रबलित किया जाता है।

एक समाधान योजना, अर्थात्, यदि योजना उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है; या कोई सामग्री है।

निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में अनियमितता; या ऋण

परिचालन लेनदारों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है; या दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत प्राथमिकता में पुनर्भुगतान के लिए प्रदान नहीं की गई है; या समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है।

77.3 . न्यायिक समीक्षा की सीमा पर एस्सार स्टील (ऊपर) में निर्धारित सामग्री प्रस्ताव यह है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण देखें कि क्या सी. ओ. सी. ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि कॉर्पोरेट देनदार

दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की आवश्यकता है; कि इसे अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखा गया है।

ख्याल रखा। और, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण किसी दिए गए [2021] 12 एस. सी. आर. पर पाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्यों का समूह कि आवश्यक मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, यह मानदंडों को संतुष्ट करने के बाद समाधान योजना को फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेज सकता है। फिर, जैसा कि महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (ऊपर) में देखा गया है, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण किसी भी न्यायसंगत धारणा पर आगे बढ़ने या समाधान योजना का मूल्यांकन करने के लिए

मात्रात्मक विश्लेषण। इस प्रकार, किसी भी ऋण या संपत्ति का उपचार अनिवार्य रूप से वित्तीय लेनदारों के सामूहिक वाणिज्यिक ज्ञान पर छोड़ दिया जाना आवश्यक है।

77.4 . प्रस्तुतियों के दौरान, एक पक्ष (वाई. ई. आई. डी. ए.), समाधान योजना के संशोधन का समर्थन करना चाहता है।

आयोग, इलाहाबाद और अन्य। : (1997) 30 एएलआर 339 यह प्रस्तुत करने के लिए कि अनुमोदन या अस्वीकृत करने की शक्ति में संशोधित करने की शक्ति शामिल है; और यह दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि संशोधित करने की शक्ति संहिता की धारा 31 के संदर्भ में अनुमोदन की शक्ति में निहित है। यह देखा गया है कि यू. पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (सजा के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1985 के विनियम 8 के तहत शक्तियों से संबंधित उद्धृत निर्णय में शामिल प्रश्न, जिसमें प्रावधान किया गया है कि 'आयोग उचित विचार के बाद प्रस्तावित सजा को मंजूरी या अस्वीकृत करेगा या मामले में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य निर्देश जारी कर सकता है'। उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए, जहां आयोग को एक वरिष्ठ प्राधिकारी के रूप में कार्य करना था और प्रावधान स्वयं अभिनिर्धारित किया कि उक्त प्राधिकारी 'उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य निर्देश को जारी कर सकता है', न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्तियाँ संशोधित करने की शक्ति के अस्तित्व का संकेत देती हैं। हमें डर है कि उक्त निर्णय या समान प्रकृति के अन्य निर्णयों में बताए गए सिद्धांतों को समाधान योजना को संहिता की धारा 31 में संशोधित करने की शक्ति को पढ़ने के लिए आयात नहीं किया जा सकता है।

77.5 . वास्तव में, संहिता की धारा 31 में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रदत्त अनुमोदन की शक्ति की कल्पना इस प्रकार की जानी चाहिए:

संहिता की समग्र योजना और उन उद्देश्यों का संदर्भ जिनके लिए ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धारा 31 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसी निम्न या अधीनस्थ प्राधिकारी के निर्णय के गुण-दोष से निपटने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी की शक्ति के समान नहीं है। जैसा कि एस्सार स्टील (उपरोक्त) में संक्षेप में कहा गया है, सीमित न्यायिक समीक्षा यह देखने के लिए उपलब्ध है कि लेनदारों की समिति ने कॉर्पोरेट देनदार को जेयपी केन्सिंगटन बॉउलेवार्ड के रूप में जारी रखने के लिए निर्दिष्ट मापदंडों का पालन किया है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समाधान प्रक्रिया के दौरान चिंता; अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण; और सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना। इस न्यायालय ने, किसी भी अनिश्चित शर्तों में, यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि निर्दिष्ट मापदंडों ने नहीं किया है

इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण मानकों को पूरा करने के बाद ऐसी योजना को फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को एक समाधान योजना वापस भेज सकता है। इस प्रकार, लेनदारों की समिति द्वारा दिए गए कारणों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह तय करना अधिकार क्षेत्र नहीं है कि समाधान योजना की शर्तें क्या होनी चाहिए। आई. बी. सी. की योजना में वह अधिकार क्षेत्र केवल लेनदारों की समिति को प्रदान किया जाता है, जिसे लागू प्रावधानों और निर्दिष्ट मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यावसायिक विवेक से ऐसा निर्णय लेना होता है; निश्चित रूप से, इसके अनुमोदन का निर्णय मतदान हिस्से के न्यूनतम 66 प्रतिशत के अपेक्षित बहुमत से होना चाहिए।

77.6 . प्रस्तुतियों के एक अन्य समूह में, जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के पूर्व निदेशक की ओर से, बार-बार यह दावा किया गया है कि

ऋणदाताओं की समिति यह सुनिश्चित करने के अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रही थी कि

जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों को अधिकतम करना और सभी के हितों की रक्षा करना।

हितधारक; और यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऋणदाताओं की समिति यह कल्पना करने में विफल रही कि जे. आई. एल. की कुल संपत्ति बहुत अधिक होने के बावजूद एन. बी. सी. सी. द्वारा जे. आई. एल. का 120 करोड़ रुपये की अल्प राशि पर अधिग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं था।

77.6. 1 . संहिता की योजना में परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के बारे में मूल्यांकन हमेशा व्यक्तिपरक प्रकृति का होगा और

यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष समाधान योजना और उसके प्रस्ताव परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की ओर ले जा रहे हैं या नहीं, केवल लेनदारों की समिति की जांच और मूल्यांकन का विषय होगा। कब

ऋणदाताओं की समिति अपने व्यावसायिक विवेक और अपेक्षित बहुमत से निर्णय लेती है और ऋणदाताओं की समिति द्वारा इस प्रकार लिए गए निर्णय पर सवाल उठाने के लिए कानून में कोई वैध कारण नहीं है, चाहे वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा हो या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा।

अपीलीय प्राधिकरण, यह निर्णय लेने के लिए किसी भी मात्रात्मक विश्लेषण में प्रवेश नहीं कर सकता है कि क्या समाधान योजना के प्रिस्क्रिप्शन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण होता है या नहीं। मूल्य अधिकतमकरण के इस पहलू के संबंध में की गई सामान्यीकृत प्रस्तुतियाँ और आपत्तियाँ, अपने आप में, लेनदारों की समिति द्वारा अपने व्यावसायिक विवेक में लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाती हैं।

78. संक्षेप में, निर्णय प्राधिकरण के पास समाधान योजना के अनुमोदन के मामले में सीमित अधिकार क्षेत्र है, जो अच्छी तरह से [2021] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा चित्रित मापदंडों के साथ पठित संहिता की धारा 30 (2) और 31 द्वारा परिभाषित और सीमित। अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता भी संहिता की धारा 61 में प्रदान की गई अपील के सीमित आधारों द्वारा सीमित है। आई. बी. सी. के तहत समाधान योजना से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में सी. ओ. सी. के निर्णय के वाणिज्यिक पहलुओं में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के किसी भी वाणिज्यिक शब्द को प्रतिस्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने सीमित अधिकार क्षेत्र के भीतर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट मापदंडों की तुलना में समाधान योजना में कोई कमी पाएगा, तो वह समाधान योजना को केवल संहिता द्वारा चित्रित और इस न्यायालय द्वारा उजागर किए गए मापदंडों को पूरा करने के बाद फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजेगा।

79. मामलों के इस समूह में उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं, विशेष रूप से दिनांक 1 के विवादित आदेश में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्षों और निर्देशों के संदर्भ में और अन्य संबंधित पहलुओं के संदर्भ

में, अब उपरोक्त मापदंडों और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के ढांचे के भीतर जांच की जा सकती है।

बिंदु बी

सी. ओ. सी. द्वारा दो संकल्प योजनाओं पर एक साथ मतदान

80. बहुत सारे विवादों और आपत्तियों से निपटते समय

एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया के संबंध में, हम सबसे पहले, इन आपत्तियों के एक हिस्से के साथ सौदा करना उचित समझते हैं कि सी. ओ. सी. द्वारा एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना की मंजूरी इस तथ्य के कारण दूषित है कि सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. की दो समाधान योजनाओं को एक साथ मतदान के लिए रखा गया था, जबकि समाधान योजनाओं पर इस तरह के एक साथ मतदान की अनुमति नहीं थी। यदि आपत्तियों के इस हिस्से को स्वीकार कर लिया जाता है, तो शायद, इससे अधिक कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

81. विरोधियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के समय, इसमें कोई प्रावधान नहीं था

सी. ओ. सी. द्वारा एक समय में और संहिता की योजना में एक से अधिक संकल्प योजनाओं पर मतदान की अनुमति देने वाली संहिता और उचित विचार की आवश्यकताओं के लिए, यह आवश्यक था कि एक समय पर एक योजना पर विचार किया जाए। वर्तमान मामले में एक साथ मतदान की प्रक्रिया ने सी. ओ. सी. के निर्णय को दूषित कर दिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विनियमन

39 (3बी), सी. ओ. सी. को मतदान के लिए एक से अधिक संकल्प योजना रखने की अनुमति देते हुए, सी. आई. आर. पी. विनियमों में केवल 07.08.2020 और जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर के प्रभाव से जोड़ा गया था।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संचालन में संभावित होने के कारण, वर्तमान प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा।

इसके विपरीत, विचाराधीन योजना के अनुमोदन के साथ खड़े दलों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एक ही समय में मतदान करने के लिए एक से अधिक प्रस्ताव योजना रखने के लिए संहिता में कोई निषेध या प्रतिबंध नहीं था। आई. आर. पी. की ओर से, यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 30 की उप-धारा (3) के संदर्भ में, उन्हें सी. ओ. सी. को ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप थीं; और धारा 30 की उप-धारा (4) के अनुसार, सी. ओ. सी. 'एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकता है'। अतः प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में

प्रक्रिया में, दोनों योजनाओं को सी. ओ. सी. के समक्ष उचित रूप से रखा गया था; और

सी. ओ. सी. ने ऐसी योजनाओं पर सही मतदान किया और उनमें से एक को मंजूरी दी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 07.08.2020 से प्रभावी संशोधन लाया गया है

82. रिकॉर्ड पर सामग्री और लागू कानून के संदर्भ में एक साथ मतदान के खिलाफ आपत्ति की जांच करने के बाद, हम हैं इस आपत्ति में कोई सार नहीं पाया जा सका।

83. यह उल्लेखनीय है कि आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. विनियमों की योजना में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो सी. ओ. सी. एक साथ न कर सके।

प्रकृति में स्पष्टीकरण के रूप में कल्पना की जाए; और, किसी भी मामले में, इससे पहले भी 79 सी. आई. आर. पी. विनियम, आई. बी. आई. डी. के विनियम 39 के उप-विनियम (3) के लिए दूसरा फुटनोट।

बैठक में इस पहलू पर विधिवत विचार-विमर्श किया गया, जहां आई. डी. बी. आई. बैंक ने दोनों योजनाओं पर एक साथ मतदान करने का प्रस्ताव रखा और इस सुझाव को आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड और ऐक्सिस बैंक लिमिटेड को छोड़कर लगभग सभी सी. ओ. सी. सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिनका कुल मिलाकर केवल लगभग 2.3 % . इस संबंध में उचित विचार-विमर्श, दिनांक 07.12.2019 की ऋणदाताओं की समिति की बैठक में, निम्नानुसार पढ़ा गया: -

" आई. आर. पी. ने सी. ओ. सी. से समाधान योजना के बारे में पूछताछ की जिसे सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के लिए रखे जाने की आवश्यकता है। ऋणदाताओं की ओर से आईडीबीआई बैंक प्रस्ताव दिया कि इस मामले की अनूठी प्रकृति को देखते हुए दोनों योजनाओं पर मतदान किया जाना चाहिए क्योंकि यह सी. ओ. सी. के व्यक्तिगत सदस्यों को अपनी पसंदीदा समाधान योजना का चयन करने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। दोनों योजनाओं पर संयुक्त मतदान का प्रस्ताव रखने का मुख्य कारण था -

-अपनी विशेष शक्तियों (अनुच्छेद 142) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देश जहां सी. ओ. सी./आई. आर. पी. की आवश्यकता थी

केवल एन. बी. सी. सी. और सुरक्षा से समाधान योजनाओं पर विचार करें

मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाता है। -सी. ओ. सी. के सभी सदस्यों (घर खरीदारों और एफ. डी. धारकों सहित) को सबसे पसंदीदा योजना को मंजूरी देने का समान अवसर देना।

उनके द्वारा।

-इस संकल्प की अनूठी और जटिल प्रकृति को देखते हुए

प्रक्रिया।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड को छोड़कर सभी सीओसी सदस्य (कुल मिलाकर जिनका वोट शेयर लगभग है।

2.3 %) जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर के साथ सहमत

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. डी. बी. आई. बैंक द्वारा दिया गया सुझाव और दोनों संकल्प योजनाओं को एक साथ मतदान के लिए रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, यह था

निर्णय लिया कि दोनों संकल्प योजनाओं पर मतदान किया जाएगा एक साथ और घटना में दोनों न्यूनतम सीमा को सुरक्षित करते हैं

66 प्रतिशत मतों में से, समग्र रूप से अधिक मत प्राप्त करने की योजना को पसंदीदा समाधान योजना माना जाएगा। आई. आर. पी. ने सहमति व्यक्त की

सी. ओ. सी. की बैठक में सी. ए. एम. द्वारा यह बताया गया था कि चूंकि दोनों संकल्प योजनाओं पर मतदान किया जा रहा है, इसलिए हम समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां दोनों समाधान योजनाओं को अधिक प्राप्त होगा

66 प्रतिशत से अधिक मत, इस प्रकार संदेह पैदा करते हैं कि क्या दोनों प्रस्ताव आवेदक समान रूप से अपनी योजनाओं को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के हकदार हैं। इसलिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए, सी. ओ. सी. सदस्यों को केवल दो संकल्प योजनाओं में से किसी एक पर मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। घर खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग सभी घर खरीदार कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन नहीं चाहते हैं। यदि घर खरीदारों और सी. ओ. सी. के अन्य सदस्यों के बीच मतदान होता है, तो कोई समाधान योजना स्वीकृत नहीं होने की अधिक संभावना होती है और परिसमापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अधिकांश घर खरीदार जिन्होंने घर खरीदारों के ए. आर. को लिखा है, उन्होंने अपनी पसंदीदा पसंद के रूप में एन. बी. सी. सी. का संकेत दिया है। घर खरीदार यह भी पूरी तरह से जानते हैं कि सी. ओ. सी. के अन्य सदस्यों के समर्थन के बिना, किसी भी समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा। माननीय उच्चतम

न्यायालय के दिनांक 06.11.2019 के फैसले के पैरा 21 (i) में यह भी निर्देश दिया गया है कि "बातचीत के बाद, यदि आवश्यक हो, तो संशोधित योजना (योजनाओं) को सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जाए और

इस तरह के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. को रिपोर्ट प्रस्तुत करें

समय "।

परिसमापन या गैर-अनुपालन के परिदृश्य से बचने के लिए

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश, गृह खरीदारों के ए. आर. ने जोर देकर कहा कि दोनों संकल्प योजनाओं को मतदान के लिए रखा जाना चाहिए और सी. ओ. सी. सदस्यों को दोनों संकल्प योजनाओं पर मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि दोनों संकल्प योजनाओं को 66 प्रतिशत से अधिक वोट मिलते हैं, तो सफल समाधान आवेदक का निर्णय संकल्प योजना के आधार पर किया जाएगा, जिसे अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वोट करें "।

85. उपरोक्त को देखते हुए, हम सी. ओ. सी. [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा दो संकल्प योजनाओं पर स्वत: विचार करने और मतदान करने में कोई त्रुटि नहीं पा रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनमें से किसी एक को चुनने के लिए; और हमें ऐसी प्रक्रिया को अपना महत्व देने में कोई संकोच नहीं होगा। इस संबंध में आधारहीन आपत्ति को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

प्वाइंट सी

भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी YEIDA से संबंधित मामले

86. अब हम संकल्प के लिए पहले प्रमुख बिंदु पर प्रवेश कर सकते हैं।

मामलों के इस समूह में; और यह भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी वाई. ई. आई. डी. ए. से संबंधित समाधान योजना की शर्तों से संबंधित है। सामने का पहलू

यह मुद्दा भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त मुआवजे के आकस्मिक दायित्व को पूरा करने के लिए समाधान योजना में किए गए प्रावधान के बारे में है। दूसरा पहलू कंपनी, वाई. ई. आई. डी. ए. के बीच त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देशों से संबंधित है। ऋणदाता जे. आई. एल. और एस. पी. वी. एस. ने समाधान योजना के संदर्भ में स्थापित करने का

प्रस्ताव रखा। एक सहायक पहलू समाधान आवेदक द्वारा मांगी गई कुछ राहतों और रियायतों से संबंधित है।

87. जैसा कि देखा गया है, विचाराधीन भूमि के तहत अधिकार प्रदान किए गए थे

मूल रियायत प्राप्तकर्ता को दिनांक 07.02.2003 के रियायत समझौते के तहत और बाद में, जे. आई. एल. को रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। व्यापक ढांचे में, भूमि का एक हिस्सा प्रदान किया गया था एक्सप्रेसवे और उससे संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए रियायत प्राप्तकर्ता, जिसके लिए सी. ए. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए हैं: -

" 4.1 एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जाएगी -

रियायत पाने वाले को टी. ई. ए., आमतौर पर 100 मीटर की चौड़ाई में

अतिरिक्त भूमि चौड़ाई के साथ एक्सप्रेसवे के संरेखण के साथ,

जहां आवश्यकता हो, टोल प्लाजा आदि जैसी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए।

निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर।

***

***

***

बी। भूमि को दिनांक से शुरू होने वाली अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इस तरह के पट्टे के माध्यम से रियायत अवधि के अंत तक हस्तांतरण

दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत विलेख।

***

***

***

डी। हस्तांतरित भूमि का एकमात्र प्रीमियम इसके बराबर होगा -

अधिग्रहण लागत और रुपये का पट्टा किराया। 100.00 (एक रुपया

सौ) केवल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। अधिग्रहण की लागत होगी

बिना किसी जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड समझौते के भूमि मालिकों को वास्तविक मुआवजे का भुगतान किया गया

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अतिरिक्त शुल्क और लागू नियमों के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा। पट्टा किराया सालाना देय होगा। ” भूमि का एक और हिस्सा रियायत पाने वाले को प्रदान किया गया था

नैशनल एक्सप्लॉयटेशन, जिसके लिए सी. ए. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान किया:

" 4.3 विकास के लिए भूमि टी. ई. ए. द्वारा हस्तांतरित की जाएगी

निम्नलिखित शर्तों पर सभी बाधाओं से मुक्त रियायतकर्ता

& शर्तें:

ए। यह ऐसे पट्टा विलेखों के माध्यम से हस्तांतरण की तारीख से 90 (नब्बे) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर होगा जो पारस्परिक रूप से हो सकता है।

दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। ***

***

***

सी। हस्तांतरित भूमि का एकमात्र प्रीमियम अधिग्रहण लागत और रुपये के पट्टे के किराए के बराबर होगा। 100.00 (एक सौ रुपये) केवल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। अधिग्रहण लागत बिना किसी नुकसान के भूमि मालिकों को भुगतान किया गया वास्तविक मुआवजा होगा।

अतिरिक्त शुल्क और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा

लागू नियमों के अनुसार। किराया सालाना 90 रुपये के लिए देय होगा।

(भूमि हस्तांतरण की तारीख से नब्बे) वर्ष। डी। रियायत प्राप्तकर्ता आगे उप-पट्टा पाने का हकदार होगा।

बिना किसी सहमति या अनुमोदन या भुगतान के अपने विवेकाधिकार पर उप-पट्टेदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं को विकसित/अविकसित भूमि

टी. ई. ए. या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण को किसी भी शुल्क/शुल्क आदि का।

ई. रियायत पाने वाले द्वारा भूमि के कुछ हिस्से के उप-पट्टे के बाद, इसे बिना किसी सहमति या अनुमोदन या किसी अतिरिक्त शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, प्रीमियम आदि के भुगतान की आवश्यकता के टी. ई. ए. या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित/सौंपा जा सकता है और/या बाद में छोटे

हिस्सों में भूमि के कई उप-पट्टे हो सकते हैं। भूमि के संबंधित उप-पट्टे वाले हिस्से का पट्टा किराया उप-पट्टेदारों/हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा टी. ई. ए. को सीधे अनुपात के आधार पर रुपये में दिया जाएगा। 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। रियायत पाने वाले को पट्टे का किराया देना होगा। उसके कब्जे में बची भूमि के हिस्से के लिए टी. ई. ए. को

उप-पट्टा, उपरोक्त निर्धारित दर पर आनुपातिक आधार पर। रियायत पाने वाले और विभिन्न उप-पट्टेदारों द्वारा भुगतान किया गया कुल पट्टा किराया हस्तांतरणकर्ता रुपये होंगे। 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति हेक्टेयर

प्रति वर्ष।

***

***

जी. रियायत प्राप्तकर्ता टी. ई. ए. से ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों पर भूमि के किसी भी हिस्से के संबंध में रियायत प्राप्तकर्ता की सहायक कंपनियों, आवंटनकर्ताओं, हस्तांतरणकर्ताओं आदि के पक्ष में पट्टे के विलेख को सीधे निष्पादित करने का अनुरोध कर सकता है और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर टी. ई. ए. भूमि के ऐसे हिस्से के संबंध में पट्टे के विलेख को सीधे ऐसी सहायक कंपनियों, आवंटनकर्ताओं और हस्तांतरणकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित करेगा।

एच. यदि टी. ई. ए. और रियायतकर्ता इसे उचित समझते हैं, तो उप-पट्टा विलेख के लिए त्रिपक्षीय समझौते को उनके बीच निष्पादित किया जा सकता है। टी. ई. ए., रियायतकर्ता और उप-पट्टेदार।

4.4 रियायत प्राप्तकर्ता उद्देश्य तय करने के लिए स्वतंत्र होगा

जो हस्तांतरित भूमि का उपयोग किया जाएगा अर्थात वाणिज्यिक के लिए,

मनोरंजन, औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय आदि के लिए भी विभिन्न उपयोगों के लिए आवंटित भूमि का क्षेत्र। द.

रियायत पाने वाला यह भी तय करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उप-पट्टे पर दी गई भूमि भूखंडों के रूप में होगी या निर्मित संपत्तियों के रूप में। नहीं।

भूमि के उपयोग के लिए या पट्टाधारिता/उप-पट्टाधारिता/भूमि के एकाधिक उप-पट्टाधारिता के हस्तांतरण के लिए टी. ई. ए. की अनुमति की आवश्यकता होगी। हालाँकि भूमि का उपयोग लागू मास्टर प्लान के अनुसार होगा और

अन्य नियम "।

सी. ए. के खंड 18.1 में एक अन्य शर्त, जिसका वर्तमान मामले में अपना उन्नयन है, पर भी निम्नानुसार ध्यान दिया जा सकता है:

" परिसंघ के अधिकारों और हस्तांतरण का हस्तांतरण

एस. पी. वी. के प्रति दायित्व

18.1 यदि रियायत प्राप्तकर्ता और टी. ई. ए. इसके तहत रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित करना आवश्यक समझते हैं।

एक एस. पी. वी. के लिए समझौता, रियायत प्राप्तकर्ता, एक उचित समय में, इस समझौते के तहत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को एक एस. पी. वी. को हस्तांतरित करेगा, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेजों को रियायत प्राप्तकर्ता, टी. ई. ए. और एस. पी. वी. के बीच निष्पादित किया जाएगा। रियायतकर्ता या एस . पी. वी. के लिए अतिरिक्त लागत।

87.1 . यह विवाद में नहीं है कि उक्त रियायत समझौते के तहत, आई. एल. को अधिकार मिले: (क) एक्सप्रेस-वे का निर्माण और संचालन करना और 36 वर्षों की अवधि के लिए टोल; और (बी) 90 वर्षों की अवधि के लिए वाणिज्यिक दोहन के लिए एक्सप्रेसवे के साथ भूमि का उपयोग करना।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

88. भूमि अधिग्रहण मुआवजे की अतिरिक्त राशि से संबंधित मुद्दा पूर्ण पीठ के फैसले के बाद उठा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गजराज और अन्य के मामले में 21.10.2011 दिनांकित किया। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। : 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1711, जिसमें उच्च न्यायालय ने इसमें शामिल भूमि मालिकों को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के पक्ष में फैसला सुनाया। गजराज में उक्त निर्णय को बरकरार रखा गया था सावित्री देवी बनाम के मामले में यह न्यायालय। यू. पी. और अन्य का राज्य। : (2015) 7 एससीसी 21. अगली कड़ी में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों की एक श्रृंखला

भूमि के अन्य भागों के बारे में सामने आया और कई अन्य भूमि मालिकों, जिनकी भूमि विचाराधीन परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, ने अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। यह YEIDA द्वारा कहा गया है कि इस तरह के देखने के लिए

मुकदमों और आंदोलनों के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'चौधरी समिति' नामक एक समिति का गठन किया। और उक्त समिति ने उन भूमि मालिकों को अतिरिक्त मुआवजा (64.7% की सीमा तक) देने की सिफारिश की, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, यू. पी. सरकार जारी करने के लिए आगे बढ़ी।

जी. ओ. दिनांक 29.08.2014, ने वाई. ई. आई. डी. ए. को सभी भूमि मालिकों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। घटनाओं के इस मोड़ में, वाई. ई. आई. डी. ए. ने जे. आई. एल. से अपने दिनांक 20.01.2015 के संचार द्वारा आई. एन. आर. 2591.78 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजे की राशि और अपने दिनांक 31.05.2017 के संचार द्वारा लगभग आई. एन. आर. 247 करोड़ की एक और राशि की मांग की।

88.1 . वाई. ई. आई. डी. ए. और उक्त जी. ओ. दिनांक 1 के उपरोक्त संचार को जे. आई. एल. द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में, जे. आई. एल. ने मध्यस्थता के वैकल्पिक उपाय का सहारा लेने के लिए वापस लेने की अनुमति मांगी, जैसा कि सी. ए. में प्रदान किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा जे. आई. एल. को मध्यस्थता 80 के वैकल्पिक उपाय को वापस लेने और आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद, रियायत प्राप्तकर्ता जे. आई. एल. ने मामले को मध्यस्थता में उठाया, जिसके कारण उसके पक्ष में दिनांकित 02.11.2019 का मध्यस्थ निर्णय आया, जिसमें कहा गया कि वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा की गई मांग टिकाऊ नहीं थी। इस पुरस्कार को वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी गई है और वे कार्यवाही, 2020 का मध्यस्थता मामला संख्या 3, जिला न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में लंबित हैं। यह भी बताया गया है कि उक्त जी. ओ. को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अन्य याचिकाओं में खारिज कर दिया था।

80 उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा 2017 के डी. संख्या 15058 में इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे 01.09.2017 पर खारिज कर दिया गया था।

89. विचाराधीन समाधान योजना तैयार करने के चरण में, उक्त मध्यस्थता निर्णय इस परिणाम के साथ किया गया था कि प्रति दायित्व अतिरिक्त मुआवजे की राशि जे. आई. एल. के खिलाफ नहीं थी।

हालाँकि, इस कारण से कि मामला विचाराधीन था, समाधान आवेदक ने आकस्मिकता को पूरा करने के लिए एक प्रावधान करना उचित समझा, यदि यह दायित्व अंततः जे. आई. एल. पर निर्धारित हो जाता है और समाधान योजना में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है: -

" 1.2 लेनदारों के साथ व्यवहार

समाधान योजना के हिस्से के रूप में, यह प्रस्तावित किया गया है कि:

(i) जैसा कि इस योजना में उल्लेख किया गया है, यह समाधान योजना यह मानती है कि निगमित ऋणदाता द्वारा इस संबंध में कोई राशि देय नहीं है -

पुरस्कार को ध्यान में रखते हुए भूमि मालिक क्षतिपूर्ति ऋण। हालाँकि, यदि पुरस्कार दिए जाने के कारण उक्त स्थिति बदल जाती है

तब भूमि स्वामी क्षतिपूर्ति ऋण के संबंध में खारिज कर दिया गया, भूमि मालिकों को देय राशि सीधे वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा निम्नलिखित तरीके से भूमि के निम्नलिखित भागों (जिसके संबंध में ऐसा ऋण प्राप्त होता है) के लिए अंतिम राशि से एकत्र की जाएगी।

अंत-उपयोगकर्ता:

(i) विकास के तहत भूमि (अचल संपत्ति परियोजनाएं)-इस संबंध में मुआवजा वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा एकत्र किया जाएगा। घर खरीदार;

((ii) निगम द्वारा अन्य संस्थाओं को पहले से ही पट्टे पर दी गई भूमि।

देनदार से मुआवजा एकत्र किया जाएगा

संबंधित उप-पट्टेदार जिन्हें भूमि उप-पट्टे पर दी गई है

निगमित देनदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से;
((iii) अनुपयोगी भूमि-क्षतिपूर्ति उन अंतिम उपयोगकर्ताओं से एकत्र की जाएगी जिनके पक्ष में ऐसी भूमि होगी।

निगमित देनदार द्वारा हस्तांतरित/उप-पट्टे पर दिया गया; और
(iv) यमुना एक्सप्रेसवे-यमुना एक्सप्रेसवे सार्वजनिक उपयोगिता की एक परियोजना है और परियोजना की भूमि का अंतिम मालिक वाई. ई. आई. डी. ए. है, जिसे रियायत समझौते के तहत रियायत अवधि समाप्त होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे का अंतिम स्वामित्व मिलेगा और तदनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

इस संबंध में YEIDA द्वारा देय होगा। जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

लैंड बैंक एसपीवी होना। यह प्रस्ताव किया गया था कि एक्सप्रेसवे से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक्सप्रेसवे एसपीवी को हस्तांतरित किया जाएगा 100% शेयरधारिता के हस्तांतरण और सी. ए. के तहत रियायत अधिकारों के माध्यम से; और यह कि कॉर्पोरेट देनदार के पास उपलब्ध भूमि के अप्रयुक्त पार्सल में से 1,526 एकड़ भूमि लैंड बैंक एस. पी. वी. को हस्तांतरित की जाएगी;

और लैंड बैंक का एस. पी. वी. भी 5,100 करोड़ रुपये के स्वीकृत वित्तीय ऋण को अपने हाथ में ले लेगा। समाधान योजना में, आवेदक ने निम्नलिखित शर्तों में आवश्यक अनुमोदनों और उस संबंध में अपनी धारणाओं के बारे में भी बताया: -

" व्यावसायिक योजना/वित्तीय परियोजनाएं

***

***

***

(घ) आवश्यक अनुमोदनों के लिए प्रावधान और उसी के लिए समय सीमा

***

***

***

(2) समाधान आवेदक का विचार है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस समाधान योजना के अनुमोदन से यमुना एक्सप्रेसवे और भूमि बैंक परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में सभी आवश्यकताओं को व्यापार हस्तांतरण के माध्यम से माफ कर दिया गया है और किसी अन्य व्यक्ति (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक सहित) से किसी भी अनुमोदन/सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास प्राधिकरण ("YEIDA") या कोई अन्य सरकारी

प्राधिकरण), इस संबंध में।

91. इसके अलावा, समाधान योजना की अनुसूची 3 के खंड 4,14 और 27 में, 'राहत और रियायतों' की मांग करते हुए, समाधान आवेदक ने वाई. ई. आई. डी. ए. और रियायत समझौते से संबंधित कुछ और प्रस्ताव रखे, जिन्होंने मामले की जटिलताओं में भी योगदान दिया है। 91.1 . समाधान योजना की अनुसूची 3 के खंड 4 में, एनबीसीसी को उम्मीद थी कि वाई. ई. आई. डी. ए. एक अन्य निर्णय के लिए अपनी चुनौती वापस ले लेगा।

दिनांक 23.01.2017, अतिरिक्त एफ. ए. आर. जारी करने से संबंधित, निम्नलिखित शब्दों में: -

" 4. वाई. ई. आई. डी. ए. जिला न्यायालय में दायर अपील को वापस लेगा,

गौतम बुद्ध नगर 2017 का मध्यस्थता मामला संख्या 69 है।

मध्यस्थता [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा पारित 23 जनवरी, 2017 के निर्णय को चुनौती देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अतिरिक्त एफ. ए. आर. से संबंधित न्यायाधिकरण और निगमित ऋणदाता को अनुलग्नक-पी में निहित विवरणों के अनुसार अतिरिक्त एफ. ए. आर. का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए सभी पांच भूमि खण्डों पर तुरंत (ऐसी अपील वापस लेने पर) बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के। हालाँकि, समाधान आवेदक वाई. ई. आई. डी. ए. के दावे पर विचार करते हुए, यदि ऐसी अपील से कोई उत्पन्न होता है, तो वाई. ई. आई. डी. ए. के दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे पर विचार करते हुए 1 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

आई. बी. सी. के संदर्भ में परिचालन ऋण और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना।

सभी परिचालन लेनदारों को "।

91.2 . इसके अलावा, योजना की अनुसूची 3 के खंड 14 में, समाधान आवेदक ने संबंधित पूंजीगत लागत के प्रति दायित्व को समाप्त करने की मांग की।

निम्नलिखित शब्दों में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक: -

" 14. रियायत समझौते से उत्पन्न होने वाली देनदारी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (YEIDA से कॉर्पोरेट देनदार को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में माना जाता है) से संबंधित पूंजी लागत का भुगतान करने के लिए, YEIDA की विफलता के कारण समाप्त हो जाएगी, जो कि कॉर्पोरेट देनदार को रियायत समझौते की अवधि के दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं से टोल/शुल्क एकत्र करने और बनाए रखने की अनुमति देने में विफल रही है, जैसा कि समझौते के खंड 3.7 के तहत सहमति हुई है।

रियायत समझौता "।

91.3 . इसके अलावा, अनुसूची 3 के खंड 27 में, प्रस्ताव आवेदक को सीए के तहत अवधि के 10 साल के विस्तार की उम्मीद थी। यह खंड इस प्रकार है: -

" 27. इस समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए,

YEIDA और अन्य संबंधित प्राधिकरण विस्तार करेंगे

दस साल की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते के तहत रियायत अवधि (वर्तमान में 36 साल)।

कि जे. आई. एल. को अधिग्रहित और पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में अतिरिक्त मुआवजे की राशि का दायित्व जे. आई. एल. का था, हालाँकि ऐसा प्रश्न धारा के तहत मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने के लिए न्यायालय में विचाराधीन था। 34 मध्यस्थता अधिनियम। वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि दायित्व अंततः जे. आई. एल. पर लगाया जाता है, तो वाई. ई. आई. डी. ए. को योजना में प्रस्तावित अंतिम उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त मुआवजे की राशि एकत्र करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। यह दावा किया गया कि सीए की शर्तों में दो भुगतान घटकों के लिए प्रावधान किया गया थाः

एक जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर द्वारा देय अधिग्रहण लागत का होना।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

रियायत पाने वाला और अन्य पट्टे पर दिए गए किराए का भुगतान उप-अधिकारी द्वारा किया जाना है।

पट्टेदार/अंतिम उपयोगकर्ता; और ऐसे घटकों को देखते हुए, यह प्रदान नहीं किया जा सकता था कि YEIDA सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं से अधिग्रहण लागत एकत्र करेगा।

92.1 . यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्ताव आवेदक हस्तांतरित भूमि को दो भागों में विभाजित करने का हकदार नहीं था, और यह कहना कि भुगतान

अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान केवल विकास के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए लागू होगा, न कि एक्सप्रेसवे के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए। 92.2 . एक्सप्रेसवे के लिए उपयोग की गई भूमि से संबंधित अधिग्रहण लागत का भुगतान करने के लिए अपेक्षित छूट के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही एक्सप्रेसवे को 36 वर्षों के बाद वाई. ई. आई. डी. ए. को वापस करना था, जे. आई. एल. को इस अवधि के लिए टोल एकत्र करने की अनुमति दी गई थी और एक्सप्रेसवे की भूमि के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती थी।

93. आपत्ति का एक अन्य भाग यह था कि यदि रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों को एस. पी. वी. को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था, तो उचित था।

दस्तावेजीकरण की आवश्यकता थी, ताकि वाई. ई. आई. डी. ए. संबंधित एस. पी. वी. एस. पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह अभी तक आगे प्रस्तुत किया गया था कि मध्यस्थता मामले को वापस

लेने के लिए YEIDA पर जोर नहीं दिया जा सकता है। 94. जैसा कि देखा गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने YEIDA से संबंधित इन मुद्दों के संबंध में कहा कि CA की शर्तों को देखते हुए,

लेनदारों की समिति को यह कहते हुए समाधान योजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी कि यदि मुआवजा दिया जाता है, तो अंतिम उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया जाएगा। हालांकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 'योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए' इस तरह की शर्तों को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ाया और बशर्ते कि समाधान योजना को इस अर्थ में पढ़ा जाए कि वाई. ई. आई. डी. ए. को संबंधित एस. पी. वी. के माध्यम से अधिग्रहण लागत एकत्र करने का अधिकार होगा। एक्सप्रेसवे की भूमि से संबंधित अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे के संबंध में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना को इस तरह से पढ़ना उचित समझा कि अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए समय आने पर दोनों पक्षों को एक सक्षम मंच के समक्ष इस मुद्दे पर उचित सहारा लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। एस. पी. वी. एस. को रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण के संबंध में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का विचार था कि जब जे. आई. एल. रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में पहली बार प्रस्ताव कर रहा था -

अपने अधिकारों और दायित्वों को एस. पी. वी. को हस्तांतरित करने के लिए, रियायती जे. आई. एल., वाई. ई. आई. डी. ए. और संबंधित एस. पी. वी. से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता थी निष्पादित किया जाए। एन. सी. एल. टी. ने यह भी पाया कि सी. ए. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए क़ानून पर आधारित था और इसलिए, इसके [2021] 12 एस. सी. आर. का उल्लंघन है।

नियम और शर्तें लागू कानून का उल्लंघन होगी और संहिता की धारा 30 (2) के संदर्भ में इसकी अनुमति नहीं होगी।

94.1 . दिलचस्प बात यह है कि वाई. ई. आई. डी. ए. के संबंध में अन्य राहत और रियायतें, जैसा कि उपरोक्त खंड 14 और 27 में मांगी गई थीं,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया (दिनांक 03.03.2020 के आदेश के पैराग्राफ 134 में इन खंडों पर टिप्पणियों को देखें)।

हालाँकि, 'राहत और रियायतों' के खंड 4 के संबंध में कि YEIDA मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर मध्यस्थता मामले को वापस ले लेगा, हालांकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पक्षों की दलीलों में इस पहलू को देखा, लेकिन उस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिया और दिनांक 03.03.2020 के विवादित आदेश के पैराग्राफ 134 में केवल यह कहा गया कि खंड 1 से 5 पिछली चर्चा में शामिल थे। 95. समाधान आवेदक (एनबीसीसी) की ओर से, इस संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देशों और टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए

वाई. ई. आई. डी. ए. के साथ लेन-देन और विशेष रूप से अतिरिक्त मुआवजे के आकस्मिक दायित्व के संबंध में, सभी पृष्ठभूमि पहलुओं के लिए एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है और समाधान योजना में शर्तों के समर्थन में व्यापक तर्क दिए गए हैं।

95.1 . समाधान आवेदक की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज की तारीख में, मुआवजे की अतिरिक्त राशि के संबंध में जे. आई. एल. के खिलाफ वाई. ई. आई. डी. ए. का कोई दावा नहीं है, लेकिन बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए, समाधान योजना ने इस संभावना के लिए इस तरह से प्रावधान किया है कि वाई. ई. आई. डी. ए. अंतिम उपयोगकर्ताओं से राशि एकत्र करने में सक्षम होगा। आक्षेपित आदेश में टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सीए का अर्थ लगाने की मांग में गंभीर गलती की है क्योंकि यह मध्यस्थता मामले में लंबित एक मुद्दा था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 के संदर्भ में,

योजना, निश्चित रूप से, आवश्यक बहुमत के साथ सीओसी द्वारा अनुमोदन के अधीन है। रियायत समझौते की कानूनी स्थिति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह मानने में गलती की है जैसे कि यह एक वैधानिक अनुबंध था। इस संबंध में, 19768 के यू. पी. अधिनियम की धारा 6-ए के संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि वाई. ई. आई. डी. ए. 81 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 6-ए निम्नानुसार है: - " 6 - इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो विनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, प्राधिकरण, समझौते द्वारा, किसी भी जयपी केंसिंगटन बोलिवार्ड समझौते को अधिकृत कर सकता है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समझौता किसी भी व्यक्ति को प्रदान करने या बनाए रखने के लिए अधिकृत करता है, या जारी रखता है

किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं को प्रदान या बनाए रखना और इसलिए, एक बार जे. आई. एल. और वाई. ई. आई. डी. ए. के बीच एक समझौता हो जाने के बाद, उनका संबंध उस अनुबंध (रियायत समझौता) द्वारा नियंत्रित होगा। यह है।

प्रस्तुत किया कि 1976 के यू. पी. अधिनियम की धारा 6-ए को अधिनियमित करते समय, विधायिका का इरादा क़ानून से अलग एक संविदात्मक संबंध बनाना रहा है और यह 'वैधानिक अनुबंध' के पूरे निर्माण के खिलाफ है जिसे वाई. ई. आई. डी. ए. प्रस्तावित करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय। एम. पी. और अन्य का राज्य। : (2000) 3 एस. सी. सी. 379 और केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एन. आर. वी. कुरियन ई. कलाथिल और अन्य। : (2000)

6 एस. सी. सी. 293 को यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया गया है कि केवल वाई. ई. आई. डी. ए. के लिए एक वैधानिक निकाय होने के नाते,

विचाराधीन अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध के चरित्र को भाग नहीं लेता है। एन. बी. सी. सी. के अनुसार, अतिरिक्त मुआवजे के आकस्मिक दायित्व से संबंधित इस मुद्दे को समाधान योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए निपटाया जाना आवश्यक है अन्यथा, यह भविष्य में गंभीर बाधा पैदा कर सकता है।

95.2 . न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की उन टिप्पणियों के संबंध में

जहां एक्सप्रेसवे भूमि के लिए अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे को सक्षम मंच में निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि टिप्पणियां एस्सार स्टील (उपरोक्त) में निर्णय के अनुरूप नहीं हैं, कि कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दावों की अंतिमता होनी चाहिए। वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, यदि इस मुद्दे को किसी अन्य कार्यवाही में तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो भविष्य में 'हाइड्रा हेड' सामने आ जाएगा।

95.3 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक्सप्रेसवे की भूमि स्वीकार की जाएगी

रियायत अवधि की समाप्ति के बाद वाई. ई. आई. डी. ए. में लौटें और इसलिए, वाई. ई. आई. डी. ए. एक्सप्रेसवे का अंतिम उपयोगकर्ता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि योजना ने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान का प्रस्ताव दिया था और इस सिद्धांत को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए वाई. ई. आई. डी. ए. को अतिरिक्त भुगतान के लिए उत्तरदायी इकाई होना चाहिए।

एक्सप्रेस-वे की भूमि के संबंध में मुआवजा, क्योंकि यह अंतिम उपयोगकर्ता है और भूमि उसे वापस कर दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वाई. ई. आई. डी. ए. ने अन्यथा पास-थ्रू प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

अंतिम उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त मुआवजे के प्रति दायित्व और इसलिए, एक्सप्रेसवे भूमि के प्रति इस दायित्व के प्रति इसकी आपत्ति अनुचित बनी हुई है।

व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं को प्रदान करने या बनाए रखने या जारी रखने या बनाए रखने के लिए और कर या शुल्क एकत्र करने के लिए, जैसा भी मामला हो, इसलिए लगाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फ्लैटों का निर्माण; और इस स्थिति में अतिरिक्त देयता एक्सप्रेसवे भूमि पर मुआवजा अंतिम उपयोगकर्ता को नहीं दिया जाता है, ऋण जुटाना मुश्किल हो सकता है।

95.4 . एन. बी. सी. सी. ने आगे प्रस्तावित पर अपनी आपत्ति जताई है

के खंड 4.3 (घ), 4.3 (ङ) और 4.4 के संदर्भ में त्रिपक्षीय समझौता सी. ए. और यह प्रस्तुत किया जाता है कि रियायत प्राप्तकर्ता को हस्तांतरण का अधिकार उपलब्ध होना, वाई. ई. आई. डी. ए. के साथ त्रिपक्षीय समझौते को लागू करना उचित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन में

एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. के संबंध में, आदेश के इस हिस्से को चुनौती नहीं दी जा रही है, लेकिन लैंड बैंक एस. पी. वी. के संबंध में, त्रिपक्षीय समझौते में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जे. आई. एल. के पास किसी भी व्यक्ति को भूमि हस्तांतरित करने के लिए सी. ए. के तहत निरंकुश अधिकार हैं।

95.5 . बृहन्मुंबई नगर निगम (एम. सी. जी. एम.) बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में। अभिलाष लाल और ओआरएस। :

(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1479, जिस पर वाई. ई. आई. डी. ए. भरोसा करता है, यह प्रस्तुत करता है कि उक्त निर्णय वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। मामला क्योंकि उसमें, एमसीजीएम ने एक बाध्यकारी पट्टा समझौता नहीं किया था जिसमें पार्टियों के लिए लागू सीए के समान शर्तें थीं। इसके अलावा, उक्त निर्णय में, क़ानून, अर्थात, नगरपालिका

बृहन्मुंबई निगम अधिनियम, 1888 ने स्वयं यह प्रावधान किया कि एमसीजीएम की संपत्तियों से निपटने का एकमात्र तरीका पट्टा के माध्यम से या एमसीजीएम की पूर्व अनुमति से किसी अन्य हित के निर्माण के माध्यम से था, लेकिन 1976 के यू. पी. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

96. आई. आर. पी. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुदान या

समाधान योजना की अनुसूची 3 के तहत मांगी गई राहतों को अस्वीकार करना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विवेक के भीतर एक मामला है और भले ही उन्हें प्रदान नहीं किया गया हो, वे योजना की वाणिज्यिक शर्तों का हिस्सा नहीं हैं; और 'राहत और रियायतों' के निर्दिष्ट खंड संहिता की धारा 30 (2) (ई) से प्रभावित नहीं होते हैं।

97. घर खरीदारों के संघों के साथ-साथ योजना के समर्थन में खड़े व्यक्तिगत घर खरीदारों ने तर्क दिया है कि रियायत समझौते की कथित शर्तें और उसका कोई भी कथित उल्लंघन संहिता की धारा 30 (2) (ई) के तहत उल्लंघन नहीं है और इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसके बिना पूरी तरह से कार्य किया है।

ऐसी शर्तों से निपटने में अधिकार क्षेत्र क्योंकि वे संहिता की धारा 31 के दायरे में नहीं आते हैं।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

97.1 . हालांकि, घर खरीदारों में से एक, जिसने हस्तक्षेप के लिए आवेदन किया है, 2020 का आई. ए. संख्या 84309, ने जे. आई. एल. और वाई. ई. आई. डी. ए. के लेन-देन पर सवाल उठाते हुए कई प्रस्तुतियाँ दी हैं और प्रस्तुत किया है कि रियायत समझौता प्रदान नहीं किया गया है। घर खरीदारों, सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही को अमान्य कर दिया जाता है।

98. के पक्ष में उपरोक्त प्रस्तुतियों के जवाब में

समाधान योजना, विभिन्न पक्षों द्वारा कई जवाबी तर्क दिए गए हैं। प्रोलिक्सिटी और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, हम इन मुद्दों से सीधे संबंधित पक्षों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हैं, अर्थात्, YEIDA। इसके अलावा, हम कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के पूर्व निदेशक और इसकी होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. की ओर से की गई दलीलों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

99. यह कहा और दोहराया गया है, जैसा कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, कि वाई. ई. आई. डी. ए. प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं है केवल विरोध के लिए योजना बनाना; बल्कि यह चाहता है कि योजना सफल हो लेकिन, यह सुनिश्चित करना एक सार्वजनिक कर्तव्य है कि सीए के तहत ढांचा है

संरक्षित; और इसके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का उद्देश्य पूरी तरह से सीए को संरक्षित करना और उसमें शर्तों को लागू करना है। पुनः, विचाराधीन भूमि और रियायत समझौते के साथ-साथ एन. सी. एल. टी. के निष्कर्षों से संबंधित पृष्ठभूमि पहलुओं का एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है और उसके बाद, समाधान आवेदक की ओर से आग्रह किए गए तर्कों का खंडन किया गया है।

99.1 . सबसे पहले, वाई. ई. आई. डी. ए. ने प्रस्तुत किया है कि समाधान आवेदक यह सुझाव देने में सही नहीं है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने

यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि मुआवजे का भुगतान रियायत प्राप्तकर्ता और प्रस्तावित एस. पी. वी. द्वारा किया जाना था, सी. ए. की व्याख्या पर विचार किया। दिनांक 1 के विवादित आदेश के पैराग्राफ 118 को संदर्भित किया गया है, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि इस सवाल की जांच नहीं की जा रही थी कि क्या अतिरिक्त मुआवजा अधिग्रहण लागत का हिस्सा था, क्योंकि यह पहले से ही मध्यस्थता में निर्णय लिया जा चुका था और अदालत में लंबित है।

99.2 . दिनांक 03.03.2020 के आक्षेपित आदेश के दूसरे भाग का समर्थन करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि YEIDA और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं होने के कारण, अतिरिक्त मुआवजे की राशि केवल एसपीवी से एकत्र की जा सकती है, न कि सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं से। वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सही कहा है

अतिरिक्त मुआवजे के संग्रह के लिए समाधान योजना में तंत्र को इस तरह से संशोधित किया गया कि सीधे राशि एकत्र करने के बजाय [2021] 12 एस. सी. आर.

अंतिम उपयोगकर्ताओं से, YEIDA अब इसे संबंधित एस. पी. वी. एस. के माध्यम से एकत्र करेगा। वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, समाधान योजना के वाणिज्यिक पहलुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

99.3 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन अनुबंध, यानी रियायत समझौता, वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा किया गया एक वैधानिक अनुबंध है।

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और इसे एक सामान्य वाणिज्यिक अनुबंध के रूप में समाधान योजना के माध्यम से बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. ए. की भूमि पर निगमित देनदार जे. आई. एल. के अधिकारों को अनुदान और नियंत्रित करता है।

YEIDA; कि ऐसे अधिकार सीमित हैं और स्वामित्व अधिकारों से अलग हैं; और यह कि समाधान आवेदक एकतरफा रूप से CA को बदल नहीं सकता है और कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए इसके तहत दिए गए अधिकारों में सुधार नहीं कर सकता है। 99.4 . एक्सप्रेसवे के तहत आने वाली भूमि के संबंध में, वाई. ई. आई. डी. ए. ने एन. बी. सी. सी. की ओर से आग्रह की गई दलीलों पर सवाल उठाया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश के खिलाफ दायर अपील में ऐसा आधार नहीं लिया गया था और पहली बार लिखित प्रस्तुतियों में उठाया गया था।

फिर भी, वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, यह तर्क स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. और उसके उत्तराधिकारी एस. पी. वी. दोनों का लाभ प्राप्त करेंगे, एक्सप्रेसवे से एकत्र किया गया टोल।

36 वर्षों के लिए और विकास के लिए दूसरी भूमि से भी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक्सप्रेसवे के लिए अतिरिक्त मुआवजा, जब अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिया जाना है, तो केवल टोल में उचित समायोजन के रूप में यात्रियों को दिया जा सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं।

योजना, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन परियोजना एक एकीकृत और अविभाज्य है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नंद किशोर गुप्ता और अन्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य।: (2010) 10 एस. सी. सी. 282 और इसलिए, इसका विभाजन अस्वीकार्य है। 99.6 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना में यह धारणा, कि एन. सी. एल. टी. की मंजूरी से वाई. ई. आई. डी. ए. की मंजूरी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, गलत धारणा है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 को यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया गया है कि योजना को आवश्यक उपायों के लिए प्रदान करना होगा।

केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से अनुमोदन सहित दिवाला समाधान के लिए। इसलिए, वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, योजना में परिकल्पित इस तरह की पूर्व-खाली छूट सी. आई. आर. पी. विनियमों के विपरीत है। जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफेयर के खंड 18.1 का एक और संदर्भ दिया गया है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सी. ए. और यह तर्क दिया जाता है कि इसके संदर्भ में, यदि कोई एस. पी. वी. स्थापित किया जाना है, तो रियायती जे. आई. एल., वाई. ई. आई. डी. ए. और एस. पी. वी. से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करना होगा। यह दोहराया जाता है कि ऐसी आपत्तियों के बावजूद,

वाई. ई. आई. डी. ए. इस मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है ताकि समाधान योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सके और इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने भी इस तरह के दस्तावेजों के लिए उचित प्रावधान किए हैं।

यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य के सभी सौदे सीए के संदर्भ में होंगे और इस तरह संहिता की धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए योजना के वाणिज्यिक प्रभाव को बाधित करना।

99.7 . जहां तक समाधान आवेदक की ओर से इस तर्क के संबंध में कि लैंड बैंक एस. पी. वी. सी. ए. द्वारा नियंत्रित नहीं है या कि निगमित ऋणी की उप-पट्टा देने की क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के साथ भूमि के विकास के अधिकार सी. ए. के खंड 3 के संदर्भ में नोएडा या ग्रेटर नोएडा में एक स्थान के साथ पांच या अधिक स्थानों पर प्रदान किए जाने थे। इसलिए, यह सुझाव कि यह भूमि सीए द्वारा शासित नहीं हो सकती है, सही नहीं है। जहां तक उप-पट्टा के अधिकार का संबंध है, यह वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि योजना की शर्तों के अनुसार, यह भूमि बैंक के पक्ष में केवल उप-पट्टा नहीं है। एस. पी. वी. लेकिन विकास के लिए भूमि के हिस्से को व्यापार हस्तांतरण के माध्यम से लैंड बैंक एस. पी. वी. को हस्तांतरित करने की मांग की जाती है और किसी भी मामले में, सी. ए. के निर्दिष्ट खंडों के संदर्भ में, त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन एक अनिवार्य शर्त है।

99.8 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि YEIDA ने लगातार यह रुख अपनाया है कि वह अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। यह सुनिश्चित करें कि योजना सफल हो लेकिन लंबे समय के बाद भी, समाधान आवेदक ने आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन के लिए YEIDA से संपर्क भी नहीं किया है। एमसीजीएम में उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि संहिता के प्रावधान किसी सार्वजनिक निकाय के अधिकार और कर्तव्य को नियंत्रित और विनियमित नहीं कर सकते हैं कि उसकी संपत्तियों से कैसे निपटा जाए।

99.9 . न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्तियों के संबंध में -

योजना को संशोधित करें, आर्सेलर मित्तल (ऊपर) में निर्णय पर निर्भरता रखी गई है, जहां इस न्यायालय ने माना है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना है

न्यायिक मन एक समाधान योजना के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए कि योजना संहिता की धारा 30 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एस्सार स्टील (ऊपर) में भी, इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की शक्ति को मान्यता दी है। इसके अलावा, के संदर्भ में

प्रद्युम्न कुमार [2021] 12 एस. सी. आर. के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैन (ऊपर), यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी योजना को अनुमोदित या अस्वीकार करने की शक्ति

किसी योजना को संशोधित करने की शक्ति अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की ऐसी शक्ति धारा 31 में निहित है; और यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को लगता है कि कोई समाधान योजना संहिता के अनुरूप नहीं है, लेकिन संशोधनों द्वारा ऐसा करेगा, तो ऐसे संशोधनों को बरकरार रखा जाना चाहिए, ऐसा न हो कि निगमित देनदार को परिसमापन के लिए धकेल दिया जाए। इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि विवादित आदेश दिनांक आई. डी. 1 में दिए गए संशोधनों का कोई व्यावसायिक निहितार्थ नहीं है और वे केवल समाधान योजना द्वारा निर्धारित तंत्र से संबंधित हैं, जिन्हें सी. ए., एक वैधानिक अनुबंध को बनाए रखने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है।

99.10 . उपरोक्त के अलावा, वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि समाधान योजना में ऐसी अन्य शर्तें हैं और

जिन शर्तों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है; और ऐसी शर्तों पर वाई. ई. आई. डी. ए. की आपत्तियों को बरकरार रखा गया था, लेकिन एन. बी. सी. सी. ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के उस हिस्से के खिलाफ अपील नहीं की है। इसलिए, उन शर्तों को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में, यह बताया गया है कि वाई. ई. आई. डी. ए. ने अनुसूची 3 के खंड 4 पर आपत्ति ली है जिसमें उसे मध्यस्थता अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी छोड़ने की आवश्यकता है और इस आपत्ति को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया था और एन. बी. सी. सी. ने उन टिप्पणियों को चुनौती नहीं दी है। वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, इस तरह की राहत का दावा समाधान योजना में नहीं किया जा सकता है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि समाधान योजना की अनुसूची 3 के उक्त

खंड 14 और 27 में सी. ए. के तहत उत्पन्न दायित्व को समाप्त करने और सी. ए. के कार्यकाल के विस्तार के लिए क्रमशः शर्तों को मंजूरी नहीं दी गई है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण; और इन पहलुओं के खिलाफ अपील नहीं किए जाने के कारण, विचाराधीन खंड प्रस्ताव से हटाए जाने के योग्य हैं।

योजना बनाएँ।

1976 के यू. पी. अधिनियम के तहत बनाया गया एक सांविधिक निकाय होने के नाते, वाई. ई. आई. डी. ए. और निगमित देनदार के बीच किया गया समझौता वैधानिक है। प्रकृति और यह संबंध केवल संविदात्मक नहीं है, बल्कि सांविधिक रूप से शासित है। पूर्व निदेशक के अनुसार, यह आवश्यकता कि वाई. ई. आई. डी. ए. को मध्यस्थता मामले में सफल होने की स्थिति में घर खरीदारों या अंतिम उपयोगकर्ताओं से मुआवजा एकत्र करना चाहिए, उस समय लागू कानून का उल्लंघन है, क्योंकि यह 1976 के यू. पी. अधिनियम का उल्लंघन करता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर को निष्पादित करने का आदेश दिया है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रस्तावित एस. पी. वी. से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते का। संक्षेप में, निवेदन यह रहा है कि समाधान योजना में वाई. ई. आई. डी. ए. का व्यवहार कानून के अनुरूप नहीं है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

और वाई. ई. आई. डी. ए. और घर खरीदारों के साथ सी. ए. की उपलब्धता की इच्छा को अनावश्यक रूप से उठाया गया है और विवाद में वास्तविक प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें चर्चा की आवश्यकता नहीं है और उन पर छोड़ दिया जाता है। 102. विवाद में वास्तविक प्रश्नों पर आते हुए, सबसे पहले, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि YEIDA की ओर से सुझाव

और निगमित देनदार के पूर्व निदेशक का कहना कि विचाराधीन रियायत समझौता एक वैधानिक अनुबंध है, सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव आवेदक एन. बी. सी. सी. की ओर से यह सही बताया गया है कि उक्त सी. ए. एक वैधानिक अनुबंध नहीं है; इसे केवल वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा प्रदत्त अपनी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पादित किया गया है।

कानून द्वारा, यानी 1976 के यू. पी. अधिनियम द्वारा, लेकिन यह न तो कानून द्वारा प्रदान किया गया समझौता है और न ही किसी कानून के तहत निष्पादित किया गया है। यह अदालत ने इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस संबंध में कानून को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है: -

" 11. अपीलार्थी जी. बी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कूपर और अन्य अपीलार्थियों की ओर से पेश कुछ वकीलों ने भी तर्क दिया कि अपीलार्थी/आई. पी. पी. एस. ने बिजली आपूर्ति अधिनियम की धारा 43 और 43-ए के तहत पी. पी. ए. एस. में प्रवेश किया था और

जैसे कि वे वैधानिक अनुबंध हैं और इसलिए, एमपीईबी के पास कोई नहीं था

उनके नियमों और शर्तों को बदलने की शक्ति या अधिकार। यह उच्च न्यायालय द्वारा विवाद को बरकरार रखा गया है। हमारी राय में उक्त तर्क सही नहीं है और उच्च न्यायालय इसे स्वीकार करने में गलत था। धारा 43 विद्युत बोर्ड को ऐसी शर्तों पर बिजली की खरीद के लिए व्यवस्था करने का अधिकार देती है जिन पर सहमति हो। धारा 43-ए (1) में प्रावधान है कि एक उत्पादन कंपनी बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध कर सकती है।

बिजली उत्पादन द्वारा बिजली की बिक्री के लिए शुल्क का निर्धारण बोर्ड को कंपनी, धारा 43 (1) (2) प्रदान करती है कि शुल्क

संबंधित मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा

संचालन और संयंत्र-भार कारक जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और मूल्यह्रास और उचित [2021] 12 एस. सी. आर. की दरों के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वापसी और ऐसे अन्य कारक जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक में एक अधिसूचना द्वारा समय राजपत्र। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि समझौता कर सकता है

ऐसी शर्तों पर हो जो पार्टियों द्वारा सहमत हो सकते हैं सिवाय इसके कि

शुल्क का निर्धारण निहित प्रावधान के अनुसार किया जाना है

क्योंकि एक अनुबंध एक सक्षम करने के अभ्यास में किया जाता है एक कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति जो स्वयं प्रदान नहीं कर सकती है

अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध है। यदि कोई अनुबंध किया जाता है

निर्धारित नियमों और शर्तों को शामिल करना आवश्यक है। कानून के तहत तब वह अनुबंध एक वैधानिक बन जाता है

अनुबंध। यदि किसी अनुबंध में कुछ शर्तें शामिल हैं और

इसमें ऐसी शर्तें हैं जो वैधानिक हैं तो उक्त अनुबंध

उस हद तक वैधानिक है। एक अनुबंध में कुछ शामिल हो सकते हैं

चरित्र और जिन्हें इसमें शामिल किया गया है पक्षों के बीच आपसी समझौते का परिणाम। इसलिए,

पी. पी. ए. को केवल इस हद तक वैधानिक माना जा सकता है कि

इनमें शुल्क निर्धारण और अन्य प्रावधान शामिल हैं।

धारा 43-ए (2) की वैधानिक आवश्यकताएँ। उद्घाटन और

एस्क्रो खाते या एस्क्रो समझौते को बनाए रखना

वैधानिक अपेक्षाएँ नहीं और इसलिए, केवल इसलिए कि

पी. पी. ए. एस्क्रो खातों को बनाए रखने पर विचार करते हैं जो कि दायित्व है इसे वैधानिक नहीं माना जा सकता है।"

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

102.1 . उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान के तथ्यों पर लागू करना।

मामले में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विचाराधीन समझौता केवल 1976 के यू. पी. अधिनियम की धारा 6-ए के तहत वाई. ई. आई. डी. ए. के साथ शक्तियों के संदर्भ में निष्पादित किए जाने के लिए एक वैधानिक अनुबंध का दर्जा प्राप्त नहीं करता है।

102.2 . उपरोक्त के अलावा, प्रस्तुतियों का एक और हिस्सा

दो एस. पी. वी. को शामिल करने के खिलाफ नंद किशोर गुप्ता (उपरोक्त) के मामले के संदर्भ में वाई. ई. आई. डी. ए. के आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नंद किशोर गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियां विचाराधीन परियोजना, यानी यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि पार्सल से संबंधित अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती देने के बाद आई हैं। उनमें से एक तर्क यह था कि लगभग 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था ताकि 5 टुकड़ों की भूमि जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड के कल्याण के लिए दी जा सके।

व्यावसायिक दोहन। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय को यह टिप्पणी करने में सही पाया कि उद्योग, निवास, मनोरंजन आदि के लिए 5 क्षेत्रों का इस तरह का निर्माण उद्योग के निर्माण के पूरक होने जा रहा है। राजमार्ग। हालांकि, नंद किशोर गुप्ता (उपरोक्त) में भूमि के सभी भागों को एकीकृत और अविभाज्य परियोजना का हिस्सा मानते हुए की गई टिप्पणियों का मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा दो एस. पी. वी. का निर्माण, एक एक्सप्रेसवे के लिए और दूसरा वाणिज्यिक विकास के लिए शेष भूमि के लिए, कभी भी प्रदान नहीं किया जा सकता है।

102.3 . हालाँकि, यदि उपरोक्त दो पहलुओं के संबंध में वाई. ई. आई. डी. ए. की प्रस्तुतियाँ सही नहीं हैं, तो अन्य सभी प्रस्तुतियाँ इसके आधार पर की जाती हैं।

पक्ष की ओर से खारिज नहीं किया जा सकता है और बल्कि, सार पर, वे काफी हद तक स्वीकृति के योग्य हैं।

103. विचाराधीन अनुबंध, सीए, भले ही एक वैधानिक नहीं है, फिर भी रियायत प्राप्तकर्ता के बीच किया गया एक अनुबंध है।

और वैधानिक प्राधिकरण, यानी YEIDA। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि

भले ही आई. बी. सी. की योजना में, एक समाधान योजना एक अनुबंध की शर्तों को संशोधित कर सकती है, विचाराधीन अनुबंध के साथ कोई भी छेड़छाड़, यानी रियायत समझौता, संबंधित प्राधिकरण, यानी वाई. ई. आई. डी. ए. की मंजूरी और सहमति के बिना नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में कोई भी संदेह सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 37 के संदर्भ में शांत हो जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य से आवश्यक अनुमोदन सहित विभिन्न उपायों के लिए एक समाधान योजना की आवश्यकता होती है।

सरकारें और अन्य प्राधिकरण '। वर्तमान मामले में संबंधित प्राधिकरण, वाई. ई. आई. डी. ए., राज्य सरकार द्वारा 1976 के यू. पी. अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसकी मंजूरी अनिवार्य है।

विचाराधीन समाधान योजना की वैधता, विशेष रूप से वाई. ई. आई. डी. ए. से संबंधित शर्तें। समाधान योजना में शर्तें/धारणाएं, कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किसी भी व्यावसायिक हस्तांतरण के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. से सहमति लेने की सभी आवश्यकताओं को समाप्त कर देगा, समाधान आवेदक की पात्रता से बहुत दूर हैं। न तो कोई तथाकथित मानित अनुमोदन वाई. ई. आई. डी. ए. जैसे सरकारी प्राधिकरण पर थोपा जा सकता है और न ही ऐसी धारणा सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 के अनुरूप है।

104. इसके अलावा, यह सुझाव कि सी. ए. का खंड 18.1 एकमुश्त उपाय था और जो एस. पी. वी. के रूप में जे. आई. एल. के निर्माण और जे. आई. एल. को मूल रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों के हस्तांतरण के साथ समाप्त हो गया है, की अपनी कमियां हैं। खंड 18.1 की अवधारणा और उद्देश्य, निश्चित रूप से, प्रासंगिक समय पर मूल [2021] 12 एस. सी. आर. पर दायित्व का था।

एस. पी. वी. के निर्माण के लिए दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता और यह खंड तब लागू हुआ जब जे. आई. एल. को एस. पी. वी. के रूप में बनाया गया था। हालांकि, यह कहना पूरी तरह से अवास्तविक होगा कि एक बार जब जे. आई. एल. को एस. पी. वी. के रूप में बनाया गया था, तो उक्त खंड 18.1 समाप्त हो गया था और जे. आई. एल. की ओर से (प्रतिस्थापित रियायतकर्ता के रूप में) आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने का कोई दायित्व नहीं था, यदि वह सी. ए. के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य एस. पी. वी. को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है; और यह वाई. ई. आई. डी. ए. की सहमति के बिना ऐसा कर सकता है। इस सुझाव में एक अंतर्निहित भ्रांति है क्योंकि यदि खंड 18.1 को सी. ए. से हटा दिया जाता है, तो एक गंभीर सवाल उठेगा कि प्रतिस्थापित रियायतकर्ता जे. आई. एल. के अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य एस. पी. वी. को कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है? पीठ की ओर देखते हुए और

सी. ए. के सार, उक्त खंड 18.1 को जे. आई. एल. द्वारा या उसकी ओर से किसी भी एस. पी. वी. के निर्माण के लिए लागू किया जाना है।

104.1 . उप-पट्टा के निर्माण की अनुमति देने वाले सी. ए. के अन्य खंडों को एस. पी. वी. को भूमि के हस्तांतरण के लिए शायद ही लागू किया जा सकता था, क्योंकि

समाधान योजना में प्रस्तावित। निर्दिष्ट खंड 4.3 (घ) और 4.3 (ङ) अनिवार्य रूप से उप-पट्टों के निर्माण के लिए थे जब विकास के लिए रियायत प्राप्तकर्ता को दी गई भूमि या उसके कुछ हिस्से को अंतिम उपयोगकर्ता को उप-पट्टे पर दिया जाना था। उस संबंध में भी, रियायत प्राप्तकर्ता के लिए यह प्रावधान किया गया था कि वह भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी से पट्टा-विलेख को सीधे उसकी सहायक कंपनियों, नियुक्तियों या हस्तांतरणकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित करने का अनुरोध करे और यदि एजेंसी और रियायत प्राप्तकर्ता इस पर विचार करेंगे तो उपयुक्त, उप-पट्टा के लिए त्रिपक्षीय समझौते को निष्पादित किया जा सकता है। सी. ए. के सार और उद्देश्य के साथ सभी प्रासंगिक खंडों को लेते हुए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एस. पी. वी. को प्रस्तावित हस्तांतरण को एक सामान्य उप-पट्टा के रूप में माना जा सकता है, जिसके लिए वाई. ई. आई. डी. ए. से जुड़े किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

104.2 . हालाँकि, जैसा कि आग्रह किया गया है, दो अलग-अलग एस. पी. वी. एस. बनाने का प्रस्ताव सी. ए. के ढांचे को देखते हुए अस्वीकार्य हो सकता है।

सी. ए. के खंड 4 और 4 में क्रमशः वाणिज्यिक दोहन, लेकिन सवाल इस तरह के एस. पी. वी. के लिए रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण की विधि के बारे में है। यह केवल वाई. ई.

आई. डी. ए. की मंजूरी और आवश्यक त्रिपक्षीय कार्यान्वयन के अनुसार ही हो सकता है। सी. ए. द्वारा परिकल्पित दस्तावेज।

104.3 . जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, शर्तों और उद्देश्य को देखते हुए

सी. ए. द्वारा दो एस. पी. वी. का निर्माण, एक एक्सप्रेस-वे के लिए और दूसरा जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड के लिए

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वाणिज्यिक विकास के लिए शेष भूमि पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन फिर, एन. बी. सी. सी. द्वारा यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि एस. पी. वी. का ऐसा निर्माण वाई. ई. आई. डी. ए. से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के बिना भी हो सकता है। इस संबंध में, वाई. ई. आई. डी. ए. अपनी दलीलों में सही प्रतीत होता है कि इस तरह के दस्तावेज अधिकारों और दायित्वों के बारे में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए और अपने लिए (वाई. ई. आई. डी. ए.) एस. पी. वी. के कामकाज की ठीक से निगरानी करने के लिए भी आवश्यक हैं, जिनमें से प्रत्येक रियायत पाने वाले की क्षमता में खड़ा होगा और सी. ए. के तहत अधिकारों और दायित्वों को वहन करेगा।

104.4 . ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हमें एमसीजीएम (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय में तल्लीन होने की आवश्यकता नहीं है, जहां वैधानिक

प्रावधान के लिए लीज के माध्यम से या किसी अन्य ब्याज के निर्माण के माध्यम से अपनी संपत्तियों से निपटने से पहले स्थानीय निकाय की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उस मामले के लिए रियायत समझौते की सभी शर्तों को नहीं छोड़ा जा सकता है। रियायत समझौते की आवश्यक बातों में किसी भी बदलाव के लिए वाई. ई. आई. डी. ए. की सहमति की आवश्यकता होगी।

104.5 . न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.), समाधान योजना में शर्तों को अस्वीकार करते हुए, जिसके द्वारा इस तरह के हस्तांतरण के लिए प्रलेखन किया जाता है।

बचने की मांग की गई थी, इस तरह के निष्पादन का आदेश दिया गया था दस्तावेज़। वाई. ई. आई. डी. ए. के अनुसार, इस संशोधन का कोई व्यावसायिक प्रभाव नहीं है और इसलिए, एन. सी. एल. टी. द्वारा उचित आदेश दिया गया है। हालांकि इस संशोधन का, प्रथम दृष्टया, कोई व्यावसायिक प्रभाव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह केवल उचित प्रलेखन का मामला है, लेकिन प्रलेखन की इस प्रक्रिया के साथ अन्य शर्तें हैं, जो समाधान योजना की वाणिज्यिक शर्तों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से अतिरिक्त मुआवजे की राशि से संबंधित, यदि देय हो।

105. पूर्वगामी टिप्पणियों के साथ, अब हम आपत्तियों के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर विचार कर सकते हैं, जो इन उपबंधों से संबंधित है - यदि देय हो तो अतिरिक्त मुआवजे की राशि के लिए समाधान योजना।

105.1 . सटीक रूप से कहें तो समाधान योजना के अनुसार, भूमि अधिग्रहण मुआवजे की अतिरिक्त राशि से संबंधित आकस्मिक दायित्व है - इस तरह से निपटने का प्रस्ताव है कि यदि अतिरिक्त मुआवजे की ऐसी किसी भी राशि का भुगतान किया जाना है, तो वाई. ई. आई. डी. ए. उसी राशि को एकत्र करेगा।

अंतिम उपयोगकर्ताओं से; और एक्सप्रेसवे की भूमि के संबंध में, इस तरह का अतिरिक्त मुआवजा YEIDA द्वारा देय होगा क्योंकि YEIDA होगा

अंतिम-रियायत अवधि की समाप्ति के बाद एक्सप्रेसवे की भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने पर उपयोगकर्ता। एनबीसीसी ने विभिन्न [2021] 12 एस. सी. आर. पर इन प्रस्तावों को उचित ठहराया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। वाई. ई. आई. डी. ए. उनके लिए गंभीर आपत्ति लेता है और विशेष रूप से इस शर्त पर कि यमुना एक्सप्रेसवे की भूमि के संबंध में अतिरिक्त मुआवजा उसके द्वारा देय होगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस संबंध में दो गुना संशोधन किए हैं। दिनांकित 03.03.2020 के आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 120 में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आक्षेप के अनुच्छेद 122 में प्रावधान किया है आदेश दें कि समाधान योजना को इस अर्थ में पढ़ा जाएगा कि इसे खुला छोड़ दिया गया है

दोनों पक्षों को सक्षम मंच के समक्ष उचित उपाय करने के लिए जब अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का समय आ गया है। वाई. ई. आई. डी. ए. के प्रस्तुतिकरणों में, योजना को सी. ए. के तहत अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिए इस तरह के संशोधन आवश्यक थे।

105.2 . हम समाधान योजना में अतिरिक्त मुआवजे के आकस्मिक दायित्व के संबंध में निर्देश को संदिग्ध पाते हैं।

एक से अधिक गिनती।

106. यह सवाल अभी तक अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है कि मुआवजे की अतिरिक्त राशि के प्रति ऐसा दायित्व कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के पास है या वाई. ई. आई. डी. ए. के पास, क्योंकि मध्यस्थता निर्णय दिया गया था।

जे. आई. एल. के पक्ष में न्यायालय में चुनौती का विषय है। हालाँकि, योजना में आकस्मिकता प्रदान करने की आवश्यकता थी यदि देयता अंततः कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. पर निर्धारित की जाएगी। ऐसा नहीं है।

यह सुझाव दिया गया है कि देयता का कोई भी ऐसा विभाजन, एक ओर एक्सप्रेसवे के तहत भूमि और दूसरी ओर अन्य पार्सल, मध्यस्थता कार्यवाही का विषय है। हालांकि, सीए की शर्तों के अनुसार, प्रथम दृष्टया, हम इसमें कोई संकेत नहीं पा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे के तहत भूमि के संदर्भ में मुआवजे का दायित्व रियायत प्राप्तकर्ता का नहीं है। किसी भी मामले में, के लिए एक प्रावधान बनाते समय मुआवजे की अतिरिक्त राशि के इस आकस्मिक दायित्व को पूरा करते हुए, समाधान आवेदक स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकता था कि एक्सप्रेसवे के तहत भूमि के प्रति रियायत प्राप्तकर्ता या उसके असाइन का कोई दायित्व नहीं होगा।

106.1 . ऐसा प्रतीत होता है कि दो अलग-अलग एस. पी. वी. बनाने का प्रस्ताव करते समय, समाधान आवेदक को यह विचार आया कि अतिरिक्त के लिए देयता एक्सप्रेसवे भूमि के संबंध में मुआवजे को केवल इस तथ्य के संदर्भ में YEIDA को दिया जा सकता है कि YEIDA को यह भूमि वापस मिल जाएगी-जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

36 वर्षों के बाद; और समाधान योजना में प्रश्नित प्रस्ताव के माध्यम से इस विचार को प्रतिबिंबित किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस मुद्दे को उचित समय पर और सक्षम मंच के समक्ष मुकदमेबाजी के लिए खुला रखने का फैसला किया है। हमारे विचार में, एक्सप्रेसवे भूमि के संबंध में इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन सीए की भौतिक शर्तों में बदलाव के बराबर है और वाई. ई. आई. डी. ए. की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इस पहलू को केवल अस्वीकार किया जा सकता था।

106.2 . इसी तरह, समाधान आवेदक, अपने आप में, यह तय नहीं कर सकता था कि अंतिम-उपयोगकर्ता का अर्थ उप-पट्टेदार होगा और इस तरह समान रूप से विचलित हो जाएगा।

वाई. ई. आई. डी. ए. पर इस दायित्व के लिए राशि का संग्रह और वह भी जब वाई. ई. आई. डी. ए. किसी उप-पट्टे के निर्माण में पक्षकार नहीं होने वाला था। आकस्मिक दायित्व के संबंध में इन प्रस्तावों की संरचना रियायत समझौते की शर्तों के साथ टकराव के अलावा पूरी तरह से अतार्किक साबित होती है।

106.3 . यह पता लगाने के लिए बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि अतिरिक्त मुआवजे के प्रावधान से संबंधित उक्त पहलू, यदि नहीं

भौतिक शर्तों पर अनुमोदित, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रभाव का है। यहां तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अन्य संशोधन, कि वाई. ई. आई. डी. ए. को संबंधित एस. पी. वी. के माध्यम से

अधिग्रहण लागत एकत्र करने का अधिकार होगा, उनके अपने वाणिज्यिक निहितार्थ हैं। ये वे शर्तें नहीं हैं जिन्हें समाधान योजना के वित्तीय प्रस्ताव में बाधा डाले बिना संशोधन के लिए लिया जा सकता है। यद्यपि इन प्रिस्क्रिप्शनों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता था, हमारे विचार में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। एकमात्र रास्ता खुला है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को योजना को वापस भेजना था

पुनरीक्षण के लिए ऋणदाताओं की समिति।

107. उपरोक्त के अलावा, खंड 4,14 और में वाई. ई. आई. डी. ए. के संबंध में प्रस्ताव आवेदक द्वारा मांगी गई राहत और रियायतें। 27 अनुसूची 3 को भी अस्वीकृत किया जाना आवश्यक है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक समाधान योजना के माध्यम से, वाई. ई. आई. डी. ए. जैसी सरकार की एक एजेंसी को लंबित मुकदमेबाजी को छोड़ने या वापस लेने का आदेश दिया जा सकता है। इसी तरह, मौजूदा का उन्मूलन

दायित्व एक राहत नहीं है जो संकल्प को दी जा सकती है।

अनुरोध के लिए आवेदक। इसी कारण से, समाधान आवेदक रियायत समझौते की समय अवधि के विस्तार की मांग नहीं कर सकता है वाई. ई. आई. डी. ए. जैसे सरकारी निकाय की सहमति के बिना समाधान योजना में 'राहत' का खंड।

108. निर्धारण के लिए इस बिंदु पर समापन करने से पहले जहां हमने वाई. ई. आई. डी. ए. की आपत्तियों के प्रमुख भागों को स्वीकार कर लिया है, हम सभी संबंधित पक्षों के प्रति निष्पक्षता से दोहरा सकते हैं कि अपनी आपत्तियां व्यक्त करने के बावजूद, वाई. ई. आई. डी. ए. ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी लगातार कहा है कि वह केवल विरोध के लिए समाधान योजना का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि योजना सफल हो, लेकिन यह सुनिश्चित करना उसका सार्वजनिक कर्तव्य है कि सी. ए. के तहत ढांचा संरक्षित और अन्यथा, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करने के लिए तैयार होगा कि योजना सफल हो। इस प्रकार, यह उम्मीद जताना अनुचित नहीं होगा कि विचाराधीन भूमि का मालिक होने के नाते और सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, वाई. ई. आई. डी. ए., जिसने पूरी परियोजना की परिकल्पना की थी और उसे बढ़ावा दिया था, भविष्य में इस मामले से निपटने में सावधानी और सावधानी के साथ कार्य करेगा, जबकि घर खरीदारों सहित विभिन्न हितधारकों पर इसके प्रस्तावों/निर्णयों के व्यावहारिक प्रभाव पर गंभीरता से विचार करेगा।

109. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि समाधान योजना की शर्तें, लेन-देन के संबंध में

YEIDA के साथ और रियायत समझौते की शर्तों के साथ, सही है

अनुमोदित नहीं किया गया है और विचाराधीन शर्तें, जब नहीं की जा रही हैं

वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा सहमति, अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जिन शर्तों को मंजूरी नहीं दी गई है, उनके संचयी प्रभाव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए एकमात्र सही तरीका योजना को पुनर्विचार के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजना था।

बिंदु डी असहमत वित्तीय लेनदार आईसीआईसीआई बैंक के ऋण का उपचार

सीमित 110. अब, हमें बड़े विवाद के एक अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जो एक असहमत वित्तीय लेनदार, आईसीआईसीआई की आपत्तियों से संबंधित है।

बैंक लिमिटेड।

एनबीसीसी की समाधान योजना। जैसा कि संकल्प की अनुसूची 2 में देखा गया है योजना, निगमित देनदार के नियंत्रण के अधिग्रहण और समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कदमों का उल्लेख किया गया है। कदम 6ए और 6बी संस्थागत वित्तीय लेनदारों से संबंधित हैं। पूर्ववर्ती चरणों में, उनके

कालक्रम में (1) एनबीसीसी एसपीवी का निगमन और अधिग्रहण शामिल हैं।

82 पैराग्राफ 47.2,99 और 99.8 के माध्यम से (ऊपर)

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उस एस. पी. वी. के माध्यम से समाधान आवेदक द्वारा निगमित ऋणी; (2) निगमित ऋणी द्वारा एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. का निगमन और उस एस. पी. वी. को यमुना एक्सप्रेसवे का हस्तांतरण और टोल नकदी प्रवाह का प्रतिभूतिकरण; (3) अवैतनिक सी. आई. आर. पी. लागतों का भुगतान; (4) कुल परिचालन ऋण का भुगतान; और (5) लैंड बैंक एस. पी. वी. का निगमन। छठा चरण दो भागों में विभाजित है, जो संस्थागत को अग्रिम भुगतान से संबंधित चरण 6ए है।

वित्तीय लेनदार और 6ख शेष राशि के लिए संस्थागत वित्तीय लेनदारों के उपचार से संबंधित है। चरण 6बी के दूसरे भाग में, असहमत वित्तीय लेनदारों के संबंध में विशिष्ट शर्तें निहित हैं। इस तरह के

प्रिस्क्रिप्शनों के सरगम को समझने के लिए, हम समाधान योजना में चरण 6ए और 6बी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं: -

" चरण 6ए: संस्थागत वित्तीय संस्थान को अग्रिम भुगतान

क्रेडिटर

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आई. एन. आर. [नए ऋण-(कम) 2,000 करोड़] की कुल अग्रिम राशि के भुगतान पर संस्थागत वित्तीय लेनदारों, यमुना एक्सप्रेसवे पर उनका प्रभार और टोल नकदी प्रवाह स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा।

पक्षकारों द्वारा कोई और कार्य या कार्य किए बिना।

" चरण 6बी: रिमेनिंग अमाउंट के लिए संस्थागत वित्तीय क्रेडिटर्स का उपचार

संस्थागत वित्तीय को अग्रिम भुगतान किए जाने के बाद उपरोक्त चरण-6ए के तहत विचार किए गए लेनदारों, संस्थागत वित्तीय लेनदारों के कारण शेष स्वीकृत वित्तीय ऋण का पूरी तरह से निम्नलिखित तरीके से निपटान किया जाएगा।

स्वीकृत वित्तीय ऋण (संस्थागत वित्तीय लेनदारों के कारण) के हिस्से को निगमित देनदार के इक्विटी शेयरों में बदलना और बाद में संस्थागत वित्तीय लेनदारों की हिस्सेदारी को समाप्त करने के लिए शेयर पूंजी में कमी करना।

पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार में; [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लैंड बैंक एस. पी. वी. की 100% हिस्सेदारी का निगमित ऋणदाता से संस्थागत वित्तीय ऋणदाताओं को हस्तांतरण; एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. की 100% हिस्सेदारी का निगमित ऋणदाता से संस्थागत वित्तीय ऋणदाताओं को हस्तांतरण

बकाया ऋण के निपटान के माध्यम से भुगतान किए जाने वाले उनके तत्कालीन बकाया ऋण के बराबर प्रतिफल;

और

यह भी प्रस्तावित किया गया है कि समाधान आवेदक निम्नलिखित में प्रवेश करेगा:

(i) लैंड बैंक एस. पी. वी. के साथ एक प्रबंधन समझौता

संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत एक निश्चित/सफलता-आधारित शुल्क के अधीन 5 वर्षों का प्रारंभिक कार्यकाल लेनदार और समाधान आवेदक। इस तरह के प्रबंधन समझौते के विस्तृत नियम और शर्तें, जिनमें कोई भी शामिल है

एस्क्रो तंत्र संस्थागत वित्तीय लेनदारों और समाधान आवेदक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, समाधान आवेदक के पास लैंड बैंक एस. पी. वी. द्वारा धारण की गई भूमि को वापस खरीदने का अपना पहला अधिकार सुरक्षित है।

प्रचलित बाजार दर।

(ii) एक्सप्रेसवे को 5 साल की अवधि के लिए संचालित करने और बनाए रखने के लिए एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. (संस्थागत वित्तीय लेनदारों के स्वामित्व में) के साथ एक संचालन और रखरखाव समझौता, जो संस्थागत वित्तीय लेनदारों और समाधान आवेदक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शुल्क के अधीन है। किसी भी एस्क्रो सहित ऐसे ओ एंड एम समझौते के विस्तृत नियम और शर्तें

संस्थागत वित्तीय लेनदारों और समाधान आवेदक के बीच तंत्र पर पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।

हमने अपनी जानकारी के अनुसार लेनदेन को कर कुशल तरीके से संरचित किया है। हालाँकि, यदि भविष्य में भूमि के हस्तांतरण के कारण कोई आयकर देयता या वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) देयता उत्पन्न होती है, तो इसे संस्थागत वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान आवेदक को बिना किसी स्पष्ट या निहित उपाय के आनुपातिक तरीके से वहन किया जाएगा। आई. बी. सी. के अनुसार, असहमत वित्तीय लेनदारों को आई. बी. सी. की धारा 30 (2) और 53 के संदर्भ में उनके कारण परिसमापन मूल्य की प्रकृति में न्यूनतम राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

हालांकि, जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड ने सहयोग किया

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 के साथ पठित आई. बी. सी. शून्य होने की उम्मीद है। ; हालाँकि, यदि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार सी. आई. आर. पी. विनियमों की धारा 38 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 30 और धारा 53 के संदर्भ में परिसमापन मूल्य की प्रकृति में कुछ राशि के हकदार हैं, तो असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को सी. आई. आर. पी. विनियमों की धारा 30 (2) और धारा 53 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 38 के संदर्भ में एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. की इक्विटी में आनुपातिक हिस्से

के रूप में और कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित कुछ भूमि पार्सल के हस्तांतरण के रूप में उन्हें परिसमापन मूल्य प्रदान किया जाएगा। सन्देह से बचने के लिए यह है

स्पष्ट किया कि इक्विटी के हस्तांतरण और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के पक्ष में भूमि पार्सल के हस्तांतरण के कारण

ऊपर निर्धारित संस्थागत को हस्तांतरित की जा रही भूमि की हिस्सेदारी और क्षेत्र में इसी तरह की कमी होगी।

वित्तीय लेनदार (भूमि एस. पी. वी. के माध्यम से) जो योजना के पक्ष में मतदान करते हैं। इसके अलावा समाधान आवेदक के पास असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि पार्सल का स्थान निर्धारित करने का एकमात्र विवेकाधिकार होगा और हस्तांतरित की जाने वाली ऐसी भूमि पार्सल का मूल्य योजना के पक्ष में मतदान करने वाले संस्थागत वित्तीय लेनदारों के लिए इस समाधान योजना के तहत प्रस्तावित मूल्य के समान होगा।

बशर्ते कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण लागत और वस्तु और सेवा कर (जी. एस. टी.) सहित अन्य लागू करों को वहन करेंगे जो उनके पक्ष में भूमि पार्सल के हस्तांतरण में शामिल हैं जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है।

इस समाधान योजना में कुछ भी निहित होने के बावजूद, असंतुष्ट वित्तीय लेनदार न तो हकदार होंगे और न ही वे परिसमापन मूल्य की प्रकृति में अपने देय राशियों के अलावा कोई अन्य राशि प्राप्त करेंगे जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

111.1 . इस प्रकार, समाधान योजना में प्रस्ताव इस प्रभाव के लिए है कि, यदि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार कुछ राशि के हकदार होंगे

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 30 और धारा 53 के संदर्भ में परिसमापन मूल्य की प्रकृति, उन्हें एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. की इक्विटी में आनुपातिक हिस्से के रूप में ऐसा परिसमापन मूल्य प्रदान किया जाएगा और कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित कुछ भूमि पार्सल का हस्तांतरण किया जाएगा।

परिसमापन मूल्य के अनुसार नकद भुगतान प्राप्त करने का हकदार था सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1) (बी) के साथ पठित संहिता की धारा 30 (2) (बी) और प्रस्तावित अधिनियम में भूमि और इक्विटी का प्रावधान।

आवश्यक भुगतान के बदले में एस. पी. वी. एस. पूरी तरह से अस्वीकार्य था। आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. ने इन आपत्तियों का विरोध करते हुए कहा कि संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की योजना में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार को परिसमापन मूल्य का भुगतान किया गया है।

नकदी में होना। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जब असहमत वित्तीय लेनदार के प्रति दायित्व के निर्वहन के तरीके की परिकल्पना केवल नकद भुगतान के माध्यम से नहीं की गई थी, तो धन या अन्य मूल्यवान चीज़ को वितरित किया गया था। दायित्व के निर्वहन को संहिता की धारा 30 (2) की आवश्यकता को पूरा करते हुए "भुगतान" के रूप में माना जाएगा। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जब सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों को नकद में भुगतान नहीं किया जा रहा था, तो असहमति रखने वाले वित्तीय लेनदारों को ऐसा कोई भी भुगतान सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा। जैसा कि देखा गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. द्वारा लिए गए रुख को खारिज कर दिया।

और कहा कि बोर्ड के सभी प्रावधानों और विनिर्देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान का अर्थ राशि का भुगतान है और यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि भुगतान नकद के अलावा अन्य तरीके से भी हो सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों को सौंपे गए व्यवहार के संदर्भ में किए गए तर्क को भी खारिज कर दिया, जबकि यह देखते हुए कि सहमत व्यक्ति सहमत हो सकता है।

किसी भी चीज़ के लिए लेकिन वही असहमत व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तदनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने मंजूरी नहीं दी

असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के साथ व्यवहार के संबंध में समाधान योजना में प्रस्ताव। 112.1 . हालाँकि, अस्वीकार करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस आधार पर आगे बढ़ा कि समाधान योजना का यह आपत्तिजनक हिस्सा जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

योजना की मूल संरचना को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है। ऐसा कहने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को इस तरह से संशोधित करने के लिए आगे बढ़ा कि समाधान आवेदक असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को उस राशि का भुगतान करेगा, जो संहिता की धारा 53 के संदर्भ में प्राप्य थी, बारह मासिक किश्तों में ब्याज के साथ अन्य शर्तों के साथ, जैसा कि उसके आदेश के पैराग्राफ 103 में निहित है, जिसे हमने पहले पैराग्राफ 46.4 में पुनः प्रस्तुत किया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के इस भाग को एन. बी. सी. सी. द्वारा चुनौती दी गई है और साथ ही

उनकी संबंधित अपीलों में आई. आर. पी.। आई. डी. बी. आई. बैंक सहित स्वीकृति देने वाले वित्तीय लेनदारों और स्वीकृति देने वाले घर खरीदारों ने भी इसका समर्थन किया है।

113.1 . आई. आर. पी. की ओर से यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है। समाधान योजना की शर्तों को संशोधित करना जिसे लेनदारों की समिति के मतदान हिस्से के 97.36% द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन समाधान योजना संहिता की धारा 30 की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है और यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का यह विचार था कि योजना किसी विशेष आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, तो वह इसे केवल प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. को वापस भेज सकता था, ताकि प्रस्ताव आवेदक को योजना में संशोधन करने का अवसर मिल सके और सी. ओ. सी. को इस पर पुनर्विचार करने और मतदान करने का अवसर मिल सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णय प्राधिकरण, अपने आप में, समाधान योजना में कोई संशोधन नहीं कर सकता था, विशेष रूप से किसी भी वाणिज्यिक पहलू पर।

योजना जो विशेष रूप से सी. ओ. सी. के दायरे में रहती है।

113.1. 1 . आई. आर. पी. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आई. सी. आई. सी. आई. बैंक ने दिनांक आई. डी. 1 की सी. ओ. सी. की बैठक में भुगतान के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं जताई और केवल समाधान आवेदक द्वारा प्रदान की गई राशि पर आपत्ति जताई और यह स्थिति होने के कारण, यह बाद के चरण में कोई आपत्ति नहीं उठा सकता था।

113.1. 2 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा में आवश्यकताएँ

30 (2) (ख) संहिता के 'मूल्य' पर एक असहमत वित्तीय लेनदार [2021] 12 एस. सी. आर. पर जोर देता है।

प्राप्त करने का हकदार है लेकिन, यह कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है कि भुगतान का तरीका नकद में होना चाहिए; बल्कि भुगतान का तरीका बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है और बोर्ड ने यह भी निर्दिष्ट नहीं किया है कि ऐसा भुगतान केवल नकद में होना चाहिए।

113.1. 3 . इसके अलावा, आई. आर. पी. के अनुसार, यदि "भुगतान" शब्द को एक निर्धारित अर्थ दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में वितरण का तरीका निर्धारित किया जाएगा और यह राशि होगी।

धारा 30 की उप-धारा (4) में "लेनदार" शब्द का संशोधन करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की योजना में, असंतुष्ट वित्तीय लेनदार समाधान योजना में वितरण के तरीके को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं जैसा कि सी. ओ. सी. में 66 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान हिस्से के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है और यदि वे इतने बाध्य नहीं हैं, तो सी. ओ. सी. को आवश्यक बहुमत के साथ निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को निरर्थक बना दिया जाएगा।

113.2 . समाधान आवेदक एनबीसीसी ने भी आदेश के पैराग्राफ 103 में दिए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए लंबी अवधि की दलीलें दी हैं।

समाधान योजना में नियमों और शर्तों का बचाव करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना में चरण 6बी को संहिता की धारा 30 (2) और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1) की आवश्यकताओं के उचित अनुपालन में तैयार किया गया है। इसकी लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है कि कानून की आवश्यकताएं विधिवत हैं

निम्नलिखित रूप से संतुष्ट:

" 3. इस प्रकार, कानून की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में पूरा किया गया है:

तरीका -

ए। लैंड बैंक एस. पी. वी. और एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. में आनुपातिक हिस्से के भुगतान के संदर्भ में परिसमापन मूल्य का भुगतान;

और

बी। असहमत वित्तीय लेनदारों को भुगतान किया जाएगा

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 के संदर्भ में किया गया और आगे कहा गया है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को आनुपातिक इक्विटी के रूप में भुगतान के कारण एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. और कुछ भूमि पार्सलों के हस्तांतरण से इक्विटी में कमी आएगी और भूमि पार्सलों को उन ऋणदाताओं को हस्तांतरित किया जाएगा जो योजना के पक्ष में मतदान करते हैं।

113.2. 1 . जहां तक संहिता की धारा 30 (2) के उद्देश्य के लिए "भुगतान" अभिव्यक्ति का संबंध है, इस शब्द का अर्थ ब्लैक में बताया गया है।

लॉ डिक्शनरी (9वां संस्करण) का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, पायनियर अर्बन जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता रखी गई है।

(ऊपर), हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण और अन्र। वी. रणजीत सिंह राणा: (2012) 4 एस. सी. सी. 505; और सैमुअल कैटकिन और डोरिस कैटकिन बनाम के मामले में 6 वें सर्किट, यू. एस. ए. के लिए अपील न्यायालय के निर्णय पर। आंतरिक आयुक्त

शब्दकोश के अर्थ और उद्धृत निर्णयों के संदर्भ में, तर्क यह रहा है कि "भुगतान" का अर्थ है धन या उसके समकक्ष की डिलीवरी द्वारा किसी दायित्व का निर्वहन; और अभिव्यक्ति "भुगतान" केवल धन की डिलीवरी या कानूनी निविदा तक ही सीमित नहीं है। 113.2. 2 . यह तर्क दिया जाता है कि कोड की धारा 8, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भरोसा किया गया है, राशि के भुगतान को दर्शाने के लिए "भुगतान" शब्द का उपयोग करता है।

जो दिवालियापन शुरू होने से पहले "परिचालन ऋण" हैं। समाधान प्रक्रिया, जबकि एक ही शब्द का उपयोग धारा 30 (2) के तहत किया जाता है

समाधान योजना के तहत भुगतान को दर्शाने के लिए। प्रयोग की जाने वाली भाषा संहिता की धारा 8 (2) (बी) के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या चेक के माध्यम से भुगतान शामिल है। दूसरी ओर, संहिता की धारा 30 (2) समाधान योजना के तहत भुगतान के संबंध में है, और किसी भी तरह से भुगतान के तरीके को निर्धारित नहीं करती है।

113.2. 3 . यह भी तर्क दिया जाता है कि 'भुगतान' शब्द की आवश्यकता है।

इसके संदर्भ और स्थान निर्धारण के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए; और प्रासंगिक व्याख्या पर प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए, आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश और भोपाल बनाम में निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है। श्रीमती सोदरा देवी: ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 832; कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण बनाम। गोबिंद चंद्र मकाल और अन्र। : (2011) 9 एस. सी. सी. 207; भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। : 2003 (7) एस. सी. सी. 589; सी. आई. टी., बैंगलोर बनाम। वेंकटेश्वर हैचरीज (पी) लिमिटेड : (1999) 3 एस. सी. सी. 632 और भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्र। : (1977) 4 एससीसी 193।

113.2. 4 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि "भुगतान" शब्द के संबंध में संदर्भ की जांच उद्देश्य के संदर्भ में की जानी चाहिए और

दिवाला के समाधान का उद्देश्य और ऋण की वसूली के संदर्भ में नहीं; और इस तथ्य के आलोक में कि दिवाला समाधान के उद्देश्य से, एक समाधान योजना दावों के निपटान के विभिन्न तरीकों के लिए प्रदान कर सकती है। संहिता की योजना और समाधान के उद्देश्य और उद्देश्य पर,

आर्सेलर मित्तल और स्विस रिबन (ऊपर) में निर्णयों को संदर्भित किया गया है।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 (1) को भी संदर्भित किया गया है जिसमें

यह प्रावधान किया गया है कि एक समाधान योजना दावों के बदले प्रतिभूतियों के लिए प्रदान कर सकती है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि "भुगतान" शब्द को केवल नकद के अर्थ तक सीमित रखने से समाधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा और इसके बजाय असहमति को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नकद द्वारा भुगतान के इस तरह के तरीके को क़ानून में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जब उसमें प्रावधान नहीं किया गया हो। राज्य के मामले में केंद्रीय ब्यूरो के माध्यम से इस न्यायालय का निर्णय

जांच v. परमेश्वरन सुब्रमण्यन और अन्र। : (2009) 9 एस. सी. सी. 729 को संदर्भित किया गया है।

113.2. 5 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि धारा 53 के तहत "मूल्य" सी. ओ. सी. के लिए अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करने के लिए केवल एक मार्गदर्शक कारक है।

और धारा 53 में "मूल्य" के संदर्भ का मतलब यह नहीं है कि असहमत वित्तीय लेनदार को इस तरह के मूल्य का भुगतान केवल नकद में किया जाना है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि परिसमापन मूल्य समाधान आवेदक को ज्ञात नहीं है और समाधान योजना में परिसमापन मूल्य का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बताया गया है कि इससे पहले, विनियमन 36 (2) के उपखंड (जे) और (के) में सूचना ज्ञापन के हिस्से के रूप में निगमित देनदार के परिसमापन मूल्य और परिचालन लेनदारों के कारण परिसमापन मूल्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इन खंडों को डब्ल्यू. ई. एफ. 31.12.2017 से हटा दिया गया था और समाधान आवेदक को निगमित देनदार के परिसमापन मूल्य तक पहुंच नहीं दी गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय के अनुसार, कोई नहीं है

' 'इन काइंड' भुगतान बैंकिंग मानदंडों के तहत स्वीकार किया जाता है और इस संबंध में, यह भी संकेत दिया जाता है कि पहले के एक अवसर पर, आक्षेपकर्ता आईसीआईसीआई बैंक ने स्वयं भुगतान के लिए भुगतान की एक विधि के रूप में भूमि-ऋण अदला-बदली को स्वीकार किया था जे. आई. एल. का ऋण।

113.2. 6 . उपरोक्त के अलावा, एनबीसीसी ने यह प्रस्तुत करते हुए सुनवाई के दौरान दायर अपने हलफनामे का भी उल्लेख किया है कि स्वीकृत ऋण

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक का आई. एन. आर. 304.1 करोड़ है जो कुल वित्तीय ऋण का 1.31% है और उपलब्ध अंतिम विवरण के अनुसार, इस बैंक को देय आनुपातिक परिसमापन मूल्य लगभग आई. एन. आर. 238.84 करोड़ होगा। इसके बाद, आई. सी. आई. सी. आई. बैंक जे. जे. पी. केन्सिंगटन बॉउलेवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर को प्रस्तावित भूमि के अंशों का विवरण दिया जाएगा।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

और उनके अनुमानित मूल्य के साथ-साथ इक्विटी का अनुमानित मूल्य भी

एक्सप्रेसवे को यह सुझाव देने के लिए कहा गया है कि इस बैंक के ऋण के भुगतान के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है, जबकि यह संकेत दिया गया है कि समाधान योजना के चरण 6ए के तहत बैंक भी अपने आनुपातिक हिस्से का हकदार होगा।

113.3 . स्वीकृति देने वाले वित्तीय लेनदार, आई. डी. बी. आई. बैंक ने भी उपरोक्त प्रस्तुतियों का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भाग प्रस्तुतियाँ हैं कि आईसीआईसीआई बैंक अपनी असहमति का उपयोग सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों पर लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहा है, विशुद्ध रूप से असहमति के आधार पर नकद में भुगतान करने की मांग कर रहा है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी

समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद अपने वाणिज्यिक ज्ञान में सी. ओ. सी. में लेनदारों के मतदान हिस्से का%; और यदि अन्य संस्थागत वित्तीय लेनदार भी अपना पैसा प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने केवल परिसमापन के लिए मतदान किया होता, जो हजारों घर खरीदारों को अपने घर प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित कर देता। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि नकद भुगतान को असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए उपलब्ध भुगतान का एकमात्र साधन माना जाता है, तो यह वित्तीय लेनदारों को असहमति जताने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे अधिक लाभ होगा।

परिसमापन और कम संकल्प और इस तरह संहिता के विषय और भावना को पराजित करते हैं। विकल्प में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि यह न्यायालय एन. सी. एल. टी. के आदेश के संबंधित हिस्से को बरकरार रखता है और नकद भुगतान की अनुमति देता है, तो आकलन करने वाले वित्तीय लेनदारों के हितों की आवश्यकता है:

सुरक्षित रखा जाए और इस तरह के भुगतान के परिणामस्वरूप सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों को देय राशि में कोई कमी या कमी नहीं होनी चाहिए।

114. इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए और एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना में संशोधन का समर्थन करते हुए, यह दृढ़ता से किया गया है

असहमत वित्तीय लेनदार, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से तर्क दिया गया कि विचाराधीन समाधान योजना कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी और यदि इसे कॉर्पोरेट देनदार द्वारा स्वीकार की गई राशि के भुगतान का प्रावधान करने के लिए संशोधित नहीं किया गया होता, तो एकमात्र रास्ता योजना को अस्वीकार करना होता; और यह असाधारण परिस्थितियों में दो साल से अधिक समय तक की गई पूरी

समाधान प्रक्रिया को खतरे में डाल देता और कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन के लिए धकेल देता, जिससे घर खरीदारों को निराशा होती।

114.1 . संहिता की धारा 30 (2) (बी) और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1) (बी) के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैधानिक जनादेश के अनुसार, एक संकल्प आवेदक को न्यूनतम [2021] 12 एस. सी. आर. का भुगतान करना आवश्यक है।

सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों पर प्राथमिकता में असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए परिसमापन मूल्य (संहिता की धारा 53 (1) के संदर्भ में); और यदि

एक समाधान योजना प्राथमिकता में इस अनिवार्य भुगतान के लिए प्रदान नहीं करती है, इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

114.2 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि, निश्चित रूप से, कॉर्पोरेट देनदार पर दिवालिया होने पर आईसीआईसीआई बैंक को आईएनआर 304.1 करोड़ की राशि बकाया है।

शुरुआत की तारीख; और सी. ओ. सी. में 1.3% मतदान हिस्सेदारी रखने वाले इस बैंक ने एन. बी. सी. सी. द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया और इसलिए, एक असहमत वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया गया। नतीजतन, इस बैंक को भुगतान करने का अधिकार और अधिकार है, और सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों पर प्राथमिकता में, इसके बकाया के खिलाफ राशि, जो संहिता की धारा 53 (1) के अनुसार देय राशि से कम नहीं होगी, यानी परिसमापन मूल्य; और यह भुगतान केवल नकद के संदर्भ में किया जा सकता है, न कि किसी अन्य तरीके या विधि से।

114.3 . यह तर्क दिया जाता है कि धारा 53 परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय पर विचार करती है जिसका उपयोग असहमति का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

वित्तीय लेनदार और इस तरह की कोई कल्पना योग्य संभावना नहीं है कि एक कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल में समाप्त कर दिया जाएगा। संहिता की धारा 30 (2) (बी) के उद्देश्य के लिए भुगतान केवल धन या कानूनी निविदा के संदर्भ में होगा और समाधान आवेदक के लिए असंतुष्ट वित्तीय लेनदार को इस तरह के परिसमापन मूल्य का भुगतान करने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है, जब तक कि ऋणदाता इस तरह के भुगतान को स्वीकार नहीं करता है। व्याख्या की प्रक्रिया पर विभिन्न निर्णयों को आक्षेपक बैंक की ओर से संदर्भित किया गया है, जिसमें संकल्पचंद हिम्मतलाल सेठ (ऊपर) और राठी खंडसारी उद्योग और अन्य शामिल हैं। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।: (1985) 2 एससीसी 485।

114.4 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना में, असहमत वित्तीय लेनदारों के साथ व्यवहार सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों की तुलना में कम है। ऋणदाताओं को बाद वाले को एक अग्रिम भुगतान प्रदान किया जा रहा है

114.5 . इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. बी. सी. सी. की यह धारणा कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए परिसमापन मूल्य होगा शून्य होना आधारहीन है और समाधान योजना में असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों का व्यवहार अस्पष्ट है और सटीक मूल्यांकन करने में असमर्थ है क्योंकि यह वर्तमान बाजार के आंकड़ों के बजाय अटकलों पर आधारित है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

114.6 . समाधान योजना में सुझाए गए मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि लैंड बैंक एसपीवी को हस्तांतरित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन 5001 करोड़ रुपये है जो भविष्य पर आधारित है

केवल नकद भुगतान तक ही सीमित है, इसका कानून में कोई आधार नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक प्रस्तुत करता है कि संहिता की धारा 8 की भाषा पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भुगतान की आवश्यकता की बात आती है निगमित दिवाला समाधान के संबंध में, मौद्रिक संदर्भ में भी ऐसा ही होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार कानून की भाषा स्पष्ट हो जाने के बाद, न्यायिक व्याख्या द्वारा प्रावधानों के अर्थ को बदला नहीं जा सकता है।

114.8 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि गारंटी देने का उद्देश्य

असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए परिसमापन मूल्य उनके हितों की रक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परिसमापन की स्थिति में बदतर स्थिति में नहीं हैं, लेकिन असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए समाधान योजना में प्रदान किया गया व्यवहार इस तरह से किया जाता है कि उन्हें उनकी असहमति के लिए दंडित किया जाए।

114.9 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार समाधान योजना रखी जाती है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उसकी मंजूरी के लिए, न्यायिक दिमाग को यह देखने के लिए लागू किया जाता है कि क्या ऐसी योजना संहिता के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसमें सबसे पहले, संहिता की धारा 30 (2) का अनुपालन शामिल है; दूसरा, क्या योजना निष्पक्ष और न्यायसंगत है और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करती है; और तीसरा, क्या योजना परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करती है। एन. सी. एल. टी. की इस तरह की मंजूरी कभी भी औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। आक्षेपकर्ता बैंक के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना को संशोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि संशोधन योजना की मूल संरचना को नहीं बदलते हैं और

इसलिए, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए, यह तर्क कि एन. सी. एल. टी. ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है और सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को ओवरराइड किया है, गलत है।

114.10 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सिर्फ इसलिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने दोनों समाधान योजनाओं की मंजूरी के खिलाफ मतदान किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक का इरादा कॉर्पोरेट का परिसमापन होगा।

ऋणी। एन. बी. सी. सी. के इस तरह के तर्क उसके दुर्भावनापूर्ण इरादों को आगे बढ़ाते हैं और केवल असंतुष्ट बैंक को कमजोर करने के लिए रखे जाते हैं।

115. असहमत वित्तीय लेनदार बैंक की ओर से इस तरह की प्रस्तुतियों का पूर्व निदेशक ने भी समर्थन किया है।

निगमित कर्जदार जे. आई. एल. और जे. ए. एल. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्ताव योजना में असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के दावे को संतुष्ट करने के लिए शेयर और इक्विटी या भूमि पार्सल के हस्तांतरण के रूप में प्रस्ताव अनुरूप नहीं है। संहिता की धारा 30 (2) (बी) की आवश्यकताओं के साथ। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के दावे को पूरा करने का प्रस्ताव

मौद्रिक भुगतान के अलावा एक अन्य तरीका प्रासंगिक प्रावधान में 'समतुल्य' शब्द को पढ़ने के समान है, जो कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दादी जगन्नाधम बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

जम्मुलु रामुलु और ओआरएस। : (2001) 7 एस. सी. सी. 71 का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान करने के तरीके को सही ठहराने के लिए सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 पर एन. बी. सी. सी. की निर्भरता गलत है क्योंकि विनियम 37 के बजाय, सुसंगत प्रावधान जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह विनियम 38 (1) (बी) है, क्योंकि यह सीधे संहिता की धारा 30 (2) (बी) (ii) से संबंधित है। इसलिए यह माना जाता है कि समाधान योजना, असहमत वित्तीय प्रावधानों के लिए प्रिस्क्रिप्शन के संबंध में है।

लेनदारों को, कानून की आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के कारण, अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।

116. संहिता के तहत सी. आई. आर. पी. में असंतुष्ट वित्तीय लेनदार के ऋण के उपचार के संबंध में लागू कानून के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, हम वर्तमान मामले में असंतुष्ट

वित्तीय लेनदार द्वारा की गई आपत्तियों को पूरी तरह से उचित पाते हैं; और आई. आर. पी., समाधान आवेदक और सहमति देने वाले वित्तीय लेनदार द्वारा सुझाई गई व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 117. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का अवलोकन इस बात का बुनियादी विचार देता है कि भले ही संहिता के घोषित उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदारों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन के लिए समयबद्ध तरीके से दिवाला समाधान की दिशा में हैं, संहिता के मुख्य प्रावधान, एक तुलनात्मक रूप से नया कानून, पहले ही समय-समय पर कई संशोधनों से गुजर चुका है। वास्तव में, पायनियर अर्बन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने मान्यता दी है

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संहिता जैसे आर्थिक विधान पर आते समय प्रयोग करने का विधायिका का अधिकार, जबकि निम्नानुसार अवलोकन करते हुए: -

" आर्थिक मामलों में प्रयोग करने का विधानमंडल का अधिकार

15. स्विस रिबन में, इस न्यायालय को यह इंगित करने के लिए दर्द हो रहा था,

अन्य बातों के साथ-साथ, पैरा 17 से 24 में विभिन्न अमेरिकी निर्णयों का उल्लेख करते हुए, कि जब आर्थिक विधान की बात आती है तो विधायिका को जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली संवैधानिकता की धारणा के अलावा, विधायी

आर्थिक विकल्पों में निर्णय को अदालतों द्वारा एक निश्चित स्तर का सम्मान दिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 120 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी पी. 112)

" 120. दिवाला संहिता एक ऐसा कानून है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है और बड़े अर्थों में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूर्व प्रयोग, के रूप में

हमने देखा है कि विधानों के विफल होने के संदर्भ में, "परीक्षण" बार-बार "त्रुटियों" का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता से आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित क्रूरताओं और असमानताओं से, पारित होता है।

संवैधानिक मस्टर। चीज़ों में प्रयोग करते रहना

आर्थिक एक गंभीर जिम्मेदारी है, और प्रयोग के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों से भरा है। हमने यह भी देखा है कि संहिता के कामकाज की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जा रही है। जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ कानून दोनों में संशोधन किए गए हैं। यह

प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं सहित हितधारक "।

इस पृष्ठभूमि में संवैधानिक चुनौती

संशोधन अधिनियम पर निर्णय लेना होगा।

118. आई. बी. सी. में विभिन्न प्रकार के संशोधनों के कुछ पहलू

यहाँ पहले भी ध्यान दिया गया है और इस निर्णय में शामिल मुद्दों के लिए प्रासंगिक सीमा तक निपटा जा रहा है। इस तरह का एक हिस्सा

संशोधन धारा 30 से संबंधित हैं, जिसके बारे में हम चिंतित हैं।

दृढ़ संकल्प के लिए बिंदु। जैसा कि देखा गया है, संहिता की धारा 30 की उप-धारा (2) के पूर्व खंड (बी) के लिए आवश्यक था कि समाधान योजना [2021] 12 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान, जो नहीं होना चाहिए

परिसमापन की स्थिति में परिचालन ऋणदाताओं को भुगतान की जाने वाली राशि से कम होगी। उस समय मौजूद योजना में लेनदारों के विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार विभिन्न स्तरों पर और कई निर्णयों में बहस का विषय रहा है। इसने विधायिका का ध्यान आकर्षित किया कि विभिन्न लेनदारों के व्यवहार में एक संतुलन लाने की आवश्यकता है और

' निगमित दिवाला ढांचे में 'महत्वपूर्ण अंतराल' देखे गए, जिसमें असहमत वित्तीय लेनदारों के साथ व्यवहार भी शामिल था। इसके कारण विधेयक सं. 2019 का XXVI, दिवालिया होने के नाते और

जुलाई 2019 में राज्यसभा में दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जो इस बारे में एक उचित अंतर्दृष्टि देता है कि क्या हासिल करने की कोशिश की गई थी, नीचे दिया गया है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) को निम्नलिखित से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था:

निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान, समयबद्ध तरीके से साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता और हितों का संतुलन आदेश में परिवर्तन या सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता सहित सभी हितधारकों और एक दिवाला स्थापित करने के लिए और

भारतीय दिवालियापन बोर्ड।

2. संहिता की प्रस्तावना सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से "दिवाला समाधान" को शामिल करने के लिए संहिता के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। इस बात पर चिंता जताई गई है कि कुछ मामलों में व्यापक मुकदमेबाजी अनुचित देरी का कारण बन रही है, जिससे मूल्य अधिकतमकरण में बाधा आ सकती है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि

सभी लेनदारों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है, बिना अनावश्यक बोझ के।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जिसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि समाधान योजना संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करती है।

विभिन्न हितधारकों ने सुझाव दिया है कि यदि लेनदार थे

समान आधार पर माने जाने पर, जब उनके पास अलग-अलग दिवालिया होने से पहले के अधिकार होते हैं, तो यह ऋण की लागत और उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके अलावा, स्पष्टता लाने के लिए विचार भी प्राप्त किए गए हैं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वित्तीय लेनदारों के मतदान पैटर्न पर।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

3. उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और कॉर्पोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए, यह दिवाला और दिवालियापन संहिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(क) संहिता की धारा 5 के खंड (26) में संशोधन करना ताकि स्पष्ट करने के लिए "समाधान योजना" की परिभाषा में एक स्पष्टीकरण डाला जा सके।

बाजार को अधिकतम मूल्य के हित में गतिशील समाधान योजनाओं के साथ आने में सक्षम बनाने के लिए समामेलन और विलयन; (ख) संहिता की धारा 7 की उप-धारा (4) में संशोधन करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि कोई आवेदन स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया गया है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा चौदह दिनों के भीतर, वह इसके लिए लिखित रूप में कारण प्रदान करेगा;

(ग) संहिता की धारा 12 की उप-धारा (3) में संशोधन करना ताकि किसी निगम की दिवाला समाधान प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा सके।

देनदार दिवालिया शुरू होने की तारीख से तीन सौ तीस दिनों से आगे नहीं बढ़ेगा, जिसमें समय भी शामिल होगा।

तथापि, यदि प्रक्रिया, जिसमें कानूनी कार्यवाहियों में लगने वाला समय भी शामिल है, तीन सौ तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो धारा 33 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत निगमित ऋणी को समाप्त करने की आवश्यकता वाला आदेश पारित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम को पूरा करने में लगने वाला समय दिवाला समाधान प्रक्रिया में कानूनी कार्यवाही में लगने वाला समय शामिल होगा।

(घ) संहिता की धारा 25 ए में उप-धारा (34) अंत:स्थापित करना ताकि उप-धारा (64) के तहत एक अधिकृत प्रतिनिधि का प्रावधान किया जा सके।

धारा 21 के तहत उन सभी वित्तीय लेनदारों को वोट दिया जाएगा जिनका वह पचास प्रतिशत से अधिक के वोट से लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है। लेनदारों की समिति में निर्णय लेने की सुविधा के लिए, विशेष रूप से जब वित्तीय लेनदार बड़े और विषम समूह हैं; [2021] 12 एस. सी. आर.

((ii) जो वित्तीय लेनदार समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, उन्हें एक ऐसी राशि प्राप्त होगी जो कम नहीं है। उनके ऋण के परिसमापन मूल्य की तुलना में;

(iii) प्रावधान एक निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू होंगे।

(4) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है; या

(बी) धारा 61 या 62 के तहत एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान के तहत समय बाधित नहीं है; या

केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण पर भी बाध्यकारी होगा, जिसके लिए कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण है, जैसे कि ऐसे प्राधिकरण जिन्हें कर प्राधिकरणों सहित वैधानिक बकाया है। (छ) संहिता की धारा 33 की उप-धारा (2) में संशोधन करना ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि लेनदारों की समिति धारा 33 की उप-धारा (2) में दी गई आवश्यकताओं के अनुसार, धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत लेनदारों की समिति के गठन के बाद किसी भी समय समाधान योजना की पुष्टि होने तक, किसी भी समय सहित, निगमित देनदार को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है।

सूचना ज्ञापन तैयार करने से पहले।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

118.1 . उपरोक्त विधेयक ने अंततः दिवाला का रूप ले लिया

और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019,2019 का अधिनियम 26 है। 2019 के इस संशोधन अधिनियम में न केवल यह प्रावधान किया गया था कि परिचालन लेनदारों को एक ऐसी राशि प्राप्त होगी जो उनके ऋणों के परिसमापन मूल्य से कम नहीं होगी या वह राशि जो प्राप्त होती यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि को धारा 53 में प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार वितरित किया गया होता, लेकिन इसके अलावा, इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भी एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाएगा, जो परिसमापन की स्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी; और स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया कि खंड (बी) के अनुसार वितरण उचित और न्यायसंगत होगा।

सभी ऋणदाताओं को। एस्सार स्टील के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस संशोधन के उद्देश्य और अर्थ को संक्षेप में इस प्रकार समझाया गया:

" 128. जब धारा के प्रतिस्थापन की वैधता की बात आती है

30 (2) (ख) 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 द्वारा, यह स्पष्ट है कि

प्रतिस्थापित धारा 30 (2) (बी) परिचालन लेनदारों को प्रदान करती है

पहले की तुलना में कुछ अधिक दिया गया था क्योंकि यह उससे अधिक है उपखंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित आंकड़े

जिसे अब परिचालन के लिए न्यूनतम राशि के रूप में भुगतान किया जाना है

लेनदार। यही बात उपखंड (ख) के उत्तरार्द्ध के लिए भी लागू होती है।

जो असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को संदर्भित करता है। सुश्री माधवी दीवान उनके इस तर्क में सही है कि धारा 30 (2) (बी) वास्तव में एक है

परिचालन लेनदारों के पक्ष में लाभकारी प्रावधान और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को अब भुगतान किया जाना है

निश्चित न्यूनतम राशि, संचालन के मामले में न्यूनतम

लेनदार उप के तहत गणना किए गए दो आंकड़ों में से अधिक हैं खंड (ख) के खंड (i) और (ii), और के मामले में न्यूनतम

असंतुष्ट वित्तीय लेनदार एक न्यूनतम राशि है जो

पहले देय नहीं। वास्तव में, पूर्व-संशोधन, सुरक्षित

वित्तीय लेनदार असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को परेशान कर सकते हैं

जो असहमत हैं, उन्हें देने के लिए 66 प्रतिशत के बहुमत ने मतदान किया उनके बकाया के लिए कुछ भी नहीं या कुछ भी नहीं। पूर्ववर्ती शासन में यह

ऐसा करना संभव हो सकता है लेकिन इसके बाद

संशोधन ऐसे वित्तीय लेनदारों को अब भुगतान किया जाना है

उप-धारा (2) में उल्लिखित न्यूनतम राशि। सुश्री माधवी

दीवान का यह कहना भी सही है कि भुगतान की प्राथमिकता का क्रम [2021] 12 एस. सी. आर.

धारा 53 में उल्लिखित लेनदारों की संख्या उप-धारा में शामिल नहीं है।

कि विभिन्न वर्गों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाए परिचालन और वित्तीय लेनदारों का। केवल इसी के लिए

उद्देश्य यह है कि धारा 53 (1) को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। कि यह समिति का व्यावसायिक ज्ञान है

लेनदार जो यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि कितनी राशि का भुगतान किया जाना है विभिन्न वर्गों और लेनदारों के उप-वर्गों के अनुसार

संहिता और बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के साथ

इसके नीचे।

129. जैसा कि इस फैसले में कहा गया है, यह स्पष्ट है कि

स्पष्टीकरण 1 को केवल इस क्रम में जोड़ा गया है कि -

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसा नहीं कर सकते हैं

आवश्यक व्यावसायिक निर्णय के गुणों में प्रवेश करें

इस निर्णय में अभिनिर्धारित, इसमें कोई अवशिष्ट इक्विटी क्षेत्राधिकार नहीं है न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण का हस्तक्षेप करना

आवश्यक बहुमत द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय के गुण-दोष लेनदारों की समिति, बशर्ते कि यह अन्यथा है

संहिता और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप,

जैसा कि इस निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

118.2 . जैसा कि देखा गया है, एस्सार स्टील में इस न्यायालय का निर्णय था

15.11.2019 पर वितरित किया गया। इस निर्णय के कुछ दिनों बाद, यानी सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 के खंड (1) में संशोधन किया गया, जिसका उपरोक्त संशोधित प्रावधानों के साथ सीधा संबंध है।

संहिता की धारा 30 (2) का खंड (बी)। विनियमन 38 (1) के इस संशोधन के माध्यम से, देय राशि के लिए प्राथमिकता निर्दिष्ट की गई, न केवल परिचालन लेनदारों के लिए बल्कि असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए भी।

ऋणदाता अपनी सहमति देने वाले समकक्षों पर। एस्सार स्टील में उपरोक्त संशोधनों और इस न्यायालय के स्पष्टीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के हितों का विधिवत ध्यान रखा जाता है, जबकि वे न्यूनतम राशि के हकदार होते हैं और उस राशि के लिए सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों पर प्राथमिकता दी जाती है।

118.3 . यहां तक कि जब विधायिका ने आई. बी. सी. में कमियों को भरा है,

विशेष रूप से असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए; और उनके हित हैं परिसमापन मूल्य के संदर्भ में अपने बकाया के भुगतान के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाकर ध्यान रखने की मांग की गई, एक अन्य धूसर क्षेत्र जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेल्फेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वर्तमान मामले में सामने आया है। यह इस तरह के आश्वस्त प्रतिफल को वास्तविकता में बदलने के तरीके के बारे में है। इसे अलग तरीके से कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भुगतान मिलेगा और वह भी सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों की तुलना में प्राथमिकता में, लेकिन सवाल यह है कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के प्रति ऐसे दायित्वों को पूरा करने का तरीका क्या है।

119. वर्तमान मामले में, समाधान योजना में, सबसे पहले, कहा गया है कि समाधान आवेदक के अनुमान के अनुसार,

असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा प्राप्त होने वाला परिसमापन मूल्य शून्य होने की संभावना थी, लेकिन तब, उनके प्रति किसी भी संभावित दायित्व के निर्वहन के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है कि उन्हें आनुपातिक रूप से प्रदान किया जाएगा। एक्सप्रेसवे एस. पी. वी. और भूमि पार्सल की इक्विटी में हिस्सेदारी लेकिन धन के संदर्भ में कोई भुगतान नहीं। असहमत वित्तीय लेनदार, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से असंतुष्ट है, जिसके तहत उसके बकाया को नकद में सीधे भुगतान के अलावा किसी अन्य तरीके से पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर, आई. आर. पी., समाधान आवेदक और यहां तक कि सहमति देने वाला वित्तीय लेनदार भी इस बात पर जोर देगा कि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन धारा 30 (2) (बी) और विनियमन 38 (1) (बी) की सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये दोनों प्रावधान अनिवार्य रूप से "भुगतान"; "भुगतान की जाने वाली राशि"; "देय राशि"; और "भुगतान किया जाएगा" शब्दों का उपयोग करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि ये अभिव्यक्तियाँ केवल मौद्रिक संदर्भ में भुगतान को संदर्भित करती हैं।

जबकि प्रस्तुतियों का विरोध इस दावे के साथ किया जाता है कि "भुगतान" शब्द दायित्व के निर्वहन के संदर्भ में है और इसे कानून में अनुमत किसी भी तरीके से लाया जा सकता है और जरूरी नहीं कि केवल धन

के संदर्भ में भुगतान के माध्यम से किया जाए। यह हमें व्याख्या के सिद्धांतों और अभिव्यक्तियों को उचित अर्थ प्रदान करने की ओर ले जाता है। उपयोग किया जाता है।

119.1 . चुनाव लड़ने वाले दलों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों में दिए गए सिद्धांतों पर ज्यादा बहस नहीं होती है और इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है।

प्रत्येक उद्धृत निर्णय पर विस्तार से नहीं। प्रासंगिक व्याख्या मौलिक मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक बनी हुई है; और संकल्पचंद हिमतलाल सेठ (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 54 में प्रासंगिक टिप्पणियां, जिन्हें चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा संदर्भित किया गया है, इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होंगी, जो नीचे दिए गए हैं: -

" 54. अब, यह निस्संदेह सच है कि जहां किसी अधिनियम की भाषा उसके चेहरे पर स्पष्ट और स्पष्ट है और अपने आप में केवल एक ही अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील है, तो आम तौर पर वह अर्थ न्यायालय द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले में व्याख्या का कार्य [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शायद ही कहा जा सकता है कि यह उत्पन्न होता है। लेकिन सबसे अच्छा भाषा अभिव्यक्ति का एक अपूर्ण माध्यम है और कई प्रकार के अर्थ अक्सर झूठ बोल सकते हैं। एक शब्द या अभिव्यक्ति में। इसलिए यह कहा गया है कि किसी कानून के शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जो विधायिका की दृष्टि में है और उनका अर्थ भाषा की सख्ती से व्याकरणिक या व्युत्पत्ति संबंधी औचित्य में नहीं पाया जाना चाहिए, न ही

इसका लोकप्रिय उपयोग, जैसा कि विषय या उस अवसर में जिस पर उनका उपयोग किया जाता है और जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है। यह श्री जस्टिस होम्स ने टाउन बनाम में सम्मानजनक भाषा में कहा था। ईसनर ने कहा कि "एक शब्द एक क्रिस्टल, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है; यह एक जीवित व्यक्ति की त्वचा है। विचार और परिस्थितियों और जिस समय में इसका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार रंग और सामग्री में बहुत भिन्नता हो सकती है। कानून में उपयोग किए गए शब्दों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है: उनका रंग

और सामग्री उनके संदर्भ से ली गई है और इसलिए, एक क़ानून में प्रत्येक शब्द की जाँच उसके संदर्भ में की जानी चाहिए। और जब मैं 'संदर्भ' शब्द का उपयोग करता हूं, तो मेरा मतलब इसके व्यापक अर्थों में है "जिसमें न केवल एक ही क़ानून के अन्य अधिनियमित प्रावधान शामिल हैं, बल्कि इसकी प्रस्तावना, कानून की मौजूदा स्थिति, समान रूप से अन्य क़ानून और उस शरारत को भी शामिल किया गया है जिसे क़ानून का उद्देश्य सुधारना था। कानून में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या में संदर्भ का सबसे अधिक महत्व है। यह बिल्कुल सच है ", जज लर्नड हैंड ने हेल्परिंग वी में बताया। ग्रेगरी "कि जैसे-जैसे किसी

क़ानून की अभिव्यक्ति बढ़ती है, व्याख्या के लिए जगह संकुचित होनी चाहिए; लेकिन एक वाक्य का अर्थ अलग-अलग शब्दों की तुलना में अधिक हो सकता है, क्योंकि एक राग अधिक होता है।

उस सेटिंग का सहारा लें जिसमें सभी दिखाई देते हैं, और जो सभी सामूहिक रूप से बनाते हैं। फिर भी, यह याद रखना चाहिए कि हालांकि उपयोग किए गए शब्द किसी भी लेखन के अर्थ की व्याख्या करने के लिए प्राथमिक और सामान्य रूप से सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं, चाहे वह एक क़ानून हो, या अनुबंध हो, या कुछ और हो, यह एक परिपक्व और विकसित न्यायशास्त्र के निश्चित सूचकांकों में से एक है कि शब्दकोश से एक किला नहीं बनाया जाए, बल्कि यह याद रखना चाहिए कि एक क़ानून का हमेशा कुछ उद्देश्य या उद्देश्य होता है। पूरा करने के लिए, जिसकी सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज, इसके अर्थ के लिए निश्चित मार्गदर्शक है। शाब्दिक संरचना को न्यायालय को भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी केवल प्रथम दृष्टया प्राथमिकता है, व्याख्या का वास्तविक उद्देश्य सही इरादे का पता लगाना है।

कानून निर्माता का और वह केवल पढ़कर ही किया जा सकता है

एक जैविक संपूर्ण के रूप में कानून, प्रत्येक भाग के साथ हल्के जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड भागों का कल्याण

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दूसरी ओर और हेडन के मामले में नियम को ध्यान में रखते हुए

जिसके लिए चार चीजों को समझने और समझने की आवश्यकता होती है

वास्तविक अर्थ पर पहुँचने में माना जाता है: (1) क्या था?

अधिनियम पारित होने से पहले कानून; (2) क्या शरारत थी?

या दोष जिसके लिए कानून ने प्रावधान नहीं किया था; (3) क्या संसद ने उपाय नियुक्त किया है; और (4) इसका कारण

इलाज। व्याख्या का एक और नियम भी है जो

उपसंहार, अर्थात्, जहाँ शब्द, उनके शाब्दिक के अनुसार जिसका अर्थ है "एक विसंगति, या एक बेतुकी बात पैदा करना या

अदालत को यह समझाने के लिए इतनी बड़ी असुविधा कि इरादा

उनके सामान्य अर्थ में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था ",

न्यायालय "उन्हें कुछ और रखने" में न्यायसंगत होगा।

अर्थ, जो, हालांकि कम उचित है, वह है जो न्यायालय

सोचता है कि शब्द सहन करेंगे "। वीडियो रिवर वियर कमिश्नर बनाम।

एडमसन। व्याख्या के इन सिद्धांतों के आलोक में यह है कि

मुझे इस बात पर विचार करना चाहिए कि इसका सही अर्थ और प्रभाव क्या है।

अनुच्छेद 222 का खंड (1): क्या यह न्यायाधीश के स्थानांतरण की अनुमति देता है

उसकी सहमति के बावजूद, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

119.2 . इन सिद्धांतों पर कोई संदेह नहीं है कि

संदर्भ में, एक ही शब्द का उपयोग क़ानून के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग अर्थों के साथ किया जा सकता है, जैसा कि कोलकाता महानगर में देखा गया है।

विकास प्राधिकरण (ऊपर); और अधिनियम के एक प्रावधान के संदर्भ में एक ही शब्द अलग-अलग संदर्भ में एक अर्थ और दूसरा अर्थ व्यक्त कर सकता है, जैसा कि वेंकटेश्वर हैचरीज़ (ऊपर) में बताया गया है। हालाँकि, यह भी मौलिक है कि बेतुकेपन की ओर ले जाने वाले क़ानून के निर्माण को अस्वीकार करने की आवश्यकता है और यदि एक से अधिक अर्थ या व्याख्या संभव है, तो वह जो कानून के उद्देश्यों का समर्थन करता है।

वाणिज्य, राठी खंडसारी उद्योग में बहुमत की टिप्पणियाँ (उपर्युक्त) प्रासंगिक हैं जहां, निर्णय के पैराग्राफ 34 में, इस न्यायालय ने कहा कि व्यापार और वाणिज्य की दुनिया से संबंधित विधानों में, संदर्भित किया जाने वाला शब्दकोश उस दुनिया के निवासियों का शब्दकोश है। यह वैधानिक व्यवस्था का एक तय सिद्धांत भी है।

व्याख्या कि क़ानून को समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है; और उस मामले के लिए, यह कहना पूर्व-प्राथमिक होगा कि किसी विशेष [2021] 12 एस. सी. आर. में किसी विशेष अभिव्यक्ति के अर्थ और अर्थ को समझने के लिए।

जब तक कि इसके लिए कोई कारण न हो। 120. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम संहिता की धारा 30 (2) (बी) और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 38 (1) (बी) के प्रासंगिक प्रावधानों में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों की इस मामले में आवश्यक व्याख्या शुरू कर सकते हैं।

120.1 . "भुगतान" अभिव्यक्ति संहिता की धारा 30 (2) में आती है, जो कुछ मूल बातें बताती है जो समाधान पेशेवर करते हैं।

उसे प्रस्तुत करने से पहले समाधान योजना में खोजना होगा ऋणदाताओं की समिति। धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार, समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए: (क) भुगतान

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत; और (बी) परिचालन लेनदारों के साथ-साथ असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के ऋणों का भुगतान। इस तरह का भुगतान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए और समाधान प्रक्रिया लागत प्राथमिकता में शीर्ष स्थान पर है। विनियमन 38 (1) के साथ पढ़े गए इस प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि अगली प्राथमिकता परिचालन लेनदारों की है, जिनका पालन असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा किया जाता है। सवाल यह है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है और "भुगतान" की कार्रवाई कैसे की जानी चाहिए?

120.2 . पायनियर अर्बन के मामले में संदर्भित टिप्पणियां कि "भुगतान" अभिव्यक्ति "प्रतिदान" और "पुनर्भुगतान" को शामिल करने के लिए पर्याप्त लोचदार है, रंजीत सिंह राणा (उपरोक्त) के मामले में निम्नलिखित अंशों के संदर्भ में थी: -

> " 13. वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी (अंतर्राष्ट्रीय संस्करण) खण्ड.
>
> 2 "भुगतान" को परिभाषित करता है:
>
> " भुगतान करें। - (1) भुगतान का कार्य।
>
> (2) भुगतान; प्रतिदान; प्रतिदान।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

14. पी. रामनाथ अय्यर का द लॉ लेक्सिकन, द्वितीय संस्करण। पुनर्मुद्रण,

अन्य बातों के साथ, कहते हैं:

" भुगतान को भुगतान के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, या जिसका भुगतान किया जाता है; ऋण, दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन; दावे की संतुष्टि;

प्रतिदान; किसी वादे की पूर्ति या किसी समझौते का पालन; देय राशि का धन में निर्वहन।

15. "भुगतान" शब्द का अलग-अलग अर्थ हो सकता है।

संदर्भ में लेकिन धारा 37 (1) (बी) के संदर्भ में; इसका अर्थ है

पुरस्कार के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व का उन्मूलन। यह पुरस्कार की संतुष्टि को दर्शाता है। पुरस्कार राशि की जमा राशि

अदालत और कुछ नहीं बल्कि डिक्री के श्रेय के लिए भुगतान है धारक। इस दृष्टिकोण से, एक बार पुरस्कार राशि द्वारा जमा की गई थी

24-5-2001 पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का दायित्व

पुरस्कार के बाद 24-5-2001 से ब्याज बंद हो गया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देना सही नहीं था।

120.3 . हमें विभिन्न कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में किए गए "वेतन" और "भुगतान" के संबंध में अन्य टिप्पणियों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम प्रासंगिक शब्दकोशों और शब्दकोशों में इन अभिव्यक्तियों के अर्थ को लाभप्रद रूप से देख सकते हैं।एक का लॉ डिक्शनरी (दसवां संस्करण, पृष्ठ 1309), क्रिया "भुगतान", एच व्युत्पन्न "भुगतान" की ओर ले जाता है जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

“ पे, वी. बी. (13(ग) 1. किसी वस्तु या सेवा के लिए पैसा देना जिसे कोई खरीदता है; संतुष्टि के लिए <क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करें>। 2. किसी व्यक्ति, कंपनी आदि को देय धन का हस्तांतरण करना। 3. (किसी को) उस नौकरी के लिए पैसा देना जो वह करता है; किसी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के लिए क्षतिपूर्ति करना; प्रतिस्पर्धा करना। (1) < उसे महीने में दो बार वेतन मिलता है। 4. किसी को (पैसा) देना क्योंकि किसी को अदालत ने ऐसा करने का आदेश दिया है <भुगतान करें

नुकसान>। 5. लाभदायक होने के लिए; एक वापसी लाने के लिए <उद्यम

9 प्रतिशत का भुगतान किया गया।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (दसवां संस्करण, पृष्ठ) के उसी पृष्ठ पर, "भुगतान" अभिव्यक्ति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है: -

" भुगतान करें। (14(ग) 1. दायित्व के आंशिक या पूर्ण निर्वहन में स्वीकार किए गए धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के वितरण द्वारा किसी दायित्व का निष्पादन। 2. एक दायित्व की संतुष्टि में इस तरह से वितरित किया गया धन या अन्य मूल्यवान वस्तु। "[2021] 12 एस. सी. आर.

120.4 . पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित लॉ लेक्सिकन में (पाँचवाँ संस्करण,

पृष्ठ 3796 पर खंड 3), "भुगतान" अभिव्यक्ति के कई अर्थों का उल्लेख किया गया है। हम इसके प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं - इसके अंतर्गतः -

" भुगतान को भुगतान करने के कार्य, या जो भुगतान किया जाता है; ऋण, दायित्व, या कर्तव्य का निर्वहन; दावे की संतुष्टि; प्रतिदान; किसी वादे की पूर्ति या किसी कार्य के निष्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है।

समझौता; देय राशि का भुगतान।

कानूनी चिंतन में, भुगतान धन या उसके समकक्ष की डिलीवरी द्वारा एक दायित्व का निर्वहन है, और आम तौर पर अनुबंध के लिए दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है।

120.5 . महत्वपूर्ण रूप से, "भुगतान", जैसा कि धारा 30 (2) के खंड (बी) और विनियमन 38 (1) द्वारा परिकल्पित है, "राशि" का है। वह शब्द।

" राशि को इसके संज्ञा रूप में वेबस्टर के थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी (पृष्ठ 72 पर) में लेखांकन की भाषा में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः -

" 3 लेखाः मूल राशि और उस पर ब्याज "

121. बहस के तहत प्रावधानों को लेते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 30 की उप-धारा (2) के अनुसार, समाधान योजना में कुछ भुगतानों का प्रावधान होना चाहिए; और उनमें से पहला दिवालिया समाधान प्रक्रिया है। लागतें। "भुगतान" की एक कार्रवाई जो धन की डिलीवरी या दायित्व के निर्वहन में स्वीकार की गई अन्य मूल्यवान चीज़ द्वारा किसी दायित्व का निर्वहन है, कोई भी तुरंत ध्यान दे सकता है कि दिवालिया समाधान प्रक्रिया की लागत का भुगतान करने का प्रस्ताव धन के अलावा किसी भी रूप में करना बेतुका होगा। इस तरह का भुगतान केवल पैसे के संदर्भ में होना चाहिए। फिर खंड (बी) आता है जिसके तहत समाधान योजना परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करना है और न्यूनतम मात्रा 'भुगतान की जाने वाली राशि' या 'उस राशि के संदर्भ में निर्दिष्ट की जाती है जो

संहिता की धारा 53 के अनुसार परिसमापन और/या वितरण की घटना के संदर्भ में भुगतान किया गया होगा। यहां फिर से, यदि धन के अलावा किसी अन्य माध्यम से परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए कोई प्रस्ताव सुझाया जाता है, और वह भी कॉर्पोरेट देनदार से अलग की जाने वाली अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं में इक्विटी के रूप में, तो यह परिचालन लेनदारों के ऋणों को छोड़ना नहीं होगा, लेकिन उन्हें केवल निगमित देनदार या उसके उत्तराधिकारी संस्थाओं से चिपकाकर रखा जाएगा। भुगतान का ऐसा

तरीका कम से कम दिवाला समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है। समान विशेषताएँ, आवश्यक विविधताओं के साथ,

यह धारा जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर की उप-धारा (2) के खंड (बी) के दूसरे भाग पर लागू होगा।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

30 असहमत वित्तीय लेनदारों के संबंध में। परिचालन लेनदारों के साथ-साथ असहमत वित्तीय लेनदारों को संहिता की धारा 53 के संदर्भ में निर्धारित की जाने वाली राशि के संदर्भ में भुगतान किया जाना है और प्राथमिकता के साथ भुगतान किया जाना है, जैसा कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 38 (1) में वर्णित है।

121.1 . इसलिए, जब संहिता की धारा 30 (2) के खंड (बी) के दूसरे भाग में उल्लिखित दायित्व के निर्वहन के उद्देश्य से, असहमत वित्तीय लेनदारों को संहिता की धारा 53 के तहत प्राप्य परिसंपत्तियों की "आय" के संदर्भ में एक "राशि" का "भुगतान" किया जाना है और "देय राशि" को उनके सहमति देने वाले समकक्षों की तुलना में प्राथमिकता में "भुगतान" किया जाना है, तो कानून केवल धन राशि का उल्लेख कर रहा है, न कि किसी और चीज का। प्रावधान के ढांचे और उद्देश्य और संहिता की योजना में, "भुगतान" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से वर्णनात्मक है।

दायित्व के निर्वहन की कार्रवाई और साथ ही, ऐसी कार्रवाई करने के तरीके के बारे में भी निर्देशात्मक है। और, वह कार्रवाई केवल धन की मात्रा को सौंपने की हो सकती है, या असंतुष्ट वित्तीय लेनदार की पात्रता के अनुसार प्रतिभूति ब्याज को लागू करके इस तरह के धन की वसूली की अनुमति दी जा सकती है।

121.2 . हम यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि असहमति होने की स्थिति में

प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के माध्यम से राशि की वसूली, असहमत वित्तीय लेनदार मौद्रिक संदर्भ में "देय राशि" प्राप्त करने का हकदार है न कि किसी अन्य अवधि में।

122. अन्य प्रावधानों के पाठ के साथ-साथ संहिता की योजना से भी उभरने वाले संकेत इस प्रभाव के लिए हैं कि समाधान आवेदक, समाधान योजना के अनुमोदन के साथ, एक स्पष्ट स्लेट पर आगे बढ़ना है।

83 हालांकि यह स्पष्ट है, लेकिन किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लेनदार को असहमत करके धन वसूली के उद्देश्य से यहां संदर्भित "प्रतिभूति ब्याज" केवल ऐसा प्रतिभूति ब्याज होगा जो "वित्तीय ऋण" से संबंधित है और किसी अन्य ऋण या दावे से संबंधित नहीं है।

ऐसे ऋणों का भार वहन करने के बजाय जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है (आवश्यक सीमा तक) और फिर हटा दिया गया। "भुगतान" और "भुगतान की जाने वाली राशि", जब संहिता के उद्देश्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में और प्रचार पर पढ़ा जाता है, तो हमारे विचार में, ये अभिव्यक्तियाँ केवल अपने सामान्य अर्थ को व्यक्त करती हैं, जैसा कि सामान्य व्यावसायिक बोलचाल में समझा जाता है, यानी केवल धन की डिलीवरी; और इन अभिव्यक्तियों को "धन की डिलीवरी या इसके समकक्ष" के अर्थ को व्यक्त करने के लिए समझने का कोई कारण नहीं है।

123. आई. आर. पी. की ओर से तर्कों की एक अच्छी लंबाई समर्पित है

यह मत कि सी. ओ. सी. धारा 30 की उप-धारा (4) में प्रस्तावित वितरण का तरीका मानता है और वितरण का ऐसा तरीका उचित और न्यायसंगत होना चाहिए, जैसा कि धारा 30 (2) के खंड (बी) के स्पष्टीकरण 1 में समझाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि विधायिका का इरादा "भुगतान" शब्द का एक निर्धारित अर्थ है, यानी केवल धन के भुगतान के माध्यम से भुगतान करना है, तो इसे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

खंड (ख) का स्पष्टीकरण 1 जो यह प्रावधान करता है कि खंड (ख) के तहत परिचालन और असहमत वित्तीय लेनदारों को वितरण उचित और उचित होगा।

"भुगतान" और "भुगतान की जाने वाली राशि" अभिव्यक्तियों का अर्थ प्रदान नहीं करता है। इन और समान प्रकृति के अन्य तर्कों को केवल खारिज किया जा सकता है। 123.1 . आई. आर. पी. की ओर से असंतुष्ट वित्तीय लेनदार के खिलाफ ऋणदाताओं की समिति की बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाने के लिए रोक लगाने का सुझाव देना भी निराधार है। यह सरल कारण है कि कोई भी रोक-टोक संहिता की धारा 30 (2) (बी) के संदर्भ में भुगतान प्राप्त करने के लिए असंतुष्ट वित्तीय लेनदार के वैधानिक अधिकार के खिलाफ काम नहीं कर सकता है।

123.2 . प्रस्तुत करना कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुमति दी गई है

उस तरीके से धन का "भुगतान" किया जा सकता है और अन्य वित्तीय लेनदार जो धन के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उन्हें नकद में भुगतान प्राप्त होगा। इस तरह की व्याख्या न केवल शब्दों को पढ़ना होगा, बल्कि वैधानिक प्रावधानों में वाक्यांशों और प्रावधानों को भी पढ़ना होगा, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 123.3 . इसी तरह, यह सुझाव कि सरकार और सरकारी निकाय, जिन्हें कानून द्वारा इक्विटी या भूमि के साथ ऋण की अदला-बदली करने की अनुमति नहीं है, उन्हें धन के रूप में भुगतान करना होगा और उस हद तक, धारा 30 (2) के खंड (बी) के पहले भाग में "भुगतान" का अर्थ प्रासंगिक रूप से अलग होगा, फिर से प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

भुगतान के तरीके के कई उप-संप्रदाय, जबकि ऐसा कोई भेदभाव या वर्गीकरण संदर्भ के तहत प्रावधानों या संहिता में निहित किसी अन्य प्रावधान में इंगित नहीं किया गया है।

123.4 . असहमति रखने वाले को भुगतान करके सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने के बारे में कई सुझाव हैं।

कमियां हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई. बी. सी. की योजना में, एक संकल्प योजना को तभी अनुमोदित किया जाता है जब सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के बहुमत से मतदान किया जाता है। जाहिर है, असंतुष्ट संप्रदाय सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से का 34 प्रतिशत या उससे कम है। यहां तक कि जब ऋणदाताओं की समिति में कम से कम दो तिहाई की राय रखने वाले वित्तीय ऋणदाता समाधान योजना के साथ यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं, तो कानून शेष (जिनके पास मतदान का 34 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं होगा) को अपनी बकाया राशि का भुगतान करते हुए इस यात्रा को नहीं करने बल्कि उतरने का अधिकार प्रदान करता है। यहां तक कि यह उतरना भी उन्हें कॉर्पोरेट देनदार में पूरे निवेश के धन के लिए समय मूल्य की गारंटी नहीं देता है; उन्हें जो मिलता है वह संहिता की धारा 53 के संदर्भ में केवल परिसमापन मूल्य है। बेशक, संहिता के तहत सी. आई. आर. पी. की योजना में, असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को, जो कुछ भी उनके लिए उपलब्ध है, अपने सहमति देने वाले समकक्षों की तुलना में प्राथमिकता में मिलता है। वैधानिक [2021] 12 एस. सी. आर. की दी गई योजना में।

प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय लेनदारों के इन दो अलग-अलग संप्रदायों को सौंपे जाने वाले व्यवहार की तुलना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सहमति देने वाले वित्तीय लेनदारों की ओर से की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के उप-खंड (2) के दूसरे भाग में निहित प्रावधान (धारा 53 के साथ पढ़ा गया), हमारे विचार में, "भुगतान" अभिव्यक्ति केवल धन के भुगतान को संदर्भित करती है और नहीं वस्तु-विनिमय की प्रकृति में इसके समतुल्य कुछ भी; और उस संबंध में समाधान योजना में एक प्रावधान किया जाना आवश्यक है, चाहे वह प्रत्यक्ष धन के संदर्भ में हो या प्रतिभूति हित के

प्रवर्तन के साथ धन वसूली के संदर्भ में, निश्चित रूप से, प्राथमिकता के क्रम से संबंधित अन्य प्रावधानों के साथ-साथ उचित और न्यायसंगत वितरण के अनुसार। हम इस परिदृश्य पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि क्या असहमत वित्तीय लेनदार स्वयं अपने भुगतान के निर्वहन के किसी अन्य तरीके को स्वीकार करने का विकल्प चुनता है।

एन. सी. एल. टी. के निर्णय के बारे में जहां समाधान योजना में प्रस्ताव, असहमत वित्तीय लेनदारों के प्रति दायित्व को पूरा करने के तरीके से संबंधित है, अस्वीकृत कर दिया गया है। एन. सी. एल. टी. के निर्णय का वह हिस्सा असाधारण है और इसे मंजूरी दी गई है। 126. हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों से संबंधित समाधान योजना की शर्तों को अस्वीकार करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस धारणा पर आगे बढ़ा कि उल्लंघन करने वाली शर्तें जेपी केंसिंगटन बोलिवर्ड के हित में हो सकती हैं।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

योजना की मूल संरचना को बदले बिना संशोधित किया जाएगा और फिर इस तरह के संशोधन करने के लिए यह प्रावधान किया जाएगा कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार बैंक को किश्तों में भुगतान किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसा कर सकता था? इसका उत्तर केवल नकारात्मक है।

127. जैसा कि बिंदु ए (ऊपर) में देखा और आयोजित किया गया है, न्यायनिर्णायक

129. पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि हालांकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने व्यवहार को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है समाधान योजना में आईसीआईसीआई बैंक जैसे असहमत वित्तीय लेनदार ने समाधान योजना की शर्तों को संशोधित करने और समाधान आवेदक को आवश्यक संशोधन करने का अवसर देते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस नहीं भेजने में गलती की है।

130. यहाँ ऊपर जो चर्चा की गई है और आयोजित की गई है, हम देखते हैं

समाधान आवेदक द्वारा आक्षेपकर्ता बैंक को दी जा रही भूमि के विशेष भागों से संबंधित सुझावों और विवादों के अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं है। इन पहलुओं को अनावश्यक [2021] 12 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया गया है।

एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि संहिता की धारा 53 के साथ पठित धारा 30 (2) (बी) द्वारा परिकल्पित भुगतान मौद्रिक संदर्भ में होना चाहिए न कि किसी भी संदर्भ में।

अन्य मोड।

प्वाइंट ई सावधि जमा धारकों से संबंधित मामले

131. जहां तक सावधि जमा धारकों को भुगतान का संबंध है, यह देखा गया है कि समाधान योजना में 100% के लिए अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। सावधि जमा धारक जिनके दावे निम्नलिखित शर्तों में स्वीकृत वित्तीय ऋण का हिस्सा बन रहे थे (संबंधित योजना की अनुसूची 2)

कार्यान्वयन के लिए कदम): -

" VIII. चरण 7: एफ. डी. धारकों को भुगतान अनुमोदन तिथि के बाद, एफ. डी. धारकों के स्वीकृत वित्तीय ऋण का निपटान 100% का अग्रिम भुगतान करके किया जाएगा।

अनुमोदन तिथि से 90 दिनों के भीतर लेकिन सी. आई. आर. पी. लागत और स्वीकृत परिचालन के भुगतान के बाद उनका मूल बकाया

कर्ज।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत वित्तीय ऋण का हिस्सा बनने वाले एफ. डी. धारकों के दावों के अलावा, कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।

किसी अन्य एफ. डी. धारक को दिया गया।

132. सी. ओ. सी. की दिनांकित 07.12.2019 की बैठक के कार्यवृत्त से यह भी देखा गया है कि सावधि जमा धारकों के अधिकृत प्रतिनिधि ने समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख तक प्राप्त दावों का सम्मान करने के लिए प्रस्तुतियाँ कीं, जो निम्नानुसार दर्ज की गई थीं: -

" एफ. डी. धारकों को भुगतान: सावधि जमा ("एफ. डी".) धारकों के अधिकृत प्रतिनिधि ("ए. आर".) ने सी. ओ. सी. को प्रस्तुत किया कि एफ. डी. दावा करता है।

नवीनतम सी. ओ. सी. के अनुसार 29 करोड़ रुपये तक बढ़ गए हैं।

पुनर्गठन दिनांक 30.11.2019 और दोनों समाधान आवेदक

एफ. डी. धारकों के लिए 28 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसका भुगतान अनुपात के आधार पर किया जाएगा, इसलिए एफ. डी. धारकों के लिए मूल राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा। एफ. डी. धारकों के ए. आर. ने सी. ओ. सी. से अनुरोध किया कि समाधान योजना

अनुमोदन तिथि तक एफ. डी. धारकों से प्राप्त सभी दावों का समाधान आवेदनकर्ताओं द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए ताकि एफ. डी. धारकों द्वारा किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी से बचा जा सके।"

133. हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने अपने आदेश के पैराग्राफ 125 में समाधान योजना की उक्त अवधि को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ाया है जैसा कि जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सी. ओ. सी. और यह प्रावधान किया गया है कि समाधान आवेदक दावा न किए गए सावधि जमा धारकों के बकाया को भी चुकाने का प्रावधान करेगा जब वे दावा करेंगे और ऐसा अधिकार तब तक लागू रहेगा जब तक वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दावा करने के हकदार थे। 134. समाधान योजना की शर्तों के उपरोक्त संशोधन को एनबीसीसी द्वारा इस दलील के साथ चुनौती दी गई है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के ऐसे निर्देश पूरी तरह से अनुचित हैं और इससे परे हैं।

एस्सार स्टील (ऊपर) में इस न्यायालय का आदेश। हमारे विचार में, एन. बी. सी. सी. की दलीलें स्वीकार की जानी चाहिए।

135. निगमित दिवाला समाधान के लिए प्रक्रिया की योजना में, संहिता की धारा 13 में प्रारंभिक रूप से यह प्रावधान किया गया है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक आवेदन को स्वीकार करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, स्थगन घोषित करने के अलावा

और एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत और 'धारा 15 के तहत दावों को प्रस्तुत करने के लिए कॉल' की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए भी आवश्यक है। धारा 15 के अनुसार, सार्वजनिक घोषणा में सामग्री जानकारी में, अन्य बातों के साथ-साथ, 'दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है' शामिल होनी चाहिए। आई. आर. पी. को धारा 18 के तहत कई कर्तव्यों का आदेश दिया गया है और उसके खंड (बी) के अनुसार, उसे 'धारा 13 के तहत की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करना और उनका मिलान करना है और

135.1. संहिता और संबंधित विनियमों में प्रदान की गई समयसीमा का पालन और आवश्यकताओं का समयबद्ध अनुपालन समाधान की पूरी प्रक्रिया के लिए मौलिक; और यदि कोई दावा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह आई. आर. पी. द्वारा तैयार किए जाने वाले सूचना ज्ञापन का हिस्सा नहीं बन सकता है और जाहिर है, यह समाधान आवेदक और ऋणदाताओं की समिति के विचार में भी नहीं आएगा। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की योजना में, एक समाधान आवेदक से किसी भी

लेनदार या जमाकर्ता के संबंध में प्रावधान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो [2021] 12 एस. सी. आर. बनाने में विफल रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विनियमन 12 द्वारा अनुमत समय और विस्तारित समय के भीतर एक दावा। एस्सार स्टील (उपरोक्त) में, 'व्यक्तिगत गारंटी और अनिर्णित दावों को समाप्त करने' विषय पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने एन. सी. एल. टी. के फैसले के उस हिस्से को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अन्य दावे, जो समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय द्वारा गुण-दोष पर तय किए गए दावों के अलावा मौजूद हो सकते हैं।

न्यायाधिकरण, धारा के संदर्भ में एक उपयुक्त मंच में निर्णय लिया जा सकता है

60 (6) कोड से। इस न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि एक समाधान आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अचानक अनिर्णित दावों का सामना करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है; और संहिता की योजना में, सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और उसके द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि समाधान आवेदक एक नई प्लेट पर आगे बढ़ सके। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

" 107. इसी कारण से, यह अभिनिर्धारित करने में विवादित एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय कि ऐसे दावे मौजूद हो सकते हैं जो समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा गुण-दोष पर तय किए गए दावों के अलावा हो सकते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण पर अब एक उपयुक्त मंच द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में, संहिता की धारा 31 के औचित्य के खिलाफ भी है। एक सफल संकल्प

आवेदक को अचानक "अनिर्णित" दावों का सामना नहीं करना पड़ सकता है

उनके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह एक हाइड्रा हेड पॉप अप के बराबर होगा जो एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा देय राशि को अनिश्चितता में डाल देगा जो सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट के व्यवसाय को संभाल लेगा।

ऋणी। सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता चल सके

वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि यह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह है सफलता

समाधान आवेदक एक नए स्लेट पर करता है, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर बताया है। इन कारणों से, एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय भी होना चाहिए। इस हिसाब से अलग रखा जाए "।

135.2 . यह किसी के मामले में नहीं हुआ है कि विचाराधीन प्रक्रिया में, धारा 13,15 और 18 की किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

अनुपालन किया। यह भी किसी का मामला नहीं रहा है कि किसी भी सावधि जमा धारक द्वारा निर्धारित समय के भीतर किए गए किसी भी दावे को आईआरपी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था।

136. दी गई तथ्य स्थिति में और इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को ध्यान में रखते हुए, हम पैराग्राफ जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर में निहित निर्देशों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश। उन निर्देशों की आवश्यकता है

नेतृत्व किया।

प्वाइंट एफ निगम की सहायक कंपनी के वित्तीय लेनदार की आपत्तियाँ

आर

137. निर्विवाद रूप से, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के पास जे. एच. एल. में 100% इक्विटी होल्डिंग है, जिसके उत्तर प्रदेश में तीन चालू अस्पताल हैं। जे. एच. एल. की हिस्सेदारी का काफी हिस्सा इसके ऋणदाताओं के पास है। समाधान योजना में, एनबीसीसी ने प्रस्तावित किया है

डी से जेएचएल इस प्रकार है: -

" चूंकि, जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड की अधिकांश हिस्सेदारी पहले से ही जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के ऋण को सुरक्षित करने के लिए अस्पतालों को ऋणदाताओं को देने का वादा किया गया है, इसलिए इसके लिए बोलियां आमंत्रित करके जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड की पूरी हिस्सेदारी का विनिवेश करने और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त भुगतान के बिना जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के बकाया ऋण दायित्वों के निपटान के लिए विनिवेश निधि का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के ऋणदाताओं के पक्ष में सृजित जे. आई. एल. (जे. आई. एल. द्वारा रखे गए जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयर) की शेयरधारिता पर प्रतिज्ञा इस समाधान योजना के संदर्भ में इसकी मंजूरी के तुरंत बाद जारी की जाएगी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना। इस तरह की रिहाई अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित पुनर्भुगतान पर विचार करेगी।

जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के ऋणदाताओं का बकाया ऋण। इस तरह के पुनर्भुगतान में कोई जुर्माना या शुल्क शामिल नहीं होगा जिसमें पूर्व भुगतान जुर्माना, दंड शुल्क आदि शामिल हैं। आगे बढ़ने के लिए

उपरोक्त उद्देश्य के अनुसार जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के ऋणदाता जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड की परिसंपत्तियों के साथ सौदा करने या निरंतर व्यवसाय में प्रतिकूल हस्तक्षेप करने के हकदार नहीं होंगे। जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड का संचालन किसी भी तरह से

(प्रतिज्ञा, बंधक, आदि), संचालन और रखरखाव में प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के साथ समझौते या कोई अन्य समझौते जो जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के पूरे या पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा निपटाने का प्रभाव रखते हैं, कोई भी कार्रवाई करते हैं जिसके लिए अन्यथा जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयरधारकों की सहमति की आवश्यकता होती है या कोई भी [2021] 12 एस. सी. आर. लेते हैं।

अन्य कदम जो प्रस्तावित उपचार के विपरीत हो सकते हैं

इस समाधान योजना के तहत जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड।

इसके अलावा, समाधान आवेदक के पास जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी को एक ट्रस्ट में स्थानांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता को प्रेरित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित है। इस तरह के न्यास का निपटान निगमित देनदार द्वारा किया जाएगा, न्यास का लाभार्थी होगा

समाधान आवेदक और न्यासी एक पेशेवर इकाई होगी (समाधान आवेदक द्वारा नियुक्त की जाएगी)। न्यास की संपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ न्यास की पूरी हिस्सेदारी भी शामिल होगी। जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड में कॉर्पोरेट देनदार।

138. जे. एच. एल. के वित्तीय लेनदार होने के नाते आक्षेपकर्ता यस बैंक लिमिटेड ने इस तरह की शर्तों और प्रस्तावों के संबंध में आपत्तियां उठाई थीं। यह कहते हुए कि इसके देनदार जे. एच. एल. की परिसंपत्तियों को इस समाधान योजना में नहीं निपटाया जा सकता था। हालांकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस तरह की आपत्तियों को विचार के लिए लिया, लेकिन कहा कि प्रस्ताव

इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। 139. आक्षेपकर्ता यस बैंक ने आदेश के उपरोक्त भाग पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि एनबीसीसी के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण गलत धारणाओं पर आपत्तियों पर विचार करने में विफल

रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना वैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों में हस्तक्षेप करती है

जे. एच. एल. के ऋणदाता, जो प्रभावी रूप से तीसरे पक्ष हैं और जे. आई. एल. के सी. ओ. सी. के सदस्य नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जे. एच. एल. के पूरे उपक्रम और व्यवसाय का हस्तांतरण, इक्विटी की बिक्री की आड़ में, सी. आई. आर. पी. विनियमों की धारा 18 (एफ) के साथ इसके स्पष्टीकरण (बी) और विनियमन 37 (ए) के अनुसार अनुमेय नहीं है, जिसके तहत समाधान योजना केवल निगमित देनदार की परिसंपत्तियों तक ही सीमित है। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम के मामले सहित विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में। भारत संघ और एएनआर। : (2012) 6 एस. सी. सी. 613, यह प्रस्तुत किया जाता है कि होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी के उपक्रम या व्यवसाय की मालिक नहीं है, भले ही उसके पास उसमें सभी शेयर हों। यह भी तर्क दिया जाता है कि जे. एच. एल. का सी. आई. आर. पी. स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाना चाहिए क्योंकि एन. बी. सी. सी. द्वारा सुझाए गए तरीके से व्यवसाय या उपक्रम की बिक्री जे. एच. एल. के लेनदारों के अपने वैध बकाया की वसूली के अधिकारों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करती है। यह अभी तक प्रस्तुत किया गया है कि जे. आई. एल. के शेयर, कॉर्पोरेट देनदार, जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर की प्रतिज्ञा के अधीन हैं।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जे. एच. एल. के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा बनाई गई और समाधान योजना जे. एच. एल. के ऋणदाताओं को प्रदान किए गए सुरक्षा ब्याज को एकतरफा रूप से समाप्त नहीं कर सकती है, जो जे. आई. एल. के लेनदार नहीं हैं और इसलिए जे. आई. एल. के सी. ओ. सी. का हिस्सा नहीं हैं। यह आक्षेपकर्ता बैंक प्रस्तुत करता है कि समाधान योजना जे. एच. एल. द्वारा किए गए कुल ऋण और प्रतिभूतियों या बोझों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो कि जे. एच. एल. द्वारा अपनी परिसंपत्तियों पर बनाए गए शेयरों के 63.65% की सीमा तक है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि इस आक्षेपकर्ता बैंक को जे. एच. एल. के खिलाफ एन. सी. एल. टी. की इलाहाबाद पीठ के समक्ष अपनी अपील जारी रखने की अनुमति दी जाए और जे. एच. एल. और इसकी संपत्तियों से संबंधित समाधान योजना के हिस्से को हटा दिया जाए।

139.1 . यह देखा गया है कि उपरोक्त और अन्य प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आक्षेपकर्ता यस बैंक ने इसके लिए अपना प्रस्ताव दिया है - अपील ज्ञापन के पैराग्राफ 7 के उप-पैराग्राफ "एफएफ" और "जीजी" में कुछ शर्तों के साथ एक व्यवहार्य तंत्र विकसित करना, जो नीचे दिया गया है: -

" एफ. एफ. उपर्युक्त में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और वर्तमान कार्यवाहियों में उठाए गए निम्नलिखित कानूनी आधारों पर, अपीलकर्ता समाधान आवेदक के हितों सहित सभी इच्छुक पक्षों के सर्वोत्तम हित में और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण की भावना से

अभी भी समाधान आवेदक के साथ काम करने के लिए तैयार है

कार्यशील समाधान ताकि जे. एच. एल. परिसंपत्तियों का समय पर मुद्रीकरण किया जा सके। बशर्ते, प्रत्यर्थी संख्या 2/समाधान आवेदक अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए गए प्रस्तावों और सुरक्षा उपायों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। संक्षिप्तता के लिए, एक व्यवहार्य तंत्र के लिए अपीलार्थी का प्रस्ताव एल. डी. के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों में निर्धारित किया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, जिसे नीचे दोहराया गया है:

(i) वाई. बी. एल. के नेतृत्व में जे. एच. एल. के ऋणदाता एक व्यवहार्य खरीदार खोजने के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक उपाय करेंगे।

जेएचएल इकाइयों पर पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से।

(ii) उपरोक्त उद्देश्य के लिए, जे. एच. एल. ऋणदाताओं को एक सूचना ज्ञापन तैयार करने, संभावित से बोलियां लेने की अनुमति दी जाएगी।

खरीदार, स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिष्ठित निवेश नियुक्त करें

जे. एच. एल. मुद्रीकरण की प्रक्रिया को चलाने के लिए बैंकर।

((iii) इसे पूर्ण सहयोग के माध्यम से करने का प्रस्ताव है।

जे. आई. एल. के आर. पी. के साथ-साथ जे. एच. एल. के बोर्ड और प्रबंधन से कुशल और कुशल संचालन के लिए सूचना और जुड़ाव महत्वपूर्ण होगा।

प्रभावी बिक्री प्रक्रिया।

(iv) जे. एच. एल. ऋणदाता आई. आर. पी., श्री जैन और शेयर के साथ संपर्क करेंगे।

आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. के साथ समय-समय पर कदमों की स्थिति।

(v) हिस्सेदारी के लिए एक बिक्री समिति का गठन

जे. एच. एल. की बिक्री के लिए जे. एच. एल. और एन. बी. सी. सी. के ऋणदाता;

(vi) किसी विशेष खरीदार की बोली स्वीकार करने का निर्णय

एन. बी. सी. सी. और वाई. बी. एल. (की ओर से) के सर्वसम्मत मत द्वारा लिया जाएगा।

जे. एच. एल. के ऋणदाताओं का);

(vii) बिक्री प्रक्रिया को माननीय द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा।

एन. सी. एल. टी. और नवीनतम 30 जून, 2020 तक और इस समय तक

जेएचएल के ऋणदाता बनाम जेएचएल की परिसंपत्तियों के साथ-साथ जेएचएल की गिरवी

जे. एच. एल. ऋणदाताओं के पक्ष में शेयर (जे. आई. एल. द्वारा निवेश के रूप में रखे गए)

अक्षुण्ण रखें;

(viii) जेएचएल के सफल विनिवेश की स्थिति में,

विनिवेश निधियों का उपयोग जेएचएल के ऋण के निपटान के लिए किया जाएगा। मौजूदा समाधान योजना के अनुसार प्राथमिकता में ऋणदाता;

(xi) उपरोक्त अवधि के दौरान, 30 जून, 2020 तक,

जे. एच. एल. ऋणदाताओं के अधिकारों को लागू करने पर रोक लगाएँ

जे. आई. एल. द्वारा शेयर गिरवी सहित जे. एच. एल. में रखी गई प्रतिभूतियाँ;

(x) क्या बिक्री को अभी भी 30 जून, 2020 से पहले अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए,

कार्यवाही), फिर प्रतिज्ञा के प्रवर्तन पर रोक जे. एच. एल. के शेयरों के साथ-साथ अन्य परिसंपत्तियां भी उठा ली जाएंगी; और

(xi) इसके बाद, जे. एच. एल. ऋणदाताओं को लागू करने के सभी अधिकार होंगे।

जे. एच. एल. के खिलाफ अपनी प्रतिभूतियों को अपने बकाया की वसूली के लिए जिसमें शामिल हैं

लेकिन प्रतिज्ञा के प्रवर्तन, और, या निरंतरता तक सीमित नहीं है

जे. एच. एल. के खिलाफ सी. आई. आर. पी.

जीजी। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपरोक्त को स्वीकार करने के लिए सहमत है

तंत्र तब अपीलार्थी अपने उपचारों के लिए दबाव नहीं डालेगा

जहां तक योजना जे. एच. एल. परिसंपत्तियों से संबंधित है, उसे काटना आवश्यक है। और अलग रख दें। "

140. जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक संकल्प आवेदक के रूप में,

सी कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन एक स्लेट पर प्राप्त करने का हकदार है (जैसा कि एस्सार स्टील के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है); और जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

व्यवसाय और इसलिए, जे. एच. एल. की पूरी हिस्सेदारी को किसी तीसरे पक्ष और/या किसी ऐसे न्यास को बेचने का प्रयास करता है जिसके पास स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय की आवश्यकताओं से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता होगी। संहिता की धारा 18 (एफ) (वी) के संदर्भ में यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों में प्रतिभूतियां और किसी भी सहायक कंपनी में रखे गए शेयर शामिल हैं। और सहायक कंपनी के शेयरों को उसकी पुस्तकों में मूल कंपनी की परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है, जैसा कि वोडाफोन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

140.1. उपरोक्त के अलावा, एनबीसीसी ने संदर्भित किया है

दिनांकित 03.03.2020 आदेश पारित करने से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही और यह इंगित किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण,

इसके दिनांक 04.02.2020 के आदेश में कहा गया है कि एनबीसीसी और यस बैंक के बीच एक समझौता हो सकता है और इसके अनुसार, यस बैंक और एनबीसीसी ने जेएचएल के शेयरों की बिक्री के तंत्र पर चर्चा करने के लिए 06.02.2020 पर एक बैठक की और उसके बाद, 07.02.2020 पर, जेएचएल के शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव यस बैंक द्वारा दिया गया था, जिसे एनबीसीसी ने अपने दिनांक 14.02.2020 के ईमेल में कहा था कि "एनबीसीसी एक समिति के गठन के लिए सहमत है जो एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की मंजूरी के बाद जेएचएल की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।" इस प्रकार, एन. बी. सी. सी. के अनुसार, जे. एच. एल. शेयरों की बिक्री के तरीके पर पक्षों के बीच एक समझौता हुआ है। यह

समाधान योजना, हमें इस संबंध में आगे कुछ भी कहने का कोई कारण नहीं मिलता है और हम पक्षों को सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में एक व्यवहार्य समाधान निकालने के लिए छोड़ देंगे; और उस उद्देश्य के लिए, पक्षकार संबंधित, यदि आवश्यक हो, तो प्रक्रिया के तरीके और तौर-तरीकों के संबंध में एन. सी. एल. टी. से उचित आदेश ले सकते हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

142. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इसे आवश्यक नहीं मानते हैं

निर्धारण के लिए इस बिंदु पर किसी भी अन्य निष्कर्ष को प्रस्तुत करें, सिवाय इस अवलोकन के कि समाधान योजना अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों से संबंधित है, न कि इसकी सहायक जे. एच. एल. की। अलग-अलग शब्दों में कहें तो समाधान योजना जेएचएल के शेयरों से संबंधित है, जिन्हें कॉर्पोरेट देनदार जेआईएल की संपत्ति माना जाता है। जैसा कि देखा गया है, आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है और हम मामले के इस पहलू को केवल उसी पर छोड़ते हैं।

प्वाइंट जी

समझौता धारकों की शिकायतें

143. उचित समझौते/उपबंध के बिना कुछ हस्तांतरणों के संबंध में

पट्टा विलेख और विचार किए बिना, समाधान आवेदक ने निम्नलिखित शर्तों (समाधान योजना का खंड 21 अनुसूची 3) में काउंटर पार्टी के लिए किसी भी संबंधित दायित्व के बिना ऐसे उपकरणों या टर्म शीट को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा था: -

" 21. निगमित ऋणदाता द्वारा किसी भी उचित समझौते/उप-पट्टा विलेख के बिना तीसरे पक्ष को भूमि पार्सल के किसी भी कथित हस्तांतरण के संबंध में और जहां अनुलग्नक जी में सूचीबद्ध भूमि पार्सल सहित निगमित ऋणदाता को अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किया गया है, समाधान आवेदक के पास ऐसे उपकरणों/समझौतों/अवधि पत्रक को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे भूमि पार्सल में स्वामित्व रद्द होने पर बिना किसी दायित्व/दायित्व के निगमित ऋणदाता में कानूनी रूप से निहित रहेगा।

काउंटर-पार्टी "।" "

144. एन. सी. एल. टी. ने पाया है कि जब कोई समझौता अमान्य होता है और उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो किसी अलग शर्त की आवश्यकता नहीं होती है

धारकों ने सक्षम मंच के समक्ष उपचार मांगने का अपना अधिकार खो दिया है। 145. समझौता धारकों ने अपनी अपील में समाधान योजना के इस हिस्से पर सवाल उठाते हुए सी. आई. आर. पी. (09.08.2017) की शुरुआत की तारीख से पहले 01.05.2017 से 08.08.2017 यानी के बीच कॉर्पोरेट देनदार के साथ पांच टर्म शीट/समझौतों का विवरण दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन कार्यकाल पत्रों को सी. ओ. सी. द्वारा अपनी दिनांकित बैठकों में ठीक किया गया था।

10.11.2017 और 28.11.2017 और बाहरी विकास और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आई. आर. पी. के आश्वासन पर, अपीलकर्ताओं ने जे. जे. पी. के. के. एन. एस. आई. एन. टी. एन. बोलिवार्ड ए. पी. ए. आर. टी. एम. एन. टी. ए. का कल्याण किया था।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा अतिरिक्त आंशिक भुगतान। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (ई) के विपरीत है क्योंकि सी. ओ. सी. द्वारा सी. आई. आर. पी. के दौरान टर्म शीट/समझौते वैध पाए गए थे और वे रातोंरात अनुचित समझौते नहीं बन सकते हैं।

केवल संकल्प आवेदक का कहना। अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि यह अभिनिर्धारित करने के बाद भी कि अपीलार्थियों ने एक सक्षम मंच के समक्ष उपचार मांगने का अपना अधिकार नहीं खोया है, समाधान योजना के प्रश्नगत खंड 21 (राहत और रियायतों में) को एन. सी. एल. टी. द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। अपीलार्थियों के अनुसार, इस तरह के खंड वाली अनुमोदित समाधान योजना का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करते हुए कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उनके अधिकारों को छीनना है और

इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (ई) का उल्लंघन है। अपीलकर्ताओं का यह भी कहना है कि संबंधित क्षेत्र की विकास योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा नवीनीकरण किया गया और विकास की स्थिति है

अनिश्चित भी।

145.1 . इन प्रस्तुतियों के साथ, अपीलकर्ताओं ने अपनी प्रार्थना इस तरह से व्यक्त की है कि वे शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं सी-1/ई, सेक्टर 133 नोएडा, जो उनके कब्जे में है, में संपत्ति के संबंध में 1 वर्ष के भीतर और सेक्टर 133 नोएडा में संपत्ति के लिए किए गए भुगतान के समायोजन के साथ सेक्टर 151 नोएडा में भूमि से संबंधित अन्य 4 टर्म शीट/समझौतों को रद्द करना; और बिक्री विलेख को निष्पादित करना और अगले 5 वर्षों के लिए मास्टर प्लान मंजूरी प्राप्त करना। वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थी धन वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं।

उनके द्वारा उचित ब्याज के साथ लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई।

146. इसके विपरीत, एन. बी. सी. सी. का कहना है कि सी. ओ. सी. और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना अपीलार्थियों सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है और किसी

भी मामले में, समाधान योजना में प्रदान की गई राहत ऐसे उदाहरणों तक सीमित है जहां निगम द्वारा कोई उचित समझौते/उप-पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किए गए हैं।

विरोधी पक्षों के साथ ऋणी और इसलिए, अनुच्छेद 300-ए

संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और समाधान योजना में दी गई राहत मनमाना या अनुचित नहीं है। एन. बी. सी. सी. द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 'राहत और रियायतों' के खंड से निपटने के दौरान, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उक्त राहत के संबंध में कोई अनुकूल आदेश पारित नहीं किया है और एन. बी. सी. सी. को समझौते को रद्द करने का अधिकार देते हुए भी, प्रभावित पक्ष के अधिकार को अक्षुण्ण रखा है कि वह किसी सक्षम मामले में समाधान मांगे। फोरम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

147. हमारे विचार में, लेन-देन की प्रकृति और समझौते धारकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को देखते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना में 'राहत और रियायतों' के खंड 21 के परिशिष्ट में की गई टिप्पणियाँ, लेकिन इस पर अतिक्रमण किए बिना

148. इस प्रकार, समाधान योजना की समग्र योजना में, विचाराधीन शर्त को अनुचित नहीं कहा जा सकता है; और टिप्पणियाँ दिनांक 03.03.2020 के आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 132 और 133 में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का निर्णय न्यायसंगत और उचित बना हुआ है। इस संबंध में आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह बिंदु तदनुसार निर्धारित किया जाता है।

प्वाइंट एच अल्पांश शेयरधारकों की शिकायतें

149. विरोध करने वालों का दूसरा समूह निगमित देनदार के गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों का होता है, जिन्हें अल्पसंख्यक भी कहा जाता है।

शेयरधारक। उनकी शिकायत यह है कि समाधान योजना उनके हितों से संबंधित नहीं है और उन्हें एक उचित निकास विकल्प प्रदान नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों ने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से बहुत पहले कॉर्पोरेट देनदार की इक्विटी में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया है; कि उन्होंने कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर वित्तीय विवरणों के आधार पर निवेश किया था, सुझाव देते हुए एक्सप्रेसवे और अन्य भूमि पार्सल सहित विभिन्न परिसंपत्तियों का मूल्यांकन; और निगमित देनदार के पास सभी देनदारियों और हितधारकों के हितों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त और मूल्यवान परिसंपत्तियां हैं।

150. इन शेयरधारकों ने एक मूल्यांकन रिपोर्ट का उल्लेख किया है।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 31.03.2017 पर तैयार किया गया था, यह सुझाव देते हुए कि देनदारियों के लिए लेखांकन के बाद भी, कॉर्पोरेट देनदार की कुल संपत्ति लगभग 7,377 करोड़ रुपये थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. आर. पी. ने स्वयं निगमित देनदार का मूल्यांकन 8,257 करोड़ रुपये किया था, लेकिन एन. बी. सी. सी. 120 करोड़ रुपये की मामूली राशि में कंपनी का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है और प्रति शेयर उचित मूल्य के मुकाबले कुल 1 करोड़ रुपये का भुगतान करके निगमित देनदार की पूरी सार्वजनिक हिस्सेदारी को समाप्त कर रहा है। अनुचित, आनुपातिकता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसके परिणामस्वरूप इन शेयरधारकों के धन का दुरुपयोग होता है, और इसका उपयोग हितधारकों की कीमत पर समाधान आवेदक को समृद्ध करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

150.1 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह योजना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 का उल्लंघन है, जो किसी कंपनी के किसी भी लेनदार या सदस्य के साथ समझौता करने या व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान करती है; कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों को, भले ही सी. ओ. सी. का हिस्सा न हो, किसी भी समझौते या व्यवस्था में जानने और भाग लेने का अधिकार है जो उनके अधिकारों को प्रभावित करता है; कि उन्हें समझौते या व्यवस्था की किसी भी शर्त से असहमत होने का अधिकार है जो उनके अधिकारों को प्रभावित करता है और उस मामले के लिए, उन्हें असंतुष्ट शेयरधारक माना जाएगा, जिन्हें एक उचित निकास विकल्प या अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। एस्सार स्टील (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कितनी राशि का भुगतान करना है, इसका अंतिम निर्णय सी. ओ. सी. के पास हो सकता है, लेकिन निर्णय कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए और परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों को पर्याप्त रूप से संतुलित करने के बाद किया जाना चाहिए।

150.2 . इन अल्पांश शेयरधारकों का आगे तर्क है कि जब आई. बी. सी. का इरादा कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में रखना है,

निगमित देनदार की सार्वजनिक हिस्सेदारी को सूचीबद्ध करने की कार्रवाई उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देती है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीकरण) विनियम, 200984 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार तैयार नहीं की गई है, जिसके लिए आवश्यक है कि स्टॉक एक्सचेंज से शेयरों की सूचीकरण रद्द करने के लिए एक निकास अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

150.3 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि उक्त शेयरधारक सी. ओ. सी. का हिस्सा नहीं थे और उन्हें सी. ओ. सी. की बैठकों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। सी. ओ. सी., उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सभी प्रयास किए और यहां तक कि आई. आर. पी. और समाधान आवेदक को 19.02.2020 दिनांकित नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहा। इन विरोधियों के अनुसार, एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना, सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1 ए) के अनुरूप नहीं है और आई. बी. सी. के इरादे के विपरीत है क्योंकि यह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए थी, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों से संबंधित मामले पर भी विचार नहीं किया है।

150.4 . उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उचित आदेशों की आवश्यकता है 84 इसके बाद इसे 'डीलिस्टिंग रेगुलेशन' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

शेयरधारकों और उत्तरदाताओं को उनके लिए एक उचित निकास योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसके तहत उन्हें एक कीमत दी जाती है।

कम से कम सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के समय शेयरों के बही मूल्य के अनुसार या मौजूदा अल्पांश शेयरधारकों के शेयरों को एन. बी. सी. सी. के शेयरों के साथ बदलने का आदेश जारी किया जाए।

अपील में हालांकि वे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के बारे में जानते थे, जैसा कि उनके वकील द्वारा 19.02.2020 पर भेजे गए पत्र से पता चलता है; और इस स्तर पर मुद्दा केवल अनावश्यक बाधा पैदा करने और पूरी प्रक्रिया में पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए उठाया गया है। 151.1 . जहां तक अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ किए गए व्यवहार की निष्पक्षता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना एक निकास प्रदान करती है।

मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों को ऐसी कीमत पर विकल्प दिया जाता है जो परिसमापन मूल्य से अधिक है और उन्हें 1 करोड़ रुपये का निकास मूल्य दिया जा रहा है, जो प्रवर्तक शेयरधारकों के साथ किए जा रहे व्यवहार के विपरीत है, जिनकी शेयरधारिता को बिना किसी विचार के पूरी तरह से समाप्त और रद्द किया जा रहा है। 151.2 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता के तहत आई. आर. पी. द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित परिसमापन मूल्य लगभग आई. एन. आर. है

17,876 करोड़ रुपये (आरबीएसए के अनुसार) और 17,658 करोड़ रुपये (जीएए के अनुसार), जबकि वित्तीय लेनदारों का कुल ऋण लगभग आईएनआर है। 23,247 करोड़। उपरोक्त परिदृश्य में, एन. बी. सी. सी. के अनुसार, जहां अल्पसंख्यक शेयरधारक किसी भी मूल्य के हकदार नहीं हैं, समाधान योजना, 1 करोड़ रुपये की कीमत पर बाहर निकलने की पेशकश के साथ, न तो अनुचित है और न ही मनमाना है।

151.3 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आई. बी. सी. की योजना में दिवाला समाधान की विशिष्ट और नवीन विधि प्रदान की गई है जिसमें -

2018 के अधिनियम 26 द्वारा लाए गए संशोधन के माध्यम से डब्ल्यू. ई. एफ. 06.06.2018, धारा 30 (2) (ई) का स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसमें शेयरधारकों के मानित अनुमोदन का प्रावधान किया गया है और इसलिए, अल्पसंख्यक शेयरधारकों की ओर से प्रस्तुतियाँ विचार के योग्य नहीं हैं।

अल्पांश शेयरधारकों को असफल होना चाहिए। 153. समाधान योजना से यह देखा गया है कि 31.05.2018 पर संशोधित सूची से हटाए गए विनियमों पर विधिवत ध्यान दिया गया है; जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड के समझौते का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मौजूदा शेयरधारिता को सूची से हटाने और समाप्त करने के लिए कोई भी कदम उसकी अनुसूची 2 में निम्नलिखित शर्तों में काटा गया है: -

" IX. चरण 8: एक्ज़िस्टिंग शेयरहोल्डिंग का विवरण और निष्कर्षण

31 मई, 2018 के डिलिस्टिंग विनियम, जो यह निर्धारित करते हैं कि डीलिस्टिंग विनियमों के तहत प्रक्रिया संहिता के तहत एक अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार किसी भी डीलिस्टिंग के लिए लागू नहीं होती है, यदि: (क) समाधान योजना एक विशिष्ट सूची से हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है; या

(ख) समाधान योजना मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों को परिसमापन मूल्य (जैसा कि आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत निर्धारित दावों की प्राथमिकता के क्रम में लागू होता है) और प्रवर्तकों को भुगतान किए जा रहे निकास मूल्य से अधिक कीमत पर बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करती है।

इस संबंध में, गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों (यानी सार्वजनिक शेयरधारकों) को कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये का निकास मूल्य दिया जाएगा और उसी के अनुसार, उनकी शेयरधारिता समाप्त कर दी जाएगी।

2. डिलिस्टिंग विनियमों के तहत सार्वजनिक शेयरधारकों की परिभाषा के संदर्भ में, मौजूदा प्रवर्तकों को विशेष रूप से अलग किया गया है। तदनुसार, डी-लिस्टिंग के साथ-साथ, कॉर्पोरेट ऋणदाता की जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी जो मौजूदा ऋणदाता के पास है।

प्रवर्तक अर्थात 10 रुपये के अंकित मूल्य के करोड़ इक्विटी शेयर (दस रुपये प्रत्येक) को बुझा दिया जाएगा और पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा।

बिना किसी विचार के।

3. निगमित देनदार के शेयरों को समाप्त किया जा सकता है।

पूँजी कटौती या चयनात्मक पूँजी कटौती के माध्यम से। 4. निगमित देनदार के शेयरों को समाप्त करने के लिए पूंजी आरक्षित खाते में जमा किया जा सकता है।

डी-लिस्टिंग के बाद कॉर्पोरेट देनदार की इक्विटी हिस्सेदारी

और पूँजी कटौती इस प्रकार होगी:

की श्रेणी

% से

शेयरधारक

समता

हिस्सेदारी

िंग

एसपीवी (नया)

एनबीसीसी

100 %

प्रवर्तक)

नील

मौजूदा प्रवर्तक

गैर-प्रवर्तक

नील

शेयरधारक

(सार्वजनिक

शेयरधारक)

कुल जारी किया गया, अभिदान किया गया

100.00 % "

और इक्विटी का भुगतान किया

पूँजी

यह नहीं कहा जा सकता है कि समाधान योजना के अनुरूप नहीं है

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1 ए) की आवश्यकताएँ।

153.1 . जैसा कि देखा गया है, की धारा 30 (2) (ई) के स्पष्टीकरण के माध्यम से

संहिता, यह विधायिका द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अनुमोदन समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की आवश्यकता होती है, ऐसी मंजूरी दी गई मानी जाएगी और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा। अल्पांश शेयरधारकों की ओर से समाधान योजना के खिलाफ आपत्ति उठाने का प्रयास संहिता की धारा 30 (2) (ई) के इस स्पष्टीकरण के विपरीत है।

153.2 . यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आईबीसी की योजना में, केवल

सी. ओ. सी. को दिवाला समाधान की योजना से निपटने और उसे मंजूरी देने का काम सौंपा गया है और एक कॉर्पोरेट देनदार के शेयरधारक, जो पहले से ही ऋणों से जूझ रहे हैं, उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में कोई भागीदारी प्रदान नहीं की गई है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जे. आई. एल. जैसे निगमित देनदार के मामले में, यदि संहिता के अध्याय III के तहत परिसमापन की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, तो शेयरधारकों के वितरण के झरने से ओस की बूंदें भी निकलने की बहुत कम संभावना है।

परिसंपत्तियों का, जैसा कि संहिता की धारा 53 में चित्रित किया गया है, जहां वरीयता शेयरधारक और इक्विटी शेयरधारक प्राथमिकता के क्रम में अंतिम स्थान पर हैं। परिस्थितियों की समग्रता में, जब प्रवर्तकों की हिस्सेदारी है

बिना किसी विचार के समाप्त और पूरी तरह से रद्द किए जाने पर, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए 1 करोड़ रुपये के नाममात्र के निकास मूल्य को भी अनुचित या असमान नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, समाधान योजना में उपरोक्त कदम के संबंध में निर्णय लेनदारों की समिति के व्यावसायिक विवेक का था और न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

लेनदार और सदस्य वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से अक्षम हैं क्योंकि समझौते या व्यवस्था के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है। चिंतन में। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, संहिता के तहत सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही सी. ओ. सी. और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के साथ एक उन्नत चरण में पहुंच गई है।

153.4 . उपरोक्त के अलावा, एन. बी. सी. सी. यह तर्क देने में भी सही प्रतीत होता है कि एक बार समाधान योजना द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आपत्ति करने वाले शेयरधारक, जिन्होंने राशि भी नहीं जुटाई

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कोई भी शिकायत, अब पहली बार, संहिता की धारा 238 के साथ पठित धारा 31 को ध्यान में रखते हुए, समाधान योजना के तहत की गई व्यवस्था पर आपत्ति नहीं कर सकती है, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुमोदित समाधान योजना सभी हितधारकों पर बाध्यकारी होगी और आई. बी. सी. के प्रावधान न केवल कानूनों पर बल्कि ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी साधनों पर भी प्रबल होंगे।

154. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, हमारे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि समाधान योजना अल्पसंख्यकों के हितों से पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं है शेयरधारक। इन शेयरधारकों द्वारा सुझाए गए शिकायतों को कानूनी शिकायतों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है; और उन्हें अपनी आपत्तियों को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का कोई कारण प्रदान नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकों की आपत्तियाँ

शेयरधारक अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

बिन्दु I जे.
आई. एल. के असंतुष्ट घर खरीदारों से संबंधित मामले

155. हम अब एनबीसीसी की समाधान योजना के खिलाफ जेआईएल के घर खरीदारों के एक वर्ग द्वारा उठाए गए मुद्दों को उठा सकते हैं। लेन-देन के लिए

विवादों के इस खंड के साथ, सी. आई. आर. पी. में घर खरीदारों की स्थिति और स्थिति के बारे में थोड़ा सा प्रस्ताव उपयुक्त होगा।

156. यह ध्यान देने के लिए बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि सबसे बड़ी

जे. आई. एल. के परिसमापन की स्थिति में जिन हितधारकों को नुकसान होने की संभावना है और इसके विपरीत, जिन्हें जे. आई. एल. के दिवालिया होने के समाधान के मामले में सहायता मिलने की संभावना है, वे घर खरीदारों के समूह हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को जे. आई. एल. की परियोजनाओं में निवेश किया है। मुकदमेबाजी के पहले दो दौरों में, वे विचार का केंद्र बिंदु रहे थे जहां इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि जे. आई. एल. की दिवाला समाधान प्रक्रिया को आई. बी. सी. के अनुशासन के भीतर आगे बढ़ाया जाए और [2021] 12 एस. सी. आर. की संभावना को दूर किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी. संशोधन द्वारा चित्रा शर्मा के मामले की विचाराधीनता धारा 5 (8) (च) में स्पष्टीकरण को शामिल करने के साथ, घर खरीदारों की स्थिति के बारे में संदेह स्पष्ट हो गए और कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों के रूप में विधिवत मान्यता प्राप्त होने के लिए, घर खरीदारों को अपनी बात मिल गई।

ऋणदाताओं की समिति में। वास्तव में, ऋणदाताओं की समिति में घर खरीदारों के इस तरह के संशोधन और समावेश का वर्तमान मामले में दूरगामी और अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा क्योंकि घर खरीदारों ने एक वर्ग के रूप में, ऋणदाताओं की समिति में आधे से अधिक मतदान हिस्सेदारी के साथ एक प्रमुख दर्जा प्राप्त कर लिया था। जाहिर है, घर खरीदारों की भागीदारी और सहमति के बिना लेनदारों की समिति का कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। जैसा कि देखा गया है, विचाराधीन समाधान योजना को जे. आई. एल. के सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके पक्ष में 97 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था। इस मतदान में घर खरीदारों का मतदान हिस्सा 57 प्रतिशत से अधिक था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि घर खरीदार इस योजना के लिए मतदान नहीं करते, तो संहिता द्वारा आवश्यक वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के न्यूनतम 66 प्रतिशत के साथ इसकी मंजूरी नहीं देखी जाती। सुरक्षा रियल्टी की दूसरी योजना को 3 प्रतिशत से भी कम वोट मिले। यदि दोनों योजनाएं अपेक्षित मतदान हिस्सेदारी (66 प्रतिशत से कम नहीं) जुटाने में असमर्थ थीं, तो इसका एकमात्र परिणाम था

जे. आई. एल. का परिसमापन होता, जिससे प्रत्येक हितधारक बचना चाहता था।

157. संहिता द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया में, जहां सी. ओ. सी. कम से कम 66 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकता है, कुछ वित्तीय लेनदारों की एक स्पष्ट संभावना बनी हुई है। योजना के अनुमोदन के लिए मतदान नहीं करना लेकिन प्रक्रिया की प्रकृति

से, उनका मतदान हिस्सा 34 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उन्हें आसानी से 'असहमत वित्तीय लेनदारों' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। द.

भुगतान के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने के लिए समाधान योजना की आवश्यकता होती है

ऐसे असहमत वित्तीय लेनदारों के ऋण, विशेष रूप से संहिता की धारा 30 (2) (बी) के दूसरे भाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ऐसे प्रावधानों और उनके संचालन से संबंधित सभी विशेषताओं को

असहमत वित्तीय लेनदार के संबंध में बिंदु डी (ऊपर) में जांच की गई, जिसने वास्तव में विचाराधीन योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है। 158. निर्धारण के लिए वर्तमान बिंदु के लिए प्रासंगिक पहलू यह है कि ऐसे असहमत वित्तीय लेनदारों के अलावा, कुछ

घर खरीदारों के संघ और कुछ व्यक्तिगत घर खरीदारों की समाधान योजना के खिलाफ अपनी शिकायतें हैं और वे यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उनके हितों की रक्षा नहीं की गई है और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये असंतुष्ट संगठन और व्यक्ति

घर खरीदार यह तर्क देना चाहते हैं कि समाधान योजना में विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी है; सी. आई. आर. पी. विनियमों का उल्लंघन है; और यह भी है आर. ई. आर. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन और इसलिए, इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। ऐसे विरोधियों का एक समूह इस कारण से अलग तरह से असंतुष्ट है कि उनके अनुसार, जो आवास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं, उन्हें समाधान की इस योजना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, प्रस्ताव आवेदक की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि इन असंतुष्ट घर खरीदारों या संघों को कोई आपत्ति बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है जैसे कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदार होने के नाते क्योंकि घर खरीदारों ने एक प्रस्ताव के रूप में मतदान किया है।

समाधान योजना के पक्ष में वर्ग और संहिता में 'साथ खींचें' प्रावधानों के साथ एक वर्ग के रूप में बाध्य हैं। आपत्तियों को गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया गया है। इन प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों ने निर्धारण के लिए इस बिंदु पर चार अलग-अलग प्रश्नों को तैयार किया है।

विभिन्न अतिव्यापी और दोहराव प्रस्तुतियाँ की गईं; हम यथासंभव प्रोलिक्सिटी से बचते हुए, इसके सार को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 159.1 . यह घर खरीदारों के संघ की ओर से तर्क दिया

जाता है, जिसने अपील दायर की है (2020 की टी. सी. संख्या 243 में) और एक याचिका भी दायर की है।

अन्य संघों द्वारा दायर अपील में हस्तक्षेप आवेदन, कि घर खरीदारों के पास अपील दायर करने का अधिकार है, भले ही वे एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों के एक वर्ग से संबंधित हों, जिन्होंने एनबीसीसी की समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया था। असंतुष्ट घर खरीदारों का यह संगठन प्रस्तुत करता है कि संहिता की धारा 25 ए की उप-धारा (3 ए) का उद्देश्य केवल बड़ी संख्या में लेनदारों के कारण उत्पन्न होने वाली साजो-सामान संबंधी समस्याओं और तकनीकी कठिनाइयों को दूर करना है और केवल यह तथ्य कि 51 प्रतिशत से अधिक घर खरीदारों ने समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया है, कानूनी प्रावधानों को हटा नहीं सकता है।

अपील करने का अधिकार।

159.1. 1 . जहाँ तक शिकायतों के प्रमुख हिस्से का संबंध है, इस संघ की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि विचाराधीन समाधान योजना स्पष्ट रूप से है

यह अवैध है और रेरा और इसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

संहिता की धारा 30 (2) (ई) के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि समाधान योजना लागू अन्य कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए और

केवल इसलिए कि आई. बी. सी. के पास अन्य कानूनों पर एक गैर-अबाधित प्रावधान है [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योजना घर खरीदारों को संशोधित अनुसूची में निर्धारित समय अवधि के भीतर फ्लैट वितरित नहीं होने की स्थिति में धनवापसी मांगने का विकल्प प्रदान नहीं करती है और घर खरीदारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि पर ब्याज के साथ-साथ मुआवजा भी प्रदान नहीं करती है, यदि वे धनवापसी चाहते हैं। इसलिए, इस संघ के अनुसार, यदि मौजूदा समाधान योजना को मंजूरी दी जाती है, तो यह संघ को दिए गए सभी अधिकारों को छीन लेगा। रेरा के तहत घर खरीदार और घर खरीदार एनबीसीसी द्वारा किए गए 'एकतरफा समझौतों' की दया पर निर्भर होंगे और उनके लिए भविष्य में कोई उपाय उपलब्ध नहीं होगा। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना वास्तव में मान्यता देती है

घर खरीदारों को 'स्वीकृत राशि' के हिस्से के रूप में ब्याज राशि का भुगतान किया जाना है, लेकिन यह राशि घर खरीदारों को नहीं दी जाती है।

159.1. 2 . एक अन्य दलील में यह तर्क दिया गया है कि इस अदालत के फैसले के अनुसार जे. आई. एल. को 758 एकड़ भूमि वापस कर दी गई है।

अनुज जैन (उपरोक्त) के मामले में दिनांक 26.02.2020, लेकिन एनबीसीसी भूमि के इस बड़े हिस्से के उपचार और उपयोग के संबंध में समाधान योजना में कुछ भी निर्दिष्ट करने में विफल रहा है, हालांकि इसका उपयोग घर खरीदारों को विलंब दंड/ब्याज प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. बी. सी. सी. को निगमित देनदार की बिना ऋण वाली परिसंपत्तियों की कीमत पर खुद को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस भूमि बैंक का उपयोग अपनी समाधान योजना को रेरा के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

परिसमापन लागत को अभिलेख पर नहीं रखा है और यह लागत समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आवश्यक है। इसलिए सी. आई. आर. पी. के विनियम 39 बी का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। नियम। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन समाधान योजना, जिसकी अनुसूची 3 के खंड 1 और 2 के संदर्भ में एक सशर्त योजना है, को सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 36 ए (7) की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान योजना के रूप में नहीं लिया जा सकता था।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

159.1. 4 . बेशक, जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि के संबंध में, इस संगठन का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए थी

जे. आई. एल. के घर खरीदारों के हित और जे. आई. एल. के कोष का हिस्सा लेकिन, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि जे. ए. एल. के घर खरीदारों के संबंध में कोई अस्पष्टता है और उन्हें भी जे. ए. एल. द्वारा इस प्रकार की गई जमा राशि के तहत शामिल किया जाना है, तो राशि का उपयोग कॉर्पोरेट देनदार और जे. ए. एल. द्वारा अनुपात के आधार पर किया जा सकता है ताकि इन दोनों कंपनियों के घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। यह भी प्रार्थना की गई है कि एन. बी. सी. सी. को 30 दिनों के भीतर निर्माण शुरू करने और पूरी परियोजना को 3 साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया जाए; कि एन. बी. सी. सी. को वापस लेने से रोक दिया जाए; और कि एन. बी. सी. सी. को 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' के नाम पर मनमाने ढंग से वृद्धि के लिए किसी भी अतिरिक्त राशि के साथ घर खरीदारों से शुल्क लेने से प्रतिबंधित किया जाए, जो कि कालीन क्षेत्र में इसी वृद्धि के बिना अवैध होगा।

159.2 . जे. आई. एल. द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के घर खरीदारों की एक अन्य सोसायटी ने दिनांकित आदेश के खिलाफ सीधे इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

03.03.2020 एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित किया गया, और अनिवार्य रूप से व्यथित है कि समाधान योजना में घर खरीदारों को अर्जित किए जाने वाले ब्याज या उनकी जमा राशि पर देरी अवधि के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं है।

159.2. 1 . इस सोसायटी की ओर से भी, 758 एकड़ भूमि से संबंधित उपरोक्त प्रस्तुतियाँ, रेरा के प्रावधानों का उल्लंघन और

'सुपर बिल्ट-अप एरिया' में प्रस्तावित परिवर्तनों पर फिर से जोर दिया जाता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना में जे. आई. एल. के घर खरीदारों के साथ अनुचित व्यवहार का प्रावधान है क्योंकि वे शेष किश्तों का भुगतान करने में चूक की स्थिति में 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन दूसरी ओर, निर्माण में देरी के मामले में उन्हें प्रति माह 5/- रुपये प्रति वर्ग फुट की मामूली देरी मुआवजे की पेशकश की जाती है और इसे कब्जे की डिलीवरी की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही देय बताया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के संदर्भ में "वित्तीय ऋण" "धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण" है, जिसका अर्थ है क्षतिपूर्ति।

159.3 . जैसा कि देखा गया है, दिनांक 03.03.2020 के आदेश के पैराग्राफ 126 में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने किए जाने वाले प्रस्तुतिकरणों को खारिज कर दिया कुछ अन्य घर खरीदारों द्वारा, जिन्होंने खुद को "असहमत" घर खरीदार होने का दावा किया, क्योंकि घर खरीदारों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने समाधान योजना के लिए सहमति दी थी, जबकि [2021] 12 एस. सी. आर.

यह देखते हुए कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष घर खरीदारों के असहमति को सी. ओ. सी. के कुल मतदान के खिलाफ असहमत वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा। इन घर खरीदारों ने एक अलग अपील दायर की है (2020 के टी. सी. नंबर 242 में) जिसमें कई प्रस्तुतियाँ प्रतिस्पर्धा करने वाले संघों के लिए आम हैं। दोहराव से बचने के दौरान, हम अपनी ओर से अन्य सामग्री प्रस्तुतियों पर ध्यान दे सकते हैं।

इन अपीलार्थियों में से-घर खरीदार।

159.3. 1 . इन घर खरीदारों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने और कई अन्य घर खरीदारों ने लगातार इस पर असहमति जताई है।

पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा के रूप में समाधान योजना व्यावहारिक नहीं है और ऐसी स्थिति में धन की वापसी के लिए कोई खंड नहीं है कि निर्माण समय के भीतर पूरा नहीं हुआ है और समाधान योजना को प्रभावी बनाने के लिए सौ प्रतिशत मंजूरी नहीं दी गई है। शिकायत यह है कि

उनका आवेदन एन. सी. एल. टी. द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि घर खरीदारों की ओर से ए. आर. ने समाधान योजना के लिए सहमति दी थी, लेकिन सी. ओ. सी. के समक्ष कार्यवाही और उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्ति पर विचार किए बिना; और उन्हें एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपनी सभी दलीलें देने की भी अनुमति नहीं थी। इन अपीलार्थियों के अनुसार, एन. सी. एल. टी. ने दो असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों यानी एक ओर आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और दूसरी ओर अपीलार्थियों की आपत्तियों पर विचार करते हुए दो मानकों को लागू किया है, जो एक ही वर्ग के लेनदारों के बीच अनुचित भेदभाव के बराबर है। और आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 126 में निष्कर्ष उसी क्रम के पैराग्राफ 100 और 101 में एन. सी. एल. टी. के निष्कर्षों के दांतों में हैं।

159.3. 2 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. ओ. सी. की 16वीं बैठक में, अपनाई जाने वाली समाधान योजना के संबंध में कोई सहमति नहीं थी; और

समाधान योजनाओं के मूल्यांकन में यह पाया गया कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अंकों को देखते हुए सुरक्षा रियल्टी की योजना एनबीसीसी की तुलना में बेहतर थी। अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि सुरक्षा रियल्टी द्वारा समाधान योजना में, मिर्जापुर में 250 करोड़ रुपये की भूमि के हस्तांतरण के माध्यम से निश्चित मुआवजे के रूप में पिछली अवधि से संबंधित विलंब दंड का प्रावधान किया गया था और इस उद्देश्य के लिए, एक न्यास के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था; और यह भी प्रस्ताव किया गया था कि उक्त समाधान आवेदक 4 साल के लिए भूमि का मुद्रीकरण करने का प्रयास करेगा और बिक्री से प्राप्त आय को पात्र घर खरीदारों के बीच वितरित किया जाएगा। अपीलार्थियों के अनुसार, योजनाओं को आई. बी. सी. के प्रावधानों के विपरीत मतदान के लिए रखा गया था और फिर भी, आई. आर. पी. ने एन. बी. सी. सी. द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुमोदन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिस पर उन्होंने और कई अन्य जे. जे. पी. के. के. एन. एस. आई. टी. एन. बोलवार्ड ने आपत्ति जताई।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह प्रस्तुत करने वाले पक्षकार कि एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना को अवैध मतदान के माध्यम से अनुचित तरीके से अपनाया गया था और एन. बी. सी. सी. की योजना आर. ई. आर. ए. का उल्लंघन थी।

159.3. 3 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन समाधान योजना में,

अनुसूची 2 चरण 9 में घर खरीदारों और धनवापसी चाहने वालों के साथ इस तरह से व्यवहार करने का प्रावधान है कि घर खरीदारों के दावे को अनुलग्नक ए की अनुसूची के अनुसार फ्लैटों की डिलीवरी सुनिश्चित करके पूरा किया जाएगा, जिसके तहत परियोजना को पूरा करने की अवधि एक वर्ष की

अधिस्थगन अवधि के साथ 42 महीने के रूप में प्रदान की गई है और इसलिए, 54 महीनों के लिए, अपीलकर्ताओं और अन्य घर खरीदारों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और उसके बाद

केवल आई. एन. आर. 5/- प्रति वर्ग फुट प्रति माह का विलंब जुर्माना प्रदान किया जाता है, जो किसी भी आकस्मिक घटना की गैर-घटना के अधीन भी है।

159.3. 4 . मतदान की प्रक्रिया और इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कि घर खरीदारों ने एक वर्ग के रूप में एनबीसीसी की योजना को मंजूरी दी है, ये

अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि एनबीसीसी की योजना के संबंध में मतदान प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से वितरित किया गया था:

57.66 % ;

घर खरीदारों का मतदान प्रतिशत

34.10 % ;

सहमति देना।

असहमति जताते हुए

1.05 % ;

बहिष्कृत।

22.51 %

इसलिए, अपीलार्थियों के अनुसार, दावा है कि 97.02%

संहिता की धारा 21 (8) के तहत दूषित किया जाता है। घर खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि को ऐसा कोई लिखित निर्देश नहीं दिया गया था। और वह यह निर्धारित नहीं कर सकते थे कि घर खरीदारों का बहुमत क्या था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही उक्त अधिकृत प्रतिनिधि दोनों संकल्प योजनाओं को [2021] 12 एस. सी. आर. में रखने के लिए सहमति दे सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विनियमन 39 (3) के अधिदेश के विपरीत, सी. ओ. सी. आई. बी. सी. के प्रावधानों के विपरीत कार्य नहीं कर सकता था क्योंकि कानून की कोई छूट नहीं हो सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये आपत्तियाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उठाई जा सकती थीं और उचित रूप से उठाई जा सकती

थीं क्योंकि इन चिंताओं को उठाने के लिए कोई अन्य मंच नहीं है; लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उन्हें बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया है।

इस न्यायालय के दिनांक 26.02.2020 के निर्णय में कहा गया है कि उक्त भूमि को समाधान योजना में शामिल किया जाना चाहिए था और इसका उपयोग घर खरीदारों के हित में किया जाना चाहिए था। लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने भी मामले के इस पहलू की जांच नहीं की है।

159.4 . घर खरीदारों के एक अन्य संघ (2020 की टी. सी. संख्या 240 में अपीलकर्ता) की ओर से प्रस्तुतियाँ काफी अलग हैं, जहाँ यह प्रार्थना की जाती है कि परियोजना अपने सदस्यों से संबंधित हो।

काफी हद तक पूर्ण, समाधान योजना से अलग होने के योग्य है।

159.4. 1 . इस संगठन की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि "जेपी ग्रीन्स अमन" परियोजना के 26 टावरों में सभी 4228 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो गया है और केवल टावर संख्या के लिए परिष्करण कार्य किया जा रहा है। 23 , 24 , 25 & 27 समझौतों के निष्पादन में देरी के कारण लंबित हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 1815 में से कॉर्पोरेट देनदार के घर खरीदार वित्तीय लेनदारों का हिस्सा होने के नाते, समाधान योजना के लिए मतदान के समय प्रोजेक्ट अमन (जो 2.53% की राशि है) में केवल 459 घर खरीदार लेनदारों का हिस्सा थे। इस संगठन के अनुसार, "जेपी ग्रीन्स अमन" एक आबादी वाली परियोजना है जहां 1500 से अधिक परिवार पहले ही रहने लगे हैं और यह "विश टाउन" के स्थान से 10 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और इसलिए, इसे एक स्वतंत्र आवास कॉलोनी के रूप में माना जाना चाहिए और इसे समाधान योजना से अलग किया जाना चाहिए; और समाधान योजना पर किसी भी आदेश का इस परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन परियोजना के संबंध में, समाधान आवेदक केवल अंतिम कार्य को पूरा करने के लिए है जिसे आई. आर. पी. द्वारा स्वयं किया जा सकता है ताकि आगे की देरी से बचा जा सके।

जबकि, यदि समाधान योजना का पालन किया जाता है, तो इन घर खरीदारों को पूर्ण फ्लैटों का कब्जा प्राप्त करने के लिए और 18 महीने तक इंतजार करना होगा, जिससे उनकी मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी।

159.4. 2 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस संघ के सदस्यों ने ब्याज मुक्त रखरखाव जमा राशि जमा की थी

(' आई. एफ. एम. डी.) और एक रखरखाव अग्रिम और रखरखाव जे. जे. पी. के. के. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. आई. टी. एन. के. एन. एस. के. एन. एस. के. एन. एस

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जे. ए. एल. के साथ समझौते; और भले ही यह वापसी योग्य प्रतिभूति जमा सूचना ज्ञापन का हिस्सा नहीं था, समाधान योजना व्यवसाय के बुनियादी नियमों की अनदेखी करते हुए और आवंटनकर्ताओं की मेहनत से अर्जित/उधार ली गई राशि का गबन करते हुए इस राशि पर दावा करती है। एसोसिएशन के अनुसार, यह राशि संबंधित आबंटियों को वापस की जानी चाहिए।

159.4. 3 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि केवल स्वीकृत समाधान योजना

फ्लैटों के निर्माण के पूरा होने की तारीख के बारे में बात करता है लेकिन "जेपी ग्रीन्स अमन" की पूरी परियोजना के पूरा होने की तारीख का संकेत नहीं देता है; और चूंकि इस परियोजना के फ्लैटों का निर्माण किया जाता है, इसलिए सभी सुविधाओं और परिष्करण कार्यों के साथ परियोजना को पूरा करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। 159.4. 4 . इस संगठन ने डब्ल्यू. जी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। सीडीआर। आरिफुर रहमान खान और अन्य। वी. डीएलएफ सदर्न

होम्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। : (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 667 ने विलंब अवधि के जुर्माने के अलावा फ्लैटों की खरीद के लिए भुगतान की गई कुल राशि पर परियोजना "जेपी ग्रीन्स अमन" के आवंटनकर्ताओं को 6 प्रतिशत प्रति साधारण ब्याज की राहत देने का अनुरोध किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि टावर सं. के आवंटी। 23 , 24 , 25 & 27 भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और अन्य आबंटियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जिन्हें पहले ही विलंबित अवधि के लिए जुर्माना मिल चुका है।

159.4. 5 . इस संगठन ने आई. आर. पी. को समयबद्ध तरीके से भुगतान जारी करने के निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की है ताकि परियोजना और इसकी गतिविधियों को एक चालू चिंता के रूप में रखा जा सके क्योंकि परियोजना "जेपी ग्रीन्स अमन" में काम ठेकेदारों के बिलों के आवश्यक भुगतान के अभाव में रुक गया है। इस संगठन ने नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश के लिए एक और प्रार्थना की है। 159.5 . उपर्युक्त अपीलार्थियों के अलावा, कुछ और घर खरीदारों ने प्रमुख अपील में हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं।

जबकि अनिवार्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराते हुए कि एनबीसीसी की समाधान योजना रेरा की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और घर खरीदारों को रेरा के तहत उनके अधिकारों के संबंध में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। उक्त 758 एकड़ भूमि से संबंधित मुद्दा भी उठाया गया है।

159.6 . विविध प्रस्तुतियों के परिदृश्य को पूरा करने के लिए, हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि 2020 की आई. ए. संख्या 84309 का आवेदक

अलग-अलग लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं और तर्क दिया है कि [2021] 12 एस. सी. आर. थे।

घर खरीदारों द्वारा जमा किए गए धन को वाई. ई. आई. डी. ए. में डायवर्ट किया गया था और इसे जे. आई. एल. और सी. ओ. सी. का गठन करने वाले ऋणदाताओं द्वारा यह विचार किए बिना स्वीकार कर लिया गया था कि यह स्वीकृत मानदंडों के खिलाफ एक गलत और धोखाधड़ी से डायवर्ट किया गया था; कि जे. आई. एल. और वाई. ई. आई. डी. ए. इस पर चुप रहे हैं।

वर्षों और इसलिए, घर खरीदारों ने एक्सप्रेसवे की परियोजना का 25 प्रतिशत वित्त पोषण किया और उक्त निवेश को वापस किया जाना चाहिए घर खरीदार; कि चूक को ठीक करने के संबंध में रियायत समझौते के प्रावधानों को कभी भी एन. सी. एल. टी. और इस अदालत के समक्ष संबोधित नहीं किया गया था; कि जब जे. आई. एल. ने घर खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा देने में देरी की, तो सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बजाय सामग्री प्रतिकूल प्रभाव खंड लागू किया जाना चाहिए था; कि घर खरीदारों को जे. आई. एल. के परिसमापन के बारे में एकमात्र संभावना के रूप में जागरूक किया गया था; कि घर खरीदारों को रियायत समझौता प्रदान नहीं किया गया था और जब आई. आर. पी. से इसकी मांग की गई थी, तब भी इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, सी. ए. को साझा नहीं करने और सी. ए. पर ऐसी कोई कानूनी सलाह प्रदान नहीं करने से सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही जांच के दायरे में आ गई है और इसे अमान्य माना जाता है। यह भी तर्क दिया गया है कि एनबीसीसी की समाधान योजना को खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह रेरा सहित कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि जिन घर खरीदारों को फ्लैट दिए गए थे, उन्हें एक बार गठित होने के बाद सी. ओ. सी. से बाहर नहीं किया जा सकता था; और इस तरह के अधिग्रहण ने कुछ हजार घर खरीदारों को प्रभावित किया है और इस तरह, मतदान का भार लगभग 10 प्रतिशत है। आवेदक ने आगे कहा है कि वर्तमान एक असाधारण मामला है जिसमें नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है और उसने यह भी सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी परियोजना को अपने हाथ में ले, बशर्ते वह घर खरीदारों के सभी अधिकारों को पूरा करे! यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक संभावना हो सकती है।

160. इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों का विधिवत विरोध किया गया है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के पक्ष में खड़े व्यक्ति/संस्थाएं। अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए, हम आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. के साथ-साथ जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार की ओर से इस संबंध में की गई दलीलों पर ध्यान देना उचित समझते हैं।

160.1 . आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन संघों और घर खरीदारों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। समाधान योजना को मंजूरी दी गई क्योंकि संहिता की धारा 21 (6ए) के साथ पठित धारा 25ए (3ए) के संदर्भ में, घर खरीदार सी. ओ. सी. में जेपी केंसिंगटन बोलिवार्ड पार्टनर्स वेलफेयर के रूप में मतदान करते हैं।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वर्ग; यहाँ तक कि वर्ग के भीतर एक असहमत व्यक्ति भी निर्णय से बाध्य है उस वर्ग के बहुमत का; और इस तरह, यह निर्णय पूरे वर्ग के सदस्यों के खिलाफ एक वैधानिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि घर खरीदारों द्वारा मतदान के तरीके को इस न्यायालय द्वारा पायनियर अर्बन (ऊपर) और एडजुडिकेटिंग में व्यापक रूप से निपटाया गया है

25 कोड का ए। अतः यह स्पष्ट है कि अल्पमत को एक संकल्प योजना के अनुमोदन पर मतदान में बहुमत के साथ घसीटा जाएगा और इसलिए, अपीलकर्ता घर खरीदारों के सामूहिक बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय से बाध्य हैं।

160.2 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की धारा 61 के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा अपील दायर की जा सकती है जो अनुमोदन से व्यथित है

समाधान योजना लेकिन, यह देखते हुए कि एक वर्ग के रूप में घर खरीदारों ने एनबीसीसी की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, व्यक्तिगत घर खरीदारों को संहिता की धारा 61 के अर्थ के भीतर असंतुष्ट लेनदारों या यहां तक कि पीड़ित व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी अपीलें

बिना किसी अधिकार के दायर किए जाने के लिए खारिज किया जाना चाहिए।

160.3 . यह अभी तक आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी विश टाउन सोसाइटी ने एक आवेदन और आपत्तियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो थीं

न्यायिक प्राधिकरण द्वारा 31.01.2020 पर अस्वीकार कर दिया गया, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि सोसाइटी आवेदन में पक्षकार के रूप में खुद को शामिल करने में विफल रही थी; कि केवल 448 घर खरीदारों ने समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन सोसाइटी 1500 घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही थी, बिना यह उल्लेख किए कि वे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए अधिकृत किया था; और यह कि सोसाइटी के पास आपत्तियां उठाने का कोई अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब सोसायटी कथित 1248 सदस्यों की एक सूची को रिकॉर्ड में रखने की मांग कर रही है, लेकिन ऐसी कोई सूची न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसे अदालत में पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपीलीय चरण। 160.4 . जहाँ तक रेरा से संबंधित प्रश्नों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रेरा के कथित उल्लंघन का तर्क इन [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा दिया गया है।

रेरा के तहत किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने के तरीके का प्रदर्शन किए बिना घर खरीदार; और यह कि समाधान योजना, किसी भी मामले में, यह नहीं कहती है कि यह लागू कानूनों का पालन नहीं करेगी। हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुमोदित के बीच कोई संघर्ष होने की स्थिति में समाधान योजना और रेरा के प्रावधान, अनुमोदित समाधान योजना संहिता की धारा 31 के तहत सभी हितधारकों पर बाध्यकारी रहेगी और संहिता की धारा 238 के अनुसार रेरा के प्रावधानों को ओवरराइड करेगी।

160.5 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना वित्तीय लेनदारों के साथ अनुबंधों को बदल सकती है और संहिता समाधान आवेदक को वित्तीय और परिचालन अनुबंधों को संशोधित करने के लिए व्यापक शक्तियां देती है ताकि

सभी हितधारकों के हितों की सर्वोत्तम सेवा करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना के तहत प्रस्ताव के अनुसार, एनबीसीसी फ्लैटों का निर्माण करेगा और घर खरीदारों को वितरित करेगा, लेकिन किसी भी घर खरीदार को बकाया ब्याज का भुगतान नहीं करेगा, और इस तरह का प्रस्ताव सीआईआरपी विनियमों के विनियमन 37 (एफ) के तहत अनुमत है, जो किसी भी लेनदारों के कारण किसी भी ऋण को कम करने के लिए समाधान योजना की अनुमति देता है; और अनुबंधों में इस तरह का संशोधन सीओसी के भारी बहुमत द्वारा सहमत होने के बाद, सभी घर खरीदारों पर बाध्यकारी रहता है। 160.6 . जहां तक परिसमापन लागतों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 39 बी के तहत सी. ओ. सी. को समाधान योजना के अनुमोदन या किसी कंपनी को परिसमापन करने का निर्णय लेने के समय परिसमापन लागत का पता लगाने का विवेकाधिकार दिया गया है और विनियम 39 बी के स्पष्टीकरण के अनुसार परिसमापन लागत का वही अर्थ है जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 2 (1) (ई. ए.) के तहत दिया गया है, जिसके तहत 'परिसमापन लागत' को अन्य बातों के साथ-साथ किसी कंपनी की परिसमापन प्रक्रिया में लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिसमापन प्रस्तुत न करना

प्रपत्र-एच के तहत लागत एक ऐसी अनियमितता नहीं है जो सी. आई. आर. पी. या समाधान योजना के लिए घातक है; कि परिसमापन लागत का समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर कोई असर नहीं पड़ता है; और परिसमापन लागत परिसमापन मूल्य से अलग है, जिसे सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 2 (के) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है 'निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का अनुमानित प्राप्य मूल्य, यदि निगमित देनदार को दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख को परिसमापन किया जाना था'। प्रपत्र-एच के तहत आई. आर. पी. ने निगमित देनदार के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का उल्लेख किया है।

160.7 . जहां तक समाधान योजना से बाहर रखने के लिए जेपी अमन ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उठाई गई आपत्तियों का संबंध है, यह जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफेयर को प्रस्तुत किया जाता है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि एनबीसीसी की समाधान योजना का उद्देश्य सभी घर खरीदारों को शामिल करना है जे. आई. एल. का, जहां लेनदार-देनदार संबंध बना हुआ है, अर्थात जहां उप-पट्टा विलेख के निष्पादन के माध्यम से घर खरीदार और जे. आई. एल. के बीच अंतिम समझौता नहीं किया गया है। समाधान योजना के प्रावधानों के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजना में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि "अमन परियोजना" समाधान आवेदक की हिस्सेदारी हासिल करने की तारीख से 15 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

निगमित देनदार; और जे. आई. एल. की सभी लंबित परियोजनाओं के संबंध में ऐसी सांकेतिक अवधि प्रदान की गई है, जिन्हें समाधान योजना के संदर्भ में एन. बी. सी. सी. द्वारा पूरा किया जाना है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सूचक वितरण अनुसूची सहित योजना की सामग्री थी

सभी घर खरीदारों के लिए उपलब्ध है और उन्होंने, उसी के पूर्ण संज्ञान में, विचाराधीन योजना को मंजूरी देने के लिए चुना था जो एक बार अनुमोदित होने के बाद संहिता की धारा 31 के संदर्भ में कॉर्पोरेट देनदार के सभी हितधारकों पर बाध्यकारी रहेगा; और इसलिए, उक्त संघ समाधान योजना को चुनौती देने या उससे बाहर निकलने की मांग करने से वंचित है क्योंकि योजना स्वीकृत है। इस निवेदन के संबंध में कि आई. आर. पी. को कुछ टावरों के संबंध में ओ. सी. के लिए आवेदन करने या ओ. ओ. पी. जारी करने जैसे कुछ काम करने का निर्देश दिया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. आर. पी. ने अदालत के समक्ष एक हलफनामे में खुलासा किया है कि सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया के दौरान, वह जे. आई. एल. का प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में कर रहे हैं और आवासीय और वाणिज्यिक आवास इकाइयों का निर्माण जारी रखा है और नोएडा प्राधिकरण से प्राप्त ओ. सी. के आधार पर 7996 इकाइयों के लिए ओ. ओ. पी. जारी किए हैं; और जारी किए गए ओ. ओ. पी. में से 6429 का उप-पट्टा पंजीकरण पूरा कर लिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. एल. के खिलाफ घर खरीदार के दावों का निपटारा उप-पट्टा विलेख के निष्पादन पर किया जाता है और इसलिए, वे सभी घर खरीदार जिनके उप-पट्टा विलेखों को निष्पादित नहीं किया गया है, वे जे. आई. एल. के सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से बाध्य होंगे। 160.8 . आई. एफ. एम. डी. के संबंध में, अनुसूची 2 में चरण 9 का उल्लेख किया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रावधान केवल जे. ए. एल. को घर खरीदारों द्वारा भुगतान किए गए धन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जे. आई. एल. के माध्यम से भुगतान सहित) के संबंध में है क्योंकि समाधान आवेदक का जे. ए. एल. पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही होगा।

160.9 . उपरोक्त के अलावा, आई. आर. पी. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विनियमन 36 ए (7) केवल रुचि की अभिव्यक्ति पर लागू होता है

जो सशर्त नहीं हो सकता है लेकिन वह प्रावधान समाधान योजना पर लागू नहीं होता है और यह किसी का मामला नहीं है कि एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत रुचि की अभिव्यक्ति सशर्त थी। [2021] 12 एस. सी. आर. के साथ संहिता में संशोधन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश पारित करने से पहले यह भी प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया गया है कि संहिता में धारा 32 ए को शामिल किए जाने के साथ, एन. बी. सी. सी. इसके तहत संरक्षण का दावा करने का हकदार होगा और अनुसूची 3 के खंड 2 में बताए गए कारण के लिए समाधान योजना से पीछे हटने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है।

160.10 . जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार ने भी इसका विरोध किया है

इन असंतुष्ट घर खरीदारों द्वारा प्रस्तुतियाँ और यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने गलती से आईसीआईसीआई बैंक की पहचान उनके साथ समान रूप से स्थित होने के लिए की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह बैंक उन असंतुष्ट घर खरीदारों के विपरीत समाधान योजना के संदर्भ में एक असहमत वित्तीय लेनदार है और यह बैंक संहिता की धारा 30 (2) (बी) के संदर्भ में एक अलग व्यवहार का हकदार है।

161. असंतुष्ट घर खरीदारों और काउंटरों द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों पर हमने चिंता से विचार किया है।

162. आगे बढ़ने से पहले, यह इंगित करना उचित प्रतीत होता है कि दो संकल्प योजनाओं पर एक साथ मतदान के संबंध में आग्रह की गई दलीलों पर पहले ही बिंदु बी में चर्चा की जा चुकी है और उन्हें खारिज कर दिया गया है। हमारे विचार में, इन तर्कों को अनावश्यक रूप से उन व्यक्तियों द्वारा लिया गया है जो हर संभव आपत्ति, चाहे वह सार की हो या नहीं, को काटकर बाड़ के असहमत पक्ष में रहना चाहते हैं। 758 एकड़ भूमि से संबंधित मुद्दा, जो अनुज जैन के मामले में इस अदालत के फैसले के बाद जे. आई. एल. को उपलब्ध है, उस पर विचार किया जा रहा है।

प्वाइंट के इन्फ्रा में अलग से विचार किया गया। इसी तरह, चित्रा शर्मा के मामले में निर्देशों के अनुसार जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई 750 करोड़ रुपये की राशि के साथ-साथ आई. एफ. एम. डी. से संबंधित मुद्दे सहित जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच लेखांकन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे पर प्वाइंट जे. इन्फ्रा में अलग से विचार किया जा रहा है। अतः इन मुद्दों पर यहाँ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

163. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अन्य पहलुओं को लेना और दिवालिया होने की योजना के संबंध में संहिता की योजना की जांच करना।

संकल्प, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि कुछ संघों और व्यक्तिगत घर खरीदारों के प्रस्ताव खुद को 'असंतुष्ट घर खरीदारों' के रूप में दावा करते हैं और इस तरह, 'असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों' करते हैं।

संहिता की योजना और लेनदारों की समिति द्वारा संकल्प की योजना पर मतदान के तरीके के अनुरूप नहीं है।

164. जैसा कि देखा गया है, सी. आई. आर. पी. में एक समाधान योजना के अनुमोदन के उद्देश्य से, जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट से इसकी मंजूरी की आवश्यकता है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वित्तीय लेनदारों का मतदान हिस्सा; और अपेक्षित प्रतिशत (66) के लिए जो गिना जाता है वह वित्तीय लेनदारों का मतदान हिस्सा है न कि वित्तीय लेनदारों के व्यक्तिगत वोट। 'मतदान का हिस्सा' शब्द को धारा 5 के खंड (28) में सटीक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है लेनदारों की समिति में एकल वित्तीय लेनदार का मतदान अधिकार, जो ऐसे वित्तीय ऋण के लिए देय वित्तीय ऋण के अनुपात पर आधारित है।

लेनदार बनाम निगमित देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण। धारा 5 (8) (च) के स्पष्टीकरण के साथ संहिता की योजना में, अचल संपत्ति परियोजना के आबंटियों के प्रति निगमित देनदार द्वारा देय ऋण है -

एक वित्तीय ऋण माना जाता है लेकिन उस मामले के लिए, प्रत्येक व्यक्तिगत आवंटनकर्ता निगम का एक स्वतंत्र वित्तीय लेनदार नहीं बन जाता है। ऋणी, यदि आबंटियों की संख्या 10 या उससे अधिक है, तो सी. आई. आर. पी. विनियम 85 में "लेनदारों के वर्ग" अभिव्यक्ति को दिए गए अर्थ के संदर्भ में। जे. आई. एल. के घर खरीदारों की तरह, आबंटित व्यक्ति, के खंड (च) के अंतर्गत आते हैं।

धारा 5 की उप-धारा (8) में वित्तीय लेनदारों की स्थिति है, लेकिन वे सामूहिक रूप से एक वर्ग में आते हैं और उस वर्ग का मतदान हिस्सा समग्र रूप से उस वर्ग के लिए देय वित्तीय ऋण के संदर्भ में होगा।

164.1 . अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खंड (बी) के संदर्भ में लेनदारों के एक वर्ग की ओर से मतदान करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकारों और कर्तव्यों को भी धारा 25ए में वर्णित किया गया है।

संहिता और इस बारे में किसी भी संदेह को कि वह कैसे मतदान करेगा और उसके वोट की गिनती कैसे की जाएगी, धारा 25ए में उप-धारा (3ए) को अंत:स्थापित करके समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें यह

प्रावधान किया गया है कि इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद उप-धारा (3) में, ए. आर. उन सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से अपना वोट डालेगा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है।

पचास प्रतिशत से अधिक मतदान। वे जिन वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला है, उनके मतदान हिस्से का।

इस न्यायालय द्वारा संहिता में किए गए उक्त संशोधन को चुनौती देने की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ता थे 85 सी. आई. आर. पी. विनियमों में सुसंगत परिभाषा खंड, जो 04.07.2018 से प्रभावी है, निम्नानुसार है: -

" ((क) "लेनदारों के वर्ग" से धारा 21 की उप-धारा (6क) के खंड (ख) के तहत कम से कम दस वित्तीय लेनदारों वाला वर्ग अभिप्रेत है और "एक वर्ग में लेनदार" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा; "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता की धारा 5 के खंड (8) के उपखंड (च) में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करके और धारा 25क के साथ-साथ धारा 21 की उप-धारा (6क) को भी अंत:स्थापित करके वित्तीय लेनदारों की स्थिति प्रदान की। पायनियर अर्बन में इस तरह की चुनौती से निपटने के दौरान (ऊपर), इस न्यायालय ने इन संशोधनों के उद्देश्यों और कारणों के साथ-साथ उनके अर्थ, अर्थ और प्रभाव का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया। वर्तमान मुद्दे के संबंध में मामले का प्रासंगिक भाग यह है कि उपरोक्त संशोधन के साथ, इस न्यायालय ने 2019 के अधिनियम 26 द्वारा उप-धारा (3ए) को शामिल करने के साथ धारा 25ए के संशोधन की भी जांच की। इस न्यायालय ने उक्त संशोधन के अर्थ को समझाया और इसके

संहिता की धारा 21 (6ए) और 25ए की चुनौती को अस्वीकार करते हुए तर्क निम्नलिखित है: -

" 63. इस तथ्य को देखते हुए कि आवंटी एक सजातीय नहीं हो सकते हैं

समूह, फिर भी केवल दो तरीके हैं जिनसे वे मतदान कर सकते हैं

लेनदारों की समिति पर या तो अनुमोदन करने के लिए या करने के लिए प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करना। उप-खंड

धारा 25ए के कार्यकरण में यह महसूस किया गया है कि अधिकृत प्रतिनिधि अब की ओर से अपना वोट डालता है

वे सभी वित्तीय लेनदार जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई निर्णय लिया जाता है

50 प्रतिशत से अधिक मतों से वित्तीय लेनदार जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है वह यह है कि एक विशेष

योजना या तो स्वीकार की जाए या अस्वीकार की जाए, यह स्पष्ट है कि

वोट देने वालों में से अल्पसंख्यक, और अन्य सभी, अब बाध्य होंगे इस निर्णय से। जैसा कि हमने स्विस रिबन में कहा है,

विधायिका को प्रयोग करने के लिए जोड़ों में स्वतंत्र खेल दिया जाना चाहिए।

कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली छोटी-मोटी अड़चनें हमेशा हो सकती हैं

संहिता की धारा 21 (6-ए) और 25ए में निहित होना चाहिए भगा दिया "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

164.3 . धारा की उप-धारा (3ए) की स्पष्ट भाषा के बावजूद

25संहिता का ए, पायनियर अर्बन (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के साथ पढ़ा गया, असंतुष्ट घर खरीदारों की ओर से सुझाव कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य केवल लॉजिस्टिक मुद्दों को दूर करना था और तकनीकी कठिनाइयों को पूरी तरह से खारिज करने की आवश्यकता है। उक्त प्रावधान, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 25ए के उचित संचालन में महसूस की गई खामियों को दूर करने के लिए है और इसे स्पष्ट रूप से जयपी केंसिंगटन बोलिवार्ड के सहयोग से बनाया गया है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि आबंटित, भले ही एक सजातीय समूह न हो, वे केवल मतदान कर सकते थे

या तो समाधान योजना को मंजूरी देना या उसे अस्वीकार करना। उनके अपने वर्ग के भीतर विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब लेनदारों की समिति में मतदान के लिए आते हैं, तो उनका वोट एक वर्ग का होगा।

164.4 . आई. बी. सी. की योजना और इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक बार निर्णय लेने के बाद, या तो किसी विशेष योजना को अस्वीकार करने या अनुमोदित करने के लिए, 50 प्रतिशत से अधिक के वोट से

उस वर्ग के भीतर संकल्प योजना पर मतदान के संबंध में किसी भी असहमति का सुझाव देना। यह स्पष्ट है कि यदि यह अंतिमता और बाध्यकारी बल उस वर्ग के बहुमत निर्णय के अनुसार संकल्प योजना पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डाले गए वोट को प्रदान नहीं किया जाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत है, तो बड़ी संख्या में दलों को शामिल करने वाली संकल्प योजना (जैसे कि इसमें घर खरीदारों की अत्यधिक बड़ी संख्या) कभी भी सफल नहीं हो सकती है और एकमात्र परिणाम परिसमापन होगा, जो संहिता का प्रमुख लक्षय नहीं है। व्यापक लाभ और आम भलाई के लिए, संहिता की योजना में बहुमत की राय की निर्धारक भूमिका के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को विधिवत शामिल किया गया है, विशेष रूप से समाधान योजना पर मतदान से संबंधित प्रावधानों में और वित्तीय लेनदार/ओं के पूरे वर्ग पर अधिकृत प्रतिनिधि के वोट की बाध्यकारी प्रकृति। 164.5 . इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो घर खरीदारों के लिए संहिता की धारा 25ए की उप-धारा (3ए) का संचालन यह है कि उनके अधिकृत प्रतिनिधि को घर खरीदारों के मतदान हिस्से के 50 प्रतिशत से अधिक के वोट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संकल्प योजना पर मतदान करने की आवश्यकता होती है और इस 50 प्रतिशत की गणना ऐसे घर खरीदारों के मतदान हिस्से के संदर्भ में की जाती है जो विशेष निर्णय पर पहुंचने के लिए अपना वोट डालने का विकल्प चुनते हैं। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान के हिस्से के आवश्यक बहुमत से एक विशेष निर्णय सौंप दिया जाता है, तो वह तदनुसार मतदान करेगा और उसका वोट सभी घर खरीदारों को बाध्य करेगा, क्योंकि वह एकल वर्ग का है।

प्रतिनिधित्व करता है। 165. वर्तमान मामले में, एक ओर, हितधारकों, विशेष रूप से घर खरीदारों द्वारा लगातार यह प्रस्तुत किया गया है कि जे. आई. एल. का परिसमापन किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर, कुछ संघों [2021] 12 एस. सी. आर.

और घर खरीदारों ने समाधान योजना में खामियां खोजने का प्रयास किया है, जिसके लिए उनके बहुमत, जिन्होंने मतदान किया, ने अनुमोदन के लिए निर्णय लिया। किसी भी घर खरीदार के लिए खुद को एक असहमत वित्तीय लेनदार होने का सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वह वर्ग के भीतर बहुमत के साथ नहीं था। उसका असंतोष एक असहमत वित्तीय लेनदार के कानूनी चरित्र में भाग नहीं लेता है।

165.1 . इसके बजाय एक अति महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया है

जिन घर खरीदारों ने घर खरीदारों के मतदान हिस्से के प्रतिशत का उल्लेख करने के लिए अलग से अपील (2020 का टी. सी. संख्या 242) दायर की है और यह सुझाव दिया गया है कि घर खरीदारों के कुल मतदान हिस्से में से, 57.66%, सहमति देने वाला मतदान हिस्सा केवल 34.10% था, जबकि 22.51% अनुपस्थित रहे और 1.05% ने असहमति जताई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लगभग हर 3 घर खरीदारों के लिए जिन्होंने एन. बी. सी. सी. के पक्ष में मतदान किया, उनमें से 2 ने असहमति जताई/मतदान से दूर रहे। यहां तक कि इन अपीलकर्ताओं द्वारा बताए गए प्रतिशत को सही

मानते हुए भी, हम इस तरह की प्रस्तुतियों में कोई तर्क खोजने में विफल हैं। धारा 25ए की उप-धारा (3ए) पर फिर से गौर करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा के लिए '50 प्रतिशत'

का

उद्देश्य

उक्त प्रावधान उन घर खरीदारों का है जिन्होंने अपना वोट डाला। हमारे सामने दिए गए प्रतिशत आंकड़ों पर, कुल मतदान हिस्सेदारी में से 57.66% पर घर खरीदार, 22.51% मतदान हिस्सा रखने वाले व्यक्ति बस अनुपस्थित रहे और अपना वोट डालने वाले व्यक्तियों में से, आय का मतदान हिस्सा 34.10% था जबकि नाय का मतदान हिस्सा 1.05% था। जाहिर है, 50 प्रतिशत की गिनती केवल उन व्यक्तियों में की जाएगी जिन्होंने मतदान करने का विकल्प चुना, जहां अपना वोट डालने वाले घर खरीदारों में से 50 प्रतिशत से बहुत अधिक, एनबीसीसी 86 की संकल्प योजना के अनुमोदन के लिए खड़े थे। इस तरह के मतदान को एक छोटे से अल्पसंख्यक के कथित असंतोष के लिए शून्य पर सेट नहीं किया जा सकता है, जो व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में लगभग 3.69% था।

मतदान; और मतदान हिस्सेदारी के संदर्भ में लगभग 1.05%। उन्हें भारी बहुमत के साथ चलना पड़ता है। यही संहिता की योजना में 'साथ खींचें' या 'साथ चलें' प्रावधानों का उद्देश्य और प्रभाव है।

85 आई. आर. पी. ने आबंटियों द्वारा मतदान का विवरण निम्नलिखित शर्तों में दिया है (अपने लिखित प्रस्तुतियों के पैराग्राफ 4 में शीर्षक के तहत-'द्वारा उठाए गए मुद्दे'

घर खरीदारों):

..... वर्तमान मामले में, 21781 आबंटियों में से वर्ग का गठन

हमेशा गैर-उत्तरदायी रहे हैं और किसी भी समय मतदान से दूर रहे हैं)। मतदान करने वाले 12147 आबंटियों (उपस्थित और मतदान करने वाले) में से 11699 आबंटियों ने मतदान किया।

प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया जबकि 448 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। योजना बनाएँ। इस प्रकार, संकल्प योजना के पक्ष में मतदान करने वाले आबंटियों की संख्या,

यह 11699, उपस्थित आबंटियों की कुल संख्या का 96.31% है और

मतदान। "जेयपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

166. ऊपर जिन बातों पर चर्चा की गई है, उनके लिए सुझाव

यह कि समाधान योजना को सौ प्रतिशत स्वीकृति नहीं मिली थी, या कि घर खरीदारों के बीच कोई सहमति नहीं थी, या कि सुरक्षा रियल्टी की योजना को बेहतर माना गया था, को अस्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि घर खरीदारों के ए. आर. ने उसके अनुसार मतदान नहीं किया है

घर खरीदारों के मतदान हिस्से के 50 प्रतिशत से अधिक के मतदान द्वारा लिए गए निर्णय के साथ जिन्होंने अपना वोट डाला। तथ्यों के दिए गए समूह में, हमें अनावश्यक आरोपों को पूरी तरह से अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है ए. आर. के खिलाफ घर खरीदारों के एक समूह द्वारा किया गया कि उन्होंने सी. ओ. सी. के समक्ष कोई गलत बयान दिया। कि पद होने के नाते, और अधिकृत प्रतिनिधि ने वित्तीय लेनदारों के वर्ग यानी घर खरीदारों से दिए गए निर्देशों के अनुसार मतदान किया है, इस वर्ग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट से बाध्य रहता है और जे. आई. एल. के किसी भी संघ या घर खरीदार को अलग तरीके से खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

और आपत्तियों के माध्यम से अपने स्वयं के दृष्टिकोण या शिकायत को प्रस्तुत करना या अपील के माध्यम से। ऐसी सभी आपत्तियों और अपीलों को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना आवश्यक है।

167. अपील के तथाकथित वैधानिक अधिकार के बारे में सुझाव को केवल खारिज किया गया है। एक वर्ग के रूप में घर खरीदार होंगे

माना जाता है कि एन. बी. सी. सी. की संकल्प योजना के अनुमोदन के पक्ष में मतदान किया है और एक बार ऐसा मतदान करने के बाद, उस वर्ग के किसी विशेष घटक को आपत्ति के रूप में योजना के विरोध में नहीं सुना जा सकता है या अपील करें। क़ानून, जो कि आई. बी. सी. है, ने स्वयं उस वर्ग के एक घटक द्वारा योजना के विरोध के ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ रोक लगाने का प्रावधान किया है जिसने अनुमोदन के पक्ष में मतदान किया था।

168. असंतुष्ट घर खरीदारों की गलत धारणाएँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि उन्होंने खुद को आईसीआईसीआई बैंक जैसे असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के बराबर रखने का प्रयास किया है, जो सीआईआरपी में पूरी तरह से अलग कानूनी स्थिति रखते हैं, क्योंकि वे घर खरीदारों के वर्ग में नहीं हैं और वित्तीय के एक अलग वर्ग के हैं।

लेनदार। उक्त वित्तीय लेनदार ने इन प्रस्तुतियों का सही विरोध किया है।

और ठीक ही बताया है कि संहिता की धारा 30 (2) (बी) के संदर्भ में इसके अधिकार पूरी तरह से अलग आधार पर हैं।

169. मतदान के महत्व की गणना के संबंध में एक और प्रयास यह सुझाव देते हुए किया गया है कि जिन घर खरीदारों को फ्लैट दिए गए हैं, उन्हें सी. ओ. सी. से बाहर नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि

सुझाव सारहीन रहता है। जब कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदार की क्षमता में खड़ा नहीं होता है, यानी जिसके लिए कोई वित्तीय ऋण [2021] 12 एस. सी. आर.

निगमित देनदार द्वारा बकाया, उसे केवल ब्लॉक से बाहर निकाला जा सकता था

वित्तीय लेनदार। हम यह देखने के लिए प्रेरित हैं कि समाधान योजना पर विचार और मतदान एक ऐसी प्रक्रिया या घटना नहीं है जिसमें कोई आपत्ति या शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी उठाई जा सकती है जो वित्तीय लेनदार के रूप में खड़ा नहीं है। उनके उपाय, कानून के अनुसार, कहीं और हो सकते हैं लेकिन संहिता के तहत समाधान योजना के अनुमोदन की इस प्रक्रिया में नहीं।

169.1 . उपरोक्त कारणों से, किसी भी आवास परियोजना को रखने का सुझाव जो पहले से ही पूरी हो चुकी है या पूरा होने के करीब है

समाधान योजना के दायरे को अस्वीकार करना आवश्यक है। जब समाधान योजना की मंजूरी सी. ओ. सी. द्वारा दी जानी होती है और इसकी संरचना संहिता द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि

सी. ओ. सी. से विशेष रूप से घर खरीदार, भले ही लेनदार और देनदार का संबंध उसके और कॉर्पोरेट देनदार के बीच बना रहे। 170. चर्चा के इस भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, हमारे विचार में, सी. ओ. सी. द्वारा एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना की मंजूरी के बाद, जहां एक वर्ग के रूप में घर खरीदार हैं।

योजना के लिए सहमति देने पर, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या संघ समाधान योजना को कोई चुनौती नहीं दे सकता है और न ही उसे किसी कानूनी शिकायत के रूप में माना जा सकता है। 171. एक बार जब हम मान चुके हैं कि ये असंतुष्ट घर खरीदार और संघ प्रस्ताव को कोई चुनौती देने के हकदार नहीं हैं

उनके वर्ग के अपेक्षित बहुमत के निर्णय के विपरीत, उनकी सभी आपत्तियों को पूरी तरह से खारिज करने की आवश्यकता होती है। फिर भी, न्याय के हित में, हमने इन आपत्तियों की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संहिता की धारा 30 (2) की परिधि के भीतर विचार करने योग्य कोई पहलू है। हमें कोई नहीं मिलता।

171.1 . इन असंतुष्ट घर खरीदारों की आपत्तियों का बड़ा हिस्सा रेरा के तहत कथित अधिकारों से संबंधित है। हमें डर है कि इस तरह के प्रस्ताव भी कानून के अनुरूप नहीं हैं। आर. ई. आर. ए. और आई. बी. सी. की परस्पर क्रिया भी मामले में पूर्ण प्रदर्शन के लिए सामने आई पायनियर अर्बन (ऊपर) और इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज कर दिया कि रेरा अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं से संबंधित एक विशेष अधिनियम होने के कारण संहिता पर

प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पायनियर अर्बन में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 238 पर ध्यान दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

" 25. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता में आर. ई. आर. ए. की धारा 88 के समान कोई प्रावधान नहीं है, जो कि जे. जे. पी. केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर है।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जहाँ तक उसकी विषय वस्तु का संबंध है, कानून का पूर्ण और विस्तृत विवरण। इसके अलावा, आर. ई. आर. ए. का गैर-बाध्यकारी खंड 1-12-2016 पर लागू होने वाले संहिता के गैर-बाध्यकारी खंड के विपरीत 1-5-2016 पर लागू हुआ। इसके अलावा, जिस संशोधन से हम संबंधित हैं, वह केवल 6-6-2018 पर लागू हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से दिए गए तर्कों को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, कि रेरा एक विशेष अधिनियम है जो अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं से संबंधित है और इसे,

संहिता की धारा 5 (8) (च) के स्पष्टीकरण का परिचय, यह स्पष्ट है कि संसद रेरा के बारे में जानती थी, और कुछ को लागू करती थी इसकी परिभाषा के प्रावधान ताकि वे संहिता की व्याख्या किए जाने पर लागू हो सकें। तथ्य यह है कि आर. ई. आर. ए. उस समय के लिए किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त है और उसका अपमान नहीं है।

लागू होने के कारण, यह भी स्पष्ट होता है कि आबंटियों के लिए आर. ई. आर. ए. के तहत उपचार अतिरिक्त होने का इरादा था न कि अनन्य उपचार। इसके अलावा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चूंकि आर. ई. आर. ए. के तहत प्राधिकरणों की स्थापना 1-5-2016 से एक वर्ष के भीतर की जानी थी, इसलिए उन प्राधिकरणों के समक्ष उपचार केवल 1-5-2017 पर और उससे ही लागू होंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि संहिता के प्रावधान, जो 1-12-2016 पर लागू हुए थे, आर. ई. आर. ए. के अलावा भी लागू होंगे।

***

***

***

इसलिए, आर. ई. आर. ए. को एक विशेष क़ानून नहीं माना जा सकता है, जो किसी संघर्ष के मामले में, सामान्य क़ानून को ओवरराइड करेगा। कोड। 30. वास्तव में, कोड और रेरा पूरी तरह से काम करते हैं।

विभिन्न क्षेत्र। संहिता आर. ई. एम. में एक कार्यवाही से संबंधित है जिसमें ध्यान कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्वास पर है। यह निगम के प्रबंधन को बदलकर किया जाना है।

एक समाधान योजना के माध्यम से देनदार जिसे लेनदारों की समिति के 66 प्रतिशत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसे अब कॉर्पोरेट देनदार के भाग्य का फैसला करने के लिए मामलों के शीर्ष पर रखा गया है।

समाधान योजना तब उसी या किसी अन्य प्रबंधन को संहिता के प्रावधानों के अधीन रखती है, ताकि कॉर्पोरेट देनदार को जंगल से बाहर निकाला जा सके और एक चालू चिंता के रूप में जारी रखा जा सके, इस प्रकार इसमें शामिल सभी हितधारकों को लाभ हो। यह केवल

एक अंतिम उपाय के रूप में कि निगमित देनदार को समाप्त करने का सहारा लिया जाता है, ताकि उसकी परिसंपत्तियों का परिसमापन किया जा सके और संहिता की धारा 53 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से भुगतान किया जा सके। दूसरी ओर, रेरा अचल संपत्ति में व्यक्तिगत निवेशक के हितों की रक्षा करता है।

उल्लिखित अवधि के भीतर फल प्राप्त करना और यह देखना कि ऐसी परियोजनाओं के आबंटियों को अधर में नहीं छोड़ा जाता है और वे अंततः अपने घर के सपने को साकार करने में सक्षम होते हैं, या यदि ऐसा सपना टूट जाता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है, या कम से कम वे पैसे वापस प्राप्त करते हैं जो उन्होंने परियोजना के लिए ब्याज के साथ दिए थे। साथ ही, अवज्ञाकारी आबंटियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सौदे के अपने हिस्से का भी पालन करना चाहिए, अर्थात् जब भी वे देय और देय हों, किश्तों का भुगतान करना चाहिए। अलग-अलग क्षेत्रों को देखते हुए जिनके भीतर ये दोनों अधिनियम काम करते हैं, रेरा के तहत आबंटियों को अलग-अलग समानांतर उपाय दिए जाते हैं ताकि यह देखा जा सके कि उनका फ्लैट/अपार्टमेंट है या नहीं। निर्माण किया गया और उन्हें समय पर वितरित किया गया, इसके अलावा उसी के लिए मुआवजा और/या ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी कम से कम उनके रास्ते में आती है। यदि, तथापि, आबंटित व्यक्ति चाहता है कि निगमित देनदार के प्रबंधन को ही हटा दिया जाए और बदल दिया जाए, ताकि निगमित देनदार का पुनर्वास किया जा सके, तो वह संहिता के तहत धारा 7 आवेदन को प्राथमिकता दे सकता है। आर. ई. आर. ए. द्वारा मान्यता दी गई है कि एक और समानांतर उपचार उपलब्ध है।

धारा 71 (1) के प्रावधान में, जिसके द्वारा एक आवंटी उपभोक्ता संरक्षण मंच के समक्ष पहले से दायर आवेदन को जारी रख सकता है, उसे ऐसी शिकायत वापस लेने और धारा 88 के साथ पठित रेरा के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने का विकल्प दिया जा रहा है। इसी तरह की परिस्थितियों में, यह न्यायालय स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम. कोटक महिंद्रा

बैंक लिमिटेड ने अभिनिर्धारित किया है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण बैंकों और वित्तीय देय ऋणों की वसूली के तहत कार्यवाही करता है। संस्थान अधिनियम, 1993 और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन कार्यवाही समानांतर धाराओं में चल सकती है (उसमें पैरा 21 और 22 देखें)।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

171.1. 1 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रेरा के संचालन के संबंध में सभी विवाद और उसके तहत दावा या मुआवजे के लिए कोई अन्य दावा या

ब्याज, जब अनुमोदित समाधान योजना के अनुरूप नहीं है, तो अस्वीकार किए जाने के योग्य है। वास्तव में, यह सवाल कि घर खरीदारों जैसे वित्तीय लेनदारों के साथ किस तरह का समझौता किया जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक निर्णय के क्षेत्र में आने वाला मामला है। और यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया में, वाणिज्य से संबंधित कारकों को लेनदारों की समिति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। जब ऋणदाताओं की समिति ने समाधान योजना में एनबीसीसी के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, तो कुछ घर खरीदारों की शिकायत के संदर्भ में इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। आरिफुर रहमान खान (ऊपर) को किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वर्तमान में विचाराधीन मुद्दों पर लागू नहीं होगा। 172. परिसमापन लागत के संबंध में एक और आपत्ति आई. आर. पी. और एन. बी. सी. सी. द्वारा उचित रूप से स्पष्ट की गई है कि विनियमन 39 बी के तहत

3 संहिता में धारा 32ए को शामिल करने की दृष्टि से भी अन्यथा अनावश्यक है, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा चर्चा की गई है, जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह देखने के लिए पर्याप्त है कि समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया इस तरह के कारण दूषित नहीं होती है शर्तें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन टिप्पणियों को समाधान योजना की अनुसूची 3 के खंड 1 की हमारी मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वैधता और वैधता की जांच प्वाइंट जे इन्फ्रा में अलग से की जा रही है।

174. चर्चा के इस खंड को समाप्त करने से पहले, हमें यह संकेत देने के लिए प्रेरित किया जाता है कि असंतुष्ट घर खरीदारों की आपत्तियां और सुझाव इस हद तक गए हैं कि आई. आर. पी. को निर्माण के लिए धन जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए; नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए; और एन. बी. सी. सी. को 3 साल के भीतर पूरी परियोजना को पूरा करने और प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' के नाम पर मनमाने ढंग से वृद्धि के लिए घर खरीदारों से किसी भी अतिरिक्त राशि का शुल्क लेने से। एक आपत्ति व्यक्त की गई है कि घर खरीदारों द्वारा जमा किए गए धन का उपयोग करने के लिए किया गया था।

समाधान योजना के लिए एक चुनौती बनाए रखें और एक असहमत वित्तीय लेनदार या एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है; अचल संपत्ति के प्रावधानों के उल्लंघन का सवाल (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 उत्पन्न नहीं होता है; विचाराधीन समाधान योजना सी. आई. आर. पी. विनियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं करती है; और जब समाधान योजना व्यापक रूप से कॉर्पोरेट देनदार की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित होती है, तो कोई भी आवास परियोजना लागू नहीं हो सकती है।

केवल इस कारण से अलग किया गया है कि यह पूरा हो गया है या पूरा होने के करीब है।

प्वाइंट जे

आई. एन. आर. 750 करोड़ और जे. ए. एल. और जे. आई. एल. जे. जे. पी. के बीच लेखा-जोखा केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

176. अब हमें इन मामलों में गंभीर विवाद के एक अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जो 750 रुपये की राशि पर दावे से संबंधित है। करोड़ (जो जे. ए. एल. द्वारा इसके निर्देशों के अनुसार जमा किया गया था)

चित्रा शर्मा के मामले में न्यायालय) और उस पर उपार्जित ब्याज। एक ओर जे. ए. एल. और उससे संबंधित व्यक्ति/निकाय, जिसमें उसके घर खरीदार और संस्थागत वित्तीय लेनदार भी शामिल हैं, कहते हैं कि यह पैसा जे. ए. एल. की संपत्ति है और उसे जे. ए. एल. को वापस आना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर समाधान आवेदक एन. बी. सी. सी. के साथ-साथ जे. आई. एल. से संबंधित व्यक्ति/संस्थाएं, जिसमें उसके घर खरीदार और संस्थागत वित्तीय लेनदार भी शामिल हैं, कहते हैं कि यह पैसा जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों का एक हिस्सा है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ऐसा करना सही माना है। तीसरे कोण में, जे. ए. एल. के घर खरीदारों का एक संघ प्रस्तुत करता है कि इस राशि का एक हिस्सा उनकी परियोजना के संबंध में निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। जे. आई. एल. के कुछ असंतुष्ट घर

खरीदारों द्वारा एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो सुझाव देते हैं कि एन. बी. सी. सी. का लक्षय केवल इस धन को प्राप्त करके लाभ कमाना है, लेकिन घर खरीदारों के लाभ के लिए इसके उचित उपयोग के लिए समाधान योजना में कोई संबंधित प्रावधान किए बिना। जे. आई. एल. और उसके घर खरीदारों द्वारा जे. ए. एल. को विशेष अग्रिम और ब्याज मुक्त रखरखाव जमा आदि के लिए किए गए अग्रिम के संबंध में लेखांकन के अन्य विवाद इन प्रतिद्वंद्वी दावों के साथ जोड़े गए हैं। वास्तव में, जे. ए. एल. की ओर से यह निवेदन किया गया है कि या तो अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की पूरी राशि उसे वापस की जाए या वैकल्पिक रूप से, खातों के मिलान के बाद, जे. आई. एल. के प्रति उसकी देयता को इस कोष से समायोजित किया जाए और शेष राशि उसे वापस की जाए। इस परिदृश्य में, हमने आई. एन. आर. 750 करोड़ की इस राशि और उपार्जित ब्याज के निपटारे के संबंध में और इसके समाधान के संबंध में अलग-अलग प्रश्न तैयार किए हैं।

जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच खाते लेकिन, आपस में जुड़े होने के कारण, इन प्रश्नों को एक साथ निर्धारण के लिए लिया जाता है।

177. निर्विवाद रूप से, 750 करोड़ रुपये की यह राशि जे. ए. एल. द्वारा चित्रा के मामले में इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जमा की गई थी। शर्मा (ऊपर)। अंततः आई. डी. 1 के फैसले द्वारा चित्रा शर्मा के मामले का फैसला करते हुए, इस अदालत ने मामले की असंख्य विशेषताओं पर ध्यान दिया और कुछ घर खरीदारों के इस पैसे का उपयोग धनवापसी के लिए करने के दावे पर भी ध्यान दिया, लेकिन इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और इस पैसे को एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित कर दिया।

177.1 . इसके बाद की गई प्रक्रिया में, इस राशि से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों को आई. आर. पी. द्वारा जानकारी में स्पष्ट किया गया था।

ज्ञापन। इसके बाद, समाधान योजना में, एनबीसीसी ने [2021] 12 एस. सी. आर. बनाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस कोष की उपलब्धता योजना के 'राहत और रियायतों' के पहले खंड में निम्नलिखित शब्दों में योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है: -

आई. एन. आर. 750 करोड़ की यह राशि उस पर उपार्जित ब्याज के साथ निगमित देनदार/समाधान को उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक। निगमित देनदार द्वारा रसीद के बाद, यह राशि

750 करोड़ रुपये को कॉर्पोरेट ऋणदाता के खातों में मौजूदा प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी निवेश के रूप में माना जाएगा और मौजूदा प्रवर्तकों की संबंधित इक्विटी होगी।

बाद में पूंजी कटौती या चयनात्मक पूंजी कटौती के माध्यम से इस समाधान योजना के तहत मौजूदा प्रवर्तकों की अन्य इक्विटी होल्डिंग को समाप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके के समान तरीके से समाप्त किया जाएगा। यदि उपार्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि समाधान आवेदक/कॉर्पोरेट ऋणदाता को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो समाधान आवेदक को बिना किसी कारण के इस प्रक्रिया से वापस लेने का अधिकार है।

समाधान आवेदक पर किसी भी प्रकृति का दायित्व।

177.2 . समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था; जिसका अर्थ है कि उपरोक्त खंड को लेनदारों की समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की इस राशि के लिए दावा विवाद का विषय बन गया जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने समाधान योजना की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की, विशेष रूप से जे. ए. एल. ने इस राशि पर अपना दावा किया। इस संबंध में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर ध्यान देने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जे. ए. एल. द्वारा की गई जमा राशि हमेशा जे. आई. एल. के घर खरीदारों के लाभ के लिए थी और यह निगमित देनदार जे. आई. एल. की संपत्ति बन गई। और उक्त राशि का उपयोग घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने और उनके प्रति किए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाना था, अर्थात, आवश्यक निर्माण पूरा करने या धनवापसी करने के बाद आवासीय इकाइयों का कब्जा देने की पेशकश, जैसा भी मामला हो।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जे. ए. एल. द्वारा और जे. आई. एल. की संपत्ति नहीं थी। इसके अलावा, देय ब्याज भी जे. ए. एल. को जमा होगा और जे. ए. एल. की एक परिसंपत्ति होगी। 178.1. 1 . यह दृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया है कि किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति का उपयोग दिवाला के समाधान के लिए नहीं किया जा सकता है।

एक निगमित देनदार, जैसा कि दूतावास संपत्ति (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। अनुज जैन (ऊपर) में निर्णय को यह प्रस्तुत करने के लिए भी संदर्भित किया गया है कि इसमें भी, इस न्यायालय ने जे. आई. एल. की संपत्तियों का उपयोग जे. ए. एल. द्वारा बकाया राशि प्राप्त करने के लिए करने की अनुमति नहीं दी है।

178.1. 2 . चित्रा शर्मा के मामले में कार्यवाही के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए यह जमा किया गया था

आदेश आई. बी. सी. के संशोधन के कारण प्राप्त किया गया है और इस राशि को जे. आई. एल. की संपत्ति के रूप में मानने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चित्रा शर्मा मामले में, इस न्यायालय ने जे. आई. एल. और जे. ए. एल. दोनों के घर खरीदारों के लिए वेब

पोर्टल खोलने का निर्देश दिया और इससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि उक्त राशि जे. ए. एल. के घर खरीदारों के लिए भी थी। इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने एक गलत आधार पर कार्रवाई की कि राशि केवल जे. आई. एल. के धनवापसी के लिए थी।

घर खरीदार, इस प्रकार जे. ए. एल. के घर खरीदारों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित कर रहे हैं।

178.1. 3 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. लंबित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने स्वयं के घर खरीदारों के लिए घर जिनके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है; और जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग जे. आई. एल. [2021] 12 एस. सी. आर. के दिवालिया समाधान के लिए किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप एक 'डोमिनोज़ प्रभाव' होगा और जे. ए. एल. को जोखिम के लिए उजागर करेगा दूसरी ओर, दिवाला और इसके परिणामस्वरूप समाधान आवेदक (एन. बी. सी. सी.) का अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा।

178.1. 4 . तर्कों के एक अन्य अंग में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. जे. आई. एल. के प्रति अपनी देनदारी के प्रति सचेत है, जो अब तक आई. एन. आर. 195 करोड़ थी।

31.03.2020 ; और चूंकि जे. ए. एल. यह भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

आई. आर. पी. या उसके द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित। इस संबंध में, जे. ए. एल. को दिए गए निर्माण अनुबंधों और उस खाते में अग्रिम भुगतान से संबंधित पृष्ठभूमि तथ्यों का उल्लेख करते हुए जे. आई. एल., निर्माण अनुबंधों को समाप्त करने के लिए समाधान योजना में शब्द भी संदर्भित किया गया है और यह प्रार्थना की गई है कि जे. ए. एल. से देय शेष राशि को 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि से समायोजित किया जा सकता है, यदि एन. बी. सी. सी. इस प्रभाव के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है कि यह होगा

निर्माण समझौतों को समाप्त करना। इस संबंध में जे. ए. एल. की ओर से लिखित प्रस्तुतियों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है: -

" जी. एएमयू. एन. टी. एस. जे. ए. एल. से जे. आई. एल. तक

26. जे. आई. एल. ने विभिन्न समझौते/कार्य अनुबंध किए हैं।

27. तदनुसार उक्त राशि अगस्त 2017 से जे. ए. एल. के आर. ए. बिल से वसूल की गई थी, जिससे आई. डी. 2 पर आई. डी. 1 करोड़ का बकाया रह गया था। यह 31.03.2020

(लेखापरीक्षित खातों के अनुसार) पर कुल मिलाकर Rs.195 करोड़ तक कम हो गया है, और इसमें लगभग कमी आने की संभावना है। Rs.165 एक के भीतर करोड़ आर. बी. एस. ए. (सी. आई. आर. पी. के सलाहकार) [@Pg द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार 12 महीने की अवधि। 143 जे. ए. एल. के अतिरिक्त शपथपत्र]।

28. इसलिए, जे. ए. एल. इस तथ्य से अवगत है कि जे. आई. एल. के प्रति देयता अब रु. 195 करोड़ (31.03.2020 के अनुसार और निर्माण कार्य के अनुसार कम हो रहा है)।

चूँकि जे. ए. एल. जे. जे. पी. केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर बनाने की स्थिति में नहीं है।एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह भुगतान स्वतंत्र रूप से तब तक किया जाता है जब तक कि Rs.750 करोड़ वापस नहीं किए जाते हैं। इस पर वापस, इसलिए, पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से, जे. ए. एल. यह पेशकश करता है कि

जे. आई. एल. के प्रति स्वीकृत और निर्विवाद दायित्व का निर्वहन किया जा सकता है।

उक्त दायित्व को Rs.750 करोड़ से विनियोजित करके और शेष राशि को वापस करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह राशि हो सकती है

आर. पी. द्वारा या द्वारा नियुक्त एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित उसे।

29. हालाँकि, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि एनबीसीसी का

जे. आई. एल. और जे. ए. एल.) निम्नलिखित तरीके से [@Pg.47of जे. ए. एल. दिनांकित अतिरिक्त शपथ पत्र 12.05.2020]:

" (vi) समाधान आवेदक को समाप्त करने का अधिकार होगा।

जयप्रकाश के साथ वर्तमान निर्माण अनुबंध

एसोसिएट्स लिमिटेड ("जे. ए. एल".), जो लागत से अधिक के आधार पर हैं।

और विक्रेताओं के साथ नए निर्माण अनुबंध करें

जैसा कि संकल्प आवेदक द्वारा चुना जा सकता है अपनी व्यावसायिक नीतियों और ऐसे अनुबंधों के अनुसार

बाजार के अनुसार हथियारों की लंबाई के आधार पर प्रवेश किया जाएगा मानक। बशर्ते कि जे. ए. एल. का अधिकार नहीं होगा

ऐसे निर्माण अनुबंधों को 12 की अवधि के लिए समाप्त करना। मंजूरी की तारीख से महीने। (जोर दिया गया)

30. उपरोक्त स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जे. ए. एल. एन. बी. सी. सी. की दया पर है

एकतरफा, जबकि जे. ए. एल. नहीं कर सकता। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त बकाया Rs.195 करोड़ (जो होना था)

जे. आई. एल. की परियोजनाओं के निर्माण के लिए विनियोजित) केवल

अगर एन. बी. सी. सी. है तो Rs.750 करोड़ के योग से समायोजित/बंद किया जाए।

इस प्रभाव के लिए एक औपचारिक प्रस्तुति देता है कि यह समाप्त हो जाएगा

निर्माण समझौते "।

(जोर मूल में है)

178.1. 5 . इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि आई. एन. आर. की उक्त राशि

उपार्जित ब्याज के साथ राशि को जे. ए. एल. को वापस करने का आदेश दिया जाए, वैकल्पिक रूप से, राशि को विनियोजित करने के बाद धनवापसी का आदेश दिया जा सकता है।

उपरोक्त संदर्भ में जे. आई. एल. के प्रति जे. ए. एल. की देनदारी

लिखित प्रस्तुतियों का 30 राफ़।

178.2 . आई. एन. आर. 750 की वापसी के लिए प्रस्तुतियों का समर्थन करते हुए

जे. ए. एल. के घर खरीदारों ने तर्क दिया है कि उक्त जमा राशि [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निर्माण के वित्तपोषण, या इक्विटी, या ऋण, या किसी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं था; कि सर्वोच्च न्यायालय ने जे. ए. एल. द्वारा जमा करने का आदेश केवल एक अंतरिम व्यवहार्य व्यवस्था प्रदान करने और घर खरीदारों को राहत देने के लिए दिया था, क्योंकि उन्हें संहिता के तहत वित्तीय लेनदार का दर्जा नहीं था; कि जमा का उद्देश्य जे. आई. एल. की दिवालियापन को हल करने के लिए नहीं था; और यह कि सूचना ज्ञापन में 750 करोड़ रुपये की इस राशि को कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. की संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था। एनबीसीसी के पक्ष में 750 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से जुड़ी समाधान योजना में उल्लिखित पूर्ववर्ती शर्त के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचार की आवश्यकता वाला प्रश्न

यह है कि क्या एनबीसीसी अपनी बोली की शर्त के रूप में 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि पर दावा कर सकता था? इसके अलावा, जे. ए. एल. को सही राशि से अनुचित रूप से वंचित करना और विकासकर्ता द्वारा राशि के उपयोग के अधिकार से वंचित करना जे. ए. एल. के घर खरीदारों के कानूनी अधिकारों और हितों के लिए एक गंभीर पूर्वाग्रह और नुकसान के रूप में कार्य करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित 03.03.2020 आदेश में NCLT के तर्क और निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं और बिना किसी आधार के हैं। जमा की गई राशि को जे. आई. एल. के खातों में उसकी संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है और एन. सी. एल. टी. के पास सशर्त समाधान योजना के तहत एन. बी. सी. सी. द्वारा दावा करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. एल. टी. का आदेश जे. आई. एल. के घर खरीदारों को जे. ए. एल. के घर खरीदारों के हितों की कीमत पर एक लाभप्रद स्थिति में रखता है, जो सी. आई. आर. पी. विनियमों और समग्र रूप से संहिता के प्रावधानों और भावना के विपरीत है। जे. ए. एल. के घर खरीदारों ने प्रार्थना की है कि अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की यह राशि जे. ए. एल. को जारी की जाए ताकि उसके घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके। 178.3 . जे. ए. एल. के घर खरीदारों के एक संघ ने भी एन. सी. एल. टी. के दिनांकित 03.03.2020 के उक्त आदेश को सीधे इस न्यायालय में चुनौती दी है और कहा है कि

उन्होंने कहा कि "नाइट्स कोर्ट प्रोजेक्ट" को 2015 तक पूरा किया जाना था और घर खरीदारों ने पहले ही जे. ए. एल. को बिक्री के विचार का 95 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के घर खरीदारों के लाभ के लिए जे. ए. एल. द्वारा 750 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी और यह कहा गया था कि 92 प्रतिशत घर खरीदार फ्लैट का कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं, जो आवश्यक निर्माण कार्यों के बाद ही संभव है। जगह। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. के योगदानकर्ताओं के धन का उपयोग पहले "नाइट्स कोर्ट प्रोजेक्ट" के फ्लैटों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए न कि जे. आई. एल. की समाधान योजना या जे. ए. एल. में लौटने के लिए। इस संगठन ने अपनी शिकायत में कहा है कि

रेरा, जे. ए. एल. के तहत कार्यवाही के साथ-साथ जे. ए. एल. ने जे. जे. पी. केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर से मांग की है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इसके सदस्यों को 98 करोड़ रुपये की एक और राशि दी जाती है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के फ्लैटों को पूरा करने और विकसित करने का दायित्व जे. ए. एल. का था, लेकिन इसमें 5 से 7 साल की अस्पष्ट देरी हुई। और इसलिए, यह कठिन था कि जे. ए. एल. अपने सदस्यों से इतनी राशि की मांग कर रहा था।

उपरोक्त परियोजना को पूरा करने के लिए और यह प्रार्थना की गई है कि इस संघ के सदस्यों के घरों को पूरा करने के लिए जे. ए. एल. द्वारा जमा किए गए उक्त आई. एन. आर. 750 करोड़ से इसे उपलब्ध

कराया जाए। 178.4 . जे. ए. एल. के संस्थागत वित्तीय लेनदार ने तर्क दिया है कि 750 करोड़ रुपये की जमा राशि जे. ए. एल. ने खुद से जमा की थी।

धन और यह इसकी संपत्ति बनी हुई है; और यह कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निर्देश या किसी भी कानूनी हस्तांतरण के अभाव में, इस जमा का स्वामित्व नहीं बदलेगा, और इस धन को जे. ए. एल. को वापस करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने लगातार यह निर्धारित किया है कि न्यायालय का कोई कार्य उसके समक्ष किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं कर सकता है और यदि ऐसा होता है, तो न्यायालय पक्ष को न्यायालय के ऐसे कार्य से पहले उस पद पर वापस लाने के लिए बाध्य है। ओ. एन. जी. सी. और ए. एन. आर. के मामले में निर्णय। वी. एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज एंड ओआरएस। : (2001) 6 एस. सी. सी. 627 को संदर्भित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. ने घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए इस न्यायालय के निर्देशों पर धन जमा किया, लेकिन,

चूंकि न्यायालय ने इस जमा राशि के उपयोग के लिए कोई निर्देश नहीं दिया और केवल निधि को एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित कर दिया, इसलिए जे. ए. एल. इस राशि की वापसी के साथ अपनी मूल स्थिति में बहाल होने का हकदार है। यह दोहराया जाता है कि आई. आर. पी. किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता है, जो ट्रस्ट में या कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि यह जमा करने के लिए जे. ए. एल. को दिए गए निर्देश एक अंतरिम व्यवहार्य व्यवस्था पर पहुंचने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए थे। लेकिन जब आई. बी. सी. के संशोधन के बाद उद्देश्य विवादास्पद हो गया, तो पैसा उसके मालिक, यानी जे. ए. एल. को वापस कर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. स्वयं वित्तीय संकट में है और अपने हितधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है और जे. ए. एल. के सी. आई. आर. पी. के लिए संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन लंबित है। इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई है कि उपार्जित ब्याज के साथ जमा की गई राशि को जे. ए. एल. को वापस करने का आदेश दिया जाए और आगे आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के नियंत्रण में एक एस्क्रो खाते में रखने का आदेश दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

179. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए समाधान योजना के पक्ष में खड़े व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा जे. ए. एल. को अर्जित ब्याज के साथ आई. एन. आर. 750 करोड़ की वापसी के लिए उपरोक्त प्रस्तुतियों का विधिवत विरोध किया गया है। हम प्रमुख पर ध्यान दे सकते हैं

इस संबंध में प्रस्तुतियाँ। 179.1 . समाधान आवेदक एन. बी. सी. सी. की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसके द्वारा पेश की गई समाधान योजना को मंजूरी दी गई है।

179.1. 1 . एनबीसीसी ने इन दलीलों पर विस्तार से बताया है कि 750 करोड़ रुपये की इस राशि के संबंध में अपनी समाधान योजना में शर्त अनिवार्य रूप से चित्रा शर्मा के मामले में इस अदालत के आदेशों पर आधारित थी, और इस तथ्य पर कि जेएएल को इस धन को जेआईएल के सीआईआरपी के संबंध में दायर की गई कार्यवाही में जमा करने का निर्देश दिया गया था। चित्रा शर्मा के मामले में पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि यह पैसा स्पष्ट रूप से घर खरीदारों के लाभ के लिए था और हालांकि इस न्यायालय ने शुरू में प्रो रेटा के प्रस्ताव पर चर्चा की थी। धनवापसी चाहने वालों के बीच संवितरण लेकिन इस तरह के संवितरण का आदेश तब नहीं दिया गया जब अदालत ने देखा कि घर खरीदारों का एक बड़ा हिस्सा फ्लैटों के कब्जे की मांग करना चाहता था और धनवापसी चाहने वालों को संवितरण दूसरों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने वाला था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय का इरादा, कि उपरोक्त राशि घर खरीदारों के लाभ के लिए होगी, इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 06.06.2018 से प्रभावी संहिता के संशोधन के बाद भी, जिसके तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में शामिल किया गया था, इस न्यायालय ने जे. आई. एल. घर खरीदारों के लाभ के लिए जमा को बनाए रखना उचित समझा और इसके संबंध में कोई संशोधन आदेश या जे. ए. एल. को उक्त राशि जारी करने का कोई आदेश पारित नहीं किया।

179.1. 2 . 'विशिष्ट निवेश/वित्तपोषण' उप-शीर्षक के तहत सूचना ज्ञापन की सामग्री के संदर्भ में

समाधान आवेदक के लिए पर्याप्त मूल्य के साथ अवसर

'निवेश हाइलाइट्स' में, एनबीसीसी प्रस्तुत करेगा कि समाधान योजना का वित्तीय मॉडल 750 करोड़ रुपये की इस राशि की उपलब्धता पर आधारित है, और यदि यह उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह घर खरीदारों के फ्लैटों को पूरा करने में बाधित होगा। एन. बी. सी. सी. ने दोहराया है कि इस राशि की उपलब्धता एक शर्त पूर्ववर्ती होने के कारण, यह जेपी केंसिंगटन बॉउलेवार्ड का सहयोग करती है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यदि यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो समाधान योजना से उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

179.1. 3 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चित्रा शर्मा मामले में इस अदालत के आदेशों के अनुसार जे. ए. एल. द्वारा की गई जमा राशि को सुरक्षित करना था। और जे. आई. एल. के घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और इस न्यायालय के आदेश की तर्ज पर कार्य करने के लिए, जमा की अनुमति दी जानी चाहिए

आवास इकाइयों के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एनबीसीसी प्रस्तुत करता है कि इस अदालत में जमा किए जाने के बाद 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि जेएएल की संपत्ति नहीं रही।

179.1. 4 . उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा और पूर्वाग्रह के बिना, एनबीसीसी ने टिप्पणियों के संदर्भ में यह भी कहा है सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदि इस न्यायालय द्वारा योजना की मंजूरी से पहले खातों का कोई सुलह करना है, तो एनबीसीसी को सफल समाधान आवेदक और पूर्ववर्ती अंतरिम निगरानी समिति का हिस्सा होने के लिए इस तरह की कवायद में शामिल होना चाहिए।

179.1. 5 . एन. बी. सी. सी. ने विवादित अनुच्छेद 77 का भी उल्लेख किया है।

आई. डी. 1 दिनांकित आदेश, जिसमें एन. सी. एल. टी. ने जे. ए. एल. की ओर से जे. आई. एल. के प्रति अपनी 274 रुपये की देनदारी के बारे में स्वीकारोक्ति दर्ज की है। और आदेश दिया कि जे. ए. एल. जे. आई. एल. को यह भुगतान करेगा; और

शेष राशि, जे. ए. एल. और जे. आई. एल. एक सुलह विवरण का मसौदा तैयार करेंगे और इस तरह के सुलह के परिणाम के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

179.1. 6 . विभिन्न मुद्दों पर जे. आई. एल. के प्रति जे. ए. एल. की कथित देनदारियों के संबंध में एन. बी. सी. सी. की ओर से लंबे समय से प्रस्तुतियां दी गई हैं।

अंक। लेखांकन के इन पहलुओं की आवश्यकता नहीं होगी।

यहाँ निर्णय लेकिन हमारे सामने उठाए गए मुद्दों पर कुछ असर डालता है और इसलिए, इस संबंध में एनबीसीसी की ओर से लिखित प्रस्तुतियों का एक हिस्सा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

" 2. जे. ए. एल. ने जे. ए. एल. अपील में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से दावा किया है कि 31 मार्च 2020 तक जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को देय राशि घटकर 218 करोड़ रुपये रह गई है। यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि समाधान योजना के तहत, एनबीसीसी ने सभी मौजूदा संविदात्मक व्यवस्थाओं को समाप्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

जेएएल।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. आर. पी. द्वारा प्रदान किए गए और आई. एम. सी. में अपनी उपस्थिति के दौरान एन. बी. सी. सी. द्वारा देखे गए जे. आई. एल. के अभिलेखों के अनुसार,

यह देखा गया है:

जे. आई. एल. के घर खरीदार को ब्याज मुक्त रखरखाव जमा ("आई. एफ. एम. डी".) की प्रकृति में राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

उनके द्वारा खरीदी गई फ्लैट इकाइयाँ, और मान्यता प्राप्त निवासी कल्याण संघों (आर. डब्ल्यू. ए.) के गठन के बाद इस आई. एफ. एम. डी. को यू. पी. अपार्टमेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर. डब्ल्यू. ए. को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

चूँकि जे. ए. एल. इस तरह के रखरखाव के लिए नामित एजेंसी है।

जे. आई. एल., जे. ए. एल. और घर खरीदारों के बीच मौजूदा संविदात्मक व्यवस्था के अनुसार, आई. एफ. एम. डी. का यह भुगतान घर खरीदारों द्वारा जे. ए. एल. को किया जाना था और उसके बाद आई. एफ. एम. डी. का हस्तांतरण जे. ए. एल. द्वारा आर. डब्ल्यू. ए. एस. को किया जाना था। वर्ष 2016 में जे. ए. एल. के अनुरोध पर जे. आई. एल. ने जे. ए. एल. को ब्याज के लिए 381 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया है।

मुफ्त रखरखाव जमा (आई. एफ. एम. डी.), इस समझ के साथ कि ये राशि बाद में जे. आई. एल. द्वारा घर खरीदारों द्वारा उनकी फ्लैट इकाइयों का कब्जा लेने के समय घर खरीदारों से वसूल की जाएगी और भुगतान किए गए अग्रिम को समायोजित किया जाएगा। हालांकि, जे. ए. एल. आई. एफ. एम. डी. को आर. डब्ल्यू. ए. एस. को हस्तांतरित करेगा। आई. तदनुसार, फ्लैट सौंपने के दौरान, जे. आई. एल. द्वारा घर खरीदारों से लगभग 115 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई है और इसे 381 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि से समायोजित किया गया है, लेकिन अब जे. ए. एल. द्वारा घर खरीदारों के आर. डब्ल्यू. ए. को देय/हस्तांतरणीय है।

ii. इसलिए, 31 मार्च 2020 तक जे. आई. एल. के लेखापरीक्षित खातों के अनुसार जे. आई. एल. द्वारा जे. ए. एल. से 266 करोड़ रुपये (381-115 करोड़ रुपये) की राशि अभी भी वसूल की जा सकती है। कुल मिलाकर, 266 करोड़ रुपये के साथ 115 करोड़ रुपये की राशि (अंततः आर. डब्ल्यू. ए. को हस्तांतरित की जाएगी)

(जे. आई. एल. से संबंधित) यानी घर खरीदारों के ब्याज मुक्त रखरखाव जमा (आई. एफ. एम. डी.) के लिए जे. ए. एल. से 381 करोड़ रुपये की वसूली की जा सकती है। इसे इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि एनबीसीसी जेएएल के साथ सभी मौजूदा संविदात्मक व्यवस्थाओं को समाप्त कर सकता है और इस प्रकार आईएनआर 115 जे. ए. एल. द्वारा घर खरीदारों को आगे हस्तांतरण के लिए जे. आई. एल. को घर खरीदारों से संबंधित करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए।

iii. इसके अलावा, जे. आई. एल. ने जे. ए. एल. को वर्ष 2016 में विशेष अग्रिम के लिए 450 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया है, जिसे जे. ए. एल. के चालू बिलों से आनुपातिक आधार पर वसूल किया जा रहा था। 31 मार्च 2020 तक, एक राशि लगभग।

आई. एन. आर. 146 करोड़ को जेपी केंसिंगटन बॉउलेवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर से समायोजित किया गया है।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जे. ए. एल. के चालू बिल और आई. एन. आर. 304 करोड़ की राशि अभी भी बाकी है। लेखापरीक्षित के अनुसार 31 मार्च 2020 तक जे. ए. एल. से वसूली योग्य

31 मार्च 2020 तक जे. आई. एल. के खाते। iv. उपरोक्त के अलावा, जे. ए. एल. के साथ भूमि विनिमय सौदे के संबंध में जे. ए. एल. से 71 करोड़ रुपये की राशि भी वसूल की जा सकती है।

ऋणदाता। वी. उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को 756 करोड़ रुपये (381 + 304 + 71 करोड़ रुपये) की नकद राशि देय है।

31.3.2020 .

vi. यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय न्यायालय ने 2019 के सिविल अपील संख्या 8512-8527 अनुज जैन बनाम में दिनांकित 26.02.2020 निर्णय द्वारा। एक्सिस बैंक लिमिटेड आदि। (2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 237) ("758 एकड़ निर्णय") ने जे. आई. एल. से संबंधित 758 एकड़ भूमि पर बनाए गए बंधक को इस आधार पर अलग कर दिया है कि वे तरजीही लेनदेन थे। हालाँकि, उक्त 758 एकड़ भूमि के अलावा, जे. ए. एल. के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जे. आई. एल. की 100 एकड़ भूमि को गिरवी नहीं रखा जा सका क्योंकि यह पूर्वावलोकन अवधि से परे थी। इस प्रकार, वर्तमान में जे. आई. एल. की 100 एकड़ भूमि का बंधक अभी भी जे. ए. एल. के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए मौजूद है। इसलिए, 100 एकड़ गिरवी रखी गई भूमि (1500 करोड़ रुपये के ऋण पर गिरवी रखी गई) के बाजार मूल्य के बराबर राशि हो सकती है।

जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को देय, बशर्ते जे. आई. एल. उपचारों का प्रयोग करे

इस संबंध में कानून के तहत इसे उपलब्ध है। के उद्देश्य के लिए लिए गए मूल्यांकन के अनुसार उक्त भूमि का समतुल्य मूल्य

समाधान योजना (भूमि एस. पी. वी. के माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए प्रस्तावित भूमि) 328 करोड़ रुपये है।

vii. इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें निर्धारित सख्त समयसीमा को पूरा किया जाए, जे. ए. एल. इन अपीलों के निपटारे के तुरंत बाद और इस माननीय न्यायालय के तत्वावधान में जे. आई. एल. को कुल भुगतान करेगा।

1084 करोड़ रुपये (756 करोड़ + 328 करोड़ रुपये) की राशि।

viii. उसी का उपयोग निर्माण के लिए किया जाएगा

एनबीसीसी समाधान योजना "।

179.1. 7 . उपरोक्त के अलावा, समाधान आवेदक एनबीसीसी ने लेखांकन के विभिन्न अन्य पहलुओं का भी संकेत दिया

प्रमुख विकासकर्ता के रूप में जे. ए. एल. का दायित्व; और जे. ए. एल. द्वारा अतिरिक्त टी का प्रभार। हालाँकि, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सुझाई गई राशि [2021] 12 एस. सी. आर.

वे अंतिम सुलह और सत्यापन के अधीन हैं। इन प्रस्तुतियों के साथ, एनबीसीसी की ओर से प्रार्थना निम्नलिखित शब्दों में कही गई है:

" 9. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त राशि अंतिम सुलह और खातों के सत्यापन के अधीन है। इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि इस तरह का सुलह माननीय न्यायालय द्वारा नामित एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

जो यह सुनिश्चित करेगा कि जे. आई. एल. का सही हक उसे प्रदान किया जाए और समाधान योजना सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हो।

लागू किया गया "।

179.2 . जे. आई. एल. के घर खरीदारों के संघ, समर्थन करते हुए

इस न्यायालय के आदेश, क्योंकि चित्रा शर्मा मामले में न्यायालय का इरादा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और जे. आई. एल. का पुनर्वास करना था। इसके अलावा, अदालत द्वारा जे. ए. एल. को इस तरह की जमा राशि जमा करने का निर्देश, तब भी जब उसे पता था कि जे. ए. एल. जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. का पक्षकार नहीं था, यह दर्शाता है कि जे. ए. एल. को धनवापसी नहीं की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के किसी भी धनवापसी से शुरू करने के लिए आसानी से उपलब्ध धन में कमी आ सकती है। अधूरी परियोजनाओं का निर्माण।

179.2. 1 . यह प्रार्थना की गई है कि अदालत इस बात की पुष्टि करे कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए है

और जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों का एक हिस्सा है। वैकल्पिक रूप से, यह भी प्रार्थना की गई है कि जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच खातों का सुलह समयबद्ध तरीके से किया जाए और बचे हुए धन की वापसी की अनुमति तब तक नहीं दी जाए जब तक कि एन. बी. सी. सी. अपार्टमेंटों का निर्माण पूरा नहीं कर लेता और

घर खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा मिल जाता है। घर खरीदारों ने भी एनबीसीसी के खिलाफ निषेधाज्ञा, इसे वापस लेने से रोकने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एनबीसीसी को निर्देश देने का अनुरोध किया। फिर भी एनबीसीसी द्वारा निर्माण की गुणवत्ता के ऑडिट का निर्देश देने के लिए आगे प्रार्थना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अपार्टमेंट की बुकिंग के समय घर खरीदारों द्वारा सहमत गुणवत्ता के अनुरूप है।

179.3 . जे. आई. एल. के अन्य घर खरीदारों ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का समर्थन करते हुए दोहराया है कि चित्रा शर्मा मामले में जे. ए. एल. को उक्त जमा करने के लिए इस न्यायालय का निर्देश मुख्य रूप से था -

घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और जे. आई. एल. के पुनर्वास/बहाली; कि यह घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का एक सचेत निर्णय था; कि यदि इस न्यायालय का इरादा इस जमा राशि को जे. ए. एल. को वापस करना होता, तो एक स्पष्ट निर्देश दिया जाता कि जे. ए. पी. के. के. एन. एस. आई. एन. टी. एन. बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

उस ओर से, लेकिन जे. ए. एल. की कई दलीलों के बावजूद, इस न्यायालय ने ऐसा नहीं किया; कि 2,000 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देशों को वापस लेने की मांग करने वाले जे. ए. एल. के आवेदन को दिनांक 1 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और जे. ए. एल. के लिए वर्तमान कार्यवाही में समान राहत की मांग करना न्यायनिर्णायक के सिद्धांतों के खिलाफ है; कि आई. आर. पी.

जे. ए. एल. द्वारा की गई जमा राशि के भाग्य के संबंध में इस न्यायालय ने इस राशि को सूचना ज्ञापन में इस चेतावनी के साथ शामिल किया कि यह एन. सी. एल. टी. के आदेश के अधीन है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. को इस धन की वापसी के लिए किसी भी निर्देश से निर्माण शुरू करने के लिए आसानी से उपलब्ध धन की कमी हो जाएगी, जो पूरी परियोजना के भाग्य को खतरे में डाल सकती है। 179.4 . यहां तक कि जे. आई. एल. के घर खरीदारों के वे संगठन, जिन्होंने खुद को 'असंतुष्ट' घर खरीदारों के रूप में पेश करने का प्रयास किया है, इस मुद्दे पर स्पष्ट हैं कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि जे. आई. एल. की संपत्ति है और इसे जे. ए. एल. को वापस नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनबीसीसी इस धन को बिना पकड़े हुए लाभ कमाने का लक्षय बना रहा है।

घर खरीदारों के लाभ के लिए इसके उपयोग के लिए समाधान योजना में संबंधित प्रावधान।

179.5 . जे. आई. एल. के साथ खड़े अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं ने भी इस राशि की वापसी के लिए जे. ए. एल. की ओर से की गई दलीलों का विरोध किया है। INR 750 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिजर्व बैंक को अनुमति देते हुए भी

181. चित्रा शर्मा से जुड़े मामले पर विचार के दौरान क्या हुआ था और क्या हुआ था, इस पर एक व्यापक नज़र दिनांक 09.08.2018 के अंतिम निर्णय में, कुछ प्रासंगिक विशेषताएं सामने आती हैं, जो अनिवार्य रूप से इस न्यायालय [2021] 12 एस. सी. आर. की चिंता से संबंधित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के घर खरीदारों की ओर समग्र रूप से लिया गया। जैसा कि देखा गया है, जब सितंबर, 2017 के महीने में चित्रा शर्मा मामले में इस अदालत द्वारा कार्यवाही की गई थी, तो घर खरीदारों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय उन्हें कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। यह मामला जे. आई. एल. से संबंधित दिवालिया कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, लेकिन अदालत के समक्ष प्रस्तुतियाँ केवल जे. आई. एल. के घर खरीदारों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के घर खरीदारों की ओर से अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं और यह प्रस्तुत किया गया कि जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के साथ निवेश करने वाले 'फ्लैट खरीदारों' के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। आई. डी. 1 पर, मामलों के कई पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद, इस तथ्य सहित कि जे. ए. एल., होल्डिंग कंपनी, जे. आई. एल. से संबंधित दिवालिया कार्यवाही में पक्षकार नहीं थी, इस न्यायालय ने एक आदेश जारी किया।

जे. ए. एल. द्वारा आई. एन. आर. 2,000 करोड़ जमा करने सहित कई निर्देश।

181.1 . जे. ए. एल. ने आई. एन. आर. 2,000 करोड़ जमा करने के लिए निर्देश की कठोरता से बाहर निकलने के लिए एक उत्साही प्रयास किया, जबकि वापस लेने की मांग की।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश या एक संशोधन के लिए जो इसे यमुना एक्सप्रेसवे के संबंध में रियायत समझौते के तहत अधिकारों को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाएगा। जे. ए. एल. की ओर से यह प्रयास विफल हो गया क्योंकि इस न्यायालय ने विपक्ष में प्रस्तुतियों को देखा कि रियायत समझौते के तहत अधिकार जे. आई. एल. के थे। चित्रा शर्मा मामले में कार्यवाही के दौरान समय-समय पर जमा करने के लिए इस अदालत के निर्देशों के परिणामस्वरूप जे. ए. एल. ने किश्तों में 750 करोड़ रुपये जमा किए।

181.2 . इस मामले का तथ्य बना हुआ है और चित्रा शर्मा के मामले में पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों से सामने आता है, जो कि बुनियादी चिंता का विषय है।

न्यायालय का अधिकार जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के घर खरीदारों के दावे के संबंध में था और इस न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा गया था कि जे. ए. एल. को इस धन को विशेष रूप से जे.

आई. एल. के उद्देश्यों के लिए और उस मामले के लिए, केवल जे. आई. एल. के घर खरीदारों के उद्देश्यों के लिए देना था। जैसा कि देखा गया, कार्यवाही के दौरान, इस न्यायालय ने न्याय मित्र नियुक्त किया, जिन्हें जे. आई. एल. के घर खरीदारों के लिए वेब-पोर्टल और जे. ए. एल. के घर खरीदारों के लिए एक स्वतंत्र वेब-पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, जे. ए. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को न्यायमित्र को आवश्यक विवरण प्रदान करना था और साथ ही पोर्टल के निर्माण और परिणामी गतिविधियों को जारी रखने के लिए राशि भी प्रदान करनी थी।

181.3 . आई. डी. 1 पर जे. ए. एल. की ओर से कहा गया था कि 550 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जमा की जा चुकी है और केवल जे. जे. पी. केन्सिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर हैं।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों को अकेले मूलधन के माध्यम से धनवापसी की आवश्यकता थी। 181.4 . इसके बाद, आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 750 करोड़ रुपये की राशि जमा में पड़ी थी और यह देखा गया

लिमिटेड (जे. आई. एल.), रुपये की एक और राशि जमा करेगा। 1000 15.06.2018 'द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से करोड़। 181.5 . अंत में, 13.07.2018 पर, इस न्यायालय ने जेएएल की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करते हुए, मामलों को विशेष रूप से विचार करने के उद्देश्य से 16.07.2018 पर पोस्ट किया।

घर खरीदारों के अधिकारों और जे. ए. एल. की क्षमता का मुद्दा और जे. आई. एल. परियोजनाओं का निर्माण करेगी। इसके बाद, मामलों की अंत में सुनवाई की गई और दिनांक 09.08.2018 के फैसले के माध्यम से निर्णय लिया गया।

181.6 . यहां तक कि मामले के अंतिम विचार पर भी, जे. ए. एल. की ओर से आगे के प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन इस अदालत ने यह बताते हुए खारिज कर दिया कि जे. ए. एल. की ओर से ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से आई. बी. सी. के अनुशासन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस अदालत ने विशेष रूप से कहा कि धारा 29ए के खंड (सी) और (जी) समाधान प्रक्रिया में भाग लेने वाले जे. ए. एल./जे. आई. एल. के प्रवर्तकों के लिए एक बाधा के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, प्रस्ताव के विरोध में घर खरीदारों की ओर से आग्रह किए गए विभिन्न आधारों पर ध्यान देने के बाद, यह न्यायालय आश्वस्त था कि जे. ए. एल./जे. आई. एल. में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता और संसाधनों की कमी थी। जे. ए. एल. के प्रस्ताव के विरोध में घर खरीदारों की ओर से जो कारण बताए गए थे, वे कई थे, जहां अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि जे. आई. एल. की 5,000 रुपये की लगभग 758 एकड़ भूमि को गिरवी रखने से संबंधित संदिग्ध लेनदेन हुए थे।

बिना किसी विचार के जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में करोड़ रुपये और [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे एन. सी. एल. टी. 87 द्वारा दरकिनार कर दिया गया था कि जे. ए. एल. द्वारा फ्लैट देने का दावा भी खंडित था क्योंकि फ्लैट अधूरे वितरित किए गए थे और ओ. ओ. पी. बिना ओ. सी. के किया जा रहा था; जे. ए. एल. और जे. आई. एल. की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में चार साल से अधिक की देरी के कारण लगभग 22,000 घर खरीदार पीड़ित थे; अनुबंधों के तहत, जे. ए. एल. और जे. आई. एल. संयुक्त रूप से और अलग-अलग फ्लैट देने के लिए उत्तरदायी थे; जे. ए. एल. की साख के बारे में गंभीर संदेह थे, जिन्होंने जे. आई. एल. से अपने अन्य व्यवसायों के लिए भारी धन डायवर्ट किया था; जे. ए. एल. 2,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए इस अदालत के आदेश का सम्मान करने में असमर्थ था, जहां प्रारंभिक आदेश दिनांक 2 से लगभग 10 महीने के बाद केवल 750 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। उपरोक्त और अन्य सभी तथ्यों और कारकों ने वास्तव में इस न्यायालय के निष्कर्ष का आधार बनाया कि जे. ए. एल./जे. आई. एल. में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता और संसाधनों की कमी थी। बेशक, एक आम धारणा थी कि निगमित देनदार जे. आई. एल. का परिसमापन इसके हित में नहीं होगा -

घर खरीदार।

181.7 . चित्रा शर्मा (ऊपर) में, विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, संहिता के अनुशासन को संतुलित करने की आवश्यकता,

पूर्ण न्याय करते हुए और सभी संबंधित लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, इस न्यायालय ने जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का सहारा लेते हुए आई. बी. सी. के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सी. ओ. सी. का पुनर्गठन करना उचित और उचित माना।

अंतरिम निर्देशों के अनुसार जमा में पड़ी 750 करोड़ रुपये की राशि के आनुपातिक वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए घर खरीदारों को निर्देश जारी करने के लिए। इस न्यायालय ने कहा कि जब धनवापसी चाहने वालों के दावे पर सहानुभूति के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है, तब भी इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है; और इस अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए चार प्रमुख कारणों को निर्दिष्ट किया, जिसमें यह कारण भी शामिल था कि अन्य लेनदार भी थे और यदि राशि का उपयोग केवल धनवापसी चाहने वालों के लिए किया गया था, तो जो घर खरीदार अपने फ्लैट की मांग कर रहे थे, उन्हें एक वैध शिकायत होगी। एक अन्य कारण यह था कि जे. ए. एल. के तहत दिवालिया

समाधान प्रक्रिया भी थी। अनुमति दी जाती है। यह इस स्थिति के साथ जोड़ा गया था कि यह न्यायालय जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित कर रहा था।

87 एन. सी. एल. टी. के उक्त आदेश को अंततः इस न्यायालय द्वारा अनुज जैन के मामले में 26.02.2020 के फैसले में मंजूरी दी गई थी।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

181.9 . यह भी उल्लेखनीय है कि हालांकि घर खरीदार थे

पहले वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थे, वित्तीय लेनदारों के रूप में उनकी स्थिति के बारे में संदेह को 06.06.2018 से कानून (IBC) के संशोधन के साथ हटा दिया गया था और यह एक प्रमुख कारण था कि इस न्यायालय ने समाधान प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए 09.08.2018 पर चित्रा शर्मा का निर्णय लेते समय इसे उचित माना, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कि यह IBC के अनुशासन का पालन करेगा। हालांकि, इस अदालत ने यह आदेश नहीं दिया कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि जे. आई. एल. को जब्त कर ली जाएगी, लेकिन इसे केवल अर्जित ब्याज के साथ एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित किया जाएगा, ताकि एन. सी. एल. टी. के निर्देशों का पालन किया जा सके।

182. इस न्यायालय के सभी कारकों और आदेशों को संचयी रूप से ध्यान में रखते हुए, यह पता लगाना मुश्किल है कि क्या विचाराधीन राशि का आदेश कभी दिया गया था।

इस न्यायालय द्वारा जे. आई. एल. के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में या केवल जे. आई. एल. के घर खरीदारों के प्रति जे. ए. एल. द्वारा जमा किया जाना; और उतना ही कठिन है

अर्जित ब्याज जे. आई. एल. की परिसंपत्ति बन गया है। 183. एक समग्र विश्लेषण में, यह प्रतीत होता है कि चित्रा शर्मा में मामले पर विचार करने के प्रासंगिक समय पर, शिकायतें जो थीं

चित्रा में न्यायालय के समक्ष उनकी शिकायतों को पूरी तरह से पेश किया गया शर्मा। जैसा कि देखा गया है, प्रारंभिक चरणों में, धनवापसी चाहने वालों को आनुपातिक संवितरण न्यायालय के विचाराधीन था (दोगुना से अधिक)।

अंतरिम आदेशों में कहा गया है) लेकिन वे धनवापसी चाहने वाले भी अकेले जे. आई. एल. के घर खरीदार नहीं थे। रिफंड के लिए आवश्यक राशि के रूप में 1,300 करोड़ रुपये का आंकड़ा न्यायमित्र ने अपने पोर्टल के अनुसार और 'जेएएल के रिकॉर्ड के अनुसार' बताया था।

183.1 . इसलिए, यह स्पष्ट है कि दिए गए चरण में, उक्त जमा राशि घर खरीदारों के धनवापसी की मांग के उद्देश्य से ली गई थी।

जे. ए. एल. और जे. आई. एल. दोनों; और अंतिम चरण में, जब इस न्यायालय ने पाया कि विभिन्न अन्य हितधारकों के हितों को ध्यान में रखा जाना था, तो धन एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि

चित्रा शर्मा के मामले में इस अदालत के अंतिम आदेश में कहा गया है कि अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये के कोष को जे. आई. एल. की संपत्ति माना जाना है।

183.2 . एन. सी. एल. टी. ने अनिवार्य रूप से इस विचार पर आगे बढ़े कि जे. ए. एल. को वास्तव में जे. आई. एल. के घर खरीदारों से धन प्राप्त हुआ था; कि जे. ए. एल. को अदालत ने जे. आई. एल. के घर खरीदारों की वापसी के लिए राशि जमा करने के लिए कहा था; और यह कि इस धन को जे. ए. एल. को वापस करने के लिए अदालत से कोई निर्देश नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जमा से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्य और पृष्ठभूमि पहलू एन. सी. एल. टी. के समक्ष सामने नहीं आए, जिसके कारण

चित्रा शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों के अर्थ और उद्देश्य के अनुरूप नहीं होने वाला निष्कर्ष निकालना। 183.3 . यह अनुमान लगाते हुए कि इस न्यायालय द्वारा जे. ए. एल. को जमा करने के निर्देशों के मद्देनजर विचाराधीन धन जे. आई. एल. की संपत्ति बन गया, एन. सी. एल. टी. ने इस बात पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इस न्यायालय द्वारा जे. ए. एल. को दिए गए निर्देशों का किसी भी निष्कर्ष से समर्थन नहीं है कि कानूनी रूप से जे. ए. एल. केवल जे. आई. एल. के धनवापसी चाहने वाले घर खरीदारों के उद्देश्य से उक्त कुछ धन की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी था। चित्रा शर्मा के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों और टिप्पणियों को जब उनके संदर्भ के साथ क्रमिक रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि जे. ए. एल. को जमा करने के लिए ऐसे निर्देश इस न्यायालय द्वारा जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के घर खरीदारों की धनवापसी की मांगों से निपटने के प्रयास के थे। यहाँ तक कि इस तरह का एक अस्थायी प्रस्ताव भी चित्रा शर्मा में अपनी अंतिमता तक नहीं पहुँचा और विभिन्न अन्य हितधारकों के अन्य कारकों और हितों पर ध्यान देने के बाद, धन को एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित कर दिया गया। इस मामले के व्यापक दृष्टिकोण से, एन. सी. एल. टी. द्वारा अपने दिनांकित (आई. डी. 1) के विवादित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह धन निगमित देनदार जे. आई. एल. की संपत्ति है, जो टिकाऊ नहीं है।

184. 750 करोड़ रुपये की इस राशि के संबंध में चर्चा के दूसरे चरण पर जाने से पहले, यह भी देखा जा सकता है कि जे. आई. एल. के घर खरीदारों की ओर से आग्रह की गई दलीलें, कि इस न्यायालय ने 2,000 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के निर्देशों को वापस लेने के लिए जे. ए. एल. के आवेदन को खारिज कर दिया है, जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई राशि की वापसी का दावा भी न्यायपालिका के सिद्धांतों के खिलाफ है, आधारहीन है। जैसा कि देखा गया है, चित्रा शर्मा (ऊपर) मामले पर विचार के

दौरान, इस न्यायालय ने न केवल जमा के निर्देशों को वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, बल्कि एक से अधिक अवसरों पर ऐसे निर्देशों को दोहराया। हालाँकि, ऐसे सभी आदेश और निर्देश अंतरिम प्रकृति के थे और उन अंतरिम आदेशों में से किसी से भी या चित्रा शर्मा के मामले में अंतिम निर्णय से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि जमा की गई राशि की पात्रता से संबंधित मुद्दे पर अंततः इस न्यायालय द्वारा जमाकर्ता जे. ए. एल. के खिलाफ निर्णय लिया गया था।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

185. समाधान योजना पर आते हुए, हमारे विचार में, एनबीसीसी ऐसा नहीं कर सका

यह मानकर इसे तैयार किया है कि यह राशि जे. आई. एल. की संपत्ति थी, जबकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में ऐसा नहीं कहा गया था।

न ही सूचना ज्ञापन में आई. आर. पी. द्वारा। एन. बी. सी. सी. द्वारा सूचना ज्ञापन की सामग्री पर अत्यधिक निर्भरता भी गलत है क्योंकि आई. आर. पी. ने सूचना ज्ञापन में कभी नहीं कहा कि 750 करोड़ रुपये की यह राशि जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों का हिस्सा थी। प्रासंगिक शीर्षक में

'निवेश/वित्तपोषण अवसर' के बारे में आई. आर. पी. ने इस प्रकार कहा: -

" समाधान के लिए विशिष्ट निवेश/वित्तपोषण का अवसर

पर्याप्त मूल्य वाले आवेदक को खोला जाना है

उपयोग न की गई भूमि (गिरवी और बिना ऋण वाली भूमि)

3502 एकड़ में 4,602 एल. एफ. डी. 1 में न बिकने वाली इन्वेंट्री की इकाइयाँ (6.39 मिलियन वर्ग फुट)

(नोएडा), एल. एफ. डी. 3 (मिर्जापुर), एल. एफ. डी. 5 (आगरा)।

3, 758 करोड़ रुपये से अधिक (बकाया राशि सहित)

30 सितंबर, 2018 तक, बेची गई सूची के मुकाबले, आगे लगभग

भूमि की थोक बिक्री के बदले आई. एन. आर. <आई. डी. 1 करोड़ बकाया है।

टोल शुल्क पर अधिकार (सड़क की ओर से राजस्व के साथ)

यमुना पर एकत्र की जाने वाली सुविधाएं और विज्ञापन)

30 वर्षों की शेष रियायत अवधि में एक्सप्रेस-वे

आज की तारीख में

25 % एच 1 एफवाई 19 तक टोल राजस्व में सीएजीआर

सड़क किनारे सुविधा क्षेत्र के 3.4 करोड़ वर्ग फुट के दोहन का अवसर एक्सप्रेस वे के पार

100 % जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी,

नोएडा और चिट्टा में दो पूरी तरह से चालू अस्पताल हैं और

अनूपशहर, यूपी में एक अर्ध-चालू अस्पताल

जेपी अस्पताल, नोएडा 525 बिस्तरों (338 चालू बिस्तर) के साथ 1200 बिस्तरों तक बढ़ाया जा सकता है।

50 जे. ए. एल. द्वारा जमा किए गए करोड़ रुपये माननीय एन. सी. एल. टी. के पास पड़े हुए हैं।

समान लंबित निर्देशों और निर्णयों का उपयोग/अंतिम उपयोग

माननीय एन. सी. एल. टी. "

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

185.1 . इसलिए, भले ही अन्य से संबंधित विभिन्न पहलू

जानकारी में परिसंपत्तियों और उनके संभावित उपयोग का संकेत दिया गया था।

लेकिन, 750 करोड़ रुपये की इस राशि के संबंध में, सूचना ज्ञापन में यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि यह राशि जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई थी और एन. सी. एल. टी. के पास पड़ी थी; और इसका अंतिम उपयोग एन. सी. एल. टी. के निर्णय के लिए लंबित था। इस तरह की स्पष्ट अभिव्यक्तियों के सामने, यह नहीं हो सकता है यह स्वीकार किया कि सूचना ज्ञापन में कोई भी घोषणा की गई थी कि 750 करोड़ रुपये की यह राशि समाधान आवेदक के लिए आसानी से उपलब्ध थी। एन. बी. सी. सी. की ओर से इस संबंध में की गई दलीलों को खारिज किया जाना आवश्यक है।

186. हम देख सकते हैं कि पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णय ऐसा करते हैं

बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। दूतावास संपत्ति (ऊपर दिए गए) के मामले सहित उद्धृत निर्णयों में सिद्धांत कि किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति का उपयोग कॉर्पोरेट देनदार के समाधान के लिए नहीं किया जा सकता है, मौलिक और गुहा से परे हैं। समान रूप से, ओ. एन. जी. सी. (ऊपर दिए गए) में मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट और निर्णय का संदर्भ अनावश्यक रहा है क्योंकि उक्त सिद्धांत अनिवार्य रूप से पुनर्स्थापन और एक पक्ष को उस स्थिति में रखने के उद्देश्य से नियोजित किया गया है जहां वह होता लेकिन अदालत के हस्तक्षेप या चूक के लिए। 88 इस सिद्धांत में अंतर्निहित सिद्धांत न्याय के प्रशासन के सभी नियमों के लिए भी मौलिक है और इसलिए, न्यायालय की ओर से किसी भी कार्य या चूक का अनपेक्षित परिणाम, जो किसी भी कारण से होता है, किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए काम करने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, यह सिद्धांत वर्तमान मामले में इन कारणों से लागू नहीं होगा कि इस न्यायालय ने जानबूझकर होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. को जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके अलावा अन्य सचेत निर्णय थे जिनमें इस राशि को जे. आई. एल. को जब्त करने का आदेश नहीं दिया गया था और न ही कोई आदेश था कि यह 88 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत को संक्षेप में समझाया गया है। एम. पी. और अन्य का राज्य। : (2003) 8 एस. सी. सी. 648 निम्नलिखित शब्दों में: -

" 28. यह कि अदालत के किसी कार्य से कोई भी पीड़ित नहीं होगा, यह अदालत के गलत कार्य तक सीमित नियम नहीं है; "अदालत का कार्य" इसके भीतर शामिल है।

ऐसे सभी कार्यों पर विचार करें जिनके बारे में अदालत किसी भी कानूनी कार्यवाही में यह राय बना सकती है कि अगर अदालत को तथ्यों और कानून के बारे में सही ढंग से अवगत कराया जाता तो उसने इस तरह से कार्रवाई नहीं की होती। प्रतिपूर्ति की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाला कारक अदालत का गलत कार्य या अदालत द्वारा की गई गलती या त्रुटि नहीं है; परीक्षण यह है कि क्या पक्ष के किसी कार्य के कारण अदालत को अंत में स्थायी नहीं होने के रूप में आयोजित आदेश पारित करने के लिए राजी किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को एक लाभ प्राप्त हुआ है जो अन्यथा उसने अर्जित नहीं किया होगा, या दूसरे पक्ष को एक ऐसी गरीबी का सामना करना पड़ा है जिसका उसे सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके लिए अदालत का आदेश और ऐसे पक्षकार का कार्य। "

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

राशि जे. आई. एल. या जे. आई. एल. के घर खरीदारों की संपत्ति बन गई थी। यहाँ जो पाया गया है और ऊपर रखा गया है, उसके लिए हम इन सिद्धांतों पर आगे विस्तार करना आवश्यक नहीं मानते हैं।

187. परिणाम यह है कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि और उस पर उपार्जित ब्याज जे. आई. एल. की संपत्ति नहीं है। इस राशि के संबंध में, न तो समाधान योजना में शर्त को स्वीकार किया जा सका और न ही एन. सी. एल. टी. के आदेश को मंजूरी दी जा सकी।

188. तदनुसार, हम मानते हैं कि चित्रा शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई 750 करोड़ रुपये की राशि और उस पर उपार्जित ब्याज जे. ए. एल. की संपत्ति है और समाधान योजना में इसके संबंध में शर्त है।

जे. आई. एल. के समाधान आवेदक द्वारा उपयोग को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इस राशि को जे. आई. एल. के परिसंपत्ति पूल में रखने के लिए दिनांकित 03.03.2020 के विवादित आदेश के हिस्से को अलग रखा जाता है।

189. जब हमें पता चला कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि और अर्जित ब्याज को रखने के लिए दिनांकित 03.03.2020 का विवादित आदेश

जे. आई. एल. का परिसंपत्ति भंडार अस्थिर है, सवाल यह है कि इस धन के संबंध में आगे क्या आदेश दिए जाएँ? सामान्य परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निष्कर्षों का परिणाम होगा

जे. ए. एल. को इस धन की सीधी वापसी की गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को अन्यथा देय राशि से संबंधित कई उलझी हुई विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

189.1 . जैसा कि देखा गया है, तब भी जब जे. ए. एल. और जे. आई. एल. दो अलग-अलग हैं।

निगमित इकाइयाँ, जे. आई. एल., जे. ए. एल. का एक अलग अहंकार है, क्योंकि इसे एक एस. पी. वी. के रूप में स्थापित किया गया है और जिसे उपरोक्त रियायत समझौते में रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। घर खरीदारों के साथ भी ऐसे समझौते हुए थे जिन पर जे. ए. एल. और जे. आई. एल. दोनों ने हस्ताक्षर किए थे।

इसके अतिरिक्त, जे. ए. एल. को जे. आई. एल. द्वारा निर्माण अनुबंधों का विस्तार किया गया था और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए निवेदनों के अनुसार [अनुच्छेद <आई. डी. 1]। 4 (ऊपर)], जे. ए. एल. निर्माण कार्य कर रहा था और कदम उठा रहा था

जे. आई. एल. के प्रति देयता को कम करें जो 31.03.2018 पर आई. एन. आर. 716 करोड़ की राशि थी और कथित रूप से 31.03.2020 पर आई. एन. आर. 195 करोड़ तक कम कर दी गई थी। विभिन्न घर खरीदारों ने कथित तौर पर जे. ए. एल. को आई. एफ. एम. डी. के लिए भुगतान किया है। इसके अलावा, जे. ए. एल. ने ₹195 करोड़ की शेष राशि प्रस्तुत की है, जिसे जे. आई. एल. के निर्माण के लिए विनियोजित किया जाना था।

परियोजना को 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि से समायोजित किया जा सकता है, यदि समाधान आवेदक [2021] 12 एस. सी. आर. को समाप्त करने का औपचारिक निवेदन करता है।

निर्माण समझौता। दूसरी ओर, एनबीसीसी ने जेएएल से वसूली योग्य कई अन्य राशियों का सुझाव दिया है।

189.2 . जटिल और आपस में जुड़ी विशेषताओं पर व्यापक रूप से ध्यान देने के बाद, भले ही हम इन कार्यवाहियों में जे. ए. एल. के खिलाफ अन्य दावों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं ", जहां तक निर्माण अग्रिम के लिए स्वीकृत राशि का संबंध है, हमारे विचार में, प्रक्रिया एक निरंतर रही थी और स्वीकार किया जाता है कि आई. डी. 1 पर जे. आई. एल. को 195 करोड़ रुपये की राशि देय थी। दी गई परिस्थितियों में, यह सभी हितधारकों के हितों की पूर्ति करेगा, यदि खातों के सुलह के प्रस्ताव को, जैसा कि जे. ए. एल. द्वारा वैकल्पिक प्रस्तुतियों में कहा गया है और समाधान आवेदक द्वारा भी, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और सुलह के बाद, देय राशि को जे. ए. एल. को शेष राशि वापस करने से पहले जे. आई. एल. को सौंप दिया जाता है।

189.3 . जे. ए. एल. की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि सत्यापन /

सुलह आई. आर. पी. या उसके द्वारा नियुक्त एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है, जबकि एन. बी. सी. सी. प्रस्तुत करेगा कि इस तरह का सुलह

इस न्यायालय द्वारा नामित एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, चित्रा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में अंतिम निर्देशों के संदर्भ में 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित कर दी गई। इस मामले की सभी प्रासंगिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि खातों के सुलह की प्रक्रिया जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच एन. सी. एल. टी. की देखरेख में काम किया जाएगा।

190. लेखाओं के मिलान के उपरोक्त उद्देश्य के लिए

जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच, एन. सी. एल. टी., प्रतिलिपि प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर

इस निर्णय के लिए, एक स्वतंत्र लेखा विशेषज्ञ को नामित करें; और एन. सी. एल. टी. द्वारा इस प्रकार नामित लेखा विशेषज्ञ जे. आई. एल. के आई. आर. पी. और जे. ए. एल. के एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए सुलह की प्रक्रिया को पूरा करेगा। अंतर्निहित तात्कालिकता को देखते हुए, लेखा विशेषज्ञ अपने नामांकन के 10 दिनों के भीतर खातों के मिलान और एन. सी. एल. टी. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा। लेखा विशेषज्ञ को सौंपे गए कार्य के लिए पेशेवर शुल्क और खर्च एन. सी. एल. टी. द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और जे. ए. एल. और जे. आई. एल. द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे।

190.1 . लेखा विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, एन. सी. एल. टी. इस तरह से उचित आदेश पारित करेगा कि, यदि कोई राशि है तो 89 ऐसा इसलिए है क्योंकि जे. ए. एल. का दिवाला समाधान बड़ा है और दिवाला समाधान या जे. ए. एल. के परिसमापन के मामले में, जे. ए. एल. के खिलाफ ऐसे दावों को आई. बी. सी. के अनुशासन के अनुसार कतार में खड़ा होना होगा।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जे. आई. एल./जे. आई. एल. के घर खरीदारों द्वारा प्राप्य पाए जाने पर, इसे 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि और अर्जित ब्याज में से जे. आई. एल. को सौंप दिया जाएगा और इसका शेष हिस्सा जे. ए. एल. को एक उचित खाते में वापस कर दिया जाएगा और जो जे. ए. एल. से संबंधित कार्यवाही से निपटने वाले सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा। एनसीएलटी होगा

प्रस्तुत करने के 2 सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा

लेखांकन विशेषज्ञ की रिपोर्ट।

190.2 . हालाँकि, हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सुलह की यह प्रक्रिया आई. आर. पी. या जे. आई. एल. के घर खरीदारों या समाधान आवेदक द्वारा जे. ए. एल. के खिलाफ लगाए जाने वाले किसी भी दावे के निर्धारण के लिए नहीं है। और केवल जे. आई. एल. द्वारा निर्माण अनुबंधों के लिए जे. ए. एल. को दी गई राशि/राशियों से संबंधित खातों की जांच की जानी चाहिए और जे. ए. एल. द्वारा भुगतान की गई देनदारियों की सीमा के संदर्भ में मिलान किया जाना चाहिए और फिर जे. ए. एल. के पास उपलब्ध अत्यधिक राशि, यदि कोई हो, जो जे. आई. एल./जे. आई. एल. के घर खरीदारों द्वारा प्राप्य है, का पता लगाया जाना चाहिए।

191. खातों के सुलह और 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि के निपटान से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के संबंध में और

अर्जित ब्याज, कुछ और टिप्पणियां और अवलोकन आवश्यक प्रतीत होते हैं। हमने उनकी ओर से की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया है

एनबीसीसी ने जेआईएल के विभिन्न घर खरीदारों की ओर से यह भी कहा कि यह पैसा घरों के निर्माण के लिए आवश्यक है और यदि यह जेएएल को जाता है, तो निर्माण के लिए धन की भारी कमी होगी। हम उन तथ्यों से भी अवगत हैं जो रिकॉर्ड में आए हैं कि जे. ए. एल. खुद संकट में है और सी. आई. आर. पी.

अपने संबंध में बड़ा हो रहा है। हमने जे. ए. एल. के वित्तीय लेनदार द्वारा इस राशि को एस्क्रो खाते में अपने नियंत्रण में रखने के लिए की गई दलीलों पर भी ध्यान दिया है। हालाँकि, हमने इनमें से किसी भी प्रस्तुति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है।

191.1 . जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह पता चलने के बाद कि उक्त धन जे. ए. एल. की संपत्ति है, आमतौर पर इसका परिणाम होगा -

जे. ए. एल. को अपने रिफंड का निर्देश देने का प्रयास किया गया था, लेकिन जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को अन्यथा देय राशि से संबंधित मामले की अन्य उलझी हुई विशेषताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब यह एन. सी. एल. टी. के समक्ष जे. ए. एल. की ओर से एक स्वीकृत स्थिति थी कि 274 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। जे. आई. एल. द्वारा जे. आई. एल. को देय और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी, भुगतान करने की इस बाध्यता को जे. ए. एल. की ओर से स्वीकार किया गया है, हालांकि आई. डी. 1 पर आई. एन. आर. 195 करोड़ के बराबर है; और ऐसा प्रतीत होता है कि जे. ए. एल. निर्माण करने और अपनी देनदारी को कम करने के लिए कदम उठा रहा है (शायद अपंग कदम)। हम.

जे. ए. एल. द्वारा जे. आई. एल. को देय राशि की सीमा का निर्धारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह खातों के सुलह का मामला होगा, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए जिस पृष्ठभूमि में, और जिस उद्देश्य के लिए, जे. ए. एल. ने इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार उक्त जमा किया और इन दोनों कंपनियों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस पाठ्यक्रम को अपनाना संबंधित हितधारकों के कानूनी अधिकारों के संतुलन के साथ-साथ इक्विटी के संतुलन में भी प्रतीत होता है। हम यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि आम तौर पर, न्यायसंगत विचार सीधे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में नहीं आते हैं, बल्कि मामला होता है

192. निर्धारण के लिए इस बिंदु पर बंद करने से पहले, हम संकेत दे सकते हैं कि इस बिंदु पर कुछ तर्क एक स्पर्शरेखा पर चले गए हैं, जैसे जे. ए. एल. के घर खरीदारों के एक संघ द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान दिया जा सकता है, जिन्होंने एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ सीधे इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, कि 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि में से 160 करोड़ रुपये को इसके सदस्यों के घरों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाए।

एसोसिएशन; और यह कि रेरा की कार्यवाही में, जे. ए. एल. पैसे की मांग कर रहा था

हालांकि, इसके सदस्यों की ओर से जे. ए. एल. द्वारा परियोजना को पूरा करने में 5 से 7 साल की अस्पष्टीकृत देरी हुई। हम जे. ए. एल. के खिलाफ उसके घर खरीदारों द्वारा इस प्रकृति के प्रस्तुत करने में कोई तर्क नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इन कार्यवाहियों में किया गया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जे. ए. एल. और उसके घर खरीदारों के बीच सौदा वर्तमान का विषय नहीं है।

कार्यवाही। इसी तरह, कुछ असंतुष्टों द्वारा प्रस्तुत करना

जे. आई. एल. के घर खरीदार, कि एन. बी. सी. सी. इस पैसे को अपने पास रखते हुए मुनाफाखोरी करने का लक्षय बना रहा है, लेकिन घर खरीदारों के लाभ के लिए इस पैसे के उचित उपयोग के लिए समाधान योजना में संबंधित प्रावधान किए बिना, जो पहले ही यहां चर्चा की जा चुकी है, उसे देखते हुए आधारहीन और अनावश्यक है। जे. आई. एल. के कुछ घर खरीदारों की ओर से प्रस्तुतियों का एक अन्य खंड, जैसे कि एन. बी. सी. सी. के खिलाफ निर्देश मांगना कि वह वापस नहीं लेगा और निर्माण में तेजी लाएगा और साथ ही निर्माण की गुणवत्ता पर लेखा परीक्षा की मांग करना, वर्तमान मुकदमेबाजी में निर्धारण की आवश्यकता वाले वास्तविक मुद्दों से बहुत आगे निकल गया है।

इनके संबंध में और जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड पार्टनर्स वेलफ़ेयर

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इसी तरह की प्रकृति की अन्य प्रस्तुतियाँ, हम पार्टियों को केवल मौजूदा या भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी शिकायत के मामले में कानून के अनुसार उचित उपचार का सहारा लेने के लिए छोड़ देंगे।

प्वाइंट के

जे. ए. एल. के ऋणदाताओं का प्रतिभूति हित और दिनांक 26.02.2020 के निर्णय का प्रभाव 193. निर्धारण के लिए इस बिंदु पर तैयार किए गए दो अलग-अलग प्रश्न अपने आंतरिक सहसंबंध रखते हैं और इसलिए उन्हें एक साथ निर्धारण के लिए लिया जाता है।

193.1 . इन प्रश्नों की उत्पत्ति सात ऐसे लेन-देनों में निहित है, जिसके तहत जे. ए. एल. द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं को जे. आई. एल. की भूमि के विभिन्न भागों पर बनाए गए बंधक के माध्यम से सुरक्षित किया गया था, जो कुल मिलाकर 858 एकड़ था। वर्तमान सी. आई. आर. पी. कार्यवाही के दौरान, आई. आर. पी. ने इन लेन-देनों को संहिता की धारा 43,45 और 66 के अर्थ के भीतर तरजीही, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी के रूप में प्रश्न किया। इन लेन-देनों से बचने के लिए आई. आर. पी. द्वारा दायर एक आवेदन था न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांकित 16.05.2018 आदेश में आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और इनमें से छह लेनदेन से बचने के लिए निर्देश जारी किए गए। हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसा एक लेन-देन सुसंगत समय के भीतर नहीं पाया गया, जैसा कि संहिता की धारा 43 में प्रदान किया गया था और इसलिए, इससे बचा नहीं गया था। तथापि,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा उलट दिया गया। इसलिए, मामला इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया और अनुज जैन (उपरोक्त) के मामले में निपटा गया, निर्णय लिया गया

26.02.2020 .

194. अनुज जैन (ऊपर) में दिनांकित 26.02.2020 निर्णय में, इस न्यायालय ने उक्त सात लेन-देनों के सभी प्रासंगिक विवरणों पर ध्यान दिया और एक, जो प्रासंगिक समय के भीतर नहीं पाया गया था, इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार ध्यान दिया गया: -

" 7.5 . आई. आर. पी. द्वारा एक अन्य लेन-देन पर टालने योग्य होने के रूप में सवाल उठाया गया था, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसे संहिता की धारा 43 के तहत प्रदान किए गए प्रासंगिक समय के भीतर नहीं माना। इस लेन-देन का विवरण इस प्रकार है:

जे. आई. एल. द्वारा आईसी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड के पक्ष में [2021] 12 एस. सी. आर. के विरुद्ध गाँव टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित 100 एकड़ भूमि के लिए दिनांकित 12-5-2014 का बंधक विलेख निष्पादित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रुपये का सावधि ऋण देने के लिए दिनांकित सुविधा समझौता 12-12-2013

1500 जे. ए. एल. को 175 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि

(इसके बाद "संपत्ति संख्या 7" के रूप में भी संदर्भित किया गया है) (इस विवरण के संबंध में, प्रतिवादी आईसीआईसीआई बैंक की ओर से यह बताया गया है कि यह "कॉर्पोरेट रुपया ऋण सुविधा समझौते और सामान्य शर्तों के तहत 1500 करोड़ रुपये का सावधि ऋण" था। दिनांकित 12-12-2013 और बंधक विलेख दिनांकित 10-3-2014 ") था।

194.1 . जैसा कि देखा गया है, प्रासंगिक मुद्दों के अंतिम निर्धारण में, इस न्यायालय ने एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश और एन. सी. एल. टी. के आदेश को अस्वीकार कर दिया।

इनमें से छह लेन-देनों के संबंध में इस निष्कर्ष के साथ बरकरार रखा गया था कि विचाराधीन लेन-देन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित थे और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) आवश्यक जारी करने में उचित था। संहिता की धारा 44 के संदर्भ में निर्देश। हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, दिनांक 12.05.2014 के बंधक से संबंधित और 100 एकड़ भूमि से संबंधित उपर्युक्त सातवां लेनदेन बरकरार रहा। संपत्ति.

194.2 . हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि अनुज जैन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने एक अन्य मुद्दे की जांच की थी, वह यह है कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। में। इस संबंध में, इस न्यायालय ने हालांकि कहा कि जब विचाराधीन लेन-देन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित हुए थे, तो उन्हें उनके मूल्य और मूल्य से वंचित कर दिया गया था और उन लेन-देनों में शामिल जे. आई. एल. की संपत्ति पर बनाए गए प्रतिभूति हित का पूरी तरह से निर्वहन कर दिया गया था; और,

इसलिए, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. के ऋणदाताओं के रूप में किसी भी स्थिति का दावा करने के हकदार नहीं थे, वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में बहुत कम, लेकिन फिर, इस न्यायालय ने जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं की स्थिति के संबंध में इस प्रश्न की जांच की कि निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. इस निष्कर्ष से स्वतंत्र है कि विचाराधीन लेनदेन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित हुए थे। अंततः, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं की स्थिति से संबंधित इस मुद्दे पर, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि वे, विचाराधीन बंधक के बल पर, यह सुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में आता है, लेकिन इस कारण से कि कॉर्पोरेट देनदार पर कोई वित्तीय ऋण बकाया नहीं है, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

90 अनुज जैन के मामले में प्रासंगिक निष्कर्ष पैराग्राफ 34.1 से 34.3 में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

194.3 . अनुज जैन के मामले में 26.02.2020 का फैसला

(उपर्युक्त) इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत समाधान योजना पर सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के बाद, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 03.03.2020 के विवादित आदेश को पारित करने से पहले दिया गया था।

195. समाधान योजना में, विभिन्न शर्तों के अलावा

जे. आई. एल. की भूमि और भूमि के कुछ भागों के हस्तांतरण के साथ दो एस. पी. वी. के निर्माण के लिए प्रस्ताव आवेदक ने 'राहत और रियायतों' से संबंधित अनुसूची 3 के खंड 23 में कहा: -

" 23. जे. ए. एल. ऋणदाताओं की बंधक भूमि का स्वामित्व बना रहेगा। निगमित देनदार में किसी भी बंधक, शुल्क और

अड़चन "।

196. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांकित अपने विवादित आदेश में

03.03.2020 , समाधान योजना की शर्तों और प्रमुख राहतों को ध्यान में रखते हुए, जे. ए. एल. ऋणदाताओं के साथ गिरवी रखी गई भूमि से संबंधित मामले को सारणीकरण के निम्नलिखित भाग में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: -

मांगी गई राहत

" एस. आई.

मसला।

टिप्पणियां

क्रॉस

में संदर्भ

नहीं।

समाधान

योजना बनाएँ

एनबीसीसी ने मांग की है

आर. पी. ने दाखिल किया

3

858 एकड़ का

पृष्ठ

72

निगमित कर्जदार

के लिए आवेदन

राहत है कि 858

का खंड 1

अनुसूची 3

में से

से बचना

भूमि

था।

एकड़

के साथ बंधक

गिरवी रखी हुई भूमि

लेन-देन

द.

जे. ए. एल. ऋणदाताओं को

जो

समाधान

जारी रहेगा।

था।

जे. ए. एल. का सुरक्षित ऋण

में निहित होना

इसकी अनुमति है।

योजना "

निगमित कर्जदार

बिना

माननीय एन. सी. एल. टी.

किसी भी

दिनांकित आदेश देखें

विचार या

से मुक्त

किसी भी

बंधक, शुल्क

16.05.2018 और

काउंटर गारंटी

जेआईएल

और बोझ।

758 एकड़ से बाहर

को

(लेनदेन)।

टाल दिया।

हालांकि,

शिकायतें

थे।

के खिलाफ दायर किया गया

एनसीएलटी

आदेश दें

दिनांकित

16.05.2018 और

दिनांकित आदेश देखें

26.02.2020 है।

बरकरार रखा गया।

द.

एनसीएलटी का आदेश

दिनांकित

16.05.2018 .

माननीय

है।

एससी

उच्चारण करें

आदेश के साथ

का सम्मान करें

एक ही

पर

26.02.2020 में

अपील

नं. 8512-27 का

2019 .

(बोल्ड मूल में है)

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

196.1 . जहां तक बंधक के तहत भूमि का संबंध है, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण ने आदेश के पैराग्राफ 128 में अपने विचार को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया: -

" 128. जे. ए. एल. और अन्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव के हिस्से के रूप में 858 एकड़ को शामिल करने के लिए विरोध करने वाले

योजना, 26.02.2020 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए अभिनिर्धारित किया कि जे. आई. एल. की 858 एकड़ भूमि जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को गिरवी रखी गई है।

परिहार लेन-देन, जे. ए. एल. या आई. सी. आई. सी. आई. बैंक के संघ की ओर से यह कहने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि भूमि समाधान योजना का हिस्सा नहीं हो सकती है क्योंकि इसे वित्तीय को गिरवी रखा गया है।

जे. ए. एल. के लेनदार "।

तथापि, अनुसूची 3 के खंड 23 पर समापन करते हुए

समाधान योजना, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस प्रकार (पैराग्राफ 134 में) कहा: -

" खंड संख्या 23: - यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या यह जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को गिरवी रखी गई निगमित देनदार की भूमि का उल्लेख कर रहा है, यदि ऐसा है, क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, तो इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 91

196.2 . यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त तालिका में 'संकल्प योजना की अनुसूची 3 के खंड 1' के साथ-साथ 'क्रॉस-रेफरेंस' भी उद्धृत किया गया है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 128 में '858 एकड़' पर परिहार लेनदेन से संबंधित भूमि की सीमा का आंकड़ा गलत था और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांकित शुद्धिपत्र में इन त्रुटियों को इस तरह से ठीक किया कि प्रति-संदर्भ 'समाधान योजना की अनुसूची 3 के खंड 23' के लिए है और इस न्यायालय द्वारा परिहार लेनदेन के लिए धारित भूमि की सीमा '758 एकड़' है।

197. इसे स्पष्ट शब्दों में रखने के लिए, पिछले पैराग्राफ में देखे गए प्रस्तावों, कार्यवाहियों और निष्कर्षों का शुद्ध परिणाम इस प्रकार है:

858 जे. आई. एल. की एकड़ भूमि जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पास गिरवी रखी गई थी; समाधान योजना में, एन. बी. सी. सी. ने यह राहत मांगी कि ऐसी भूमि किसी भी बंधक, शुल्क से मुक्त कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. में निहित रहेगी। और बोझ; इस 858 एकड़ में से 758 एकड़ भूमि अनुज जैन (ऊपर) में फैसले के संदर्भ में बंधक से मुक्त कर दी गई; 100 एकड़ भूमि, 'टप्पल संपत्ति 1' होने के कारण, हालांकि, इसके तहत बनी रही।

91 उपरोक्त टिप्पणियाँ, जो दिनांकित 03.03.2020 के आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 128 और 134 में होती हैं, वर्णनों में पहले भी निकाली गई हैं, लेकिन वर्तमान चर्चा की निरंतरता के लिए हमने उन्हें फिर से निकाला है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक के साथ बंधक; और, इस बंधक के संबंध में, आई. सी. आई. सी. आई. बैंक को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, भले ही वह आई. सी. आई. सी. आई. बैंक में आता हो। सुरक्षित लेनदारों की श्रेणी; न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ऐसी बंधक भूमि के संबंध में और समाधान आवेदक द्वारा दावा की गई राहत के संबंध में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं

दिया है, जबकि यह मानते हुए कि पूरा मामला अनुज जैन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के दिनांकित 26.02.2020 के फैसले के साथ समाप्त हो गया है।

198. अब, समाधान योजना की उपरोक्त शर्तों और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश ने दो प्रमुख मुद्दों को जन्म दिया है। द.

पहला आई. सी. आई. सी. आई. बैंक की शिकायत है, जो 'टप्पल संपत्ति 1' से संबंधित उक्त बंधक लेनदेन में बंधककर्ता है, जिसे कोड की धारा 43 द्वारा लुक-बैक अवधि से परे दर्ज किए जाने के लिए प्रभावित नहीं किया गया था।

199. बंधक बैंक प्रस्तुत करेगा कि के संदर्भ में

अनुज जैन में इस न्यायालय का निर्णय, 'टप्पल संपत्ति 1' के संबंध में उक्त बंधक जारी है और इस प्रकार, बैंक है

निगमित देनदार जे. आई. एल. का एक सुरक्षित लेनदार; और इस बंधक को कोई मूल्य निर्धारित किए बिना समाधान योजना के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बंधक के संबंध में समाधान योजना की शर्तें अमान्य रहती हैं जहां समाधान आवेदक ने गलती से यह मान लिया है कि योजना के कार्यान्वयन का प्रभाव यह होगा कि तीसरे पक्ष को दिए गए ऋणों के लिए निगमित देनदार की संपत्ति पर सभी बोझ और शुल्क समाप्त हो जाएंगे। यह तर्क दिया जाता है कि संपत्ति में कानूनी अधिकार को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा नहीं लिया जा सकता है; कि संहिता के तहत प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दावों की गणना और लेखांकन के लिए प्रदान करती है; और केवल उन दावों को जिन्हें इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में गिना जाता है और जिन पर विचार किया जाता है, संभवतः समाधान योजना में निपटा जा सकता है, लेकिन जिन दावों का इस प्रक्रिया में हिसाब नहीं किया गया है और जिनकी गणना नहीं की गई है, वे दावे नहीं कर सकते हैं।

जलकर खड़े हो जाएँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह बैंक, उक्त "टप्पल संपत्ति 1" के बंधक के रूप में अपनी क्षमता में, दो गुना से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया है।

जहाँ बंधक के तहत उसके दावे की गणना सी. आई. आर. पी. में नहीं की गई है और फिर, अनुमोदित समाधान योजना आगे बढ़ती है और बंधक को ही समाप्त कर देती है। यह तर्क दिया जाता है कि इन सभी पहलुओं की न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जांच नहीं की गई है और इसलिए, इस मुद्दे के संबंध में इसके आदेश को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इस बैंक ने 2020 की डी. संख्या 21936 के रूप में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक विलंबित अपील दायर की थी और

इस न्यायालय में स्थानांतरण याचिका-2020 की डी. संख्या 20274 के माध्यम से इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

200. आईसीआईसीआई बैंक की उपरोक्त प्रस्तुतियों के जवाब में, समाधान आवेदक ने निष्कर्षों के संदर्भ में तर्क दिया है और

लेनदार जो बदले में, शीर्षक 1.2 के तहत आता है। वित्तीय लेनदारों के लिए प्रस्ताव। निर्दिष्ट अवधि में समाधान योजना में निर्धारित संस्थागत वित्तीय लेनदारों के साथ गारंटी लाभों को जारी रखने के अलावा ऐसी प्रतिभूतियों आदि के तहत सभी देनदारियों को जारी करने और निर्वहन का प्रावधान है। 201. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक द्वारा 100 एकड़ की उक्त गिरवी भूमि के संबंध में उठाए गए मुद्दे के अलावा, कुछ घर खरीदारों द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि 758 एकड़ भूमि के संबंध में समाधान योजना में पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं, जो पहले अन्य छह गिरवी लेनदेन के दायरे में आती थी, लेकिन अब इसे छूट दे दी गई है।

बोझिलता।

202. मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हम बंधक बैंक द्वारा और उसके द्वारा की गई प्रस्तुतियों में बल पाते हैं।

घर खरीदार।

203. समाधान आवेदक ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर भरोसा किया है कि आपत्ति करने वाले बैंक को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

अनुज जैन (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने इस आधार पर तर्क दिया है कि इस बैंक द्वारा इस प्रकार उठाई गई आपत्तियों को खारिज करने की आवश्यकता है। समाधान आवेदक एन. बी. सी. सी. की ये प्रस्तुतियाँ कई समस्याओं से ग्रस्त हैं। कमियां हैं। यहां तक कि जब उक्त बैंक को वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि विचाराधीन बंधक से संबंधित नहीं था

निगमित देनदार जे. आई. एल. का कोई वित्तीय ऋण, एक सुरक्षित लेनदार के रूप में इसकी क्षमता, बंधक के रूप में प्रतिभूति धारक होने के लिए जिसे टाला नहीं गया है और जो अभी भी मौजूद है, से इनकार नहीं किया जा सकता है; और अनुज जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा इनकार नहीं किया गया है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

203.1 . यह बैंक अपने इस तर्क में सही प्रतीत होता है कि जब विचाराधीन प्रतिभूति को समाधान प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में भी नहीं लिया गया था, तो इसे समाधान प्रक्रिया के अंतिम आदेश पर समाप्त नहीं किया जा सकता था।

समाधान आवेदक। दुर्भाग्य से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बंधक लेन-देन के संबंध में अपने समक्ष वास्तविक मुद्दे को पूरी तरह से चूक गया क्योंकि, मूल रूप से 03.03.2020 पर पारित आदेश में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने मान लिया कि जेएएल के ऋणदाताओं के पक्ष में सभी बंधक (जेआईएल की पूरी 858 एकड़ भूमि को शामिल करते हुए) इस न्यायालय द्वारा अनुज जैन (उपरोक्त) मामले में परिहार लेनदेन के रूप में रद्द कर दिए गए थे। बेशक, दिनांक 17.03.2020 के शुद्धिपत्र में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने संख्या '858' की त्रुटि को ठीक किया, जैसा कि दिनांकित 03.03.2020 के मूल आदेश के पैराग्राफ 128 में होता है, और इसे '758' में सही किया, लेकिन इसके परिणामों की जांच नहीं की। दूसरे शब्दों में, 17.03.2020 पर सुधार करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस प्रासंगिक प्रश्न का विज्ञापन करने में विफल रहा कि शेष 100 एकड़ भूमि के संबंध में उचित आदेश क्या होगा, यदि अनुज जैन (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में केवल 758 एकड़ जमीन जारी की गई थी।

203.2 . तथ्य यह है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस खंड से अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूप से निपटा है, यह अभी भी ऊपर दी गई तालिका के उस हिस्से से देखा जा सकता है, जिसमें जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में बंधक का संदर्भ देते हुए, समाधान योजना की अनुसूची 3 के खंड 1 का गलत संदर्भ दिया गया था। इस त्रुटि को दिनांकित 17.03.2020 आदेश में भी ठीक किया गया था और अनुसूची 3 के खंड 23 का सही संदर्भ दिया गया था, लेकिन फिर से, इस सुधार का निहितार्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के ध्यान से पूरी तरह से बच गया।

203.3 . जैसा कि उल्लिखित खंड 23 में देखा गया है, इस पर एक क्षणिक सुझाव

समाधान आवेदक का हिस्सा यह था कि 'जे. ए. एल. ऋणदाताओं द्वारा गिरवी रखी गई भूमि कॉर्पोरेट देनदार में निहित रहेगी।

कोई भी बंधक, शुल्क और बोझ '। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना के उक्त खंड को समान रूप से सरसरी तरीके से निपटाया।

यह देखते हुए कि मुद्दा स्पष्ट नहीं था, लेकिन यदि यह जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के साथ गिरवी रखी गई भूमि का उल्लेख कर रहा था, तो इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय ले लिया गया था और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। गलतियों/त्रुटियों (आकस्मिक हो सकती हैं) और सुधारों के साथ-साथ सरसरी टिप्पणियों की इस पूरी प्रक्रिया में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पूरी तरह से चूक गया कि 100 एकड़ भूमि से संबंधित एक लेनदेन, 'टप्पल संपत्ति 1', अनुज जैन (उपरोक्त) में निर्णय से अप्रभावित रहा; और इस भूमि पर सुरक्षा बनाने को योजना में सुझाए गए तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

204. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 100 एकड़ से अधिक भूमि पर उक्त बंधक के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक के दावे को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

जे. आई. एल. का सी. आई. आर. पी. और उस संबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के बिना, समाधान आवेदक ने केवल अनुसूची 3 के खंड 23 के माध्यम से सुझाव दिया जैसे कि ऐसा बंधक रद्द कर दिया जाएगा और भूमि किसी भी बोझ से मुक्त कॉर्पोरेट देनदार में निहित होगी। कम से कम कहने के लिए, उक्त खंड 23 अनुरूप नहीं प्रतीत होता है।

प्रतिभूति हित के निर्वहन के लिए कानून के किसी भी मूलधन के साथ, विशेष रूप से किसी तीसरे पक्ष के साथ जो एक कॉर्पोरेट देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल नहीं है। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करेंगे कि "टप्पल संपत्ति 1" की 100 एकड़ भूमि के उक्त बंधक के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक की क्षमता जेआईएल के असंतुष्ट वित्तीय लेनदार के रूप में इसकी स्थिति से पूरी तरह से अलग है, जिस हद तक जेआईएल पर सीधे वित्तीय ऋण बकाया है। असहमत वित्तीय लेनदार के रूप में इसकी क्षमता से संबंधित उन पहलुओं पर, वित्तीय ऋण में इसके हिस्से की सीमा तक, पहले ही बिंदु डी में चर्चा की जा चुकी है।

ध्यान दें। 206. इसी तरह, कुछ घर खरीदारों द्वारा उठाई गई शिकायत भी उचित है कि 758 एकड़ भूमि के अन्य हिस्से (जो अब अनुज जैन में इस अदालत के फैसले के परिणामस्वरूप बंधक से मुक्त हो गया है) से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधानों की आवश्यकता है। यह है।

एक अन्य पहलू जिसकी योजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और निगमित देनदार जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए लेनदारों की समिति द्वारा जांच की जानी आवश्यक है। हमें इस संबंध में अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बाधाओं से मुक्त भूमि के इस हिस्से की उपलब्धता का जे. आई. एल. के दिवालिया समाधान के पूरे दायरे पर अपना प्रभाव पड़ता है। प्वाइंट एन इन्फ्रा में इन मामलों में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के सवाल की जांच करते समय भूमि के इस हिस्से की उपलब्धता से उत्पन्न होने वाले अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

प्वाइंट एल

स्पष्टीकरण/निर्देशों की आवश्यकता वाले अन्य मुद्दे

207. अपनी विस्तृत प्रस्तुतियों में, एन. बी. सी. सी. ने एक मुद्दा यह भी उठाया है कि समाधान योजना के खंड 7 अनुसूची 3 में, जे. जे. पी. के. के. के

के. के

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निगमित देनदार के लिए पूंजी की मांग की जा रही है और 'अभी तक निगमित कंपनियों के लिए नहीं' लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने आदेश में गलती से टिप्पणी की है कि इस तरह की कमी इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थी। प्रस्ताव आवेदक एनबीसीसी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। समाधान योजना में प्रासंगिक खंड निम्नानुसार है: -

" 7. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस योजना के अनुमोदन से यह माना जाएगा कि कॉर्पोरेट ऋणदाता की शेयर पूंजी में कमी, एक्सप्रेसवे एस. पी. वी., लैंड बैंक एस. पी. वी. द्वारा शेयर जारी करने, संस्थागत वित्तीय लेनदारों को देय स्वीकृत वित्तीय ऋण को इक्विटी में बदलने, कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा डिबेंचरों की सदस्यता या लैंड बैंक एस. पी. वी. के शेयरों को कॉर्पोरेट ऋणदाता से संस्थागत वित्तीय लेनदारों को हस्तांतरित करने के संबंध में धारा 66, धारा 42, धारा 62 (1), सी. ए., 2013 की धारा 71 और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को माफ कर दिया गया है।

208. इस खंड के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की टिप्पणियाँ यह हैं कि जब से निगम की शेयर पूंजी में कमी आई है देनदार समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 'अभी तक निगमित नहीं की गई कंपनियों के संबंध में शेयर पूंजी को कम करने की प्रक्रिया को माफ नहीं कर सकता है'।

209. जब अपनी सभी राहतों और रियायतों के साथ समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और योजना को अन्यथा द्वारा अनुमोदित किया जा रहा था

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (यद्यपि संशोधनों के साथ), 'राहत और रियायतों' के खंड 7 के संबंध में उपरोक्त टिप्पणियों को मांगी गई राहत के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। जो भी हो, उक्त खंड 7 के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन, हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि इसे क्यों अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के दिनांक 1 के विवादित आदेश को संशोधित के रूप में पढ़ा जाएगा और 'राहत और रियायतों' के उक्त खंड 7 के अनुमोदन में पढ़ा जाएगा।

210. अंत में, एनबीसीसी ने जेएएल और उसके उप-ठेकेदारों या परियोजना पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की है।

जे. आई. एल. के स्थल/भूमि का कब्जा/नियंत्रण तुरंत जे. आई. एल. को सौंपने के लिए और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की है।

इस संबंध में आवश्यक समर्थन। हम ऐसा करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ऐसी कोई भी सामान्यीकृत टिप्पणियाँ या निर्देश लेकिन इसे खुला छोड़ देंगे [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान आवेदक को उचित कार्यवाही का सहारा लेने के लिए

कानून के अनुसार, जब भी ऐसा अवसर आता है।

प्वाइंट एम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन के लिए संशोधित तंत्र

211. हमने इस बिंदु को निर्धारण के लिए केवल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित अंतरिम आदेश, जैसा कि उक्त आदेश दिनांक 1 के खिलाफ एन. बी. सी. सी. द्वारा दायर अपील पर विचार करते समय पारित किया गया था, को संघों और व्यक्तिगत घर खरीदारों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। हालाँकि यहाँ पहले जो चर्चा की गई है और आयोजित की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, समाधान योजना से संबंधित सभी मुद्दे और एन. सी. एल. टी. के दिनांकित (आई. डी. 1) के विवादित आदेश व्यापक रूप से निर्धारित किए गए हैं और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष संबंधित अपीलें पहले से ही निर्धारित की गई हैं।

इस न्यायालय में वापस ले लिया गया, यह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, इस मुद्दे पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के संबंध में कुछ टिप्पणियां आवश्यक प्रतीत होती हैं।

212. ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिम प्रावधान का प्रस्ताव

निगरानी समिति, जिसमें तीन संस्थागत वित्तीय ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और समाधान आवेदक के साथ-साथ समाधान पेशेवर भी शामिल थे, को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के भाग ए के बिंदु संख्या 2 (ए) में शर्त के संदर्भ में उठाया गया था, जहां इसे प्रबंधन दल शीर्षक के तहत प्रदान किया गया था।

और उपशीर्षक 'निगरानी एजेंसी की नियुक्ति' कि अनुमोदन की तारीख से और हस्तांतरण की तारीख तक, निगमित ऋणी का प्रबंधन एक निगरानी एजेंसी या समाधान आवेदक द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तीन प्रमुख संस्थागत वित्तीय लेनदारों वाली संचालन समिति के परामर्श से किया जाएगा।

212.1 . हमारे विचार में, भले ही समाधान योजना में ऐसा प्रबंधन ढांचा हो, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण, समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए, ऐसी व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकता था जिसकी संहिता द्वारा परिकल्पना नहीं की गई है।

213. संहिता निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है और अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी अंतरिम निगरानी समिति के गठन के लिए ऐसा प्रस्ताव न तो कानून द्वारा परिकल्पित है और न ही उचित प्रतीत होता है। यह धारा 61 की उप-धारा (3) के खाली अवलोकन पर स्पष्ट है।

संहिता के अनुसार समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश को कोई भी चुनौती जेपी केंसिंगटन बोलवार्ड के हित में है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

धारा 31 के तहत केवल निर्दिष्ट आधारों पर बनाए रखा जा सकता है उसमें। जाहिर है, इस तरह की अपीलों पर विचार करते समय, अपीलीय प्राधिकरण को एक तंत्र प्रदान करने की मांग करने के बजाय संहिता द्वारा निर्धारित सीमाओं की सीमा के भीतर रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि

योजना का कार्यान्वयन।

समिति, जिसमें केवल समाधान पेशेवर, समाधान आवेदक और संस्थागत वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं, जबकि हितधारकों के सबसे बड़े हिस्से को अलग रखते हुए, यानी घर खरीदारों (जिनके पास इससे अधिक हैं) 57 % सी. ओ. सी. में मतदान का हिस्सा), किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के बजाय समाधान योजना के कार्यान्वयन में अधिक कठिनाइयों का कारण बनता।

215. शीर्षांकित अपीलों पर विचार करते हुए और हमारे आदेश द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित संबंधित मामलों को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए

दिनांक 06.08.2020, हमने आई. आर. पी. को प्रबंधन के साथ जारी रखने की अनुमति देते हुए दिनांकित 22.04.2020 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी। निगमित देनदार के मामलों की। इन मामलों पर निष्कर्ष निकालते समय, यह उचित और आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त आदेश दिनांक 22.04.2020

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अस्वीकृत किया जाए और अलग रखा जाए।

प्वाइंट एन

निष्कर्षों का सारांश; अंतिम क्रम और निष्कर्ष

216. निर्धारण के लिए प्रासंगिक बिंदुओं पर जो चर्चा की गई है और आयोजित की गई है, उसके लिए हमारे निष्कर्ष और निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

ए. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान योजना के अनुमोदन के मामले में सीमित अधिकार क्षेत्र है, जो संहिता की धारा 30 (2) और 31 द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और सीमित है। आई. बी. सी. के तहत एक समाधान योजना से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में, वहाँ

निर्दिष्ट मापदंडों पर, यह समाधान योजना को केवल संहिता द्वारा चित्रित और उजागर किए गए मापदंडों को संतुष्ट करने के बाद फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजेगा। इस न्यायालय द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणदाताओं की समिति द्वारा दो समाधान योजनाओं पर एक साथ विचार करने और मतदान करने के कारण एनबीसीसी की समाधान योजना को दूषित नहीं किया गया है। ग. वाई. ई. आई. डी. ए. के साथ लेन-देन और रियायत समझौते की शर्तों के संबंध में समाधान योजना की शर्तें सही हैं।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिन शर्तों को मंजूरी नहीं दी गई है, उनके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए एकमात्र सही तरीका योजना को पुनर्विचार के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजना था। डी. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आईसीआईसीआई बैंक जैसे असंतुष्ट वित्तीय लेनदार के साथ प्रस्तावित व्यवहार को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है।

समाधान योजना में सीमित; लेकिन समाधान योजना की संबंधित शर्तों को संशोधित करने और मामले को पुनर्विचार के लिए लेनदारों की समिति को वापस नहीं भेजने में गलती की है।

ई. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान आवेदक को लावारिस सावधि जमा धारकों के बकाया का भुगतान करने का प्रावधान करने के लिए निर्देश जारी करने में गलती की है। दिनांकित 03.03.2020 के विवादित आदेश के पैराग्राफ 125 को अलग रखा गया है।

च. यस बैंक लिमिटेड की आपत्तियों से संबंधित मुद्दे

और जे. एच. एल. से संबंधित, निगमित देनदार जे. आई. एल. की सहायक कंपनी, संबंधित पक्षों द्वारा समाधान के लिए छोड़ दी गई है, जो इस निर्णय के पैराग्राफ 141 और 142 के संदर्भ में एक व्यवहार्य समाधान निकालेंगे।

जी. समाधान योजना की समग्र योजना में, में शर्त

उसकी अनुसूची 3 के खंड 21 को अनुचित नहीं कहा जा सकता है और दिनांकित आदेश के पैराग्राफ 132 और 133 में टिप्पणियाँ किसी भी पीड़ित पक्ष (समझौता धारक) के कानून के अनुसार उपचार लेने के अधिकार का उचित रूप से ध्यान रखती हैं और समाधान योजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करती हैं।

एच. यह नहीं कहा जा सकता है कि समाधान योजना अल्पांश शेयरधारकों के हितों से पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं है। शिकायतें

अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा सुझाए गए सुझाव को कानूनी शिकायतों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. एन. बी. सी. सी. की समाधान योजना के लिए सहमति देने वाले एक वर्ग के रूप में घर खरीदार, कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या घर खरीदारों का कोई भी संघ समाधान योजना को चुनौती नहीं दे सकता है और उसे असंतुष्ट वित्तीय लेनदार या पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है; रेरा के प्रावधानों के उल्लंघन का सवाल नहीं उठता है; विचाराधीन समाधान योजना सी. आई. आर. पी. विनियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं करती है; और जब समाधान योजना व्यापक रूप से कॉर्पोरेट देनदार की सभी संपत्तियों और देनदारियों से संबंधित होती है, तो कॉर्पोरेट देनदार की किसी भी आवास परियोजना को केवल इस कारण से अलग नहीं किया जा सकता है कि वह पूरी हो गई है या पूरी होने के करीब है।

जे. (i) आई. एन. आर. 750 करोड़ की राशि (जो द्वारा जमा की गई थी) चित्रा शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जे. ए. एल.) और उस पर उपार्जित ब्याज, जे. ए. एल. की संपत्ति है और इसके उपयोग के संबंध में समाधान योजना में शर्त है।

जे. आई. एल. या समाधान आवेदक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इस राशि को जे. आई. एल. के परिसंपत्ति भंडार में रखने के एन. सी. एल. टी. के आदेश के हिस्से को अलग रखा जाता है।

((ii) यह प्रश्न कि क्या जे. आई. एल. और/या उसके घर खरीदारों द्वारा जे. ए. एल. से कोई राशि प्राप्त की जा सकती है।

निर्माण और स्वीकार किए गए दायित्व के संदर्भ में

इस निर्णय के अनुच्छेद 189 से अनुच्छेद 2 में निहित निर्देशों के संदर्भ में खातों के मिलान के बाद एन. सी. एल. टी. द्वारा 195 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण किया जाएगा। यदि राशि जे. आई. एल. द्वारा प्राप्य पाई जाती है, तो जे. आई. एल. को दी जाएगी और उपार्जित ब्याज के साथ शेष राशि जे. ए. एल. को उचित खाते में वापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामला जे. आई. एल.

के सी. आई. आर. पी. से संबंधित होने के कारण, जे. ए. एल. को वापस की जाने वाली राशि के संबंध में कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया जाता है क्योंकि जे. ए. एल. के परिसंपत्ति भंडार में उक्त राशि का उपचार ऐसे आदेशों के अधीन रहेगा जो संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए जा सकते हैं।

जे. ए. एल. के मामलों के साथ।

के. (i) समाधान योजना की अनुसूची 3 का खंड 23, जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के प्रतिभूति हित को समाप्त करने का प्रावधान कर सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, विशेष रूप से सुरक्षा हित के संबंध में जिसका निर्वहन नहीं किया गया है। 03.03.2020 दिनांकित आदेश का यह हिस्सा अलग रखा गया है।

((ii) संकल्प में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

758 एकड़ भूमि के उपयोग के संबंध में योजना, जिसमें

जे. आई. एल. को बोझ से मुक्त होने के संदर्भ में उपलब्ध होना अनुज जैन के मामले में इस न्यायालय का दिनांक 26.02.2020 का निर्णय

एल. (i) दिनांकित 03.03.2020 के आक्षेपित आदेश को इस प्रकार पढ़ा जाएगा संकल्प की अनुसूची 3 के खंड 7 के संबंध में संशोधित

योजना; और उक्त खंड अनुमोदित हो जाएगा।

((ii) परियोजना स्थलों पर अधिकार/नियंत्रण के संबंध में /

जे. आई. एल. की भूमि, इसे समाधान आवेदक के लिए खुला छोड़ दिया जाता है

एम. अपीलीय प्राधिकरण के लिए प्रावधान करना उचित नहीं था अपीलों के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए अंतरिम निगरानी समिति। द इम्पाग्ड

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 22.04.2020 आदेश को अलग कर दिया गया है।

217. अब तक की चर्चा और निष्कर्षों का शुद्ध परिणाम यह है कि एनबीसीसी की समाधान योजना के कुछ नियम और शर्तें, जिन्हें ऋणदाताओं की समिति के मतदान हिस्से के 97.36% द्वारा अनुमोदन के

लिए मतदान किया गया था, अनुमोदन के साथ पूरा नहीं होते हैं। हालांकि, इस तरह के नियमों और शर्तों को छोड़कर, समाधान योजना के अन्य सभी नियमों और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। विशेष रूप से, समाधान योजना के नियम और शर्तें जो अनुमोदन के साथ पूरा नहीं होती हैं, वे संबंधित हैं: (क) भूमि प्रदान करने वाली अभिकरण (जैसा कि बिंदु ग (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित है); (ख) असंतुष्ट वित्तीय लेनदार (जैसा कि बिंदु घ (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित है); (ग) जे. ए. एल. के ऋणदाता का अविमुक्त प्रतिभूति हित (जैसा कि बिंदु ग (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित है)।

217.1 . उपरोक्त के अलावा, हमने भी अस्वीकार कर दिया है

अर्जित ब्याज के साथ आई. एन. आर. 750 करोड़ की उक्त राशि के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का निर्णय और यह अभिनिर्धारित किया है कि यह राशि जे. ए. एल. की संपत्ति है और जे. आई. एल. या समाधान आवेदक द्वारा इसके उपयोग से संबंधित समाधान योजना की शर्तों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अर्जित ब्याज के साथ 750 करोड़ रुपये की उक्त राशि का अंतिम भुगतान एनसीएलटी द्वारा किया जाएगा। जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच खातों के सुलह के बाद और इस निर्णय में निहित निर्देशों के संदर्भ में।

217.2 . इस मामले की अतिरिक्त विशेषता यह है कि समाधान आवेदक द्वारा जेयपी केन्सिंगटन बोलवार्ड एपारटमेंट्स वेलफ़ेयर के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

758 एकड़ भूमि बैंक, जिस पर जे. ए. एल. के ऋणदाताओं का प्रतिभूति हित अनुज जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निर्वहन किया जाता है। 217.3. उपरोक्त मामले, एक या दूसरे तरीके से, समाधान योजना की वाणिज्यिक शर्तों से संबंधित हैं और अपनी वित्तीय स्थिति रखते हैं।

प्रभाव।

218. इसके लिए जो हमने यहाँ ऊपर रखा है, जब कई

ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में कमियां पाई जाती हैं और निर्दिष्ट मापदंडों की तुलना में, योजना को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और मामले को समिति को वापस भेजने की आवश्यकता होती है। लेनदार। लेकिन वर्तमान मामले में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम में जटिलताओं का अपना हिस्सा है।

219. हमने इस मामले में शामिल सभी विशिष्टताओं और जटिलताओं पर उत्सुकता से विचार किया है, जहां अतीत में दो बार इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करना पड़ा था। भारत का संविधान, ताकि दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित

220. जैसा कि देखा गया है, चित्रा शर्मा (ऊपर) में दिनांक 1 के फैसले में, इस न्यायालय ने मामले की विशिष्टताओं पर ध्यान देने और बाद में आई. बी. सी. में संशोधन करने के बाद सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित किया, जिसके तहत घर खरीदारों की स्थिति के बारे में संदेह को दूर किया गया और उन्हें विधिवत रूप से हटा दिया गया। वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्रदान की। फिर, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (ऊपर) में दिनांकित 06.11.2019 निर्णय में, इस न्यायालय ने निर्णय की तारीख से सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए 90 दिनों की एक और अवधि प्रदान की, यह देखने के बाद कि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने में देरी कानून की प्रक्रिया के कारण थी और न तो घर खरीदार और न ही कोई अन्य।

कार्यवाही के लंबित रहने के लिए अन्य वित्तीय लेनदार को दोषी ठहराया जाना था।

इस न्यायालय ने यह भी कहा कि सी. ओ. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्टता की कमी के कारण विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयोग के कारण असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई थी और इसके अलावा, आगे विधायी परिवर्तन हुए थे, जिससे समाधान योजना का दायरा बढ़ाया गया था। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि

अदालत के समक्ष उपस्थित सभी पक्षों के बीच सर्वसम्मति थी कि जे. आई. एल. के परिसमापन को रोका जाना चाहिए और कुछ व्यवहार्य व्यवस्था का पता लगाकर स्थिति को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए जो [2021] 12 एस. सी. आर.

सभी संबंधित लोगों के हितों का संरक्षण करना। अदालत ने आगे कहा

संहिता की धारा 12 (3) के तीसरे प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत लंबित दिवालिया के संबंध में 90 दिनों की एक और अवधि का प्रावधान किया गया था।

समाधान प्रक्रिया। इन सभी कारकों ने इस न्यायालय को निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया

इस मामले में दूसरी बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, पक्षों के लिए और सभी हितधारकों के हित में पर्याप्त और पूर्ण न्याय करना।

221. वर्तमान स्थिति को लेते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि समाधान आवेदक के साथ-साथ जे. आई. एल. के बड़ी संख्या में घर खरीदारों ने भी सी. ओ. सी. में पर्याप्त मतदान हिस्सेदारी के साथ एक गलत

धारणा व्यक्त की कि आई. एन. आर. 750 करोड़ की उक्त राशि और अर्जित ब्याज जे. आई. एल. की संपत्ति बन गई है। साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि मुआवजे की अतिरिक्त राशि के आकस्मिक दायित्व के उपचार के संबंध में स्पष्टता की कमी थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय में भी स्पष्टता की कमी पाई गई, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा यह मान लिया गया था कि समाधान योजना के कुछ संदिग्ध नियमों/शर्तों को संशोधित किया जा सकता है।

इसके द्वारा संशोधित।

221.1 . इस न्यायालय के निर्णय का परिणाम और प्रभाव

17.03.2020 पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और आंकड़ा '758' एकड़ में सही किया गया था लेकिन इस तरह के सामग्री सुधार के परिणामों की जांच नहीं की गई थी। 221.2 . फिर भी, यह दोहराया जाता है कि 758 एकड़ भूमि (जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका मूल्यांकन 5000 रुपये से अधिक है) पर बोझ है।

करोड़) को हटा दिया जाता है; और उक्त भूमि अंश की उपलब्धता का परिसंपत्तियों की स्थिति और निगमित देनदार जे. आई. एल. की तरलता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

222. ऊपर जिन सभी विशेषताओं पर हमने ध्यान दिया है, उनके बावजूद यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन का पूरा आधार

जे. आई. एल. से संबंधित संकल्प में भारी बदलाव आया है। निरंतर प्रक्रियाओं में अतिरिक्त विशेषताएं यह थीं कि जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. के प्रति अपनी देनदारी को कम करने के लिए कई काम किए हैं और दूसरी ओर, आई. आर. पी. ने आगे के निर्माण कार्यों को करने और कई घर खरीदारों को स्वामित्व की पेशकश करने का दावा किया है।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

223. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अतीत में पारित आदेशों की भावना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का फिर से प्रयोग करने के लिए इच्छुक हैं।

भारत का संविधान और जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए समय बढ़ाना और उक्त प्रस्ताव आवेदक सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. को संशोधित/नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर देना।

योजनाएँ, जो संहिता और सी. आई. आर. पी. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस निर्णय में टिप्पणियों और निष्कर्षों के अनुरूप हैं। 223.1 . हम आई. बी. सी. के अनुशासन की

आवश्यकताओं के प्रति सचेत हैं और यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि जो पाठ्यक्रम अपनाया जा रहा है वह इस मामले की जटिल और विशिष्ट विशेषताओं में है, लेकिन जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. से संबंधित यह पुनरावृत्ति अभ्यास एक अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की आवश्यकता है। जहां तक समय सीमा का संबंध है, हम दिनांकित निर्णय के विषय और भावना पर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जिसमें समाधान योजना के निमंत्रण और सी. ओ. सी. द्वारा विचार के लिए पहले 45 दिनों की अनुमति दी गई थी। विस्तारित समय के बाद के हिस्से को किसी भी कठिनाई को दूर करने और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उचित आदेश पारित करने के लिए प्रदान किया गया था।

समाधान आवेदक द्वारा संशोधित/नई समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए, सी. ओ. सी. द्वारा उनके विचार के लिए और आई. आर. पी. द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। इस विस्तारित समय में प्वाइंट जे में संदर्भित जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के खातों का मिलान शामिल है। समाधान योजनाओं के प्रसंस्करण के साथ-साथ खातों के मिलान की प्रक्रिया भी जारी रह सकती है।

224. हम यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि इस निर्णय द्वारा अनुमत और परिकल्पित संशोधित/नई समाधान योजनाओं का प्रसंस्करण विस्तारित समय के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

उस मामले में, जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच खातों का सुलह या निगमित देनदार की सहायक कंपनी के वित्तीय लेनदार से संबंधित मुद्दों का समाधान जैसे अन्य पहलुओं पर अलग से विचार किया जाना चाहिए और ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना पर निर्णय लेने के लिए उन मुद्दों के समाधान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। 92

92 इस परिच्छेद में, हम यह भी देख सकते हैं कि जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के बीच आंतरिक रूप से परस्पर जुड़े लेन-देन व्यवस्थाओं के एक अन्य पहलू को शामिल करते हैं जिसके तहत कुछ भूमि पार्सल जे. आई. एल. से जे. ए. एल. को हस्तांतरित किए गए थे। विचाराधीन समाधान योजना, अनुसूची [2021] 12 एस. सी. आर. के खंड 19 में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

225. तदनुसार, एक बार फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्याप्त और पूर्ण कार्य करने के लिए

पक्षकारों के प्रति न्याय और जे. आई. एल. के सभी हितधारकों के हित में, हम निम्नलिखित आदेश के साथ इन मामलों पर निष्कर्ष निकालते हैं:

225.1 . समाधान योजना की मंजूरी का मामला बना हुआ है।

जे. आई. एल. के लेनदारों की समिति को प्रेषित किया गया और इसके लिए समय

जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने का समय बढ़ा दिया गया है।

इस निर्णय की तारीख से 45 दिनों की एक और अवधि।

225.2 . हम आई. आर. पी. को आज से 45 दिनों के विस्तारित समय के भीतर सी. आई. आर. पी. पूरा करने का निर्देश देते हैं। इस उद्देश्य के लिए, यह खुला रहेगा

आई. आर. पी. केवल सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. 9 3 से संशोधित/नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित करेगा, जिससे उन्हें प्रस्तुत करने का समय मिलेगा।

इस निर्णय की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर।

225.3 . यह स्पष्ट किया जाता है कि आई. आर. पी. किसी पर भी ध्यान नहीं देगा। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी और न ही

कोई भी नया सूचना ज्ञापन जारी करें। उक्त संकल्प

आवेदकों से इस आधार पर आगे बढ़ने की उम्मीद की जाएगी कि आई. आर. पी. द्वारा पहले से जारी सूचना ज्ञापन और

इसमें दर्ज तथ्यों और निष्कर्षों को ध्यान में रखें।

निर्णय।

225.4 . उपरोक्त समाधान योजनाओं को प्राप्त करने के बाद, आई. आर. पी. आगे के सभी कदम उसी तरीके से उठाएगा जिस तरीके से प्रक्रियाएं की जाती हैं।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को दी गई रिपोर्ट को तारीख से 45 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर सभी मामलों में पूरा किया जाता है। इस निर्णय से। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेगा।

संहिता की धारा 31 के संदर्भ में शीघ्रता से निर्णय आई. आर. पी. द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3 , ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए प्रावधान किया गया जहां स्वामित्व और स्वामित्व निगमित देनदार जे. आई. एल. के पास था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह देखते हुए उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी कि प्रस्ताव आवेदक को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी। कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह की समाप्ति अभूतपूर्व संकट पैदा कर सकती है और जेएएल के घर खरीदारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर

सकती है। हमने निर्णय में इस पहलू पर अनिवार्य रूप से इस कारण से टिप्पणी नहीं की है कि यह इस मामले में शामिल प्रमुख मुद्दों का मूल नहीं था। हालाँकि, जब मामले पर पुनर्विचार किया जाना है, तो सभी प्रासंगिक पहलुओं को लेनदारों की समिति के विचार के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

9 3 केवल इन समाधान आवेदकों को दिनांकित 06.11.2019 निर्णय में संशोधित योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

जेयपी केंसिंगटन बुलवार्ड का स्वागत है

एसोसिएशन v. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

225.5 . ये निर्देश, विशेष रूप से समय के विस्तार के लिए

सी. आई. आर. पी. की प्रक्रिया को पूरा करें, असाधारण रूप से जारी किया जा रहा है। वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ और एक के रूप में नहीं माना जाएगा

225.6 . जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 4.5 और 38.3 में देखा गया है, जे. आई. एल. के सी. आई. आर. पी. से संबंधित कार्यवाही इलाहाबाद द्वारा शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की पीठ, लेकिन बाद में, वही

नई दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए,

इस निर्णय द्वारा विचार की गई कार्यवाही की जाएगी।

ऊपर।

नई दिल्ली। 226. सभी अपीलें, स्थानांतरित मामले, स्थानांतरण याचिकाएं और

इस समूह में अंतर्वर्ती आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

227. इस आदेश की एक प्रति एन. सी. एल. टी., नई दिल्ली को भेजी जाए।

और अनुपालन के लिए तुरंत ईमेल के माध्यम से आई. आर. पी.।

स्वीकारोक्ति 228. समापन करते समय, हमारा कर्तव्य है कि हम अपना धन्यवाद दर्ज करें

और संबंधित पक्षों, उनके सहयोगियों और उनके शोध सहायकों के लिए विद्वान वकील को बधाई, जो सभी, चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद

महामारी और आभासी सुनवाई के कारण परिस्थितियों ने अदालत को इन मामलों में शामिल विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से निपटने में अमूल्य सहायता प्रदान की है, जिसमें स्पष्ट रूप से मौखिक प्रस्तुतियों के साथ-साथ सावधानीपूर्वक लिखित प्रस्तुतियाँ भी शामिल हैं।

सामग्री की तालिका

एस. नहीं।

विशिष्टताएँ

पैराग्राफ

परिचयात्मक

1-3

1 .

4-5

संक्षिप्त रूपरेखा और रेखाचित्र

2 .

पक्ष और उनकी संबंधित भूमिकाएँ और हित

3 .

6-14.5

मामले में निर्धारण के लिए बिंदु

15 (ए से एन)

4 .

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

5 .

16- 19.1

[2021] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6 .

चित्रा के मामले में आदेश और निर्देश

20-23

शर्मा

7 .

इस न्यायालय में एक और दौर और आगे

24-32

विचाराधीन सी. आई. आर. पी. के लिए समय का विस्तार

इस न्यायालय में इससे संबंधित एक और मुकदमा

8 .

33-37

जे. ए. एल. के तरजीही लेन-देन और ऋणदाता

समाधान योजना

38-40

9 .

न्यायनिर्णायक द्वारा दिनांकित 03.03.2020 आदेश

10 .

41-52

समाधान योजना के अनुमोदन में प्राधिकरण

संशोधन

11 .

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 22.04.2020 आदेश

53-54

अंतरिम व्यवस्था

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

12 .

55-60

जे. आई. एल. का सी. आई. आर. पी.: जटिलताओं का इतिहास

13

61-62

आई. बी. सी. के उद्देश्य और योजना

14 .

63-64.1

समाधान योजना की मंजूरी: महत्वपूर्ण कदम और

15 .

65-66.2

भूमिका निभाने वाले

ऋणदाताओं की समिति: सी. आई. आर. पी का नायक

67-70

बिंदु ए: के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा

16 .

71-79

एक से निपटने में प्राधिकरण का न्यायनिर्णयन

समाधान योजना

17 .

बिंदु बी: दो प्रस्तावों पर एक साथ मतदान

80-85

कोक की योजनाएँ

बिंदु सी: भूमि प्रदान करने से संबंधित मामले

18 .

86-109

एजेंसी YEIDA

बिंदु डी: असहमति के ऋण का उपचार

19 .

110-
130

वित्तीय लेनदार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

बिन्दु ई: सावधि जमा से संबंधित मामले

131-
136

20 .

धारकों

बिन्दु एफ: वित्तीय लेनदार की आपत्तियाँ

21 .

137-
142

निगमित देनदार की सहायक कंपनी

बिंदु जी: समझौता धारकों की शिकायतें

22 .

143-
148

बिंदु एच: अल्पांश शेयरधारकों की शिकायतें

149-
154

23 .

असंतुष्टों से संबंधित मामले

बिन्दु I:

155-
175

24 .

जे. आई. एल. के घर खरीदार

प्वाइंट जे: आई. एन. आर. 750 करोड़ और लेखा के बीच

25 .

176-
192

जेएएल और जेआईएल

बिंदु के: जेएएल के ऋणदाताओं का प्रतिभूति हित

26 .

193-
206

और दिनांकित 26.02.2020 निर्णय का प्रभाव

अन्य

आवश्यक मुद्दे

एल:

27 .

प्वाइंट

207-
210

स्पष्टीकरण/निर्देश

प्वाइंट

एमः के लिए संशोधित तंत्र

28 .

211-
215

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन

बिंदु एनः निष्कर्षों का सारांश; अंतिम क्रम और

216-
227

29 .

निष्कर्ष

स्वीकारोक्ति

30 .

228

मामलों का

निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस